

एम. ए. हिन्दी –

भाषा विज्ञान

(प्रथम सेमेस्टर – चतुर्थ प्रश्न-पत्र)

एवं

हिन्दी भाषा

द्वितीय सेमेस्टर (चतुर्थ प्रश्न-पत्र)

(छत्तीसगढ़ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित एम ए हिन्दी प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न-पत्र (भाषा विज्ञान) एवं एम ए हिन्दी द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न-पत्र (हिन्दी भाषा) के नवीनतम सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित एवं अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एम. ए. हिन्दी की पाठ्य-पुस्तक)

संपादक

डॉ० रमेश टण्डन

विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक- हिन्दी)

महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)



वैभव प्रकाशन

रायपुर (छ.ग.)

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा

ISBN-978-



प्रकाशक

वैभव प्रकाशन

अमीनपारा चौक, पुरानी बस्ती रायपुर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771-4038958, मो. 94253-58748

e-mail : sahyavaibhav@gmail.com

www.vaibhavprakashan.com

आवरण सज्जा : कन्हैया साहू

प्रथम संस्करण : May 2020

मूल्य : 500.00 रुपये

कॉपी राइट : लेखकाधीन



BHASHA VIGYAN EVAM HINDI BHASHA

BY : DR. RAMESH TANDAN

Published by

Vaibhav Prakashan

Amin Para, Purani basti

Raipur, Chhattisgarh (India)

First Edition : May 2020

Price : Rs. 500.00

(प्रस्तुत पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में लिखित पाठ्य सामग्री उसके लेखक/संकलनकर्ता के द्वारा एम ए हिन्दी में अध्ययनरत छात्रों के हित के लिए विभिन्न किताबों अथवा नेट से संकलित की गई है। अपने पाठ की पूर्णता के लिए इस पुस्तक के अध्याय लेखकों ने मूल किताबों अथवा परवर्ती संदर्भ/ शोध ग्रंथों अथवा नेट से उद्धरण अथवा उदाहरण लिए हैं, अतः उन मूल किताबों अथवा परवर्ती संदर्भ/शोध ग्रंथों अथवा नेट के क्रमशः लेखकों अथवा संपादकों/शोध छात्रों अथवा अपलोडर्स का सर्वश्रेष्ठ आभार जिनकी पाठ्य सामग्री को यहाँ उद्धृत किया जा सका है। मौलिक तथ्यों /परिभाषा आदि में फेरबदल के लिए इस पुस्तक के संपादक अथवा प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे अपितु अध्याय लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र खरसिया (छ.ग.) होगा।)

समर्पण



डॉ० नम्रता छाबड़ा



शांति टोप्पो



चिदम्बर कुलकर्णी



आशीष कुमार नागर



विशोक एन.



रविकिरन ताकसंडे



एशले माइकल

AIIMS रायपुर के इन जिंदा दिलों को, जिन्होंने
कोरोना मरीजों की सेवा की, लॉक डाउन की
स्थिति में संपादित यह किताब, जो भले ही इनसे
असंबंधित है, समर्पित है”

उमेश पटेल

मंत्री

उच्च शिक्षा, कौशल विकास,
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग



मंत्रालय, कक्ष क्रमांक- M1-12
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 492002 (छत्तीसगढ़)
फोन : 0771-2510316, 2221316
नि : D-1/2, शास. आवासीय परिसर, देवेन्द्र नगर, रायपुर
फोन : 0771-2881030
नंदेशी कार्यालय : 7000477747

क्रमांक.....0339/MINISTER/CG/GOVT./2020

दिनांक.....29/04/2020

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एम.ए. हिन्दी प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न-पत्र हेतु डॉ. रमेश टण्डन के द्वारा पाठ्य पुस्तक "भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा" संपादित किया जाना एक सशक्तीय पहल है। यह पुस्तक छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। उम्मीद है कि एक ही किताब में सम्बन्धित पाठ्यवस्तु एवं विस्तृत जानकारी छात्रों को मिल सकेगी।

किताब संपादन व प्रकाशन पर संपादक डॉ. रमेश टण्डन एवं सहायकी प्राध्यापक-लेखकों को मेरी शुभकामनाएँ!


(उमेश पटेल)

प्रति,

श्री रमेश टण्डन
प्राध्यापक
एम.जी. कॉलेज, खरसिया
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Prof. G.D. Sharma
Vice-Chancellor

ATUL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA
Bilaspur (C.G.) 495001

Former Vice-Chancellor, Nagaland University (Central) &
Former Pro-Vice-Chancellor, Assam University (Central)



प्रो. जी. डी. शर्मा
कुलपति

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) 495001

पूर्व कुलपति, नागालैण्ड विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) ए
पूर्व सह-कुलपति असम विश्वविद्यालय (केन्द्रीय)

क्रमांक 2648 / नि.स. / 2020

बिलासपुर, दिनांक 16.5.2020

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि औद्योगिक एवं इस्पात नगरी के श्यामांचल में स्थित खरसिया, जिला-रायगढ़ के साहित्यकार डॉ. रमेश टण्डन द्वारा एम.ए. हिन्दी के छात्र-छात्राओं के लिये पाठ्य-पुस्तक भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय पहल है।

छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापकगण के चिर अध्यापन अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई है। इससे छात्र-छात्राएँ कम समय में अधिक से अधिक ज्ञानार्जित कर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। प्रकाशित पुस्तक के संकलन में आपके द्वारा की गई लगन एवं परिश्रम की मैं हृदय से सराहना करता हूँ।

आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के प्रकाशित होने से प्रदेश एवं देश के पठन-पाठन की दिशा में एक नवीन परिकल्पना सृजित होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं एवं प्राध्यापकगण को एक नई दिशा प्राप्त होगी।

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु मेरी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से डॉ. रमेश टण्डन, संपादक खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) एवं समस्त सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई।

(प्रो. जी.डी. शर्मा)

कुलपति

Address : Gandhi Chowk, Bilaspur (Chhattisgarh) 495001,
Telifax + 91- 7752-220007 (O), +91-7752-260010, Mob. : +91-9406218401,
E-mail : gduktasharma@yahoo.co.in, vc@bilaspuruniversity.ac.in, Website : bilaspuruniversity.ac.in

संपादकीय....

आज विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग संस्थान क्यों जाते हैं ? क्योंकि उन्हें समस्त पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एक ही स्थल से मिल पाती है। आज भी विद्यार्थी किसी परीक्षा को अच्छे अंको से उत्तीर्ण होने के लिए प्रश्न-बैंक की तुलना में पाठ्यपुस्तक क्यों पढ़ते हैं ? क्योंकि उन्हें किसी पाठ्यवस्तु की विस्तृत जानकारी पाठ्यपुस्तक से ही मिलती है। यही कारण है कि किसी एक अथवा दो प्रश्न-पत्रों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रमों को अपने में समाहित करते हुए एक विस्तृत किताब संपादित की गई है, जो आज आपके हाथ में है और दस-बीस किताबों नहीं अपितु मात्र इसी किताब के अध्ययन से आप सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त करते हुए इन प्रश्न-पत्रों में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं।

स्नातकोत्तर कक्षा के अध्यापक होने के नाते मैंने यह अनुभव किया है कि कुछ प्रश्न-पत्रों के मामलों में कई मूल किताबों, संदर्भ ग्रंथों, शोध-प्रबंधों की किताबों अथवा नेट की दुनिया को सर्च करने के बाद भी किसी एक प्रश्न-पत्र के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त आज की रोजगार दुर्लभ त्वरा-परिवर्तित दुनिया में विद्यार्थी एक साथ कई कार्य करते हैं। स्नातकोत्तर तक पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी में इतनी समझ विकसीत हो जाती है कि जीने के लिए कुछ धन राशि की भी जरूरत पड़ती है और माँ- बाप की बढ़ती उम्र में उनके सोलह-सत्रह क्लास पढ़ने वाले बच्चे के सिवाय और कोई नहीं होता जो उन्हें सहारा दे सके। अतः विद्यार्थी अध्ययन के साथ-साथ प्राइवेट जॉब भी करता है, कम्प्यूटर की शिक्षा भी लेता है, प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग भी करता है। फलस्वरूप उन्हें कम समय में, कम भागमभाग में, कम किताबों को अध्ययन करके अधिक-से-अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना होता है।

इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मैंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से एवं हिन्दी से जुड़े हुए मनीषियों से सम्पर्क किया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं समय की मांग को भांपते हुए एक लेखक की जिंदगी को आत्मसात किया और विभिन्न किताबों, नेट अथवा स्वयं के

अध्यापन अनुभव को पन्ने पर संकलित करते हुए उकेरा। इससे एक पाठ्यपुस्तक का निर्माण हो सका— भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा। यह पाठ्यपुस्तक एम ए हिन्दी प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के चतुर्थ प्रश्न-पत्र के लिए लिखी गई है। इन पाठ्यक्रमों पर आधारित कुछ किताबें यत्र-तत्र दिखाई देती हैं, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। उन किताबों के बारे में मैंने यह अनुभव किया है कि उसमें या तो पाठ्यक्रम के कुछ शीर्षक ही छोड़ दिए गए या कुछ बाहर से अनुपयोगी चैप्टर जोड़ दिए गए। इससे विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो जाते थे और उन्हें कुछ और किताबों का सहारा लेना पड़ जाता था। परन्तु विभिन्न प्राध्यापकों के सहयोग से संपादित इस किताब में मैंने यह भरसक प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का एक भी टॉपिक न छूटने पाए और अतिरिक्त एक भी टॉपिक न जुड़ने पाए।

जिन प्राध्यापकों व हिन्दी के विज्ञानों ने इस किताब के चैप्टर-लेखन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लेख भेजा है, उन्हें अत्यन्त ही साधूवाद। यह एक शुरुआत है। छात्रों से श्रेय मिलने पर इन्हीं लेखकों के सहयोग से एम ए हिन्दी के अन्य प्रश्न-पत्रों का भी लेखन कार्य किया जाएगा।

आदरणीय चैप्टर लेखक, नई किताब के संपादन में पुनः सहयोग करें। प्रिय विद्यार्थीगण, जरूरत पड़ने पर कॉल करें। इस किताब के समस्त लेखकों को बधाई। किताब लेखन में सहयोगी बनी मूल व संदर्भ किताबों के लेखकों को नमन्।



संपादक

(डॉ. रमेश टण्डन)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर पाठ्यक्रम

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान)

इकाई – 01 भाषा और भाषा विज्ञान

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, भाषा संरचना और भाषिक-प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति, अध्ययन की दिशाएँ—वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

इकाई – 02 स्वन प्रक्रिया

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिम परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण।

इकाई – 03 व्याकरण

रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ, रूपिम की अवधारणा और भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य, वाक्य की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना।

इकाई – 04 अर्थ विज्ञान

अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध, पर्यायता, अनेकार्थता, विलोमता, अर्थ परिवर्तन।

इकाई – 05 लघु उत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से।

अंक योजना :-	अंक विभाजन
इकाई 01 आलोचनात्मक प्रश्न 01	15 x 1 = 15
इकाई 02 आलोचनात्मक प्रश्न 01	15 x 1 = 15
इकाई 03 आलोचनात्मक प्रश्न 01	15 x 1 = 15
इकाई 04 आलोचनात्मक प्रश्न 01	15 x 1 = 15
इकाई 05 लघु उत्तरीय प्रश्न 05	02 x 5 = 10
अति लघु उत्तरीय / वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10	01 x 10 = 10
	योग – 80
आंतरिक मूल्यांकन –	20

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई –01

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ— वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

इकाई – 02 हिन्दी का भौगोलिक विस्तार

हिन्दी की उप भाषाएँ, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियाँ। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ।

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना— उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ — आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

इकाई— 05 लघु उत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से।

अंक योजना:—

अंक विभाजन

इकाई 01	आलोचनात्मक प्रश्न	01	15 X 1 =	15
इकाई 02	आलोचनात्मक प्रश्न	01	15 X 1 =	15
इकाई 03	आलोचनात्मक प्रश्न	01	15 X 1 =	15
इकाई 04	आलोचनात्मक प्रश्न	01	15 X 1 =	15
इकाई 05	लघु उत्तरीय प्रश्न	05	02 X 5 =	10
अति लघु उत्तरीय/वस्तुनिष्ठ प्रश्न		10	01 X 10=	10
	योग	—		80
	आंतरिक मूल्यांकन	—		20

अनुक्रम

क्र. अध्याय	लेखक	पृष्ठ क्र.
1 भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण	प्रो. चरणदास बर्मन	13
2 भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार	डॉ. श्रीमती नीलम तिवारी	21
3 भाषा संरचना और भाषिक प्रकार्य	डॉ. जयती बिश्वास	25
4 भाषा विज्ञान स्वरूप एवं व्याप्ति	डॉ. बी नन्दा जागृत	43
5 अध्ययन की दिशाएँ— वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक	डॉ. रमेश कुमार टण्डन	59
6 स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ	प्रो. एस कुमार गौर	65
7 वागवयव और उनके कार्य	डॉ. श्रीमती नीलम तिवारी	72
8 स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण	प्रो. राजकुमार लहरे	80
9 स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन	डॉ. दिनेश श्रीवास	90
10 स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा	श्री आशीष राठौर	96
11 स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण	डॉ. दिनेश श्रीवास	101
12 रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ	श्रीमती आशा भारद्वाज	109
13 रूपिम की अवधारणा और भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य	प्रो. राजकुमार लहरे	120
14 वाक्य की अवधारणा, वाक्य के भेद	डॉ. धनेश्वरी दुबे	134
15 वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव विश्लेषण; गहन संरचना, बाह्य संरचना	डॉ. दिनेश श्रीवास	144
16 अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध	प्रो. करुणा गायकवाड़	151
17 पर्यायता, अनेकार्थता, विलोमता	प्रो. अमोला कोराम	157
18 अर्थ परिवर्तन	डॉ. डेजी कुजूर	167

भाग – 2

19 हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैदिक संस्कृत की विशेषताएँ	प्रो. संध्या पाण्डेय	180
20 लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ, पाली की विशेषताएँ	श्री घनश्याम टण्डन	186
21 प्राकृत की विशेषताएँ, अपभ्रंश की विशेषताएँ	प्रो. दिनेशकुमार संजय	193
22 शौरसेनी की विशेषताएँ, अर्द्ध मागधी की विशेषताएँ	श्रीमती आशा भारद्वाज	197
23 आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ और उनका वर्गीकरण	डॉ. दिनेश श्रीवास	203
24 पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी का भौगोलिक विस्तार व उनकी विशेषताएँ	डॉ. दिनेश श्रीवास	211
25 बिहारी, पहाड़ी तथा इनकी बोलियों का भौगोलिक विस्तार तथा विशेषताएँ	डॉ. दिनेश श्रीवास	219
26 खड़ी बोली, ब्रज, अवधी का भौगोलिक विस्तार तथा उनकी विशेषताएँ	डॉ. शिवदयाल पटेल	225
27 उपसर्ग, समास	डॉ. रमेश कुमार टण्डन	236
28 प्रत्यय	डॉ. रमेश कुमार टण्डन	250
29 लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम	प्रो. करुणा गायकवाड़	264
30 लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के विशेषण, क्रिया	डॉ. रेखा दुबे	279
31 हिन्दी वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति	श्रीमती आशा भारद्वाज	292
32 सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी	श्रीमती अलका यतिन्द्र यादव	308

33	मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; श्रीमती अलका हिन्दी की संवैधानिक स्थिति	यतिन्द्र यादव	315
34	देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण	श्रीमती किरण शर्मा	323
35	हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन, शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद	श्री मदन मलहोत्रा	336
36	हिन्दी और मानकीकरण	प्रो. वन्दना रानी खाखा	344

1.

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण

– प्रो० चरणदास बर्मन*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),
इकाई – 01 (भाषा और भाषा विज्ञान)
भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार,
भाषा संरचना और भाषिक-प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति,
अध्ययन की दिशाएँ– वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

भाषा का अर्थ

भाषा मानव जाति की प्राचीनतम् उपलब्धि है। ज्ञान का विस्तार भाषा से ही संभव हुआ है। भाषा से ही संवेग की अभिव्यक्ति हुई है। भारत में भाषा का चिरकाल से अध्ययन होता आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक जगत की देन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य के मन में परिस्थितियों के अनुसार भावों का उदय होता है। वह उन भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है और दूसरों के मन में उठे विचारों को भी जानना चाहता है। “अतः समाज में रहने तथा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसे सदैव आपस में विचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी वह स्फुट शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है, तो कभी सिर या हाथ हिलाने से भी उसका काम चल जाता है।”¹


*जन्म : 01 जुलाई 1971, माता : श्रीमती बुधियारीन बर्मन, पिता : श्री परदेशी बर्मन, धर्मपत्नी : श्रीमती पुष्पा बर्मन, शिक्षा : एम. ए., बी. एड., स्लेट, रूति : गीत, संगीत, साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य, अकादमिक कार्य : राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता, अन्य : 1997 से 2000 तक संविदा प्राध्यापक, शिक्षाकर्मी वर्ग-03 एवं 01 पर कार्यरत हुए, सम्प्रति: सहायक प्राध्यापक- हिन्दी, शासकीय महाविद्यालय चन्द्रपुर, आवासीय पता : बारापीपर, तहसील- डभरा, जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.), पिन कोड- 495692, मो0 नं0 : 9977962545, मेल : charanburmandas@gmail.com

भावों के इस आदान-प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे 'भाषा' कहते हैं। 'साधारणतः 'भाषा' शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। मानव परस्पर विचार-विनिमय के लिए जिन ध्वनि-संकेतों को अपनाते हैं वे सभी 'भाषा' कहलाते हैं।² अंग्रेजी में भाषा को Linguistics कहा जाता है। पशु-पक्षी का ध्वनि एवं सैनिक द्वारा झंडा हिलाना- सांकेतिक भाषा है। गूंगे या बहरे द्वारा हाथ, आँख अथवा होंठ के इशारे को इंगित भाषा कहते हैं।

भाषा शब्द संस्कृत की भाष् धातु से व्युत्पन्न है। भाष् का अर्थ है- 'बोलना', 'कहना', 'उच्चारण करना', 'वाणी को व्यक्त करना; अर्थात् भाषा उसे कहते हैं, जिसे कहा जाय या बोला जाय। महर्षि पंतजलि ने लिखा है- "व्यक्ता वाचि वर्णा येशा त इमें व्यक्त वाचः।" भाषा के द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। "भाषा" शब्द बड़े व्यापक रूप में व्यवहृत होता है। सामान्यतः मनुष्य मात्र की प्रत्येक सभ्य और असभ्य बोली को 'भाषा' कहा जाता है।³ किसी बड़ी जाति या बड़े देश की प्रांतीय बोलियाँ भी भाषा ही कहलाती हैं। भाषा ध्वनि की आधारशिला है, ध्वनियाँ उच्चारण के कारण ही सुनी जाती हैं। इसलिए काल और स्थान की दृष्टि से एक सीमा है। भाषा वहीं तक सुनी जा सकती है, जहाँ तक आवाज जा सकती है। भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन और अभ्यान्तर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। वह हमारे अभ्यान्तर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परम्परा से विच्छिन्न है। प्लेटो ने 'सोफिस्ट' में कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा अन्तर है। विचार आत्मा का मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।

भाषा-विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है। किन्तु 10 माह में ही बोली गयी बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है। भाषा के विकास को सीखने की साधारण प्रक्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ना माना जाता है। भाषायी कुशलता का संबंध भाषा के चार कौशल से

है— श्रवण कौशल (सुनना), मौखिक अभिव्यक्ति कौशल (बोलना), पठन कौशल (पढ़ना) और लेखन कौशल (लिखना)। भाषा के कौशल— सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोच समझ और चिंतन आदि को माना जाता है। भाषा वाचिक माध्यम है, इसलिए मनुष्य अपने भावों और विचारों को मौखिक और लिखित दो प्रकार से प्रकट करता है।



मौखिक भाषा—

मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोलकर प्रकट करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है, जब श्रोता सामने (लोग उपस्थित) हो। यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। मुख विवर, मुख, नासिका, ओष्ठ्य आदि को वाग्भाग कहते हैं। सम्पूर्ण वाग्भाग का प्रयोग भाषा के उच्चारण में किया जाता है। संकेत एवं इशारों के माध्यम से भी मनुष्य यदा-कदा अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, किन्तु भाषा वैज्ञानिकों ने इसे भाषा नहीं माना है। वाग्भागों का प्रयोग करते हुए मुख से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही भाषा का वास्तविक रूप माना गया है। (जैसे, शिक्षक ने छात्र को बताया कि वे अगले सप्ताह राजधानी जाएंगे। छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना। वह घर आकर अपने माता-पिता को बताया और उसे राजधानी जाने की अनुमति मिल गयी।) इस माध्यम का प्रयोग वार्तालाप, समाचार-वाचन, कहानी सुनाना, काव्य पाठ, फिल्म, नाटक, संवाद, भाषण, वाद-विवाद, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि में अधिक होता है।

लिखित भाषा—

भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों एवं मनोभावों का आदान-प्रदान किया जाता है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। दूर रहने वाले लोगों के पास जब हम अपने

विचारों को पहुँचाना चाहते हैं अथवा भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं तब लिखित रूप को अपनाते हैं। लिखित रूप भाषा का स्थायी माध्यम होता है। पुस्तकें इसी माध्यम में लिखी जाती हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, लेख, कहानी, संस्मरण आदि भाषा के लिखित रूप हैं।

भाषा की परिभाषा

भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? अथवा भाषा किसे कहते हैं? भाषा के लक्षण को विद्वानों ने विविध ढंग से प्रस्तुत किया है।

1.वैयाकरणाचार्य कामता प्रसाद— “भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ जाता है।”

2.डॉ. श्यामसुन्दर दास— “मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में इच्छा और बुद्धि का आदान – प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।”

3.डॉ. भोलानाथ तिवारी— “भाषा उच्चारण-अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा से समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।”

4.इटली साहित्य शास्त्री क्रोचें— “भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यञ्जना के लिए प्रयुक्त की जाती है।”

5.डॉ. जो. बैन्ड्रिएज— “भाषा एक तरह का चिह्न है। चिह्न से आशय उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक चिह्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।”

6.इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका— “भाषा, यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा मानव, प्राणी एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझीदार के रूप में संपर्क और प्रेषण करते हैं।”

7.भाषा की सर्वमान्य परिभाषा— “भाषा मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समूह है, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का विनिमय करते हैं तथा स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग

करते हैं।”

उपरोक्त परिभाषाओं में भाषा के लिए चार बातों पर ध्यान दिया गया है—

पहला— भाषा एक पद्धति है, यानि एक सुसम्बद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संघटन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं।

दूसरा— भाषा संकेतात्मक है अर्थात् इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से सम्बन्ध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं।

तीसरा— भाषा वाचिक ध्वनि—संकेत है, अर्थात् मनुष्य अपनी वागिन्द्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं।

चौथा— भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है— ऐच्छिक, अर्थात् किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक सम्बन्ध नहीं होता। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है। फिर भी उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि वह परम्परानुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा।

भाषा के अभिलक्षण

भाषा विद्वानों में चर्चा का विषय रहा है कि क्या मानव भाषा अन्य प्राणियों की सम्प्रेषण प्रणालियों से भिन्न है। “क्या इनके बीच केवल मात्रात्मक अंतर है अथवा ये गुणात्मक रूप से भिन्न हैं? सुप्रसिद्ध अमरीकी भाषाविद् चार्ल्स एफ. हॉकेट ने 1959 में प्रकाशित अपने एक लेख “एनिमल एण्ड ह्युमन लैंग्वेज” में भाषा अभिलक्षण को निर्धारित किया है।⁴ ये निम्नलिखित हैं—

1. मौखिक श्रव्य सरणि (वोकल ऑडिटरी चैनल)— सम्प्रेषण व्यवस्था में मानव भाषा की प्रकृति मूलतः मौखिक श्रव्य है। मानव (वक्ता) अपने संदेश अथवा संकेत को मुख से स्पष्टतया उच्चारण कर दूसरे मनुष्य (श्रोता) तक पहुँचाता है और संदेश प्राप्तकर्ता (श्रोता) वक्ता के निसृत ध्वनि

को स्पष्ट कान से सुनता है। श्रोता भी इसी विधि से स्पष्ट उच्चरित कर अपना संदेश वक्ता तक पहुँचाता है। इस प्रकार इस अभिलक्षण की मूल प्रकृति मौखिक ही होती है, लिखित या अन्य रूप में नहीं।

2. अंतर विनिमयता (इंटर चेंजेबिलिटी)— मनुष्य बोलने वाला प्राणी है, जो वास्तव में बोलता ही नहीं बातचीत करता है। बातचीत के दौरान एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता दोनों हो सकता है। अर्थात् वक्ता और श्रोता बातचीत में अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। पहला व्यक्ति जब वक्ता होता है तो दूसरा व्यक्ति श्रोता और जब दूसरा व्यक्ति वक्ता होता है तो पहला व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभाता है। वक्ता और श्रोता के भूमिका परिवर्तन को सम्प्रेषण व्यवस्था के संदर्भ में अंतर विनिमयता कहा गया है।

3. यादृच्छिकता (आर्बिट्रेरीनेस)— मानव भाषा में शब्द और अर्थ के बीच कार्य—कारण का संबंध नहीं होता बल्कि माना हुआ संबंध होता है। “यह माना हुआ संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होता है, अर्थात् किसी शब्द को हम भी वही कहते हैं जो बाकी सभी लोग कहते हैं।”⁵ यही कारण है कि एक ही वस्तु के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग—अलग शब्द मिलते हैं (जैसे— हिन्दी में पानी, अंग्रेजी में वाटर, जापानी में मिजु) और एक ही भाषा में अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, जैसे— पानी, जल, नीर आदि।

4. परम्परा (कन्वेंशनलिटी)— भाषागत कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंध सामाजिक परम्परा द्वारा निर्धारित होते हैं अर्थात् भाषा बोलने वाला कैसे बोलता है और सुनने वाला कैसे ग्रहण करता है? यह अभिलक्षण यह इंगित करता है कि मानव भाषा को सामाजिक परम्परा से भी अर्जित करता है जो संस्कार के रूप में देखा गया है।

5. विविक्तता (डिस्क्रीटनेस)— जब वक्ता भाषा के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अविरल धारा के रूप में सतत बोलता है, तब उसकी उच्चरित पहली ध्वनि से लेकर अंतिम ध्वनि तरंगों में उतार—चढ़ाव दिखाई पड़ता है। यह ध्वनि तरंग हमारे मस्तिष्क में जाती है तो हमें प्रत्येक शब्द की ध्वनि की अलग—अलग पहचान हो जाती है। छोटी इकाइयों में खंडित कर लेने की यही विशेषता भाषा अभिलक्षण में विविक्तता कहलाती है।

6. अभिरचना द्वित्व (ड्यूएलिटी ऑफ पैटनिंग)— जब वक्ता अपना संदेश दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो इस प्रक्रिया में दो स्पष्ट स्तर

ध्यान देने योग्य हैं। पहले स्तर का संबंध अर्थ से होता है और दूसरे स्तर का संबंध अभिव्यक्ति माध्यम ध्वनि की इकाइयों से रहता है। उदाहरण के लिए न्यूनतम इकाई जल है तो उसकी अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाइयाँ ज् +अ +ल् +अ होगी।

7. उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी)— भाषा में इस नियम के माध्यम से अनेक वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे— लड़का खाता है, लड़का पढ़ता है, लड़का सुबह शाम खेलता है। भाषा, अर्थ की सीमित इकाइयों में अपने माध्यम से असंख्य वाक्यों को उत्पन्न करने और समझने में सक्षम बनाती है। वक्ता जो बोलता है उसकी शब्द ध्वनि से अनेक नवीन शब्द बनाये जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार श्रोता द्वारा भी नये शब्द या वाक्य निर्माण किया जाता है, जो भाषा के इतिहास में कभी बोला न गया हो। यही नवीन शब्द या वाक्य निर्माण ही उत्पादकता कहलाती है।

8. विस्थापन (डिस्प्लेसमेंट)— मानव भाषा में 'समय' और 'स्थान' की दृष्टि से वक्ता बहुत दूर स्थित हो सकता है। अर्थात् हम आज किसी समय कहीं भी बैठकर किसी भी विभाय में भूतकाल अथवा भविष्यकाल की बातें कर सकते हैं, जैसे 1965 के युद्ध का वर्णन। ठीक उसी प्रकार किसी स्थान विशेष के संदर्भ में भी बातें कर सकते हैं, जैसे भारत में रहते हुए चीन की बात करना। आँखों से केवल, देखी गई किसी समय या स्थान की विगत घटनाओं का ही वर्णन होता है, ऐसा नहीं; बल्कि इस अभिलक्षण में वक्ता बिना देखे 'समय' और 'स्थान' का वर्णन कर सकता है। यह भूतकाल का हो सकता है और भविष्यकाल की कल्पित संभावनाओं का भी।

9. सर्जनात्मकता (क्रिएटिविटी)— भाषा का संबंध मननीय मन होने से उसके व्यवहार और ज्ञानात्मक विकास, व्यापक और सीमा युक्त होते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन अपनी प्रकृति में रचनात्मकता या सृजनशील होता है। सृजनात्मकता से तात्पर्य— कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना, नयी वस्तु बनाना, नवीन खोज करना है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। सर्जनात्मकता में पहले से न बोले गए वाक्य को बोलना और पहले से न सुने गए वाक्य को समझना है।

10. वाक्छल (प्रीवेरिकेशन)— “जब वक्ता के साधारण कहे हुए कथन से दूसरे पक्ष अभिप्रेत अर्थ से अन्य अर्थ की कल्पना उसे चक्कर में डालने के लिए की जाती है तब वाक्छल कहा जाता है।”⁶ भाषा के द्वारा

व्यक्त किया गया वाक्य या शब्द, ज्ञान के संदर्भ में कभी झूठा या तार्किक दृष्टि से असिद्ध भी हो सकता है। उदाहरणार्थ – कबीरदास ने 'मेघदूत' की रचना की जो ज्ञान के संदर्भ में असंगत हो सकता है लेकिन भाषागत सही वाक्य है।

11. अधिगम (लर्नेबिलिटी)— अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक व्यापक और सतत् एवं जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने अनुभव लाभ से नवीन तथ्यों की ओर जिज्ञासा रखता है। मानव मन की यही प्रकृति और संरचनात्मक विचार उसे दूसरे भाषा सीखने में समर्थ बनाता है।

12. सांस्कृतिक हस्तांतरण (कल्चरल ट्रांसमिशन)— भाषा के माध्यम से मानव समाज की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान की जाती है। बोली, भाषा, रहन—सहन, खान—पान, पहनावा, बालों की बनावट आदि सांस्कृतिक हस्तांतरण है।

संदर्भ ग्रंथ

1. व्ही. एन. सक्सेना, मानक हिन्दी भाषा : स्वरूप और लक्षण, पृ. क्रं. 01, अरुण प्रकाशन नवपरिवर्तित संस्करण।
2. डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना, भाषा विज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा पृ. क्रं. 54 मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, 1991—92 छठा संस्करण।
3. वही।
4. प्रो. गिरीश्वर मिश्र, भाषा के अभिकल्प लक्षण।
5. डॉ. धनजी प्रसाद, भाषा के आधारभूत अभिलक्षण।
6. विकीपीडिया – वाच्छल आलेख।



“मेरे माता—पिता, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा व्यवसाय, मेरा देश, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ हैं; इनका अपमान करने वालों का मैं विरोध करता हूँ।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

2

भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार

– डॉ० श्रीमती नीलम तिवारी*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 01
(भाषा और भाषा विज्ञान)

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार,
भाषा संरचना और भाषिक–प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति,
अध्ययन की दिशाएँ– वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा केवल भावों और विचारों के आदान–प्रदान का साधन मात्र नहीं अपितु मानव के चिंतन एवं सोचने का साधन भी है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जिसमें व्याकरणिक व्यवस्था स्वनिम एवं रूपिम व्यवस्था का संयोजन होता है। भाषा का एक दूसरा पक्ष है उसका व्यवहारिक रूप। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयुक्त रूप भाषा व्यवहार है। व्यवस्था और व्यवहार को आधुनिक भाषा विज्ञान एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। भाषा व्यवस्था को भाषा की विशिष्टता मात्र कह सकते हैं और व्यवहार को वाक। भाषा के यह दो रूप मानने का श्रेय मुख्यतः सस्यूर को है। स्विस भाषा विज्ञानी फर्दिनों द सस्यूर ने इन्हें लॉन्ग (langue) व पैरोल (parol) कहा है। आगे चलकर अमेरिकी विद्वान नोआम चाम्स्की ने इसे भाषिक क्षमता और भाषिक व्यवहार के रूप में प्रयुक्त किया।

*जन्म : 19 जून 1964, पति : श्री अखिलेश चन्द्र तिवारी, अभनपुर (रायपुर), कार्यक्षेत्र : सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, रुचि : अध्ययन, अध्यापन, पता : 59, विकास नगर, लखौली, राजनांदगांव, पिन कोड 491441, मो0 नं0 94241 10699,

मेल– neelamtiwary676@gmail.com

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 22

भाषा व्यवस्था

भाषा व्यवस्था का संबंध भाषिक इकाईयों की संरचनात्मक व्यवस्था से है। सस्यूर के मतानुसार भाषा व्यवस्था समूह गत अनुबंधन का परिणाम होती है। भाषा व्यवस्था वह व्याकरणिक व्यवस्था होती है जो भाषा जानने वाले के मस्तिष्क में अमूर्त रूप में अंतर्निहित रहती है। इसे सामाजिक संस्था तथा मूल्य व्यवस्था दोनों के रूप में समझा जा सकता है। इसका प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य परस्पर संप्रेषण के लिए करते हैं। भाषा व्यवस्था वह भाषिक क्षमता है जो समाज में रहकर व्यक्ति अनुकरण के द्वारा प्राप्त करता है। यह एक मानसिक संस्कार है। इसकी प्रकृति समरूपी होती है। यह प्रयोक्ता की निजी इच्छा अथवा प्रतीकों के अपने उच्चरित या लिखित माध्यम से नियंत्रित नहीं होती। भाषा व्यवस्था के अंतर्गत भाषा संरचना की विभिन्न व्यवस्थाएं जैसे प्रतीक व्यवस्था, स्वनिम व्यवस्था, व्याकरणिक व्यवस्था, व्याकरणिक कोटियां, आर्थी संरचनात्मक व्यवस्था समाहित है। किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी प्रतीक व्यवस्था, शब्द वाक्य रचना एवम् व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, यही भाषिक क्षमता है। जिसे सस्यूर ने लॉन्ग (langue) कहा है और यह बोलने वाले के मस्तिष्क में होती है।

भाषा व्यवहार

यह भाषा का व्यावहारिक रूप है। मानव समाज का प्रत्येक कार्य भाषा व्यवहार के द्वारा ही संभव होता है। मस्तिष्क में भाषा का जो रूप होता है वह समरूपी होता है और जो भाषा व्यवहार में आती है वह विषम रूपी होती है। विषम रूपी का अर्थ है— एक ही उक्ति के लिए अलग-अलग प्रयुक्तियां, जैसे— हिंदी में समय जानने के लिए निम्न वाक्य प्रयोग में आते हैं—

1. क्या समय हुआ है ?
2. घड़ी में कितना बजा है ?
3. घड़ी में क्या वक्त हुआ है ?
4. क्या बजा है ?
5. कितना बज गया ?

एक ही बात को हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से कहता है, अर्थात्

व्यवहार रूप में भाषा पर वैयक्तिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरस्यूर ने भाषा व्यवस्था को सामाजिक और भाषा व्यवहार को वैयक्तिक वस्तु माना है। भाषा का मानसिक रूप अर्थात् भाषा व्यवस्था का रूप स्थिर होता है, किंतु भौतिक रूप अर्थात् भाषा व्यवहार वक्ता की योग्यता शिक्षा दीक्षा व परिवेश के अनुसार बदलता रहता है। कई बार यह भाषिक परिवर्तन व्यापक जनसमुदाय द्वारा अपना लिया जाता है, तो वह भाषा व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। कालांतर में यही पुरानी भाषा से नई भाषा के विकास का कारण बनता है। अतः भाषा व्यवहार का अध्ययन भाषा के विकास को समझने के लिए आवश्यक होता है। भाषा के विविध रूप बोली, विभाषा, माध्यम भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, संचार भाषा आदि भाषा व्यवहार के ही रूप हैं। समाज के स्तरभेद और सामाजिक संस्कृति का प्रभाव भी भाषा व्यवहार पर पड़ता है। कोलकाता या मुंबई में बोली जाने वाली हिंदी में इस सामाजिक प्रभाव को देखा जा सकता है।

भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में अंतर—

भाषा के इन दो रूपों के अंतर को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं—

1. भाषा व्यवस्था की स्थिति मानसिक होती है, जबकि भाषा व्यवहार उसका भौतिक रूप है।

2. मानसिक होने के कारण भाषा व्यवस्था का रूप स्थिर होता है, किंतु भाषा व्यवहार परिवर्तनशील है।

3. भाषा व्यवस्था प्रयोक्ता की भाषिक क्षमता है, जो उसके मस्तिष्क में होती है। भाषा व्यवहार उसका प्रयुक्त रूप है।

4. भाषा या भाषा व्यवस्था सामाजिक होती है, किंतु वाक या भाषा व्यवहार वैयक्तिक होता है।

5. भाषा व्यवस्था अमूर्त होती है और भाषा व्यवहार मूर्त है।

6. भाषा व्यवहार का आधार भाषा व्यवस्था है, किंतु भाषा का रूप भाषा व्यवहार के बिना अपूर्ण है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार एक दूसरे से नितांत भिन्न नहीं है। भाषा व्यवस्था से ही भाषा व्यवहार होता है और भाषा व्यवहार से व्यवस्था में परिवर्तन होता है। डॉक्टर देवी शंकर

द्विवेदी ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है— “हम जो बोलते हैं या सुनते हैं, वह वस्तुतः वाक होती है और उसे सुनते-सुनते हम जो सीख लेते हैं, वह भाषा होती है।”¹

सस्यूर द्वारा प्रयुक्त *langue* और *parol* शब्द के लिए हिंदी में क्रमशः ‘भाषा’ और ‘वाक’ का प्रयोग भी होता है, किंतु डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार इन्हें भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार कहना अधिक उपयुक्त है।²

संदर्भ ग्रंथ—

1. अनुवाद और भाषा विज्ञान, इग्नू द्वारा प्रकाशित सन 2014।
2. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, पृष्ठ 15, संस्करण 51 सन 2007।



“दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है।
परन्तु आज से मैं इसे स्वयं के लिए लागू करता हूँ।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

3

भाषा संरचना और भाषिक प्रकार्य

— डॉ. (श्रीमती) जयती बिस्वास*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 01
(भाषा और भाषा विज्ञान)

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार,
भाषा संरचना और भाषिक-प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति,
अध्ययन की दिशाएँ— वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

मनुष्य की अस्मिता में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा ही मनुष्य को संसार के अन्य प्राणियों से पृथक करता है। भाषा के बिना मानव जाति की कल्पना अत्यंत दुष्कर है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरों की अनुभूति से अवगत होता है। भाषा की संप्रेषणीयता के कारण ही मनुष्य सामाजिक प्राणी कहलाने का अधिकारी बन पाया है। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण देखे, सुने और पढ़े जाते हैं, जब मानव शिशु किसी कारणवश मानव समाज से अलग हो गया हो और उसका पालन-पोषण मानव समाज से भिन्न अन्य प्राणियों के बीच हुआ हो, ऐसा बालक मानव जाति की किसी भी भाषा से परिचित नहीं हो पाता, उसका जीवन पूर्णतः असामाजिक व पशुतुल्य हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आदि काल से मनुष्य भाषा के सहयोग से अन्य सांसारिक प्राणी से अलग स्वयं की अपनी पहचान बनाता आया है तथा सतत परिवर्तन और विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहा है।

*जन्म तिथि एवं स्थान : 25 अगस्त 1970, खैरागढ़, माता : श्रीमती ललिता श्रीवास्तव, पिता : श्री सियाराम श्रीवास्तव, पति : श्री उत्पल बिस्वास, कार्य क्षेत्र : उच्च शिक्षा विभाग, प्रकाशन कार्य : शोध लेखक, रुचि : अध्ययन, अध्यापन, संप्रति : सहायक प्रध्यापक (हिन्दी), वीरांगना अवंती बाई महाविद्यालय, छुईखदान, मोबाईल नं. : 9424130323, ई-मेल : jaytibiswas25@gmail.com

‘भाषा’ की विधिवत संरचना और उसके प्रकार्य को जानने के लिए भाषा की अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। विश्व में विचार-विनिमय के लिए अलग-अलग मानव समुदाय व मानव समाज के पास अनेक भाषाएँ हैं। सामान्यतः ध्वनियों के व्यवस्थित संकेत को संक्षेप में भाषा कहा जा सकता है। ध्वनि-संकेत से तात्पर्य ध्वनि के उन समस्त रूपों से है जिनकी सहायता से स्वर, व्यंजन, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य और प्रोक्ति की रचना होती है। व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए विषय व प्रसंग से जुड़े अनेक वाक्यों की रचना करता है। इन वाक्यों के समूह को ही भाषा की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि वाक्यों के समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपने पूर्ण भावों और विचारों को प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होता है। भाषा की ठीक-ठीक परिभाषा देना कठिन है फिर भी भारतीय व पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है— महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है— “जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं।”¹

भाषा—विज्ञान

आ. कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है— “भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।”²

डॉ. श्याम सुन्दर दास ने अपने ग्रंथ भाषा—विज्ञान के दूसरे प्रकरण (षष्ठ संस्करण) में लिखा है— “मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।”³

डॉ. मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है— “भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।”⁴

पाश्चात्य विद्वान ए. एच. गार्डनर कहते हैं— The common definition of speech is the use of Articulate sound-symbols for the expression of thought.⁵

‘विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के प्रयोग

को भाषा कहते हैं।”

एडवर्ड सपीर महोदय कहते हैं— Language is a purely human and non instinctive method of communicating ideas, emotion and desires by means of a system of voluntarily produced symbols . these symbols are in the first instance auditory and they are produced by the so-called organs of speech. ⁶

अर्थात् विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वेच्छा से उत्पन्न प्रतीकों के माध्यम से सम्प्रेषित करने की विशुद्ध मानवीय और यत्नज पद्धति को भाषा कहते हैं। उच्चारण अवयवों से उत्पन्न माध्यम—प्रतीक प्राथमिकतः श्रावणिक होते हैं।

भाषा—विज्ञान कोश में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है— “मानवों के वर्ण विशेष में पारस्परिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त उन व्यक्त ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं, जिनका अर्थ पूर्व—निर्धारित एवम् परंपरागत होता है तथा जिनका आदान—प्रदान जिह्वा और कान के माध्यम से होता है।”⁷

इन परिभाषाओं के आधार पर भाषा की सामान्य विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं— भाषा विचार—विनियम का एक सशक्त माध्यम है जिनमें ध्वनियों के समूह से सार्थक शब्द रचना की जाती है, तत्पश्चात् शब्दों के समूह का निश्चित विन्यास किया जाता है और एक वाक्य की रचना की जाती है। मनुष्य शरीर के दो प्रमुख अवयव जिह्वा और कर्ण दो भाषिक इन्द्रियाँ हैं। ये अवयव हमें वक्ता और श्रोता की ओर संकेत देते हैं, अर्थात् एक व्यक्ति वक्ता और एक व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभाता है। वक्ता अपने भाव व विचार जब प्रकट करता है तो श्रोता उसे उसी अर्थ में सुनता व समझता है। अतः यह स्पष्ट है कि विश्व में अनेक भाषाओं के बावजूद वक्ता और श्रोता को एक ही भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना भाषा की संप्रेषणीयता असंभव है। आपसी वार्तालाप के माध्यम से ही व्यक्ति अंतर्संबंध स्थापित करते हुए सामाजिक प्राणी बनता है। यही सामाजिकता मनुष्य को अन्य प्राणी से अलग करती है। भाषा मानव जीवन की ऐसी व्यवस्था है जो कि वक्ता और श्रोता की सक्रियता से अपना अस्तित्व बनाती है।

भाषिक—संरचना की बात करने से पहले, भाषा के स्वरूप के विषय

में जानना आवश्यक है। वह है—

1. भाषा का मौखिक स्वरूप

2. भाषा का लिखित स्वरूप।

मनुष्य अपनी विचाराभिव्यक्ति के लिए जिन वाचिक ध्वनियों की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्य—समूह (प्रोवित) की रचना करता है वही वास्तव में भाषा का वास्तविक या मौखिक स्वरूप है। भाषा के अस्तित्व के लिए भाषाविद तीन प्रमुख बातों की अपेक्षा करते हैं— उत्पादन, संवहन और ग्रहण, अर्थात् भाषा का उत्पादन वागिन्द्रियों की सहायता से वक्ता द्वारा होता है, वायु के माध्यम से उसका संवहन होता है, श्रोता की श्रवणेन्द्रियों द्वारा उसे सुनकर उसी भाव या विचार के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। इन तीन बातों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती।

मानव—जीवन जब से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है तब से मनुष्य अपने अनुभव, अपने विचार अपने भाव तथा अपने जीवन की घटनाओं को चिर—स्थायी बनाए रखने के लिए सतत् प्रयास करता रहा है, इसके लिए उसने रेखा, चित्र, संकेत व बिन्दुओं की मदद ली है, जिसे समझा जा सके। उसका यही प्रयास धीरे—धीरे लिपि के रूप में अस्तित्व में आया। आज लिपि किसी भी भाषा को संरक्षित रखने का श्रेष्ठ माध्यम है, विचारों व भावों की अभिव्यक्ति, ज्ञान, विज्ञान साहित्य आदि की सुदीर्घ व समृद्ध, परंपरा को लिपि के बिना संरक्षित रखना असंभव है। वर्तमान में ध्वनि व लिपि के संबंध से सभी परिचित हैं। लिपि के बिना हम न ही अपने पूर्वजों की भाषा से परिचित हो सकते हैं, न ही आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंप सकते हैं। लिपि के आविष्कार के पहले हालांकि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान—विज्ञान—साहित्य आदि की मौखिक ही शिक्षा दिया करते थे, जिसे शिष्य कंठस्थ करके ज्ञानवान होते थे व उसे अगली पीढ़ी को सौंपकर परंपरा का निर्वाह करते, किन्तु पूर्वजों के द्वारा लिपि के आविष्कार ने भाषा को सुरक्षित कर मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, पूर्वजों के इस आविष्कार के लिए संपूर्ण मानव जाति उनकी ऋणी रहेगी।

लिपि ध्वनि संकेतों की ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से भाषा को मूर्त स्वरूप प्राप्त होता है। हिन्दी भाषा की संरचना के लिए ध्वनि संकेत की लिपि को जानना अत्यंत आवश्यक है। हिन्दी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। यही भाषा का लिखित स्वरूप

है। हिन्दी भाषा के संदर्भ में बात करें तो हम पाएँगे कि इस भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम हिन्दी भाषा की भाषिक संरचना की जानकारी के साथ साथ क्रमशः ध्वनि संकेत से अर्थ ग्राह्यता तक पहुँच सकेंगे। भाषाविद वासुदेव नन्दन प्रसाद ने अपने ग्रंथ 'आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना' में ध्वनि के स्वरूपों पर प्रकाश डाला है— 'वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसका खण्ड न हो; जैसे— अ, इ, उ, ऊ, ई, आदि.....। 'स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है।^{१०} ये ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ हैं वर्णों में ध्वनि का एक समूह व्यंजन कहलाता है, ये वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं— जैसे क, ख, ग इनके उच्चारण को इस तरह खण्डित किये जाते हैं—

क + अ = क

ख + अ = ख

ग + अ = ग

हिन्दी भाषा में स्वर और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 52 है जिसे वर्णमाला कहा जाता है। वासुदेव नन्दन प्रसाद इन 52 वर्णों को इस तरह विभाजित करते हैं—

'स्वर — अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ = 11

व्यंजन — क वर्ग — क, ख, ग, घ, ङ

च वर्ग — च, छ, ज, झ, ञ

ट वर्ग — ट, ठ, ड, ढ, ण

त वर्ग — त, थ, द, ध, न

प वर्ग — प, फ, ब, भ, म

अन्तःस्थ — य, र, ल, व

ऊष्म — स, श, ष, ह

संयुक्त व्यंजन — क्ष, त्र, ज्ञ, त्र

द्विगुण व्यंजन — ङ, ढ (ङ ढ)

अनुस्वार — अनुनासिक

विसर्ग — : "१

व्यंजनों के इस वर्गीकरण को क्रमशः कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य वर्गों में बाँटा गया है। ‘य, र, ल, व अन्तःस्थ वर्ण हैं। अन्तःस्थ वर्णों का उच्चारण जीभ, तालू, दाँत और ओठों के परस्पर सहयोग से होता है, किन्तु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अन्तःस्थ व्यंजन ‘अर्द्धस्वर’ कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है।”¹⁰

हिन्दी वर्णमाला में चार संयुक्त व्यंजन हैं जिनको इस प्रकार खण्डित किया जा सकता है।

क्ष = क् + ष् + अ

त्र = त् + र् + अ

ज्ञ = ज् + ज्ञ् + अ

श्र = श् + र् + अ

“इन संयुक्ताक्षरों का उच्चारण साधारण तथा मूर्द्धा से होता है।”¹¹ हिन्दी वर्ण माला में ‘ड़’ और ‘ढ़’ द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ये वर्ण ड, और ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं। इन वर्णों के नीचे बिन्दी मात्र लगाने से इनके उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ये वर्ण दो उच्चारण या दो गुण को धारण करते हैं और द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर जाती है। ड, ढ ये ध्वनियाँ प्रायः शब्द के प्रारंभ में नहीं आतीं, बल्कि ये शब्द के मध्य या अंत में लगकर शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। इन वर्णों के दोनों गुणों को इस प्रकार देखा जा सकता है—

ड – डमरू, डंडा, मंडप ङ – सड़क, कपड़ा

ढ – ढक्कन, ढाल, ढाका, ढ़ – पढ़, गढ़

हिन्दी वर्णमाला में अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग के उच्चारण भी महत्वपूर्ण हैं— “अनुनासिक के उच्चारण में नाक से कम साँस निकलती है और मुँह से अधिक जैसे— आँसू, आँत, गाँव, चिड़ियाँ इत्यादि, परन्तु अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक साँस निकलती है और मुख से कम जैसे— अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक, स्वर की विशेषता है अर्थात् अनुनासिक स्वरों पर चन्द्र बिन्दु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिन्दु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चन्द्र बिन्दु

लगता है।

जैसे – अंगुष्ठ से अँगूठा
दन्त से दाँत
अन्त्र से आँत ।¹²

विसर्ग (:) – हिन्दी वर्णमाला में विसर्ग (:) का चिह्न अर्द्ध ह के रूप में उच्चरित किया जाता है। यह चिह्न संस्कृत भाषा से हिन्दी में शामिल हुआ है। इसीलिए तत्सम शब्दों का प्रयोग जब हिन्दी में किया जाता है तब वहाँ विसर्ग का चिह्न लगाया जाता है जैसे—

प्रायः, पूर्णतः, स्वतः, क्रमशः, अतः आदि। हिन्दी वर्णमाला में विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, किन्तु संस्कृत के शब्दों में विसर्ग शब्द बीच में भी लगाए जाने की परंपरा है जैसे—

संस्कृत	हिन्दी
दुःख	दुख
मनः कामना	मनोकामना
अंतः स्थ	अंतस्थ आदि।

आचार्य किशोरी दास कहते हैं— “अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं किन्तु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। ये स्वर नहीं हैं और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात् आते हैं इसीलिए व्यंजन नहीं। इन दोनों ध्वनियों को ‘अयोगवाह’ कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है— योग न होने पर भी जो साथ रहे।”¹³

हिन्दी में वर्णों के सहयोग से जब शब्द बनाए जाते हैं तब व्यंजन वर्णों में स्वरों को जोड़ा जाता है, यही प्रक्रिया मात्रा कहलाती है। पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार— “व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं।”¹⁴

डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं— “मात्राएँ स्वरों की ही होती हैं व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के ही सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनके दस प्रकार के रूप होते हैं।

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ,
, ा, ि, िी, ु, ू, ृ, े, ै, ो, ौ,
क, का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ ।¹⁵

इन मात्राओं को ह्रस्व और दीर्घ स्वर कहा जाता है। अ, इ, उ, ऋ ह्रस्व स्वर हैं शेष दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में एकमात्रिक तथा दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से मानव द्वारा उच्चरित वर्ण ही ध्वनि कहलाते हैं, मानव मुख से निःसृत अलग-अलग अनेक ध्वनियाँ हैं, जो कि मुख-विवर के अनेक अवयवों की सहायता से उच्चरित होते हैं, मुखविवर के साथ-साथ नासिका विवर भी ध्वनि निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये अवयव ही स्वर यंत्र कहलाते हैं। इन अवयवों की संक्षिप्त जानकारी अपेक्षित है—

1. फेफड़े :- मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या दो है। जिससे श्वास-प्रश्वास की क्रिया निरंतर चलती रहती है। ध्वनि उत्पादन वायु के बिना असंभव है। श्वास लेने के पश्चात श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में ही ध्वनि का उच्चारण होता है अतः फेफड़े भाषिक प्रक्रिया के प्रमुख अवयव हैं।

2. श्वास नलिका :- नासिका विवर के माध्यम से क्षण-प्रतिक्षण श्वास लेने व छोड़ने की प्रक्रिया चलती है। नासिका विवर से फेफड़े तक वायु को पहुँचाने में श्वास नलिका ही सहायक है। यह नलिका भोजन नलिका के सामान्तर स्थित है तथा एक मजबूत झिल्ली द्वारा भोजन नलिका से अलग है। मुख विवर के पश्चात गले में यह भोजन नलिका के सामने अवस्थित है, जो फेफड़ों तक जाती है। भोजन नलिका श्वास नलिका के पीछे अवस्थित है तथा यह नलिका अमाशय तक पहुँचती है।

3. भोजन नलिका :- इसके माध्यम से मनुष्य का भोजन अमाशय तक पहुँचता है, किसी कारणवश श्वास-नलिका और भोजन नलिका के बीच के आवरण में गड़बड़ी आ जाती है और भोजन श्वास नलिका में पहुँच जाता है तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। अतः प्रकृति द्वारा यह व्यवस्था है कि श्वासों के लेने-देने के समय एक आवरण भोजन नलिका को ढँके रखता है तथा भोजन ग्रहण करते समय श्वास नलिका को ढँके रखता है।

4. स्वर यंत्र :- श्वास नली के ऊपरी भाग में अत्यंत महीन-महीन

तंत्रियों के समूह को स्वर यंत्र कहते हैं। श्री बाबूराम सक्सेना स्वर यंत्र की बनावट के बारे में कहते हैं— “मनुष्य निर्मित बढ़िया से बढ़िया और सूक्ष्म से सूक्ष्म बाजे के तारों से भी कई गुना महीन ये स्वर तंत्रियाँ श्वास नलिका के ऊपरी हिस्से के दो कोनों में आमने-सामने हिस्सों में बँटी हुई रहती हैं। अपेक्षिक दृष्टि से ये तार बच्चों के छोटे होते हैं। तब भी पुरुष के स्वर यंत्रों के तार, स्त्री के स्वर यंत्रों के तारों से बड़े होते हैं।”¹⁶

5. काकल :- स्वर यंत्र में स्थित पतली झिल्ली के पर्दों के बीच जो भाग खुला रहता है, उसे काकल या स्वर यंत्र मुख कहते हैं इसी काकल में से होकर हवा अंदर-बाहर आती-जाती रहती है।

6. अभि काकल :- श्वासनली के ऊपर एक आवरण रूपी छोटी-सी जिह्वा होती है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, इसे ही अभिकाकल कहते हैं। खाते या पीते समय यह आवरण नीचे की ओर स्वतः झुक जाता है और खाद्य पदार्थ भोजन नली में चला जाता है।

7. कंठ-पिटक :- कण्ठ पिटक न केवल ध्वनि अवयवों में महत्वपूर्ण है बल्कि यह अंग मानव शरीर के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गले के उठे हुए भाग में जहाँ अन्न नली व श्वास नली अवस्थित होती है वही स्थान कण्ठ पिटक कहलाता है। इस पर दबाव डालने से श्वास नली के दबने से वायु का आना जाना रुक जाता है।

8. कंठ मार्ग :- विद्वान इस अवयव को गल-बिल, कण्ठ बिल और ग्रसनिका आदि नाम भी देते हैं।

9. कंठ :- कोमल तालू के नीचे काकल के ऊपर के अवयवों को कंठ कहते हैं। यहाँ क, ख, ग आदि कण्ठ्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।

10. अलिजिह्व :- कोमल तालू में एक छोटा मांस पिण्ड जो नीचे की ओर लटका होता है उसे अलिजिह्व या कौवा कहते हैं।

11. नासिका विवर :- मुख और नासिका के बीच रिक्त स्थान नासिका विवर है। नासिका विवर को कम या ज्यादा खोलने में कोमल तालू और कौवा की सहायता ली जाती है। अनुनासिक वर्णों के लिए नासिका विवर महत्वपूर्ण अवयव है।

12. मुख विवर :- मुखविवर मानव शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है। इसी विवर में दंत पंक्तियाँ, जीभ, कोमल तालू, मूर्धा, कठोर तालू, वर्त्स आदि

महत्वपूर्ण अंग अवस्थित हैं। कौवा के ऊपर नासिका विवर और नीचे मुख विवर है। इसमें अवस्थित सभी अंग ध्वनि निर्माण के आवश्यक अंग हैं।

13. कोमल तालू व कठोर तालू :- मुख विवर के ऊपरी भाग को कोमल तालू और इसी तालू के अग्र भाग को कठोर तालू कहते हैं। इसके अतिरिक्त दंतमूल, दंत, वर्त्स, (दन्तमूल से लगे हुए मसूढ़े जिसे स्पर्श करने पर थोड़े खुरदुरेपन की अनुभूति होती है।) मूर्द्धा, जिह्वा, ओष्ठ आदि ध्वनि निर्माण के महत्वपूर्ण अवयव हैं।

शब्द एवं रूप :- भाषिक संरचना की सबसे छोटी ईकाई ध्वनि है, ध्वनियों के मेल से शब्दों की रचना होती है। जिस तरह ध्वनि निर्मित वर्ण स्वतंत्र होते हुए भी भाव व विचार प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार वर्णों के मेल से बने, प्रत्येक शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक नहीं होते। अतः यह कहा जा सकता है कि शब्द को सार्थक और निरर्थक दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं जैसे –

सार्थक शब्द— खग, कमल, चल।

निरर्थक शब्द— गख, लमक, लच आदि।

इन शब्दों में वर्णों के क्रम को सुनियोजित करके सार्थक शब्द बनाए गए हैं, भाषा विज्ञान में इन्हीं रचना को शामिल किया जाता है। रचना की दृष्टि से शब्द के प्रमुख तीन प्रकार हैं—

1. रूढ़ शब्द
2. यौगिक शब्द
3. योगरूढ़ शब्द

रूढ़ शब्द :- “जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं और जिनके खंडित रूप निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।”¹⁷

उदाहरण :- पानी, पुस्तक, अनाज, आदि।

यौगिक शब्द :- “किसी रूढ़ शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग या अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। चूँकि ऐसे शब्द दो रूढ़ों के योग से बने होते हैं इसलिए इनके खंड सार्थक हुआ करते हैं।”¹⁸

रसोईघर = रसोई + घर

पाठशाला = पाठ + शाला

पनघट = पानी + घाट

योगरूढ़ शब्द :- “ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परन्तु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।”¹⁹

पंकज, लंबोदर, चक्रपाणि आदि।

हिन्दी भाषा में शब्दों के उपर्युक्त प्रकार रचना अथवा बनावट के आधार पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा को समृद्ध करने में देशी-विदेशी अनेक शब्द शामिल हैं जिन्हें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि नामों से जाना जाता है।

शब्दों की स्वतंत्र सत्ता होने के बावजूद शब्दों के समूह भाव अभिव्यक्ति में असमर्थ होते हैं। भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों के समूह को व्याकरणिक नियमों में आबद्ध होना आवश्यक होता है। ये शब्द समूह आपस में कर्त्ता, क्रिया, सहायक क्रिया, विभक्ति (परसर्ग), काल, उपसर्ग, प्रत्यय आदि नियमों से बँधे होते हैं। तब एक वाक्य की रचना होती है और यह वाक्य एक अनुभूति की अभिव्यक्ति में सक्षम होता है।

भाषा विज्ञान (एमचडी 07) के अनुसार – “हर भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए इन्हें व्याकरणिक नियमों के अनुरूप परिवर्तन करना होता है, यथा – ‘श्याम पुस्तक पढ़’, इसमें तीनों कोशीय शब्द हैं, इनका कोई अर्थ अभिप्रेत नहीं, इसी प्रकार ‘रावण राम मारा’। यहाँ भी यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में न जाएँ तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि किसने किसको मारा। इन दोनों शब्द युग्मों को यदि लिखा या बोला जाया तो ‘श्याम ने पुस्तक पढ़ी’ और ‘रावण को राम ने मारा’ तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है, शब्दों की परस्पर संबद्धता भी स्पष्ट हो उठती है।”²⁰

उपर्युक्त उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्द जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों में जुड़ते हैं, तब हिन्दी वाक्य की संरचना पूर्ण होती है। ये शब्द वाक्य में कर्त्ता, कर्म और क्रिया का स्थान ग्रहण करते हैं। वाक्य के यही कर्त्ता, कर्म और क्रिया भाषा विज्ञान में ‘रूपिम’ कहलाते हैं। रूप को ही ‘पद’ के नाम से जाना जाता है। शब्द, वाक्य के निर्माण में जब क्रमबद्ध रूप से व्याकरणिक नियमों में बंधते हैं तब यही शब्द रूपिम कहलाते हैं। अर्थात् शब्द और रूपिम दोनों का अलग-अलग अस्तित्व है, फिर भी शब्द

ही व्याकरणात्मक स्वरूप की इकाई बनकर वाक्य बनाते हैं।

वाक्य :- भाषा-विशेष के व्याकरण के आधार पर व्यवस्थित वे शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं, जिनकी सहायता से मनुष्य अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है। महर्षि पतंजलि वाक्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं- “पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं।”²¹

कविराज विश्वनाथ कहते हैं- “योग्यता, आकांक्षा, निकटता से युक्त पद समूह वाक्य है।”²²

योग्यता, ‘आकांक्षा’ निकटता का आशय स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं – आकांक्षा से आशय शब्दों की परस्पर पूरकता से है, जैसे- ‘नवीन खाना खाता है।’ इस वाक्य में तीन पद हैं- ‘नवीन’, ‘खाना’ और ‘खाता है’। व्याकरणिक दृष्टि से तीनों परस्पर एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हैं- ‘नवीन’ कर्ता है जिसे ‘खाना’ क्रिया की आकांक्षा है। ‘खाता है’ क्रिया को एक कर्म की आकांक्षा है। ‘खाना’ कर्म है को एक कर्ता और एक क्रिया की आकांक्षा है।”²³

योग्यता :- “योग्यता का आशय अभिव्यक्ति है, वाक्य में आए शब्द यदि असंगत अर्थ अभिव्यक्त करें तो व्याकरणिक दृष्टि से परस्पर संबद्ध होते हुए भी वाक्य नहीं कहलाएँगे। जैसे- ‘वह खाना खाता है’ वाक्य है, लेकिन ‘वह आग खाता है’ वाक्य नहीं है।”²⁴

आसक्ति :- “आसक्ति का अर्थ समीप होना है। यदि कोई व्यक्ति ‘सुबह पुस्तक और शाम को पढ़ो’ कहे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वक्ता के द्वारा उच्चरित पदों में सातत्व का होना आवश्यक है।”²⁵

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषिक संरचना में भावाभिव्यक्ति का माध्यम एक पूर्ण वाक्य होता है। वाक्य निर्माण में व्याकरणिक नियमों की भूमिका होती है, इसके बिना शुद्ध वाक्य की परिकल्पना असंभव है।

प्रोक्ति :- प्रोक्ति वास्तव में वाक्यों का श्रृंखलाबद्ध एक समूह है, जिसमें वक्ता और लेखक अपने विचार, भाव या अपनी किसी बात को व्यवस्थित शैली में प्रस्तुत करता है।

ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति ये सभी भाषिक संरचना के भौतिक अवयव हैं। इन समस्त अवयवों के स्वतंत्र अस्तित्व के बावजूद इनके समग्र

अर्थों की ग्राह्यता भाषिक संरचना के प्राण हैं। शब्द, वाक्य और प्रोवित्त इसी संदर्भ में अस्तित्व में आते हैं कि वक्ता जिस अर्थ में बोले उसे वक्ता उसी अर्थ में ग्रहण करे। ऐसा न होने पर विचार विनिमय की प्रक्रिया क्षीण हो जाती है।

अर्थ संरचना – भाषिक संरचना की अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं— “अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। पर दोनों की अपनी-अपनी महत्ता है। शब्द अमूर्त अर्थ का मूर्त रूप है; यदि शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा। जिस प्रकार शरीर की सहायता से ही आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार शब्द के द्वारा ही अर्थ प्रकट होता है।”²⁶

भाषा की प्रकृति संसार की परिवर्तनशील प्रकृति की भाँति है। या यह कह सकते हैं कि संसार की परिवर्तनशीलता का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अतः शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आना स्वाभाविक है—

उदाहरण :- “तेल शब्द संस्कृत के तैल से विकसित है, जिसका मूलार्थ है— ‘तिल का सार’। आरंभ में तिल के रस को तैल कहते रहे होंगे पर आज तो इसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया है कि सरसों, नारियल, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी के फूल के तेल को ही नहीं मिट्टी, साँप और मछली के तेल को भी तेल कहते हैं।”²⁷

भाषा की परिवर्तनशील प्रकृति के अनेक उदाहरण हैं, जब शब्द समय के परिवर्तन में अपना अर्थ भी बदलते रहते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच एवं अर्थादेश जैसी संभावनाएँ हैं।

भाषिक प्रकार्य

भाषा की संरचना अतिसूक्ष्म व जटिल प्रक्रिया है। भाषा रूपी मानव के लिए ध्वनि और ध्वनि निर्मित संरचनाएँ उसका शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा। जिस प्रकार एक बीज भूमि पर बोए जाने के पश्चात अंकुरित व पल्लवित होकर एक वृक्ष का स्वरूप ग्रहण करता है तथा फूलों व फलों से प्राणियों को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार भाषिक संरचना में भी सूक्ष्म और जटिल प्रक्रिया कार्य करती है। ध्वनि से अर्थ—विस्तार तक की प्रक्रिया में अनेक संरचनाएँ जुड़ी हैं तथा इन सभी संरचनाओं का अपना-अपना महत्व है। ये सभी संरचनाएँ अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करके भाषा संरचना की प्रक्रिया को पूर्ण करती हैं। यही भाषा मनुष्य के विचार—विनिमय का

सशक्त माध्यम है।

भाषिक-प्रकार्य पर बातें करने से पहले 'प्रकार्य' का शाब्दिक अर्थ जानना आवश्यक है- किसी संरचना या संगठन के अंदर व्यवस्था व संतुलन बनाए रखने के लिए उस संरचना या संगठन की प्रत्येक इकाई अपनी भूमिका निभाती है, जिससे संगठन सुचारु रूप से कार्य कर सके। यही कार्य उस संरचना का प्रकार्य कहलाता है।

भारतीय समाज की संरचना को प्रस्तुत करते हुए भाषिक-प्रकार्य को समझा जा सकता है। भारतीय समाज अत्यंत वृहद और महीन तानों-बानों से बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित है और उसकी अपनी भूमिका का महत्व है। व्यक्ति जब किसी रिश्ते या पद को धारण करता है तब उस रिश्ते या पद के कार्यों का निर्वाह करते हुए जीवन यापन करता है, और उसे ऐसा ही करना चाहिए। समाज में व्यक्ति इस तरह परस्पर एक-दूसरे का सहयोग करता है, जिससे सामाजिक संतुलन बने रहने के साथ-साथ सामाजिक संरचना मजबूत बनती है। समाज के अंदर व्यक्ति के कार्यों के परिणाम सामाजिक-प्रकार्य के अंतर्गत आते हैं।

भाषिक संरचना भी इसी तरह एक जटिल और वृहद प्रक्रिया है। इस संरचना के प्रकार्य को भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने स्पष्ट करने की कोशिश की है जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. अभिव्यक्ति में सहायक :- भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार्य विचारों व भावों की अभिव्यक्ति है। विश्व में अनेक भाषाओं के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, और अपनी इसी भाषिक विशेषता की सहायता से वह अपने विचारों को प्रकट करता है। जिससे वह स्वयं आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति करता है। ईश्वर से प्रार्थना करना, किसी पठित अंश पर अपनी अभिव्यक्ति देना या अबोध शिशु से बातें करना इसी तरह की अभिव्यक्ति है।

2. संप्रेषणीयता में सहायक :- जब दो वक्ता आपस में कहते और सुनते हुए विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तब इसे ही वार्तालाप कहा जाता है। वार्तालाप की इस प्रक्रिया में संप्रेषणीयता का होना आवश्यक है अर्थात् वक्ता जिस भाव या विचार को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह भाव या विचार उसी अर्थ में श्रोता को ग्रहण करना

आवश्यक है, यही भाषिक संप्रेषणीयता है। परिवार के सदस्यों व मित्रों के आपसी वार्तालाप संप्रेषणीयता के उदाहरण हैं।

3. प्रभावोत्पादकता :- जहाँ एक वक्ता के पास अनेक श्रोता हों वहाँ वक्ता की भाषा की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण स्थान है। वक्ता अपने संभाषण से समस्त श्रोताओं तक अपने विचार प्रस्तुत कर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराते हैं और उन्हें इन विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अतः वक्ता को अपने विचारों के प्रस्तुतिकरण हेतु सटीक व सशक्त भाषा की आवश्यकता होती है। कक्षा में शिक्षकों का व्याख्यान, जन प्रतिनिधियों की आम सभाओं के भाषण इसी तरह के उदाहरण हैं।

4. सामाजिक प्रकार्य :- मनुष्य अपने परिवार व समाज के अंदर बाल्यावस्था से ही संस्कार एवं संस्कृति से सतत् परिचित होता रहता है। हालांकि अनेक भाव-भंगिमाओं और चेष्टाओं से मनुष्य अनेक बातों को सीखता व समझता है, किन्तु सफल जीवन जीने और सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता-पिता की भाषा सीखकर बच्चा रहन-सहन और रीति-रिवाज को आत्मसात कर संस्कृति के संवहन में अपना योगदान देता है।

5. समष्टि-प्रकार्य :- सामाजिक प्रकार्य की तरह ही भाषा का समष्टि प्रकार्य है। व्यक्ति अपना वैयक्तिक जीवन-निर्वाह तो समाज के अंदर रहकर करता ही है, साथ-ही-साथ वह वृहत्तर समाज के उत्तरदायित्वों का भी पालन करता है, जिससे समाज, राष्ट्र व संपूर्ण विश्व एकता व समता के सूत्र में बँध सके। हमारा राष्ट्र अपनी इस सांस्कृतिक भावना को 'वसुधैव-कुटुम्बम्' की संज्ञा से विभूषित करता है।

स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शिकागो महासभा में प्रस्तुत किया गया भावनात्मक संदेश, भाषा के इसी समष्टि प्रकार्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद जी की ओजस्वी भाषा ने उपस्थित सभा-सद को भाव-विभोर कर दिया, जिससे संपूर्ण श्रोतागण ने संजीदगी के साथ न केवल उनके व्याख्यान को सुना बल्कि बड़ी संख्या में उनके अनुयायी भी हुए। उनके अनुयायी स्वामी जी के संदेश को सुनकर विश्व कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए।

भाषा के समष्टि प्रकार्य को भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता के माध्यम से देखा जा सकता है, हमारे राष्ट्र में अनेक धर्मावलंबी निवास

करते हैं। प्रत्येक प्रांत की अपनी सांस्कृतिक विरासत है। तब भी सभी देशवासी एक साथ भारतीय कहलाते हैं। एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत के खान-पान, रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार को न केवल जानने की कोशिश करते हैं बल्कि उसे आत्मसात भी करते हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली-दोसा संपूर्ण भारतीय समाज के द्वारा पंसद किया जाता है। भगवान के चारों धामों के दर्शन के साथ अनेक क्षेत्रों के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने की महती आकांक्षा सभी भारतीय के मन में बनी रहती है। इनके मूल्य में भाषा का प्रकार्य ही कार्य करता है।

6. काव्यात्मक प्रकार्य :- सामान्यतः काव्य रचना के मूल कारणों की बात करें तो यह बात सामने आती है कि साहित्यकार अपने काव्य का सृजन धन-अर्जन, यश प्राप्ति, लोक-मंगल, दुख या पीड़ा से मुक्ति तथा स्वांतः सुखाय आदि अनेक कारणों में से किसी एक की आकांक्षा की पूर्ति के लिए करते हैं। इसकी पूर्ति के लिए भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्यकार अपनी रचनात्मक भाषा को जितना अधिक प्रभावोत्पादक बनाएँगे वे अपने उद्देश्य में उतने अधिक सफल होंगे।

सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों की भाषा स्थानीय भाषा है, किन्तु इनके काव्य को वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त है। यही काव्यात्मक भाषा की सफलता है और यही काव्य का सौन्दर्य भी है। इन कवियों की भाषा देश-काल से परे उनके साहित्य को कालजयी बनाती हैं।

7. आर्थिक प्रकार्य :- माता-पिता अपनी संतान के जन्म से ही उनके अच्छे भविष्य निर्माण के लिए चिंतनशील होते हैं तथा इस दिशा में वे सदैव प्रयास करते हैं। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। बालक को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। मानव जीवन के अनेक क्षेत्र हैं, जहाँ व्यक्ति अपनी सेवा प्रदान कर अर्थोपार्जन करता है। यहाँ आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, समाचार पत्र की भाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ संवाददाता देश-विदेश की नयी-नयी जानकारी को उपयुक्त भाषा प्रदान कर उन्हें जन-साधारण तक प्रस्तुत करते हैं। इस तरह वे अपने सामाजिक कर्तव्यों के अलावा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सफल होते हैं।

आधुनिकीकरण के मशीनीयुग में मानव द्वारा जीवनोपयोगी नित

नए आविष्कार होते रहते हैं, जिन्हें जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। जिस उत्पाद के विज्ञापन की भाषा जितनी सहज व तर्क संगत होती है वह वस्तु उतनी शीघ्रता से ग्राहकों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है।

निश्चित रूप से भाषिक प्रकार्य का वर्णन अनंत है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा की भूमिका सर्वविदित है। कला, विज्ञान, वाणिज्य जैसे बुनियादी विषयों के साथ-ही-साथ संगीत, अध्यात्मिक, मनोरंजन, यातायात, चिकित्सा, खेल, राजनीति, न्यायालय आदि क्षेत्रों की अपनी-अपनी भाषाएँ होती हैं, जिनका प्रयोग संपूर्ण मानव जाति करती है और अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाती है।

संदर्भ सूची

1. भाषा विज्ञान पृ. 03
2. भाषा विज्ञान पृ. 19
3. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 02
4. भाषा विज्ञान पृ. 21
5. भाषा विज्ञान पृ. 17
6. भाषा विज्ञान पृ. 17
7. सामान्य भाषा विज्ञान पृ. 07
8. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 17
9. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 18
10. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 20
11. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 21
12. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 21
13. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 19
14. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 18
15. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 18
16. सामान्य भाषा विज्ञान पृ. 63

17. सामान्य भाषा विज्ञान पृ. 63
18. संपूर्ण व्याकरण एवं रचना पृ. 79
19. संपूर्ण व्याकरण एवं रचना पृ. 79
20. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 151
21. भाषा विज्ञान एमचडी 07 पृ. 23
22. भाषा विज्ञान पृ. 206
23. भाषा विज्ञान पृ. 206
24. भाषा विज्ञान पृ. 206
25. भाषा विज्ञान पृ. 206
26. भाषा विज्ञान पृ. 207
27. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना पृ. 225

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सामान्य भाषा विज्ञान – बाबूराम सक्सेना हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग आठवां संस्करण— सन् 1971
2. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद भारत—भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स पटना 23वां संस्करण
3. भाषा विज्ञान – डॉ. राजेश श्रीवास्तव 'शम्बर' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल नवीन संस्करण
4. भाषा—विज्ञान – एम ए एच डी 07 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा संपादक— प्रो. (डॉ.) चन्द्रकला पाण्डेय हिन्दी विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता जून—2016



“सबसे विश्वसनीय व्यक्ति से भी अपने दिल की हर बात साझा न करें,
उनसे कभी अन-बन हुई, तो मुसीबत में आ सकते हैं।”

—डॉ रमेश टण्डन फूलबंधिया

4.

भाषा विज्ञान : स्वरूप एवं व्याप्ति

— डॉ० श्रीमती बी. नन्दा जागृत*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 01 (भाषा और भाषा विज्ञान)

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, भाषा संरचना और भाषिक-प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति, अध्ययन की दिशाएँ— वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

भाषा-विज्ञान को जानने से पूर्व, भाषा और भाषा परिवारों का परिचय आवश्यक है। विश्व में अनेक भाषाएँ हैं, जिनको विद्वानों ने गणना कर इसकी संख्या 2796 से भी अधिक बताई है। संसार में भाषाओं के वर्गीकरण के लिए सात आधार माने गये हैं—

1. महाद्वीप के आधार पर — जैसे एशियाई, यूरोपीय तथा अफ्रीकी भाषाएँ आदि।
2. देशों के आधार पर — जैसे चीनी, भारतीय आदि।
3. धर्म के आधार पर — जैसे मुसलमानी, हिन्दू, ईसाई भाषाएँ आदि।
4. काल के आधार पर — जैसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्ययुगीन

* जन्म : 20 जून 1964, ग्राम—जोधरा, जिला—राजनांदगाँव (छ.ग.), पति : श्री आई. एस. जागृत (भूतपूर्व सैनिक), शिक्षा : एम. ए. (इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी), पी—एच. डी. (हिन्दी), कार्यक्षेत्र : महाविद्यालयों में अध्यापन, प्रकाशन : 1. 'नागार्जुन के हिन्दी काव्य में लोक संस्कृति' पुस्तक प्रकाशित, 2. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तक में आलेख व रचनाएँ प्रकाशित, संपादन : 1. 'दिग्विजय कैपस' समाचार पत्र का संपादन, 2. 'हिन्दी भाषा और संचार माध्यम' पुस्तक का संपादन, 3. 'प्रज्ञा' पत्रिका का संपादन, सम्मान : 1. 2017 में 'लोक असर' सम्मान, 2. 2013 में यातायात पुलिस द्वारा सम्मान, 3. विधिक साक्षरता हेतु सम्मान, 4. 2017 में यातायात पुलिस द्वारा पुनः सम्मान, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगाँव, मो. नं. : 9424111402.

तथा आधुनिक भाषाएँ ।

5. भाषाओं की आकृति के आधार पर – जैसे अयोगात्मक तथा योगात्मक भाषाएँ ।

6. परिवार के आधार पर – जैसे यूरोपीय, द्रविड़, चीनी भाषाएँ आदि ।

7. प्रभाव के आधार पर – जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ, फारसी प्रभावित भाषाएँ आदि ।

संसार में भाषा के वर्गीकरण के लिए उपर्युक्त जो सात आधार माने गये हैं, उनमें पारिवारिक आधार पर तेरह भाषा परिवार माने गये हैं- . यूरोपीय/प्राक्आर्य, चीनी- तिब्बती, द्रविड़, हैमेटिक- सेमेटिक, यूराल- अल्ट्राइक, काकेशियन, जापानी- कोरियाई, मलय- पालिनेशियन, आस्ट्रो- एशियाटिक/ आग्नेय, बुशमैन, बांटू, सूडान और अमरीकी परिवार है। इसमें से यूरोपीय भाषा परिवार भारत से लेकर यूरोप तक व्यवहृत की जाती हैं ।

उपर्युक्त भाषा परिवारों में भारत में चार भाषा परिवार को बोलने वाले निवास करते हैं। भाषायी जनगणना 2011 के अनुसार वे चार भाषा परिवार अधोलिखित हैं-

(1) यूरोपीय (हिन्द आर्य) भाषा परिवार- इसके अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, असमिया, ओड़िया (उड़िया), पंजाबी, मैथिली एवं सिंधी है। इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 78.07% है ।

(2) द्रविड़ भाषा परिवार- इस परिवार की प्रमुख भाषाएँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि है। बोलने वालों की संख्या है 19.64% ।

(3) आस्ट्रो- एशियाटिक/ आग्नेय भाषा परिवार- प्रमुख भाषाएँ- संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया आदि। बोलने वाले 1.11%

(4) चीनी- तिब्बती (एकाक्षरी) भाषा परिवार- मुख्य भाषाएँ- गारो, बोड़ो, नागा, मिजो, मणिपुरी (मैते), तमांग, दफला, नेवारी आदि। बोलने वालों की संख्या- 1.01%

भाषा-

इदमनन्धतमः कृतस्नं जायते भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दा ह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 45

आचार्य दण्डी कहते हैं कि संसार में यदि शब्द रूपी ज्योति नहीं होती तो समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते। शब्द का मनुष्य-जीवन में अत्यंत महत्व है। इसे ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि भाषा विज्ञान के प्राथमिक घटक के रूप में स्वीकृत है। हृदय में उठने वाले नाना प्रकार के भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। आवश्यकतानुसार संकेतों का भी शब्दरूप में प्रयोग होता है, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संप्रति मूक-बधिरों के लिए जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं वह इसी श्रेणी में लिया जा सकता है।

भाषा भावों को व्यक्त करने वाली सर्वोत्तम माध्यम है। भाषा से मानव-जीवन जीवंत है, अन्यथा भाषा के बिना मनुष्य-जीवन की कल्पना करना बेमानी है। यह सर्वविदित है कि भाषा दैवीय या जैविक नहीं है अपितु सामाजिक है। समाज में रहकर भाषा को अर्जित किया जाता है। मनुष्य अपने वाग्-व्यवहार के द्वारा ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किये हुए है। साथ ही वह चर और अचर जगत का स्वामी भी भाषा के कारण बना हुआ है। इससे भाषा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद (मंडल 10, सूक्त 125) में वाग् सूक्त के मंत्रों में इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वाक्-तत्त्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मानव को ऋषि या देवता या विद्वान बनाती है।²

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रम्हाणं तमृषिं तं सुमेधाम॥

भाषा-विज्ञान-

भाषा की उत्पत्ति, भाषा के अंग, भाषा का प्रयोग, एक भाषा के साथ दूसरी भाषाओं का संबंध जैसे विषयों पर भाषा-शास्त्रियों द्वारा विचार-विमर्श सदियों से जारी है। इसलिए भाषा को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए गंभीर चिंतन-मनन के पश्चात् भाषा-विदों ने भाषा-विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन प्रारंभ किया। पाश्चात्य विद्वान सर विलियम जोन्स ने 1786 ई. में संस्कृत भाषा का अध्ययन करते समय संस्कृत की लैटिन और ग्रीक से अनेक अंशों में समानता प्राप्त की और इनके तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया।³

भाषा-विज्ञान का मूल कार्य है, भाषा संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करना। प्रत्येक भाषा की अपनी भाषा-व्यवस्था होती है। भाषा-विज्ञान विश्व की भाषाओं का सामूहिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण उसकी रूप-सिद्धि, पद-निर्माता और वाक्य-प्रयोग की शिक्षा देता है। परन्तु भाषा-विज्ञान, व्याकरण का व्याकरण होने के कारण ध्वनि परिवर्तन आदि सभी दिशाओं में उसके कारण की व्याख्या करता है। इस प्रकार भाषा-विज्ञान व्याकरण दर्शन कहा जाएगा, क्योंकि यह भाषा के दार्शनिक रूप को भी स्पष्ट करता है।⁴

भाषा-विज्ञान, भाषा के समस्त अवयव का विवेचन कर उसे जीवनोपयोगी बनाता है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा-विज्ञान वैश्विक ऐक्य और विश्वबंधुत्व की भावना को जागृत करता है। भूमण्डलीकरण एवं औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भाषा-विज्ञान का महत्त्व वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गया है। संसार के सभी देश एक दूसरे देशों की भाषाओं के संबंध में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। ऐसे में भाषा-विज्ञान ही एक मात्र साधन है।

भाषा-विज्ञान का स्वरूप

भाषा के विभिन्न अंगों के पृथक-पृथक रूपों का अध्ययन पूर्व से ही होता रहा है, परन्तु 1786 ई0 में पाश्चात्य विद्वान विलियम जोन्स के द्वारा संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् अन्य देशों के विद्वानों ने भी इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया।

सर्वप्रथम इसे कम्पेरेटिव ग्रामर (Comparative Grammar) नाम दिया गया। 1817 ई0 में डेबीज ने ग्लासोलोजी (Glossology) नाम का प्रयोग किया। प्रिचर्ड ने 1841 ई0 में ग्लाटोलोजी (Glottology) नाम प्रस्तुत किया। अंग्रेजी में (साइंस ऑफ लैंग्वेज) (Science of Language) नाम भी प्रचलन में रहा। वर्तमान में यह लिंग्विस्टिक्स (Linguistics) है। यह शब्द लैटिन भाषा के लिंग्वा (Lingua) अर्थात् जिह्वा या जीभ से बना है। फ्रांस में लैंग्विस्तीक (Linguistique) शब्द प्रचलित है। 19 वीं शताब्दी में इसका रूप लिंग्विस्टिक से लिंग्विस्टिक्स (Linguistics) हुआ। रूसी में भाषा-विज्ञान के लिए 'जज़िकाज्जानिये' शब्द है। इसमें 'जज़िक' अर्थात् भाषा और 'ज्जानिये' का अर्थ विज्ञान है।⁵

1386 ई0 में फिलॉलोजी (Philology) शब्द का प्रयोग होने लगा। यह शब्द ग्रीक भाषा से बना है जिसमें Philos का अर्थ प्रेमी या प्रिय एवं Logia का अर्थ ज्ञान की शाखा या विज्ञान। भाषा-विज्ञान के अर्थ में इसका प्रयोग 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मिलता है।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक यूरोप एवं अमेरिका में 'फिलालॉजी' एवं 'लिंग्विस्टिक' शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में होता रहा। आज पाश्चात्य जगत् में भाषा-विज्ञान के लिए Philology और Linguistics ये दो नाम चल रहे हैं। फिर भी कुछ मत-मतान्तर अभी भी हैं। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री स्त्रुतुवा ने "दोनों शब्दों में भिन्नताओं को मानते हुए दोनों ही शब्दों की व्यवस्था की है। ब्लूमफील्ड ने भी दोनों शब्दों को भिन्न अर्थ में प्रयुक्त करने पर अधिक बल दिया है।"⁶

यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा निर्मित मानविकी शब्दावली (भाषा-विज्ञान) में 'लिंग्विस्टिक्स' के लिए भाषा-विज्ञान एवं 'फिलालॉजी' के लिए 'वाङ्मीमांसा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 'फिलालॉजी' का क्षेत्र व्यापक हो गया है— अर्थ विचार, ध्वनि विचार, साहित्य, भाषा शैली, कोष-निर्माण, पाठालोचन, ग्रंथ-संपादन तथा लोकवार्ता का विश्लेषण आदि भी इसी में आ गया है। लिंग्विस्टिक की सीमा भाषा की संरचना विधि एवं विश्लेषण तक हो गई है।⁷

वर्तमान समय में भाषा-विज्ञान विषयक अध्ययन हेतु भाषा-विचार, भाषाशास्त्र, भाषालोचन, व्याकरण शास्त्र, शब्दमीमांसा, जिह्वा-विज्ञान, वाङ्मीमांसा, भाषिकी, भाषातत्त्व, शब्दानुशासन, तुलनात्मक व्याकरण आदि शब्द व्यवहृत हो रहे हैं।

भाषा-विज्ञान का अर्थ है— भाषा का विज्ञान। भाषा का विज्ञान से तात्पर्य है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान। भाषा-विज्ञान में भाषा सम्बन्धी सभी प्रकार का विवेचन समाहित हो जाता है। इसलिए भाषा-विज्ञान आज अधिक प्रचलित शब्द है। भाषाशास्त्र और भाषा-विज्ञान दोनों शब्द 'फिलालॉजी' और 'लिंग्विस्टिक्स' के भावानुवाद रूप में समान रूप से प्रचलित हैं। परन्तु प्रकृति के अनुरूप भाषा-विज्ञान शब्द अधिक सार्थक है।

भाषा-विज्ञान की परिभाषा

भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा-विज्ञान कहते हैं। 'भाषायाः विज्ञानम् — भाषा विज्ञानम्'। मनीषी कपिल, भाषा के सर्वांगीण वैज्ञानिक-विवेचन को

भाषा-विज्ञान मानते हैं-

भाषाया यत्तु विज्ञान सर्वांग व्याकृतात्मकम्।

विज्ञान दृष्टिमूलं तव, भाषाविज्ञानमुच्यते।।

विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा-विज्ञान की अनेक परिभाषाएँ दी हैं-

1. डॉ० भोलानाथ तिवारी- "भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक अध्ययन-विश्लेषण तथा तद्विषयक सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है।" ⁸

2. डॉ० मंगलदेव शास्त्री- "भाषा-विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं, जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अन्ततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।" ⁹

3. डॉ० अंबाप्रसाद सुमन- "भाषा-विज्ञान वह विज्ञान है, जिसमें भाषाओं का सामान्य रूप से या किसी एक भाषा का विशिष्ट रूप से प्रकृति, संरचना, इतिहास, तुलना, प्रयोग आदि की दृष्टि से सिद्धांत निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।" ¹⁰

4. श्यामसुन्दर दास- "भाषा-विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न-भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है।"

5. बाबूराम सक्सेना- "भाषा-विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है।"

6. मेरिओपेई- "भाषा-विज्ञान भाषा और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।" (Aeourse in Modern Linguistics: P- 2)

7. आर. एच. रॉबिन्स- "भाषा-विज्ञान को भाषा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

8. हॉल- "भाषा की प्रकृति और क्रियाशीलता को समझाने वाला विज्ञान, भाषा-विज्ञान है।" (Introductory Linguistics Preface)

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न विद्वानों ने भाषा-विज्ञान के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस सन्दर्भ में यह समझने की आवश्यकता है कि भाषा-विज्ञान, विज्ञान के अन्य विषयों जैसे गणित, रसायन, भातिकी जैसा विज्ञान नहीं माना जा सकता। विज्ञान में विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट सूत्र होते हैं। उसमें कोई अपवाद नहीं होता, परन्तु भाषा-विज्ञान में ऐसा नहीं है। इसमें दो ध्वनियों के मेल से अलग-अलग भाषा में अलग-अलग परिवर्तन होते हैं।

भाषा-विज्ञान की व्याप्ति एवं अध्ययन-क्षेत्र

भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। एमर्सन लिखते हैं—
Language is a city to the building of which every human being brought a stone अर्थात् भाषा एक नगर है, जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव एक पत्थर लाया है (प्रो रामाश्रयी मिश्र-भाषा और भाषा विज्ञान)। भाषा-विज्ञान विश्व की समस्त भाषाओं को अपने क्षेत्र में रखता है। इसमें विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन होता है। एक तरफ भाषा का व्याकरणिक दृष्टि तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अध्ययन होता है। सामान्य नियम से लेकर दार्शनिक चिन्तन इसके विषय-क्षेत्र हैं। इस प्रकार भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वस्तुतः भाषा-विज्ञान के व्यापकत्व को उसके अंगो-उपांगो के अध्ययन के माध्यम से समझा जा सकता है।

भाषा-विज्ञान के अंग-

भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा के अंगो का अध्ययन कर भाषा-विज्ञान के मुख्य रूप से पाँच अंग बताये हैं—

1. ध्वनि-विज्ञान
2. पद-विज्ञान
3. शब्द-विज्ञान
4. वाक्य-विज्ञान
5. अर्थ-विज्ञान

1. ध्वनि-विज्ञान (Phonology)— यह भाषा का मूल तत्व है। ध्वनि-विज्ञान में ध्वनि-अंगों का वर्गीकरण कर, ध्वनि की उत्पत्ति, उससे संबंधित अवयव— मुख-विवर, नासिका-विवर, स्वर-तंत्री तथा ध्वनि यंत्र के अध्ययन के साथ ही एक से अधिक ध्वनियों के संयोग से परिवर्तन आदि

का अध्ययन इसमें होता है। इसे स्वर-विज्ञान भी कहते हैं।

2. पद-विज्ञान (Morphology)— इसको रूप-विज्ञान, रूप-विचार भी कहते हैं। रूप-विज्ञान की दो उप शाखायें हैं जिसमें एक शब्द-विज्ञान तथा दूसरा रूप-विज्ञान कहलाता है। लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, काल, उपसर्ग, प्रत्यय आदि तत्त्वों के संबंध में विवेचना होती है। अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद बनता है।

3. शब्द-विज्ञान (Wordology)— इसमें शब्दों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन होता है। भारतीय विद्वानों ने शब्द के तीन भेद किये हैं— संज्ञा, क्रिया और अव्यय। अंग्रेजी के शब्दों के आठ भेद हैं— noun (संज्ञा), pronoun (सर्वनाम), adjective (विशेषण), verb (क्रिया), adverb (क्रिया विशेषण), preposition (समुच्चय बोधक), conjunction (संबंध बोधक), interjection (विस्मायादिबोधक)। अनुज जी मानते हैं कि कोश-विज्ञान तथा व्युत्पत्ति-विज्ञान भी एक प्रकार से शब्द-विज्ञान के ही अंग हैं।

4. वाक्य-विज्ञान (Syntax) — वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो घटक होते हैं। वाक्य रचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पदों के समन्वय से वाक्य बनता है। वाक्य-विज्ञान के चार भेद हैं— (1) एक कालिक, (2) ऐतिहासिक, (3) तुलनात्मक, (4) व्यतिरेकी।

5. अर्थ-विज्ञान (Semantics)— इसे भाषा रूपी शरीर की आत्मा कहते हैं। इसमें अर्थ, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थपरिवर्तन के कारण एवं दिशाएँ आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन भी एककालिक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक तथा व्यतिरेकी आदि रूपों में होता है।

भाषा-विज्ञान के गौण अंग—

भाषा-विज्ञान के प्रमुख अंग उपर्युक्त पाँच हैं। परन्तु इसके गौण अंगों को समझना भी महत्वपूर्ण है—

1. भाषा की उत्पत्ति (Origin of Language)— भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भाषाशास्त्रियों का मत एवं भाषा के विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है।

2. भाषाओं का वर्गीकरण (Classification of Languages)— विश्व में भाषाओं के वर्गीकरण के आधार का अध्ययन इसमें किया जाता है।

वर्तमान में विश्व में भाषा-परिवारों को 13 वर्गों में विभाजित किया गया है।

3. लिपि-विज्ञान (Graphonomy Graphic)— इसमें लिपि की उत्पत्ति, लिपि का विकास, लिपि की उपयोगिता पर विचार किया जाता है। बिना लिपि के भाषा का अध्ययन दुष्कर कार्य है।

4. भाषिक भूगोल (Lingunistic Geography)— इसके अन्तर्गत किसी भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से किया जाता है। कौन से क्षेत्र की भाषा है ? इस क्षेत्र में कौन-कौन सी भाषायें आती हैं ? आदि का अध्ययन भाषिक भूगोल में ही किया जाता है। आजकल बोली भूगोल (Dialect Geography) इसकी प्रसिद्ध शाखा है।

5. भू-भाषा विज्ञान (Geo-Linguistics)— इसमें भाषाओं के विभाजन के साथ ही भाषा पर सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है।

6. शैली-विज्ञान (Stylislics)— इस शाखा में किसी भाषा के लेखक या साहित्यकार द्वारा अपनाये जाने वाली शैली तथा उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, का अध्ययन किया जाता है।

7. कोश-विज्ञान (Lexicology)— इस विज्ञान में कोश-रचना, शब्द-व्युत्पत्ति का आधार, शब्दों के अर्थ निर्धारण का आधार, के अध्ययन के साथ-साथ एकार्थक, अनेकार्थक, विषमार्थक शब्दों की व्याख्या की जाती है।

8. प्रागैतिहासिक खोज (Linguistic Palaeontology)— इसके आधार पर प्रागैतिहासिक या पुरातात्विक सभ्यता और संस्कृति को जानने का प्रयास किया जाता है। शिलालेख आदि में उत्कीर्ण भाषाओं का अध्ययन इसी विज्ञान में किया जाता है।

9. समाज-भाषा-विज्ञान (Sociolinguistics)— इसमें भाषा और समाज के संबंधों के साथ ही, विभिन्न सामाजिक स्तरों पर भाषा के प्रयोग, ध्वनि, रूप, शब्द एवं वाक्य रचना आदि विषयक अध्ययन होता है।

10. मनोभाषा-विज्ञान (Psychalinguistics)— इस अंग में विश्व के भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है।

उपर्युक्त गौण अंगों के अतिरिक्त भी भाषा-कालक्रम विज्ञान, सर्वेक्षण

पद्धति, व्युत्पत्ति-विज्ञान, अनुवाद-विज्ञान, पर्याय-विज्ञान, जातिभाषा-विज्ञान, बोली-विज्ञान, भाषिक पुनर्निर्माण, भाषा-प्रकार-विज्ञान, भाषा-विकास, सुर-विज्ञान, भाषा-विज्ञान के इतिहास का अध्ययन आदि, दृष्टिकोण का भी भाषा-विज्ञान के गौण अंग के रूप में अध्ययन किया जाता है।

भाषा-विज्ञान की शाखाएँ-

1. वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान (Descriptive Linguistics)
2. ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान (Historical Linguistics)
3. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (Comparative Linguistics)

1. वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान- इसमें किसी भाषा का कालानुसार विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी भाषा के उपलब्ध साहित्य को उस भाषा के ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान और अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से विवेचन किया जाता है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषाओं का प्राचीन साहित्य प्राप्त है तो इनका वर्णनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

2. ऐतिहासिक-भाषा-विज्ञान- किसी भाषा के अतीत से लेकर वर्तमान तक, युगानुरूप परिवर्तन के स्वरूप का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी भी भाषा में परिवर्तन का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसलिए इस परिवर्तन को समझने के लिए भाषा के प्रत्येक काल की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक होता है। इसीलिए इस अध्ययन में समकालिक और कालक्रमिक जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

3. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान- जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना कालक्रम के अनुसार की जाती है। ध्वनियाँ, पद और वाक्य की दृष्टि से तुलना करते हुए वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की जननी है।

भाषा-विज्ञान की उपयोगिता-

भाषा-विज्ञान का स्वरूप, परिभाषाएँ एवं उसके अंगों के पठन से उसकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। परन्तु विद्यार्थियों के लाभार्थ भाषा-विज्ञान के लाभ, उपयोगिता या प्रयोजनीयता का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है-

1. मानव-समाज एवं संस्कृति का ज्ञान-

भाषा-विज्ञान के अध्ययन से मानव-समाज के प्राचीन से लेकर अर्वाचीन समाज एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। प्रागैतिहासिक शिलालेखों आदि से प्राप्त विवरण से उस काल के मानव की रुचि, विचार, एवं कार्य प्रणाली ज्ञात होती है; आलोच्य युग की संस्कृति के स्वरूप को समझने में सहायक होती है।

2. वैश्विक स्तर की भाषाओं का अध्ययन-

भाषा-विज्ञान का मुख्य प्रयोजन ही विश्व की भाषाओं का भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन कर उस भाषा की प्रकृति को समझाना।

3. विश्वबंधुत्व की भावना का विकास-

भाषा-विज्ञान के अध्ययन से विश्व की विभिन्न भाषाओं की एकात्मकता का ज्ञान होता है। भाषा की तुलनात्मक अध्ययन पद्धति से एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने का सुअवसर प्राप्त होता है।

4. साहित्यिक अध्ययन में लाभदायक-

भाषा के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हरीश जी मानते हैं कि साहित्य के अध्ययन के लिए भाषा का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा-विज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती (डॉ० हरीश भाषा-विज्ञान की रूपरेखा-पृ.29)।

5. मानवीय बौद्धिक क्षमता में वृद्धि-

अपनी भाषा से पृथक अन्य भाषा के अध्ययन के दौरान उस भाषा एवं भाषा को प्रयोग करने वाले मानव समूह के वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष की जानकारी होती है। भाषा-विज्ञान की समाज-विज्ञान एवं मनोविज्ञान जैसी शाखाओं के अध्ययन से मानवीय बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है।

6. विविध भाषाओं का ज्ञान-

भाषा-विज्ञान के अध्ययन से संसार की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

7. व्याकरण का ज्ञान-

भाषा-विज्ञान को व्याकरण का व्याकरण कहा जाता है। भाषा-विज्ञान के अध्ययन के द्वारा उस भाषा के व्याकरण का भी अध्ययन किया जाता

है, जिससे उसकी प्रकृति को समझा जा सके।

8. वाक् चिकित्सा—

भाषा—विज्ञान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी व्यक्ति के हकलाने, तुतलाने जैसे मर्ज की इलाज के लिए वाक्—चिकित्सा शास्त्र का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में चिकित्सक इस तरह के दोषों को दूर करने के लिए भाषा—विज्ञान की सहायता लेते हैं।

9. संचार—साधनों के लिए उपयोगी—

भाषा—विज्ञान के संकेतकों के द्वारा दूर—संचार पद्धति को जानने—समझने में आसानी हुई है।

10. भाषिक शुद्धता में सहायक—

भाषा—विज्ञान, उच्चारणगत अशुद्धि को दूर करने में सहायक है। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन—सा है ? यह जानकारी भाषा—विज्ञान से प्राप्त होती है। प्रत्येक भाषा, अपनी भाषा व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चारणगत शुद्धि को स्थान देती है। शब्दगत, शब्दार्थगत, वर्तनीगत विभिन्न अशुद्धियों का समाधान भाषा—विज्ञान करता है।

11. विभिन्न विज्ञानों का जन्मदाता—

भाषा—विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक भाषा—विज्ञान, विश्वसंस्कृति—विज्ञान, नृजाति—विज्ञान आदि विज्ञानों का उद्भव हुआ।

12. तकनीकी उपकरणों के व्यवहार में उपयोगी—

तकनीकी ज्ञान का वरदान कम्प्यूटर आधुनिक युग का प्रमुख संचार माध्यम है। भाषा—विज्ञान का अंग, ध्वनि—विज्ञान का अध्ययन इस क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। इसके लिए विशेष ध्वनियाँ, कोड वर्ड आदि बनाए जा रहे हैं।

13. विभिन्न शास्त्रों में समन्वय—

भाषा—विज्ञान का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी, व्याकरण, साहित्य, मनोविज्ञान, शरीर—विज्ञान, भूगोल, इतिहास एवं भौतिक विज्ञान आदि से स्वतः परिचित हो जाता है।

भाषा—विज्ञान का अन्य शास्त्रों से संबंध भाषा—विज्ञान का स्वरूप,

परिभाषा, विभिन्न अंग, अध्ययन का क्षेत्र तथा भाषा-विज्ञान के अध्ययन के प्रयोजन से भिन्न होने के पश्चात भाषा-विज्ञान की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है। फिर भी यहाँ यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाषा- विज्ञान का अन्य विषयों या शास्त्रों से किस तरह संबंध है। भाषा-विज्ञान किस प्रकार अन्य शास्त्रों से सम्बद्ध होकर उन शास्त्रों की समृद्धि में अपना योगदान देते हुए अपनी व्याप्ति प्रकट करता है।

भाषा-विज्ञान का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध-

1. भाषा-विज्ञान और व्याकरण-

पूर्व में भाषा-विज्ञान और व्याकरण को एक ही विषय माना जाता था। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रूप-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान के विश्लेषण के लिए भाषा-विज्ञान, व्याकरण की सहायता लेता है तथा ध्वनि एवं संधि के अध्ययन के लिए व्याकरण, भाषा-विज्ञान से सामग्री लेता है। व्याकरण को अंग तथा भाषा-विज्ञान को अंगी समझा जाता है। दोनों में कई समानताओं के बावजूद कुछ असमानताएँ भी हैं, जैसे भाषा-विज्ञान, विज्ञान है और व्याकरण, शास्त्र। व्याकरण का क्षेत्र सीमित और भाषा-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। भाषा-विज्ञान और व्याकरण में कारण-कार्य का सम्बन्ध है। भाषा-विज्ञान प्रत्येक भाषा के व्याकरण के कारणों का विवेचन करता है। व्याकरण शरीर है तो भाषा-विज्ञान नेत्र है।

व्याकरण, वर्णन प्रधान एवं विवरणात्मक तथा भाषा-विज्ञान व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक। व्याकरण प्राचीनतावादी और रूढ़िवादी तथा भाषा-विज्ञान नवीनतावादी। व्याकरण, भाषा-विज्ञान का अनुगामी है (कपिल द्विवेदी; भाषा-विज्ञान एवं भाषा शास्त्र पृ० 18)।

2. भाषा-विज्ञान और समाज शास्त्र-

मनुष्य भाषा को समाज से अर्जित करता है। समाज शास्त्र, मानव की संस्कृति के अन्तर्गत उसके सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ भाषागत परिवर्तन भी होते हैं। जिसका अध्ययन भाषा-विज्ञान में किया जाता है।

3. भाषा-विज्ञान और साहित्य-

साहित्य का संबंध भाषा-विज्ञान से होता है। साहित्य से भाषा-विज्ञान सामग्री लेता है। संस्कृत, ग्रीक एवं लैटिन आदि भाषाओं के

साहित्य—अध्ययन हेतु जिस प्रकार भाषा—विज्ञान का सहारा लिया गया उसी प्रकार अन्य भाषाओं के विश्लेषण—विवेचन के लिए भाषा—विज्ञान सहायक है। साहित्य को भाषा—विज्ञान की जननी कहते हैं।

4. भाषा—विज्ञान और भौतिकी—

ध्वनि, ऊर्जा, संप्रेषण, कंपन, परमाणु आदि का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है। प्रकाश एवं ध्वनि की तरंगें किस प्रकार एक स्थान से दूसरे में पहुँचती हैं? इसको ज्ञात करने के लिए भाषा—विज्ञानी को भौतिक विज्ञान का गहन अध्ययन करना अपेक्षित होता है। ध्वनि—संचरण के लिए fu fs (ईथर) नामक तत्व माध्यम है यह भौतिक विज्ञान से विदित होता है।

5. भाषा—विज्ञान और मनोविज्ञान—

मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनुष्य के विचारों एवं भावों का अध्ययन मनोविज्ञान करता है जबकि मनुष्य के विचारों, भावनाओं एवं संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने का कार्य भाषा करती है। मनोभाषाशास्त्री हेमनस्टेन्थल, मनोविज्ञान के बिना भाषा—वैज्ञानिक अध्ययन को अधूरा समझते हैं।

6. भाषा—विज्ञान और शरीर विज्ञान—

शरीर—रचना और भाषा—संप्रेषण—विधि का घनिष्ठ संबंध है। शरीर—विज्ञान में किस तरह मुख से निःसृत ध्वनि को ग्रहण करने वाले कानों की संरचना, कैसे वे ध्वनि को ग्रहण करते हैं, कैसे ध्वनि कर्ण कुहारों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचती है, कैसे मस्तिष्क को ध्वनि के माध्यम से पदार्थ भाव या विचार का बोध होता है, मस्तिष्क की संरचना कैसे हुई, मस्तिष्क कार्य कैसे करता है? आदि—आदि विविध शरीर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान शरीर—विज्ञान करता है। (द्वारिका प्रसाद सक्सेना, भाषा—विज्ञान के सिद्धांत, पृ.38)

7. भाषा—विज्ञान और इतिहास—

ऐतिहासिक—भाषा—विज्ञान इतिहास के अध्ययन का आधार है। प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों का भाषा—विज्ञानी द्वारा अध्ययन कर प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। अनुज जी मानते हैं कि हिन्दी में अनेक अरबी, फारसी, तुर्की, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि के मिश्रण का ज्ञान इतिहास और भाषा—विज्ञान दोनों के माध्यम से हो सकता है।

राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास को समझने के लिए भाषा-विज्ञान की अहम् भूमिका होती है।

8. भाषा-विज्ञान और दर्शन शास्त्र—

दार्शनिकों का भाषायी चिंतन भाषा-विज्ञान को दर्शन से जोड़ता है। कहते हैं कि यूनान में भाषा-अध्ययन दार्शनिकों ने प्रारंभ किया था। “भारत में वैदिक वाङ्मय में भाषा-विषयक विवेचन मूलरूप में प्राप्त होता है। इसका विकास दर्शन ग्रंथों में, विशेष रूप से भर्तृहरिकृत वाक्यदीप में प्राप्त होता है। वैयाकरणों का स्फोटवाद, मीमांसकों का शब्द, नित्यतावाद, नैयायिकों का जातिवाद, बौद्धों का अपोहवाद, पदवादी भाट्टों का अभिहितान्वयवाद, वाक्यवादी प्रभाकरों का अन्विताभिधानवाद आदि सिद्धांतों का आधार दर्शन ही है।” (पद्मश्री कपिल द्विवेदी, भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र पृ. 24) इसी तरह अनेक दार्शनिक सिद्धांत भाषा-विज्ञान से संबंध है।

9. भाषा-विज्ञान और तर्कशास्त्र —

भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ध्वनि-परिवर्तन आदि का अनुसंधान तर्कशास्त्र के माध्यम से होता है। भाषा-विज्ञान के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन भी आवश्यक है।

इन विषयों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान का अन्य विषयों— राजनीति विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, संगीतशास्त्र, पुरातत्व, समीक्षाशास्त्र, भाषा-शिक्षण, यांत्रिकी, भूगोल से भी घनिष्ठ संबंध है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भाषा-विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। विभिन्न विषयों के अध्ययन में भाषा-विज्ञान की महती भूमिका है। भाषा-विज्ञान मनुष्य के ज्ञान-क्षेत्र को विराटता प्रदान कर अपनी व्याप्ति को प्रकट करता है।

संदर्भ ग्रंथ—

1. संपादक डॉ० विनय कुमार पाठक, डॉ० विनोद कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ का सम्पूर्ण व्याकरण, वदान्या पब्लिकेशन, बिलासपुर, 2019, पृ० 12
2. पद्मश्री कपिल द्विवेदी, भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2014, पृ० 3

3. वही, पृ0 4
4. वही, पृ0 4
5. वही, पृ0 5
6. अनुज प्रताप सिंह, भाषा-विज्ञान, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009,
पृ0 5
7. वही, पृ0 6
8. भोलानाथ तिवारी, भाषा और भाषिकी, पृ0 109
9. मंगल देव शास्त्री, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, पृ0 3
10. अंबा प्रसाद सुमन, भाषा-विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग, पृ0 91



‘संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह महान अथवा तुच्छ ही क्यों न हो,
महत्त्वपूर्ण और सम्माननीय होता है; क्योंकि किसी मौके पर वह मेरी
मदद कर सकता है।’

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंदिया

5.

भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाएँ : वर्णनात्मक, ऐतिहासिक व तुलनात्मक

डॉ० रमेशकुमार टण्डन*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 01 (भाषा और भाषा विज्ञान)

भाषा की परिभाषा और अभिलक्षण, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार,
भाषा संरचना और भाषिक-प्रकार्य। भाषा विज्ञान स्वरूप और व्याप्ति,
अध्ययन की दिशाएँ– वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक।

वर्णनात्मक पद्धति

यह पद्धति किसी विशिष्ट काल की किसी विशिष्ट भाषा का अनुशीलन करने में प्रवृत्त होती है। भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय विभक्ति आदि रूपों का वर्णनात्मक सम्यक् अनुशीलन इस पद्धति की विशेषता है। भाषा विज्ञान की ध्वनि, वाक्य, अर्थ तथा रूप को इस प्रवृत्ति

*जन्म : 03 जनवरी 1975, ग्राम– फूलबंधिया (रायगढ़), माता : श्रीमती फूलकुँवर टण्डन, पिता : श्री कौशलप्रसाद टण्डन, पत्नी : श्रीमती पूर्णिमा टण्डन, योग्यता : एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी), सेट, पी-एच. डी., प्रकाशन : 1. काव्य संग्रह 'पीड़ा' 2014 में जयपुर से प्रकाशित, 2. पुस्तक 'आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी-अस्मिता का धरातलीय सच' का फरवरी 2020 में संपादन, अन्य : अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में 25 शोध-पत्र एवं राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में 04 शोध-पत्र प्रकाशित, 29 राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 03 अन्तर्राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 04 किताबों में चैप्टर लेखक, 'सृजन' पत्रिका का संपादन, 'सतनाम संदेश' पत्रिका का कुछ वर्षों तक संपादन, पत्र-पत्रिकाओं में कविता/लेख एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिए लगातार छपना। सम्प्रति : विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक) – हिन्दी, महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया, मो० नं० : 9685671975, ई मेल : rameshktandan@gmail.com

के द्वारा रूपायित करने में सुबोधता प्राप्त होती है। भारतीय भाषा शास्त्र में पाणिनी और महर्षि पतंजलि का इस प्रवृत्ति के प्रति विशेष रुझान रहा है।

जब किसी भाषा के विशिष्ट काल का संगठनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसे वर्णनात्मक अध्ययन कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनी के अष्टाध्यायी में इसी प्रकार का भाषा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि की वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि पर विचार किया जाता है। भाषा की सभी इकाइयों पर अध्ययन करते हुए उनसे संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं। भाषा के सीमित काल का अध्ययन होने के बावजूद इसका प्राचीन काल से ही विशेष महत्त्व रहा है। इस प्रकार के अध्ययन में भाषा के साधु-असाधु रूपों पर चिंतन करते हुए उसकी ध्वनि, शब्द आदि इकाइयों रूपी शरीरांग के साथ उसकी अर्थ रूपी आत्मा पर भी विचार किया जाता है। वर्तमान समय में वर्णनात्मक पद्धति के भाषा अध्ययन की ओर विद्वानों का विशेष झुकाव दिखाई पड़ता है।

वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अन्तर्गत किसी विशिष्ट काल की किसी एक विशिष्ट भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान की इस पद्धति में, भाषा सामान्य का ही नहीं, वरन् किसी विशेष भाषा का वर्णन किया जाता है। भाषा की वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए भाषा की ध्वनि, संरचना तथा शुद्ध - अशुद्ध रूपों को उल्लेख किया जाता है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य आदि का अध्ययन कर ऐसे नियम भी निर्धारित किए जाते हैं जिनसे भाषा का स्वरूप प्रकट किया जा सके। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा के स्वरूप को केवल वर्णित करता है। वह, यह नहीं दिखाता कि भाषा का वह रूप शुद्ध है या अशुद्ध। इसमें अर्थ तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता, जो कि भाषा का प्राण तत्व है। इसी कारण इसमें अपूर्णता प्रतीत होती है। 'पाणिनी' की अष्टाध्यायी इस पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण है।

वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, आधुनिक हिन्दी का वर्णन इस प्रकार करता है— 'दिल्ली' और आसपास रहने वाले लोगों पर 'हरियाणवी' भाषा का प्रभाव है। उदाहरण के लिए 'हरियाणवी' भाषा में 'मुझे', 'मुझको' जाना है, के स्थान पर 'मैने' जाना है।

वर्णनात्मक भाषा विज्ञान शुद्ध या अशुद्ध नहीं देखता, इसके विपरीत व्याकरणात्मक भाषा विज्ञान इस प्रयोग को अनुचित या अशुद्ध मानेगा।

वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा के प्रयोग में जो कुछ भी है, इसका तटस्थ भाषा से वर्णन मात्र कर देता है, वह चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध। परन्तु व्याकरणात्मक भाषा विज्ञान, व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध या अशुद्ध निश्चित करता है। 'प्रोफेसर सस्यूर' से पहले भाषा विज्ञान में अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक थी। 'सस्यूर' ही पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन केवल ऐतिहासिक पद्धति पर नहीं बल्कि, वर्णनात्मक दृष्टिकोण से भी हो सकता है। सस्यूर ने सर्वप्रथम भाषा विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया। 'एककालिक' भाषा विज्ञान, दूसरा 'बहुकालिक' भाषा विज्ञान। जिसे सस्यूर ने एककालिक भाषा विज्ञान कहा था, उसी को अमेरिकी वैज्ञानिक ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की संज्ञा दी।

ऐतिहासिक पद्धति

ऐतिहासिक पद्धति में भाषा विशेष का काल सापेक्ष क्रमागत परम्परा में इतिवृत्तात्मक अनुशीलन होता है। भाषा का आदि क्रमिक परिवर्तन और क्रमिक विकास इसके अध्ययन के विषय हैं। उदाहरण के लिए— वैदिक संस्कृत से लेकर पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के रूप में परिवर्तित होते हुए वर्तमान हिन्दी आदि भाषाओं का विकास हुआ है। यह क्रमिक विकास इस ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय है। किसी विशिष्ट भाषा की ध्वनि, वाक्य, रूप तथा अर्थ में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका ऐतिहासिक विश्लेषण करना भी इस प्रवृत्ति का लक्ष्य है। प्राचीनकाल से लेकर आज तक भाषाओं का काल क्रमानुगत अध्ययन इस प्रवृत्ति की महती विशेषता है।

इस पद्धति में भाषा विशेष के काल क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यदि किसी विशेष भाषा के कालों के विवरणात्मक अध्ययन को कालक्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसे ऐतिहासिक अध्ययन कहा जाता है। भाषा विकास या परिवर्तन की विभिन्न धाराओं का अध्ययन इसी पद्धति में होता है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में हिन्दी का अध्ययन करना चाहें तो, इसी पद्धति से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं पर विचार करते हुए हिन्दी भाषा का अध्ययन किया जाना अपेक्षित होता है। यदि हिन्दी शब्दों का उद्भव और विकास जानना चाहेंगे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ हिन्दी का कालक्रमिक अध्ययन करने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया जाना उचित होता है। यथा— कर्म (संस्कृत) → कम्म (प्राकृत) → काम (हिन्दी)।

भाषा चिर परिवर्तनशील है। समय तथा स्थान परिवर्तन के साथ भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। समय-समय पर भाषा की ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों में ही नहीं अर्थ में भी परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन हमें ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन से ही ज्ञात होता है।

आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक 'द सस्यूर' ने भाषा विज्ञान की इस पद्धति शाखा को गत्यात्मक या विकासात्मक पद्धति कहा है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी कार्य विशेष का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वह स्थितिआत्मक पद्धति है। जबकि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के मूल से चलकर उसके वर्तमान रूप तक का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। जब किसी भाषा के ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ के परिवर्तन का कालक्रमानुसार अध्ययन कर तत्संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, तो उसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। वैदिक युग से प्रारम्भ कर, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परम्परा दिखाते हुए हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालना ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। वैदिक भाषा ही परिवर्तित होते-होते हिन्दी के रूप में कैसे उपस्थित हो गई, कालक्रम से वैदिक भाषा में जो परिवर्तन हुए, उनके क्या कारण थे ? इन प्रश्नों पर भी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान विचार करता है। उदाहरण के लिए—

संस्कृत का 'हस्त' और प्राकृत का 'हक', हिन्दी में 'हाथ' कैसे बन गया, इसका परिचय हमें भाषा विज्ञान की इस पद्धति के अन्तर्गत मिल जाता है।

तुलनात्मक पद्धति

इस पद्धति के अन्तर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं का काल सापेक्ष अध्ययन तुलनात्मक ढंग से किया जाता है। पूरे विश्व में तीन हजार भाषाएँ हैं। इस पद्धति से किसी भी भाषा विशेष के व्याकरणिक रूप का तथा उसके इतिहासपरक विकास एवं ह्रास का अनुशीलन किया जाता है। हिन्दी की विभिन्न बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन इसी पद्धति से सम्भव है। ब्रज और अवधी की ध्वनि – प्रक्रिया, रूप – प्रक्रिया, वाक्य – प्रक्रिया एवं अर्थ – प्रक्रिया किस प्रकार एक दूसरे से समान अथवा विषम हैं, इन सभी का अध्ययन तुलनात्मक पद्धति से ही हो सकता है।

तुलनात्मक पद्धति भाषा विज्ञान की एक अभिनव प्रक्रिया है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि पुरानी भाषाओं की तुलना का श्रेय इसी पद्धति

को है। भाषा के सनातन और बदलते हुए कीर्तिमान, तुलनात्मक दृष्टि से ही समाकलित किए जा सकते हैं। वस्तुतः, तुलनात्मक भाषा विज्ञान की पद्धति में, वर्णनात्मक सूक्ष्मता और ऐतिहासिकता क्रम दोनों विद्यमान हैं।

भाषा अध्ययन की जिस पद्धति में दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों और अर्थों आदि की तुलना की जाती है, उसे भाषा अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। इस अध्ययन के अन्तर्गत एक भाषा के विभिन्न कालों के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी विकासात्मक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक भाषा के विभिन्न बोलियों की समता— विषमता जानने के लिए भी भाषा अध्ययन की इस पद्धति का ही सहारा लिया जाता है। इसका प्रबल प्रमाण है कि प्रारम्भ में इसके लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान नाम दिया गया था। यह भी सत्य है कि बिना तुलनात्मक अध्ययन—दृष्टिकोण अपनाएँ किसी नियम का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन होता है। भाषा परिवार के निर्धारण में भी तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक होता है। भाषा की सरसता, सरलता या विशेषताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है।

तुलना के लिए किन्हीं दो चीजों का होना अनिवार्य होता है। अतः तुलनात्मक अध्ययन में दो या दो से अधिक भाषाओं को लिया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक ध्वनियों, पदों, शब्दों, वाक्यों तथा अर्थों आदि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक पद्धति में भी तुलना का समावेश रहता है किन्तु वह तुलना एक ही भाषा के विभिन्न कालों में प्रचलित भाषा रूपों से की जाती है। जबकि तुलनात्मक भाषा विज्ञान दो या दो से अधिक भाषा की तुलना करके निहित 'साम्य' एवं 'वैसाम्य' परक नियमों का निर्धारण करता है। जिन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ की समानताएँ मिलती हैं, तो उन्हें एक परिवारों का मान लिया जाता है। अर्थात् उनके सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 'भले ही उनमें हजारों मिलों की दूरी एवं उच्चारण संबंधी थोड़ी सी भी और समानता क्यों न हो फिर भी उनकी उत्पत्ति एक ही मूल भाषा की मानी जाती है'। सन् 1786 में सर विलियम जोन्स को संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित समानताएँ मिली—

संस्कृत	—	नव	नीड
ग्रीक	—	NIOS	NEOS
लैटिन	—	PATER	NIDS
जर्मन	—	VATER	NEST
अंग्रजी	—	FATHER	NEST
फारसी	—	पिदर	नौ

विलियम जोन्स ने अनुभव किया कि यह साम्य निराधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त भाषा की एक ही जननी है, जिसका अस्तित्व अब नहीं रहा। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह परिकल्पना की गई कि भारोपीय भाषा का स्वरूप कैसा रहा होगा। लिखित प्रमाण के अभाव में किसी भाषा के मूल रूप की परिकल्पना अब महत्त्वपूर्ण नहीं समझी जाती। एककालिक दृष्टि से दो भाषाओं के विभिन्न स्तरों की तुलना की जा सकती है।

संदर्भ:—

पाण्डेय, अपर्णा; भाषा विज्ञान, पायनियर पब्लिशर, 2020
www.hindivibhag.com
www.scotbuzz.org



“मुझे पैतृक-भाषा बोलने में कभी-भी संकोच नहीं होगा, मैं विदेश में भी अपने लोगों के बीच इस भाषा का प्रयोग करके गर्व महसूस करूँगा।”
(छत्तीसगढ़ी भाषा के संदर्भ में)
—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

6

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ

– प्रो० एस कुमार गौर*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण

ध्वनि को ही स्वन कहा जाता है तथा ध्वनि के अध्ययन से संबंधित शास्त्र के लिए आज स्वन विज्ञान (PHONETICS) या (PHONOLOGY) का प्रयोग होता है। PHONOLOGY शब्द का संबंध ग्रीक शब्द PHONE से है, जिसका अर्थ – ध्वनि तथा LOGY शब्द, विज्ञान का समानार्थी है। अतः PHONOLOGY का शाब्दिक अर्थ ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान है। PHONOLOGY और PHONETICS का प्रयोग एक ही अर्थ में सामान्यतः होता है किन्तु डॉ० भोलानाथ तिवारी ने इनमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर माना है।

स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उनके शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण और

*जन्म : 26 जनवरी 1980, माता : श्रीमती हेमलता गौर, पिता : श्री विशाल राम गौर, शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), डी. एड., नेट, रुचि : साहित्य अध्ययन, लेखन, अकादमिक कार्य : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठियों में सहभागिता, आई एस बी एन किताब में चैप्टर प्रकाशन, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया, जिला- राजनांदगाँव, छ.ग., आवासीय पता : वार्ड क्र. 13, संजयनगर दुर्गा चौक, डोंडीलोहारा, जिला- बालोद, छ.ग., मो० नं० : 9407691137, 8462925940, मेल आई डी : sgaur3498@gmail.com

तंत्रिका-शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित है। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान की तुलना में ध्वनि विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा की आधारशिला ध्वनि होती है।

स्वन (ध्वनि) का अर्थ एवं परिभाषा :-

ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध भाषा के भौतिक आधार ध्वनि से है। इसमें मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों का महत्वपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिनका संबंध भाषा से होता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ध्वनि किसे कहते हैं ? ध्वनि का अर्थ है- दो पदार्थों के मिलन से होने वाली आवाज, जिसे हम कानों से सुनते हैं। व्यापक अर्थ में जो कानों में सुनाई पड़े, वह ध्वनि है परंतु भाषा विज्ञान में ध्वनि सीमित या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभिन्न विद्वानों ने ध्वनि की परिभाषाएँ इस प्रकार की हैं-

(1) डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार :- “भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है, जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्ति हो।”

(2) डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार :- “मानव ध्वनि यंत्र द्वारा उत्पादित और निश्चित श्रावक गुणों से युक्त ध्वनि को भाषा ध्वनि या भाषाण ध्वनि कहा जाता है।”

(3) सीता राम झा श्याम के अनुसार :- “मनुष्य के फेफड़ों से निस्सृत एवं विभिन्न भाषाण अव्यवों से व्यवस्थित रूप में उच्चारित सार्थक ध्वनि ही “भाषा ध्वनि” कहलाती है।”

(4) डेनियाज जोस के अनुसार :- “ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोतेन्द्रिय द्वारा अविरल रूप से गृहित शब्द लहरी है।”

स्वन विज्ञान का स्वरूप

भाषा की लघुतम इकाई स्वन है। इसे ध्वनि नाम भी दिया जाता है। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा विज्ञान में स्वन के अध्ययन संदर्भ को “स्वन विज्ञान” की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि शब्द ध्वन धातु में इन (ई) प्रत्यय के योग से बना है। भाषा विज्ञान के गंभीर

अध्ययन में ध्वनि विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। स्वन (ध्वनि) के अध्ययन में तीन पक्ष माने जाते हैं, यथा –

1. उत्पादक, 2. संग्राहक, 3. संवाहक।

1. उत्पादक :- स्वन उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या वक्ता को स्वन उत्पादक की संज्ञा देते हैं।

2. संग्राहक :- संग्राहक या ग्रहणकर्ता श्रोता है, जो ध्वनि को ग्रहण करता है।

3. संवाहक :- संवाहक या संवहन करने वाला माध्यम जो मुख्यतः वायु की तरंगों के रूप में होता है।

स्वन प्रक्रिया में तीनों अंगों की अनिवार्यता स्वतः ही सिद्ध है। जब मुख के विभिन्न अंगों में से किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवों के सहयोग से ध्वनि उत्पन्न होगी तभी स्वन (ध्वनि) का अस्तित्व संभव है। ध्वनि उत्पादक अवयवों की भूमिका के अभाव में स्वन का अस्तित्व असंभव है।

ध्वनि उत्पादक अवयवों की उपयोगी भूमिका के बाद यदि संवाहक या संवहन माध्यम का अभाव होगा तो स्वन का आभास असंभव होगा। माना एक व्यक्ति एक वायु अवरोधी कक्ष में बैठकर ध्वनि करता है, तो वायु तरंग कक्ष से बाहर नहीं आ पाती और बाहर का व्यक्ति ध्वनि ग्रहण नहीं कर सकता है। इस प्रकार स्वन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है।

संग्राहक या श्रोता के अभाव में ध्वनि उत्पादन का अस्तित्व स्वतः ही शून्य हो जाता है। इस प्रकार स्वन प्रक्रिया में वक्ता (उत्पादक), संग्राहक, संवाहक तीनों का होना अति आवश्यक है।

भाषा अध्ययन में स्वन विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि अन्य वृहत्तर इकाइयों का ज्ञान इसके ही आधार पर होता है। इसके ही अंतर्गत विभिन्न ध्वनि उत्पादक अवयवों का अध्ययन किया जाता है स्वनों के शुद्ध ज्ञान के पश्चात शुद्ध लेखन को सबल आधार मिल जाता है। उच्चारण में होने वाले विविध संदर्भों के परिवर्तनों का ज्ञान भी संभव होता है। स्वन विज्ञान में विभिन्न ध्वनियों के अध्ययन के साथ उनके उत्पादन की प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इसी अध्ययन क्रम में ध्वनि उत्पादक विभिन्न अंगों की रचना और उनकी भूमिका का भी अध्ययन किया जाता है। स्वन के साथ स्वनिम का भी विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है।

समय, परिस्थिति और प्रयोगानुसार विभिन्न ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। ध्वनि के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने कुछ ध्वनि नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अध्ययन के साथ-साथ ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ और ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर विचार किया जाता है।

स्वन (ध्वनि) विज्ञान की शाखाएँ

स्वन विज्ञान के अंतर्गत स्वनों का अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है। स्वन विज्ञान ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का मूल स्तंभ अथवा आधार है। ध्वनि विज्ञान से अनभिज्ञ भाषा-शिक्षण वैसा ही निरर्थक है, जैसे शरीर के रचना विज्ञान से अनभिज्ञ चिकित्साशास्त्र शिक्षण। इसी आधार पर स्वन विज्ञान की तीन शाखाएँ मानी जाती हैं-

1. औच्चारणिक स्वन विज्ञान,
2. संचारणात्मक (सांवहनिक) स्वन विज्ञान,
3. श्रावणिक स्वन विज्ञान।

1. औच्चारणिक स्वन विज्ञान :- इसके अंतर्गत ध्वनि के उच्चारण और उससे जुड़ी बातों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। औच्चारणिक शाखा ध्वनि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत ध्वनियों के उच्चारण, ध्वनियों की उत्पत्ति, वाग्यंत्रों (ओष्ठ, जिह्वा, दांत, कंठ, तालू) का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का उच्चारण वाग्यंत्र से होता है। उच्चारण अवयव दो प्रकार के होते हैं- चल अवयव और अचल अवयव। औच्चारणिक स्वन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें उच्चारण और उसमें संबद्ध बातों का अध्ययन किया जाता है। औच्चारणिक स्वन विज्ञान के द्वारा मानवीय ध्वनियों की उत्पादन प्रक्रिया, वाग्य यंत्र, उच्चारण स्थान का ज्ञान होता है।

ध्वनि के उच्चारण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है - फेफड़ों से आने वाली वायु श्वास नलिका में आकर स्वर यंत्र के पास विकृत होती है। स्वरतंत्रीय के सहयोग से हम इसे मनचाहा रूप देते हैं और आवश्यकता अनुसार मुख विवर या नासिका विवर से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने से पूर्व उसे जिह्वा, कंठ, तालू, दांत, होंठ के सहारे इच्छित रूप देते हैं। मुख या नाक से बाहर आकर यह ध्वनि की संज्ञा पाती है।

2. संचारणात्मक (सांवहनिक) स्वन विज्ञान :- मुख से उत्पन्न होने वाली भाषिक ध्वनि श्रोता के कानों तक कैसे पहुंचती है? इसका

अध्ययन सांवाहनिक स्वन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भौतिकी में ध्वनि संवहन के लिए किसी माध्यम का होना अनिवार्य माना गया है क्योंकि निर्वात में ध्वनि का संवहन नहीं होता। किसी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उच्चारित ध्वनियों का और भाषा में उपलब्ध सुर, तान, दीर्घता, नासिक्य, घोषत्व एवं प्राणत्व आदि का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

ध्वनि विज्ञान की सांवाहनिक स्वन विज्ञान के अंतर्गत होने वाले अध्ययन में मुख मापक, पैलेटोग्राफ, कायमोग्राफ, क्रोमोग्राफ, स्पेक्टोग्राफ, पैटर्न प्लेबैक, कोनोग्राफ, असेलोग्राफ, स्पीच स्ट्रेचर, एक्सरे, टेप रिकॉर्डर इत्यादि अनेक यंत्रों की सहायता ली जाती है। ध्वनि की लहरें वायु में जो कंपन उत्पन्न करती है उसके कारण वह हमें सुनाई पड़ती है। भौतिक विज्ञान में ध्वनि की तरंगों के प्रकार तथा उनकी गति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है किंतु भाषा विज्ञान में यह अध्ययन अपेक्षित नहीं है। यहाँ इतनी बात ही महत्वपूर्ण है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती तथा माध्यमों में उसकी गति बदल जाती है। वक्ता के मुख से बोली गई भाषा (ध्वनि) वायु में संवहन करती हुई अंततः श्रोता के कानों में पहुँचती है।

ध्वनियों के उच्चारणात्मक अभिलक्षणों की तरह भौतिक अभिलक्षण भी होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न करते हैं। ये गुण हवा के भार में जो छोटे बदलाव होते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। उन विभेदों को हमारे कान अनुभव करते हैं, जिनका हम ध्वनि स्पेक्टोग्राफ और ऑसिलोग्राफ द्वारा अध्ययन करते हैं। इनमें प्रमुख बदलाव हैं— मूल आवृत्ति, आयाम और आवृत्ति बैंड। मूल आवृत्ति बैंड हवा के भार की आवृत्तियों के दोहराव होते हैं। यह हर व्यक्ति का अपना होता है। इस प्रकार पुरुष, स्त्री और उनमें वयस्क और अवयस्क के भी प्रशस्त विस्तार (Broad Range) होते हैं। वयस्क पुरुष में ध्वनियों की मूल आवृत्ति 50—155 आवृत्ति प्रति सेकंड होती है, जिन्हें हर्ट्ज कहते हैं। महिलाओं में ज्यादातर 165—255 हर्ट्ज होती है तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह आवृत्ति 400—600 हर्ट्ज होती है। शास्त्रीय संगीत में विभिन्न रागों को अलग—अलग मूल आवृत्तियों में गाया जाता है।

मूल आवृत्ति के अलावा हवा के भार में अधिकता और कमी से भी ध्वनियों में बदलाव होता है, जिन्हें वायुकण के विश्राम बिन्दु से अधिकतम दूरी के आधार पर मापा जाता है। इस दूरी के विस्तार को आयाम कहते

हैं। इसे डेसिबल में मापा जाता है।

3. श्रावणिक स्वन विज्ञान :- श्रावणिक स्वन विज्ञान को भौतिकी अथवा श्रोत स्वन विज्ञान भी कहते हैं। श्रवण का संबंध कर्ण इन्द्रियों से है। श्रावणिक स्वन (ध्वनि) विज्ञान जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें ध्वनियों के श्रवण (सुने जाने) का अध्ययन होता है। मुख से उच्चारित ध्वनि वायु की तरंगों से होती हुई श्रोता के कान तक पहुँचती है। कान से मस्तिष्क तक ध्वनि पहुँचती है, जहाँ ध्वनि के अर्थ का बोध होता है। श्रावणिक स्वन विज्ञान के अंतर्गत हम इस बात पर विचार करते हैं कि ध्वनि किस तरह हमारे कानों में पहुँचती है और हमें सुनाई पड़ती है।

कान को तीन भागों में बाँटा गया है – बाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और अभ्यंतर कर्ण। बाह्य कर्ण के दो भाग होते हैं। पहला टेढ़ा-मेढ़ा भाग जो पीछे जाने वाली वायु को रोकता है व दूसरा कर्ण नलिका है। नलिका के भीतरी क्षेत्र पर झिल्ली होती है, वह बाह्य कर्ण को मध्यवर्ती कर्ण से जोड़ती है। दूसरी ओर अभ्यंतर कर्ण, बाहरी क्षेत्र से जुड़ी होती है। कपिलदेव द्विवेदी ने लिखा है कि – “वायुमंडल में संचरण करने वाली ध्वनि तरंगें किस प्रकार कर्ण पटल को प्रभावित करती हैं और संवेदक तंत्रिकाओं द्वारा किस प्रकार मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, जहाँ वे अपने स्वरूप के अनुसार पहचानी जाती हैं, इनका अध्ययन श्रावणिक स्वन विज्ञान में होता है।”

निष्कर्ष :- भाषा अध्ययन में स्वन विज्ञान का विशेष महत्व है क्योंकि अन्य वृहत्तर इकाइयों का ज्ञान इसके ही आधार पर होता है। स्वरों के शुद्ध ध्यान के पश्चात् लेखन को समुचित आधार मिल जाता है। भाषा विज्ञान में स्वन के अध्ययन संदर्भ को स्वन विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। स्वन के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा की आधारशिला स्वन (ध्वनि) होती है।

संदर्भ :-

1. विकिपीडिया मुक्त ज्ञान कोश एवं ई-पीजी पाठशाला।
2. डॉ० भोलानाथ तिवारी – भाषा विज्ञान, किताब महल प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाशक इलाहाबाद, पृष्ठ– 173, 176, 296।
3. सीताराम झा श्याम – भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ – 113।

4. कपिलदेव द्विवेदी – भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, पृष्ठ – 127,138।
5. देवेन्द्र नाथ शर्मा – भाषा विज्ञान, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ – 195।
6. डॉ० विवेक शंकर – आधुनिक भाषा विज्ञान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ – 77, 78, 79।
7. डॉ० भोलानाथ तिवारी – हिंदी ध्वनियों और उसका उच्चारण, इलाहाबाद प्रकाशन, पृष्ठ – 107।



“मैं अनेक विषयों का जानकार बनते हुए, किसी एक प्रिय विषय का विशेषज्ञ बनना चाहता हूँ।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

7.

वागवयव और उनके कार्य

– डॉ० श्रीमती नीलम तिवारी*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण


भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है— “ध्वनि विज्ञान”। इसमें भाषायी ध्वनियों का अति सूक्ष्मता से अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियों की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि उच्चारण में वाग्यंत्र किस प्रकार कार्य करता है? इसका ज्ञान, भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों को अवश्य होना चाहिए।

महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने ‘पाणिनि शिक्षा’ में ध्वनि की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है कि “मनुष्य की आत्मा बुद्धि के साथ संयुक्त होकर जिन पदार्थों का साक्षात्कार करती है, उनकी अभिव्यक्ति की इच्छा से वह मन को उकसाती है और मन शारीरिक शक्ति को तथा शारीरिक शक्ति वायु को प्रेरित करती है तत्पश्चात् वायु उर में गतिशील होकर स्वर को उत्पन्न करता है तथा वह वायु ऊपर उठकर मूर्धा से टकराते हुए मुख विवर में पहुँचकर वर्णों को उत्पन्न करता है”।⁽⁹⁾

* जन्म : 19 जून 1964, पति : श्री अखिलेश चन्द्र तिवारी, अभनपुर (रायपुर), कार्यक्षेत्र : सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव, रुचि : अध्ययन, अध्यापन, पता : 59, विकास नगर, लखोली, राजनांदगांव, पिन कोड 491441, मो० नं० 94241 10699,

मेल– neelamtiwary676@gmail.com

पाणिनि के इस कथन में ध्वनि उत्पत्ति की प्रक्रिया के दो चरण दिखाई पड़ते हैं, प्रथम चरण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की चेतना बुद्धि का सहारा लेकर किसी भी संदर्भ में अभिव्यक्ति के लिए मन को प्रेरित करती है और मन शरीरस्थ वायुशक्ति (श्वास) को प्रेरित करता है। द्वितीय चरण में वाग्यंत्र गतिशील होता है जिसमें वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फेफड़े से निकलने वाली निःश्वास वायु को स्वर तंत्रियों कोमल तालू कठोर तालू, दंत, ओष्ठ आदि से



ध्वनियंत्र का चित्र

नामकरण—

1. श्वासनली (Wind – Pipe)
2. ग्रसनी, भोजननली (Gullet)
3. स्वरयंत्र (Larynx)
4. स्वरतंत्री (Vocal Cords)
5. काकल (Glottis)
6. अभिकाकल (Epiglottis)
7. गलबिल, उपालिजिह्वा (Pharynx)
8. अलिजिह्वा, कौवा (Uvula)
9. नासाविवर (Nasal Cavity)
10. कोमल तालू (Soft Palate)
11. मूर्धा (Cerebrum)
12. कठोर तालू (Hard Palate)
13. वर्त्स, बर्स्व (Alveolus)
14. दन्त (Teeth)

नियंत्रित करते हुए सभी प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं। जिन अंगों से भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वाग्वयव अथवा उच्चारण अवयव (organ of speech) कहा जाता है। ध्वनि निष्पादन से जुड़े हुए सभी आवश्यक अंगों का विवेचन इस प्रकार है –

1. श्वास नली (wind pipe)–

श्वास नली को trachea (ट्रेकिया) कहते हैं। यह श्वास नली फेफड़े से कंठ तक लंबी नली होती है जो बाहर की वायु को अंदर फेफड़े तक पहुंचाती है और फेफड़ों से निकलने वाली प्रदूषित वायु को बाहर ले जाती है। ध्वनि उच्चारण से श्वास नली का सीधा संबंध है। निश्वास वायु से ही विभिन्न ध्वनियों उत्पन्न की जाती हैं।

2. भोजन नली (gullet)–

भोजन नली का ध्वनि से सीधा संबंध नहीं है। यह श्वास नली के समानांतर होती है, जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। भोजन क्रिया और श्वसन क्रिया का मार्ग गलबिल तक एक ही होता है। गलबिल पर श्वास नली एवम् भोजन नली एक पतली दीवार के द्वारा पृथक होती है। भोजन का छोटा कण भी यदि श्वास नली में चला जाता है तो खांसी आ जाती है, तब अंदर की वायु उस कण को मुख विवर से बाहर कर देती है।

3. स्वर यंत्र (larynx)–

श्वास नली के ऊपरी हिस्से में अभिकाकल से कुछ नीचे स्वर यंत्र स्थित होता है। यह ध्वनि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवयव है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे “ध्वनि प्रसारण केंद्र” कहा है। फेफड़ों में हवा का आवागमन स्वर यंत्र के मध्य से ही होता है। यह श्वास नली के ऊपरी हिस्से में कार्टिलेज, मांसपेशी और झिल्ली से बनी हुई एक मिश्रित रचना है। यह गोलाकार एक छोटे बॉक्स जैसा होता है जिसे वयस्क व दुर्बल पुरुषों में गले पर उभरे हुए गोलाकार अंश के रूप में देखा जा सकता है। इसे टेंटुआ या ऐडम्स एपिल भी कहते हैं।

4. स्वर तंत्रियाँ (vocal cards)–

स्वर यंत्र में होठों के आकार की समानांतर पड़ी हुई दो मांसपेशियां होती हैं। ये श्वास नली के ऊपर पड़े हुए दो रबर के छल्ले या किवाड़ के दो पल्लों के समान होती हैं। इन्हें स्वरतंत्री (vocal cards) कहा जाता है।

इनकी कार्य प्रविधि रंगमंच के मध्य पड़े हुए दो परदों के समान होती है जिस प्रकार पर्दे बंद होने पर रंगमंच का कोई दृश्य बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है उसी प्रकार स्वरतंत्रियों के पूर्ण रूप से बंद होने पर कोई भी ध्वनि बाहर नहीं आ सकती। रंगमंच के पर्दे खुलने पर अंदर का दृश्य देखा जा सकता है, वैसे ही स्वर तंत्रियों के खुलने पर श्वास और ध्वनि बाहर आती है। स्वर तंत्रियों की विभिन्न कार्य अवस्थाएं होती हैं, कभी यह पूर्ण रूप से बंद होती है, कभी थोड़ी खुली, कभी आधी खुली और कभी पूरी खुली होती हैं। कभी इनका अगला भाग खुला रहता है, कभी मध्य का भाग और कभी अंत का भाग। इनसे ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ये स्वरतंत्रियां अत्यंत कोमल लचीली और कंपनशील होती हैं। इनके कड़े होने पर कंपन कम या पूर्णतया अवरुद्ध हो जाता है। सामान्यतः श्वास लेने की क्रिया में ये स्वरतंत्रिया पूर्ण रूप से खुली रहती हैं और वायु निर्बाध रूप से आती जाती रहती है। ध्वनि उच्चारण के समय स्वर-तंत्री के दोनों पट खुलते और बंद होते रहते हैं। स्वरतंत्रियों के थोड़ा खुलने से नाद या घोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। स्वरतंत्रियों के निष्क्रिय रहने से काकल से श्वास निकलती रहती है जिससे अघोष ध्वनियां उच्चारित होती हैं।

5. काकल (glottis)–

स्वर तंत्रियों के बीच में जो खुला अंश रहता है उसको काकल कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने इसको कंठ या कंठ गहवर भी कहा है।

6. अभिकाकल (epiglottis)–

जिह्वा मूल के निचले भाग में छोटी जीभ के आकार का एक मांसल अंग होता है, जिसे अभिकाकल कहते हैं। भोजन या पानी जब मनुष्य के मुख से होते हुए भोजन नलिका में पहुंचता है तो यह अभिकाकल नीचे की ओर झुककर श्वास नलिका को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। कुछ स्वर ध्वनियों जैसे आ, ई के उच्चारण में यह जिह्वा के साथ गतिशील होता है।

7. गलबिल (pharynx)–

अभिकाकल के ऊपर और नासिका विवर के नीचे तथा जिह्वा मूल के पीछे की ओर जो खाली स्थान है उसे कंठ मार्ग गलबिल या उपालि जिह्वा कहते हैं। मुख विवर के भीतर यह एक चौराहा है जिससे चार मार्ग

निकलते हैं, पहला मुख विवर की ओर, दूसरा नासिका विवर की ओर, तीसरा श्वास नली की ओर, चौथा भोजन नली की ओर। फेफड़ों से निकलने वाली वायु श्वास नली के द्वारा यहीं से होकर मुख विवर या नासिका विवर से बाहर जाती है और ध्वनि निष्पादन का कार्य करती है।

8. अलजिह्वा या कौवा (uvula)–

गलबिल के ऊपर छोटा सा मांस पिंड घंटी की तरह लटका होता है। मुंह खोलने पर इसे जिह्वा पश्च के पास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसको अलजिह्वा या कौवा कहते हैं। यह कोमल तालू का अंतिम भाग है जो नासिका मार्ग को खोलने व बंद करने का कार्य करता है। सामान्य ध्वनियों या अनुनासिक के ध्वनियों के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

9. नासिका विवर (nasal cavity)–

नासिका विवर नासिका के अग्र भाग से गलबिल तक स्थित होता है। इस विवर से वायु निकलने से अनुनासिक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं।

10. मुख विवर (mouth)–

मुख विवर या मुख गुहा ही मौखिक भाषा को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। मुख विवर के अंदर जिह्वा, दांत, मूर्धा, वर्त्स, तालू, कोमल तालू आदि अंग होते हैं। मुख विवर का बाहरी द्वार ओष्ठ होते हैं। मुख विवर के इन सभी अंगों की ध्वनि उत्पत्ति में भूमिका का वर्णन क्रमशः इस प्रकार है–

(क) ओष्ठ (lips)–

वाग्यंत्र का यह सबसे बाहरी आवरण है और सबसे महत्वपूर्ण भी। ऊपरी ओष्ठ की अपेक्षा नीचे का ओष्ठ अधिक क्रियाशील होता है। ओष्ठ से उत्पन्न ध्वनियों को ओष्ठय ध्वनि कहते हैं। हिंदी के स्पर्शी व्यंजनों में 'प' वर्ग ओष्ठय ध्वनि में आता है। ध्वनि उच्चारण में ओष्ठ की आकृति या स्थिति तीन प्रकार की होती है–

(i) उदासीन स्थिति– इसमें ओष्ठ अपनी स्वाभाविक अवरस्था में रहते हैं। जैसे 'अ' के उच्चारण में।

(ii) गोलाकार स्थिति– इसमें दोनों ओठ मिलकर कुछ बाहर की ओर

निकलते हुए गोल आकृति बनाते हैं और दांतों के बीच एक छोटा छिद्र रह जाता है। इस स्थिति में उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं— उ, ऊ, ओ।

(iii) पूर्ण विस्तृत स्थिति— इसमें दोनों ओष्ठ तने रहते हैं और इसके दोनों छोर एक दूसरे से पूर्ण दूरी पर रहते हैं, जैसे 'ई' ध्वनि के उच्चारण में।

(ख) दांत (teeth)—

वैसे तो दांत मानव शरीर के पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, किंतु ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत भी यह मुख्य अंग है। दांतों से जिह्वा के स्पर्श द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को दंत्य कहा जाता है जैसे हिंदी में 'त' वर्गीय ध्वनियां। ध्वनि उत्पादन में ऊपर के दांतों का उपयोग अधिक होता है और नीचे के दांतों का व्यवहार कम होता है। अंग्रेजी के s व z ध्वनियों के उच्चारण में नीचे के दांतों का उपयोग होता है।

(ग) वर्त्स (alveolus)—

ऊपर के दांतों के मूल से कठोर तालू के प्रारंभ तक फैला हुआ उभरा भाग वर्त्स कहलाता है। यह वाग्यंत्र का अचल अवयव अथवा उच्चारण स्थान है। जिह्वा के अग्रभाग से इस भाग का स्पर्श करके ल, र, स, ध्वनियां उत्पन्न होती हैं।

(ङ.) कठोर तालू (hard palate)—

वर्त्स से लेकर कोमल तालू तक मुख गुहा की छत अर्थात् ऊपरी हिस्सा कठोर तालू कहलाता है। वर्त्स की भांति यह भी अचल अवयव है। जिह्वा द्वारा इस भाग का स्पर्श कर जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं वे तालव्य कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में 'च' वर्ग की ध्वनियां तालव्य हैं। यहां से उच्चरित होने वाली विशिष्ट ध्वनि श्र, श, है।

(च) मूर्धा (cerebrum)—

कठोर तालू के पीछे तालू का अंतिम भाग मूर्धा कहलाता है। पाश्चात्य भाषा शास्त्री इसकी पृथक् सत्ता न मानकर कठोर तालू का ही अंश मानते हैं, किंतु भारतीय भाषाविद इसका अस्तित्व स्वीकारते हैं। जीभ उलट कर मूर्धा को स्पर्श करती है तो जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। हिंदी में 'ट' वर्गीय ध्वनियों के अतिरिक्त ऋ,

ष मूर्धन्य है।

(छ) कोमल तालू (soft palate)–

यह कठोर तालू की समाप्ति से लेकर गलविल तक फैला होता है। ध्वनि यंत्र में यह एक महत्वपूर्ण अवयव है। मुख विवर और नासिका विवर के मध्य यह कपाट का कार्य करता है। यह चल अवयव है जो ऊपर – नीचे होता है। ऊपर उठकर यह नासिका मार्ग को अवरुद्ध करता है तो श्वास नली से निःसृत वायु मुख मार्ग से निकलती है। नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में कोमल तालू नीचे आ जाता है और मुख मार्ग को अवरुद्ध कर देता है अतः पूरी वायु नासिका विवर से निकलती है।

(ज) जिह्वा (tongue)–

वाग अवयवों में सबसे प्रमुख अंग है जिह्वा। जिह्वा का विस्तार ओष्ठ से लेकर कठोर तालू के अंत तक होता है। कोमल व लचीली मांसपेशियों से निर्मित यह संरचना अत्यंत लोच युक्त होती है और बड़ी आसानी से मुख विवर में ऊपर–नीचे आगे–पीछे हो जाती है। 'प' वर्ग की ध्वनियों को छोड़कर अन्य सभी ध्वनियों के उच्चारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिह्वा के पांच भाग होते हैं–

(i) जिह्वा नोक– यह जिह्वा का अग्र बिंदु होता है और सर्वाधिक गतिशील अंग है। यह दांतों को स्पर्श करके दंत्य ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होता है और ऊपर मुड़कर मूर्धा को स्पर्श करके मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में सहायक है।

(ii) जिह्वा फलक– जिह्वा नोक से लेकर जिह्वा का वह हिस्सा जो मुख के बाहर निकाला जा सकता है, जिह्वा फलक है। हिंदी या अंग्रेजी उच्चारण में यह सक्रिय होता है।

(iii) जिह्वाग्र– वर्तस को छूने वाला जिह्वा का भाग जिह्वाग्र है। च, छ, ई आदि तालव्य ध्वनियों के उच्चारण में इसकी सक्रिय भूमिका होती है।

(iv) जिह्वामध्य– यह तालू की ओर उठने वाला जिह्वा का भाग है। जिह्वामध्य केंद्रीय स्वरों व मध्य स्वरों के उच्चारण में सहायक होता है।

(v) जिह्वा पश्च– यह जिह्वा का अंतिम भाग है जो कंठ से जुड़ता है। इसे जिह्वा मूल भी कहते हैं। कंठ ध्वनियों क, ख, ग और जिह्वामूलीय

ध्वनियों की सृष्टि में सहायक होता है।

उपर्युक्त सभी अवयव ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वाग् यंत्र के इन सभी अवयवों को उनके कार्य व उपयोगिता की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है— (1) करण— वाग्यंत्र के चल अवयव करण कहलाते हैं। ओष्ठ, जिह्वा आदि करण हैं। यह गतिशील होकर विभिन्न स्थितियां धारण कर सकते हैं। (2) स्थान या उच्चारण स्थान— वाग्यंत्र के जो अवयव अचल या स्थिर होते हैं उन्हें स्थान कहा जाता है। ऊपर के दांत, तालू, वर्त्स एवं मूर्धा इसी प्रकार के अवयव हैं।

संदर्भ ग्रंथ —

1. पृष्ठ क्रमांक 79, आधुनिक भाषा विज्ञान— डॉ. विवेक शंकर, प्रकाशन—राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।



“सभी कार्यों में महारथ हासिल मत करो; दूनिया में और भी लोग हैं,
जिन्हें कार्य करने का मौका दो।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

8

स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण

— प्रो० राजकुमार लहरे*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण

स्वनविज्ञान में किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वन/अस्वन का निर्धारण एवं वितरण, भाषा-प्रयोग से होने वाला परिवर्तन आदि सभी बातें आती हैं।

मानव बोलने के लिए जिन अंगों का सहारा लेता है। वही वाग-अवयव है। मनुष्य प्रायः मुँह से बोलता है लेकिन मुँह की बनावट तथा वाग्यंत्री (कंठ, काकल, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि) के सहारे वह विभिन्न तरह से ध्वनि का उच्चारण करता है तथा मनोभाव को व्यक्त करता है। मानव द्वारा उच्चरित

*जन्म तिथि : 15 अप्रैल 1973, माता : श्रीमती पुनौतिन लहरे, पिता : श्री असेन दास लहरे, शिक्षा : एम. ए., नेट, स्लेट, सेट (तीन बार), सीजी टेट, सी टेट, प्रकाशन : मौन भाषा, मनगीत, तोर मया गीत, मया सुराज, निरगुनिया (काव्य-संग्रह), विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 25 लेख/आलेख प्रकाशित, 51 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला व संगोष्ठियों में सहभागिता, विभिन्न रिसर्च जर्नल्स का सहायक संपादक/सदस्य, अभिरुचि : गहन अध्ययन, गीत-संगीत एवं पर्यटन, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), पता : ग्राम- केंवाछी, पो० व तहसील- बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.), पिन कोड- 495224 मो० नं० 9109948054, मेल आई डी- lahareraj73@gmail.com

छोटी-सी- छोटी सार्थक ध्वनि को स्वन (ध्वनि) कहते हैं।

जैसे -

ल - उल्टा, लो, ले, ला का सावधानी के साथ अध्ययन करें। तब पता चलता है कि सभी का उच्चारण स्थान और प्रयत्न एक समान नहीं है।

'उल्टा' के उच्चारण में जीभ उलट जाती है।

'लो' में दांत की ओर थोड़ा उच्चरित होता है।

'ले' आगे की ओर से उच्चरित होता है।

'ला' और भी आगे की ओर से उच्चरित होता है।

अतः 'ल' की चार तरह से उच्चारण होता है।

इसमें 'ल' स्वन है और ल¹, ल², ल³, ल⁴ उपस्वन। ये एक दूसरे के व्यतिरेकी नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं-

1. स्वनिम की सत्ता मानसिक होती है तथा उपस्वन की सत्ता भौतिक।

स्वन -ल - मानसिक।

उपस्वन - ल¹ ल² ल³ ल⁴ भौतिक।

2. स्वनिम एक जाति होती है तथा उपस्वन व्यक्ति।

ल स्वन - जाति है।

ल¹ ल² ल³ ल⁴ उपस्वन व्यक्ति।

3. किसी भाषा के स्वनिम अपने वितरण में एक दूसरे के व्यतिरेकी (विरोधी) होते हैं।

लाली - काली, लाली - नाली, लाली - ताली, नल - जल, कल आदि।

4. स्वनिम अननुमेय होते हैं। अर्थात् अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी स्वनिम कहाँ आयेगी। परन्तु अनुपूरक वितरण के कारण उपस्वन अनुमेय है।

5. उपस्वन (संस्वन) अर्थ भेदक नहीं होते हैं। परन्तु स्वन (स्वनिम) अर्थभेदक होता है।

केन्द्रीय स्वनिम तथा परिधीय स्वनिम – जो स्वनिम भाषा में सामान्य रूप से अर्थभेदक तथा व्यतिरेकी होते हैं, उसे केन्द्रीय स्वनिम कहते हैं। जो कुछ सीमित शब्दों व परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, उसे परिपूरक स्वनिम कहा जाता है।

जैसे –

- आ, ऑ – काफी – कॉफी, बाल – बॉल
ख, ख़ – खाना – ख़ाना, खैर (कत्था), खैर (ठीक नहीं)
ग ग़ – बाग – बाग़,
ज, ज़ – राज – राज़
फ, फ़ – फन – फ़न

संक्षेप में –

स्वनिम

उपस्वन

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. जाति के समान | 1. व्यष्टि या व्यक्ति के समान |
| 2. परिवार | 2. परिवार का एक सदस्य |
| 3. मानसिक सत्ता | 3. भौतिक सत्ता |
| 4. अर्थभेदक | 4. अर्थ भेदक नहीं |
| 5. भाषा में महत्वपूर्ण | 5. अमहत्वपूर्ण |
| 6. आपस में व्यतिरेकी | 6. आपस में परिपूरक वितरण |
| 7. अननुमेय | 7. अनुमेय |

उपरोक्त वितरण को अध्ययन की सुविधा से निम्न भेद किये जा सकते हैं –

1. व्यतिरेकी (विरोधी वितरण)
2. परिपूरक वितरण
3. मुक्त वितरण

स्वनों का वर्गीकरण

वाग्ध्वनियों का वर्गीकरण स्वर एवं व्यंजन –

हिन्दी की समस्त ध्वनियों को दो विभाग में बाँट सकते हैं –

1. वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय मुखविवर में वायु प्रवाह

को किसी तरह से अवरोध पैदा नहीं होता है।

2. वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु प्रवाह को मुख विवर में अवरोध होता है।

स्वर ध्वनियाँ –

स्वर ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण के समय फेफड़ों से निसृत वायु प्रवाह बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर होता है। स्वरों का विभाजन दो तरह से किया जा सकता है –

(क) स्थान के आधार पर – मनुष्य के उच्चारण अवयव जो स्वरों के उच्चारण में सहायक होते हैं –

1. कंठ्य – जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है, उसे कंठ्य स्वर कहते हैं। जैसे– अ, आ।

2. तालू – जिन स्वरों का उच्चारण तालू से होता है उसे तालव्य कहते हैं। जैसे– ई।

3. मूर्धा – जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से होता है। जैसे– ऋ।

4. दांत – जिन स्वरों का उच्चारण दांत से होता है। जैसे– लृ।

5. ओष्ठ – जिन स्वरों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। जैसे– उ।

6. नासिका – जिन स्वरों का उच्चारण नासिका (नाक) से होता है। इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे– अँ।

7. कंठ तालू – जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालू दोनों की सहायता ली जाती है। उसे कंठ-तालव्य कहते हैं।

8. कंठ ओष्ठ – जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है। जैसे– ए, ई।

(ख) प्रयत्न के आधार पर – इसके आधार पर स्वरों को निम्न प्रकार से बाँट सकते हैं –

(अ) जिह्वा की स्थिति के आधार पर – स्वरों के उच्चारण में जीभ की तीन स्थितियाँ होती हैं।

1. अग्र – इस स्थिति में जिह्वा अग्र की स्थिति में आकर त्रिभुजाकार होती है। इस अवस्था में जीभ इतना ऊपर उठ जाती है कि उससे ऊपर उठने पर स्वरों का उच्चारण संभव ही नहीं। जैसे– अ, इ, ए, ऐ।

2. मध्य – इस स्थिति में जिह्वा मध्य में रहती है। जैसे– अ।

3. पश्च – इस स्थिति में जीभ का पिछला भाग इतना ऊपर उठता है कि उससे ऊपर उठने पर स्वर उच्चरित न हो। जैसे– उ, उ, ओ, औ।

(ब) ओष्ठों की स्थिति के आधार पर – स्वर के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति भी अलग-अलग होती है। वृत्ताकार स्थिति में उ, ऊ, ओ, औ का उच्चारण होता है। अवृत्ताकार में – इ, ई, ए, ऐ का उच्चारण होता है। अर्द्धवृत्ताकार की स्थिति भी बनती है।

(स) कंठों की मांसपेशियों की कोमलता तथा दृढ़ता के आधार पर – स्वर के उच्चारण में मांसपेशियों की स्थिति में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होता है। ई, अ की स्थिति में दृढ़ हो जाती हैं वहीं इ, उ के उच्चारण में शिथिल।

(द) मुख विवर की स्थिति के आधार पर – स्वर के उच्चारण में मुँह की स्थिति अलग-अलग होती है।

1. **विवृत** – विवृत स्वर उन्हें कहते हैं, जिसमें मुँह पूरी तरह से खुला रहता है। जैसे– आ।

2. **अर्द्ध विवृत** – इसमें मुँह विवृत की अपेक्षा कम खुला रहता है। जैसे– ऐ, औ।

3. **अर्द्ध संवृत** – इसमें मुँह आधा बंद रहता है। जैसे– ए, ओ।

4. **संवृत** – इसके उच्चारण में मुँह लगभग बंद रहता है। जैसे– इ, ई, उ, ऊ।

(ग) स्थान और प्रयत्न के आधार पर – इसके आधार पर स्वरों को दो वर्गों में रख सकते हैं–

(अ) मूल स्वर – जिन स्वरों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, मूल स्वर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं –

1. ह्रस्व – अ, इ, उ।


2. दीर्घ – आ, ई, ऊ, ऐ, औ।

(ब) संयुक्त स्वर – वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इस तरह दो स्वरों के संयोग से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे– ऐ, औ।

स्वरों का वर्गीकरण –

मान स्वर – इनको प्रधान स्वर, आधार स्वर, मानक स्वर, स्टैण्डर्ड स्वर, आदर्श स्वर भी कहते हैं। डेलियल जोन्स ने इसका अध्ययन-विश्लेषण कर आठ मान स्वर का निर्धारण किया।

हिन्दी मान स्वर



इस तरह से हिन्दी में मान स्वरों की संख्या आठ है, जो मुँह में उच्चारण की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

व्यंजनों का वर्गीकरण –

व्यंजन ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण के समय निर्गत श्वास वायु स्पर्श घर्षण आदि के द्वारा मुख विवर से बाहर निकलती है।

स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण – मनुष्य के उच्चारण अवयव जो व्यंजनों के उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं, वे निम्न हैं –

1 तालू – तालव्य ध्वनियों का उच्चारण वर्त्स से ऊपर मूर्धा से पहले स्थित कठोर तालू के साथ जिह्वाग्र के स्पर्श से होता है। जैसे : च वर्गीय ध्वनियाँ तथा य, श तालव्य व्यंजन है।

2 मूर्धा – जिस ध्वनियों का उच्चारण जिह्वाग्र द्वारा उलटकर मूर्धा को स्पर्श करते हुए होता है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे- ट वर्गीय ध्वनि और र, ष।

3 दाँत – जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र ऊपर की दाँत

पंक्ति को स्पर्श करता है, उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे— त वर्गीय ध्वनि और ल, स।

4 ओष्ठ – जिन व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठों से होता है, उसे ओष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। जैसे— प वर्गीय ध्वनि। द्वयोष्ठ्य – प, फ, ब, भ, म एवं दंतोष्ठ्य— व।

5 नासिका – जिन व्यंजनों का उच्चारण नासिका से होता है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अ, इ, ए, न्, म।

6 वर्त्स – जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र द्वारा ऊपर की दंत पंक्ति से लगे हुए वर्त्स भाग का स्पर्श करते हुए होता है। जैसे— न, र, ल, स, ज।

7 काकल – जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख विवर खुला रहता है। उसे काकल ध्वनि कहते हैं। जैसे— ह।

8 जीव्हा मूलीय – जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के मूल से होता है। जैसे— हिन्दी में आगत अरबी, फारसी ध्वनियाँ क, ख, फ, ग आदि।

प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण –

उच्चारण अवयवों को ध्वनियों के उच्चारण में अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके आधार पर निम्न विभेद कर सकते हैं –

1 स्पर्श – जब उच्चारण में सहायक अवयव किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए रोक देता है और अचानक वायु मार्ग को खोल देता है। तब वायु झटका के साथ मुँह से बाहर निकलता है। हिन्दी प, ट, त, क वर्गीय ध्वनि।

2 संघर्षी व्यंजन – ये ध्वनियाँ संघर्षण के साथ मुख विवर से बाहर आती हैं। हिन्दी की श, स, ज ध्वनियों का उच्चारण लगातार होता है, इसलिए इसे अनवरुद्ध ध्वनियाँ कहते हैं।

3 स्पर्श संघर्षी – इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श के साथ—साथ श्वास वायु के निकलने में हल्का—सा घर्षण होता है। हिन्दी की च, छ, ज, झ ध्वनियाँ इसके उदाहरण हैं।

4 पार्श्विका – जब मुख विवर का मध्य भाग श्वास के लिए पूर्णतया बंद कर लिया जाये तब जिह्वा के दोनों ओर से वायु बाहर निकलती है।

हिन्दी के ल्, ल्ह इसके उदाहरण हैं।

5 लुण्ठित – जब जिह्वाग्र अत्यंत गतिशील होकर वर्त्स से कई बार टकराती है तथा श्वास वायु से प्रकम्पित होती है। हिन्दी के र, र्ह इसके उदाहरण हैं।

6 उत्क्षित – जिह्वाग्र वर्त्स अथवा कठोर तालू से टकराकर जो व्यंजन उत्पन्न करता है, उसे इस श्रेणी में रखते हैं। जैसे– ड, ढ।

7 अर्द्ध स्वर – इसे अर्द्ध व्यंजन, घर्षण रहित प्रवाह कहते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम अवरुद्धता होती है। हिन्दी के य, व इसके उदाहरण हैं।

8 अंतःस्थ या ऊष्म – ये स्वर व व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ कहलाती है। हिन्दी में य, र, व, ल, श, ष, स, ह ऊष्म ध्वनियाँ कहलाती हैं।

प्राणत्व एवं घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण –

प्राण का तात्पर्य श्वास की वायु से है। इस आधार पर व्यंजन को दो वर्गों में बाँट सकते हैं –

1 अल्पप्राण – कुछ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है तथा उनका वेग भी कम होता है। हिन्दी में क, ग, उ, च, ज, ञ, ट, ढ, ढ, ण, त, द, न, प, म इसके उदाहरण हैं।

2 महाप्राण – कुछ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है तथा उनका वेग भी अधिक होता है। हिन्दी में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन, महाप्राण होते हैं। ख, म, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, म्, ल्ह, र्ह आदि।

घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण –

घोष का अर्थ होता है– कंपन युक्त ध्वनि। इसके आधार पर ध्वनियों के दो भेद हाते हैं–

1 अघोष –जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वरतंत्री को कंपित करते हुए अनवरुद्ध होते हुए मुख विवर से बाहर निकलती है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिन्दी में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष व्यंजन हैं।

2 सघोष – जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वरतंत्री

को कपित करते हुए अवरुद्ध होते हुए मुख विवर से बाहर निकलती है, सघोष व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिन्दी में प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण सघोष व्यंजन हैं।

संयुक्त व्यंजन – ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित होते हैं। हिन्दी में क्ष, त्र, ज्ञ इसके उदाहरण हैं क्योंकि ये क्रमशः क् + ष् , त् + र् , ज् + ञ् के मेल से बने हैं। इसके अतिरिक्त असमान व्यंजन भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे— श् + व + आ + स = श्वास, न + र् + त + न = नर्तन।

द्वित्व व्यंजन – दो समान व्यंजनों का संयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। हिन्दी में सच्चा, पत्ता, इक्का में च्चा, ता, क्का द्वित्व व्यंजन हैं।

अनुनासिक – जो ध्वनियाँ नासिका और मुँह दोनों से उच्चरित होता हो।

सास – साँस

सावर – साँवर

ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन – उपरोक्त ध्वनियों का जब हम लेखन करते हैं तो उसे ही ध्वनियों का प्रतिलेखन कहा जाता है। यह एक जटिल कार्य है। इसके उच्चारण, संवहन और श्रवण से ही ध्वनि का रूप पूर्ण होता है। हम पाते हैं कि स्वनों के बोलने और लिखने में अंतर दिखाई पड़ता है। हिन्दी में स्वनों का प्रतिलेखन निम्न तरह से होता है –

हिन्दी स्वरों का वर्गीकरण

स्थान	दंतोष्ठ्य	तालव्य अग्र	स्वर मध्य	कोमल तालव्य
संवृत	ई उ	इ ई	ई उ	ड उँ
अर्द्ध संवृत	ए ओ	ए ऐ	आं	अं, ओ
अर्द्ध विवृत	ँ ओ	ँ ए		आ
विवृत	आ		आ	आ, आ

हिन्दी व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण विधि	स्थान	द्वयोदय	दंतोदय	दन्त्य	वन्त्य	मूढन्त्य	वत्स्य	तालव्य	कोमल	अल	उपल	स्वर
स्पर्श अल्प प्राण	अघोष	प		त	द्ध	ट		क	क	क		
	सघोष	ब		द	ड	ड		ग	ग	ग		
महाप्राण	अघोष	फ		थ		ठ			ख			
	सघोष	भ		ध		ड			घ			
स्पर्श संघर्षी	अघोष	प फ		त थ	टस		टश					
	सघोष	ब भ		द द	ड		ड					
अल्प प्राण	अघोष	प		त	द्ध	ट		क	क	क		
नासिक्य	अघोष							ख				
संघर्षी	अघोष							घ				
अनुनासिक	अघोष							ङ				
	अल्पप्राण	प	फ	थ	स		श	श	घ	ख	ह	ह
नासिक	सघोष	व	व	द	जर	ज	झ	प	ड	घ	प	ह
	अघोष	म	म		जर			न्य	ड	ड		
	अघोष	न			न							
	अल्पप्राण				न्ह	न्य		त्				
लुप्त	महाप्राण				ल							
	अल्पप्राण				ल्ह					र्		
उल्लिप्त	महाप्राण				र्							
	अल्पप्राण				रह	ड				र्		
सप्रवाह	महाप्राण				ड							
अर्द्धस्वर	अघोष	य	व					य				

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- 1 भाषाविज्ञान – भोलानाथ तिवारी
- 2 भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र – कपिलनाथ कश्यप
- 3 भाषाविज्ञान – श्यामसुन्दर दास
- 4 मानक हिन्दी का व्यवहारपरक व्याकरण – रमेशचन्द्र महरोत्रा
- 5 आर्य-द्रविड़ भाषाओं का अंतःसंबंध – भगवान सिंह
- 6 तुलनात्मक भाषाविज्ञान – डॉ. पांडुरंग दामोदर गुणे
- 7 सैद्धांतिक भाषाविज्ञान – जोन लियोस
- 8 हिन्दी भाषा – डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया

“प्रत्येक कार्य मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु जो सम्भव है, उस कार्य को करूँगा, पीछे कदापि नहीं हटूँगा।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

9.

स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन

– डॉ० दिनेश श्रीवास*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण

भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि को कहा जाता है, इसे स्वन भी कहा जाता है। स्वन के अभाव में भाषा की कल्पना संभव नहीं है। हर भाषा में स्वनों का विशेष महत्व होता है। चूँकि किसी भाषा का प्रारंभ इन्हीं स्वनों से होता है इसलिए स्वनों का प्रभाव भाषा को प्रभावित करता है। स्वनों का

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी, पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस-सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल. (हिन्दी), पी-एच.डी. – “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण” शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध-पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1. कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र की प्रस्तुति, 3. सह-संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता-पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए जीवन-अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा. इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए-71, रामाग्रिन सिटी, बिलासपुर (छ.ग.), मोबा. नं:- 7770899636, 7974698680, Email ID: dineshsriwash77@gmail.com

अध्ययन स्वनविज्ञान में किया जाता है। स्वन अथवा ध्वनि के लिए ग्रीक भाषा में 'phone' शब्द का प्रयोग होता रहा है। अंग्रेजी में भी 'phone' शब्द का प्रयोग होता है।

स्वनगुण

स्वनों अथवा ध्वनियों को स्वर ध्वनियों तथा व्यंजन ध्वनियों में विभाजित किया जाता है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों (स्वनों) में स्पष्ट अंतर होते हैं। इनकी पहचान करना सरल भी है। लेकिन इन स्वर स्वरों (ध्वनियों) तथा व्यंजन स्वरों (ध्वनियों) के साथ कुछ अन्य तत्व भी प्रयुक्त होते हैं, जिनका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है। ये स्वर स्वरों तथा व्यंजन स्वरों पर आरोपित, गुथित अथवा संलग्न होते हैं। जैसे – खण्डेत्तर ध्वनि, खण्डेत्तर ध्वनियाँ (बलाघात, मात्रा आदि) भी इनके साथ प्रयुक्त होती हैं। अतः स्वनों के साथ खण्डेत्तर स्वरों तथा ध्वनि लक्षणों के एक साथ प्रयोग को स्वनगुण के अंतर्गत रखा जाता है। स्पष्ट है स्वनों (ध्वनियों) के साथ खण्डेत्तर ध्वनियों तथा ध्वनिलक्षणों का प्रयोग स्वनगुण में होता है। स्वर और व्यंजन ध्वनियों में इनके प्रयोग से उच्चारण में विविधता आ जाती है। शब्दों की एक अथवा एकाधिक ध्वनियों के ध्वनिगुण (स्वनगुण) परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है।

स्वनगुणों को मुख्यतः चार सन्दर्भों में विभाजित किया जा सकता है— मात्रा, सूर, बलाघात और विराम।

मात्रा— ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय। इसी को मात्रा ध्वनि कहते हैं। कम समय में उच्चारित ध्वनि की एक मात्रा को ह्रस्व कहते हैं। इसे इस प्रकार चिन्हों में व्यक्त करते हैं—

ह्रस्व — उ, इ,

दीर्घ — आ (१), ई (१), ऊ

प्लूत —ओ३म (ओउम)। जैसे— रामू s s s.....(जहाँ s विलंबित होने का सूचक है।)

ह्रस्व ध्वनि के उच्चारण में एक चुटकी बजाने का समय लगता है। लेकिन दीर्घ में इससे दो या तीन या कई गुना समय लग जाता है— जैसे— 'राम' और 'रामा'। 'रामा' उच्चारण में राम के म की अपेक्षा रामा के मा (अर्थात् आ) के उच्चारण में कई गुना समय लगता है।

सूर – व्यक्ति के बोलने के भाव के अनुसार उतार चढ़ाव हो सकता है। स्वरतंत्रियों (मुखयंत्र) के कंपन में अंतर जब शब्द स्तर पर किया जाता है तो उसे सूर या सूरघात कहते हैं। जैसे चीनी भाषा में 'मा' शब्द के अलग-अलग उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण से अलग-अलग (माँ, घोड़ा) आदि अर्थ हो सकते हैं।

सूरघात को लघु, मध्य तथा दीर्घ उच्चारण के रूप में विभाजित किया जाता है। सूरघात को उच्च, मध्य व निम्न में बाँटा जाता है—

सूरघात →	उच्च (आरोही)	मध्य	निम्न (अवरोही)
संकेत →	↑	→	↓
उदाहरण →	वह आ रहा है! (आश्चर्य)	वह आ रहा है। (सामान्य)	वह आ रहा है ? (प्रश्न)

बलाघात— शब्द में निहित विभिन्न ध्वनियों (स्वनों) में से किसी विशेष ध्वनि (स्वनों) पर पड़ने वाला बल या शक्ति बलाघात कहलाता है। इसमें उच्चारण के समय किसी विशेष ध्वनि पर बल या शक्ति ज्यादा लगाई जाती है। शब्द के मामले में केवल एक अक्षर पर वाक्य के मामले में एक शब्द पर बल लगाया जाता है। दीर्घाक्षर या दीर्घमात्रा में निश्चित ही बल दीर्घमात्रा में लगेगा। जैसे— 'मल्हार' शब्द में 'हा' के ऊपर अधिक बल लगेगा। इसमें चार स्थितियाँ हो सकती हैं—

1) जब शब्द की एक ध्वनि पर बल लगे तो उसे ध्वनि बलाघात कहेंगे। शिखर ध्वनि या दीर्घ ध्वनि पर बल लगेगा – जैसे— 'जान' में (ज+आ) पर।

2) कई अक्षरों से बने शब्दों में एक अक्षर पर बल लगता है उसे अक्षर बलाघात कहते हैं जैसे—'सम्मान' शब्द में 'मा' अक्षर में बल लगेगा।

3) शब्द बलाघात उसे कहेंगे जिसमें वाक्य के किसी पद विशेष पर बल हो जैसे— मैंने तुम्हारे लिए किताब खरीदी है। इसमें मैंने पर बल है।

4) वाक्य बलाघात में किसी वाक्य विशेष पर बल दिया जाता है, जबकि यहाँ कई वाक्य हैं। जैसे—

(अ) राम ने काम किया। (आ) श्याम ने काम किया। (इ) मोहन ने काम नहीं किया।

इन उदाहरणों में तीसरे वाक्य में बलाघात लगा है।

विराम— बोलते समय किसी ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य के बाद या बोलते समय रूक जाना, तेजी से बोलना या मध्यम बोलना विराम कहलाता है। लेकिन 'विराम' शब्द का तात्पर्य सामान्यतः रूकना होता है इसलिए इसे वक्ति भी कहते हैं जैसे—

1) जल्दी कार्य के समय भाषा के साथ ध्वनियों का उच्चारण तेजी से किया जाता है। पूजा के समय, कहीं जाते समय, समाचार में द्रुत वक्ति होती है।

2) सामान्य गति से उच्चारण में मध्यम वक्ति होती है।

3) अपेक्षाकृत धीमी गति से बोलना ताकि स्पष्टता हो तो विलम्बित वक्ति होती है। अपनी बात को भली-भाँति समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। भाषण, व्याख्यान या किसी को सम्बोधित करते समय।

इन उपरोक्त स्वन गुणों से विभिन्न प्रकार के भावों को पूर्णतः अभिव्यक्ति मिल जाती है। सामान्य स्थिति में यह संभव नहीं है।

स्वनिक परिवर्तन

भाषा परिवर्तनशील होती है। इसलिए भाषा के अनेक पक्षों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया से स्वन भी प्रभावित होते हैं। कभी स्वन पूर्णतः परिवर्तित होते हैं। कभी उनमें आंशिक परिवर्तन होता है। इसे स्वनिक परिवर्तन कहते हैं। स्वनिक परिवर्तन से स्वनों में विकार भी उत्पन्न होता है लेकिन भाषा विज्ञान की भाषा में इसे स्वनिक विकास कहते हैं। अर्थात् स्वनिक परिवर्तन केवल परिवर्तन या विकार ही नहीं अपितु स्वनिक विकास भी है।

स्वनिक परिवर्तन से ही भाषा में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है। स्वनिक परिवर्तन में स्वनिमों की संख्या तथा स्वनिमों का वितरण भी बदल जाता है। स्वनिक परिवर्तनों को स्वनिक परिवर्तन के प्रकार, स्वनिक परिवर्तन की दिशा और स्वनिक परिवर्तन के कारकों के विवेचन से ही समझा जा सकता है—

स्वनिक परिवर्तन के प्रकार— स्वनिक परिवर्तन के मुख्यतः दो प्रकार हैं—

(1) स्वयंभू परिवर्तन (2) स्थितिक परिवर्तन

स्वयंभू परिवर्तन स्वतः होने वाले परिवर्तन है जो बहुत धीमी गति से संचालित होते रहते हैं। इस परिवर्तन के कारण अज्ञात और अपरिचित भी हो सकते हैं। यह परिवर्तन न्यूनतम ही होता है। इसलिए इसे महत्वहीन कहा जाता है।

स्थितिक परिवर्तन स्थितिजन्य परिवर्तन है। अधिकतर परिवर्तन इसी कोटि में आते हैं। इसमें परिस्थितियों तथा दशाओं का योग होता है।

स्वनिक परिवर्तन का स्वरूप (दिशाएँ)— स्वनिक परिवर्तन के स्वरूप अथवा दिशाओं को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँटते हैं—

1) समीकरण या सादृश्य— एक स्वन दूसरे स्वन के प्रभाव में आकर तीसरा रूप धारण करता है। तीसरा स्वन या अक्षर स्वजातीय ही होता है। अर्थात्— 'धर्म' का 'धम्म' तथा 'सर्प' का 'सप्प' बनने में जिस स्वन से प्रभावित है वैसे ही बन गया है। धर्म में र या रेफ 'म' से प्रभावित होकर म बन गया है।

यह दो प्रकार से होता है। जब पूर्ववर्ती (पहले आने वाला) स्वर या व्यंजन परवर्ती (बाद में आने वाले) स्वर या व्यंजन को अपने अनुसार बदल लें, जैसे— जुल्म—जुलुम, हुक्म—हुकुम तो इसे पूरोगामी समीकरण कहते हैं।

इसके विपरीत अर्थात् बाद में आने वाला स्वर या व्यंजन स्वन अपने अनुरूप पहले आने वाले स्वन को कर ले, जैसे— शर्करा—शक्कर। श्वसुर—ससुर। इन दोनों में बाद में आने वाले 'क' और 'स' ने अपने अनुसार 'र' (रेफ) और श्व को बदल लिया है।

2) विषमीकरण या असादृश्य— एक ही प्रकार के स्वनों का उच्चारण अपेक्षाकृत कठिन होने के कारण असादृश्य (अलग—अलग ध्वनियाँ) बनना। जैसे— नुपुर — नेउर, मुकुट — मउर, लांगल — नांगल।

'नुपुर' में दो उ (ु) का उच्चारण कठिन होने के कारण 'नेउर' उच्चारण ज्यादा सरल है। इसे विषमीकरण या असादृश्य (अलग—अलग बनना) कहते हैं।

3) लोप— कभी—कभी स्वनों (ध्वनियों) का लोप होता है। यह बोलने की सुविधा, शीघ्रता या स्वराघात के कारण होती है। यह तीन प्रकार से हो सकता है। स्वर लोप, व्यंजन लोप तथा अक्षर लोप।

1) स्वर लोप— स्वर का लोप; जैसे— अनाज — नाज,
अहाता — हाता अफसाना — फसाना।

2) व्यंजन लोप— व्यंजन का लोप; जैसे— श्मशान — मशान,

उपवास – उपास, डाकिन – डाइन, आम्र – आम, ऊष्ट – ऊँट ।

3) अक्षर लोप– स्वर व व्यंजन के मेल से बने अक्षर का लोप होता है;
भाण्डागार – भंडार, दस्तखत – दस्खत, निम्बुक – नीबू ।

4) आगम– लोप का विपरित है । इसमें नये स्वन का आगमन होता है । यह तीन प्रकार से होता है–

आदि स्वरागम या आदि व्यंजनागम या आदि अक्षरागम में शब्द के आरंभ में ही नये स्वर/व्यंजन/अक्षर का आगमन होता है ।

जैसे– स्कूल – इस्कूल, स्नान – अस्नान, स्वबल – अस्वबल ।

इसी में मध्य में नये स्वर/व्यंजन/अक्षर आने पर मध्य आगम होता है । जैसे– स्वप्न – सपना, उल्लास – हुलास ।

अंत में इस प्रकार होने पर अंत आगम होता है ।

जैसे– दवा – दवाई, आँख – आँखड़ी, जीभ – जभड़िया ।

5) विपर्यय– जब किसी शब्द के स्वर–व्यंजन या व्यंजन–स्वर अथवा विभिन्न अक्षर एक– दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं ।

जैसे– कोलतार – तारकोल, चावल–दाल – दावल–चाल, कुछ – कछु, चाकू – काचू ।

मात्रा भेद– छोटी मात्रा, बड़ी व बड़ी मात्रा छोटी हो जाती है ।

जैसे– शून्य – सुन्न, आषाढ़ – अषाढ़, पुत्र – पूत, जिव्हा–जीभ

निष्कर्षतः स्वनिक परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया है जो सदैव होते रहता है । यह परिवर्तन प्रयत्न लाघव और मुख–सुख की प्रवृत्ति, अनुकरण की अपूर्णता के कारण होता है । स्थूल रूप से इस परिवर्तन को बाह्य और आंतरिक कारणों के आधार पर समझाया जा सकता है । इस परिवर्तन को विस्तार रूप से समझने के लिए भौगोलिक वातावरण, सामाजिक–राजनैतिक प्रभाव या स्थिति, अनुकरण प्रक्रिया तथा भाषा–विभाषा का अध्ययन सूक्ष्म रूप से करना होता है ।



“राज्य में मेरी भी कुछ भूमिकाएँ हैं, इसलिए मैं बहुत महत्त्वपूर्ण हूँ
और मेरा जिंदा रहना भी आवश्यक है ।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

10.

स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा

– आशीष कुमार राठौर*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिक परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण

मनुष्य में विविध ध्वनियों के उच्चारण की क्षमता होती है। इसका ज्ञान वार्तालाप के समय होता है और विविध गानों के आरोह-अवरोह के संदर्भ में ध्वनि की विविधता का सुस्पष्ट ज्ञान होता है। भाषा विज्ञान में मानव द्वारा प्रयुक्त उन ध्वनियों का ही वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है।

स्वनिम विज्ञान, भाषा विज्ञान का एक प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग्रेजी के फोनिक शब्द (phonology) से मिलकर बना है। स्वनिम विज्ञान, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी मानव भाषा में ध्वनि के सम्यक उपयोग द्वारा अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करती है। किसी भाषा की सार्थक ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन ही स्वनिम विज्ञान कहलाता है। स्वनिम विज्ञान अपनी मूल इकाई के रूप में फोनिम की संकल्पना करता है।

*जन्म तिथि : 13 नवम्बर 1996, माता : श्रीमती ममता बाई, पिता : श्री बलराम सिंह राठौर, शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी-78.6%), कार्यक्षेत्र : अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, सम्प्रति : अतिथि शिक्षक (हिन्दी), वन्दे मातरम् हायर सेकेण्डरी स्कूल खरसिया, अन्य : 02 राष्ट्रीय शोध-संगोष्ठियों में सहभागिता, मो0 नं0 : 6263318194, मेल - aashishrathore741@gmail.com

किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। स्वनिम शब्द ध्वनिग्राम की अपेक्षा कहीं अधिक नया है किन्तु आजकल इसका प्रयोग काफी चल रहा है। भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में फोनिम शब्द का हिन्दी रूपान्तरण स्वनिम कर दिया गया है।

स्वन विज्ञान या ध्वनिग्राम वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा के विशेष नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है— ध्वनि या आवाज करना। यह भाषा की लघुत्तम अखण्ड इकाई है।

किसी भी भाषा व्यवस्था की क्रमिक इकाइयाँ इस प्रकार होती हैं— स्वनिम < रूपिम < शब्द (पद) < पदबंध < उपवाक्य < वाक्य < प्रोक्ति। ये इकाइयाँ परस्पर सह संबंधित होकर 'अर्थ' के सम्प्रेषण का कार्य करती हैं। इसमें से सबसे लघुत्तम इकाई 'स्वनिम' का अध्ययन भाषा विज्ञान की जिस शाखा से संबंधित है, वह स्वनिम विज्ञान है। किसी भाषा विशेष में पाए जाने वाले स्वनिमों और उनकी व्यवस्था का विशेष अध्ययन स्वनिम विज्ञान है।

स्वनिम की परिभाषा

विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने स्वनिम की परिभाषाएँ विभिन्न प्रकार से दी हैं—

1. डॉ० तिलकसिंह— भाषा विशेष के उच्चारित पक्ष के विषम स्वनिम अर्थ भेदक तत्व की इकाई स्वनिम है।
2. डेनियर जोन्स— स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है।
3. ग्लीसन— स्वनिम किसी भाषा अथवा बोली में समान ध्वनियों का समूह है।
4. भोलानाथ तिवारी— संक्षेप में स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थ भेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक यथार्थ होती है तथा जिसमें एकाध उपसर्ग होते हैं जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते जुलते हैं। अर्थभेदक में असमर्थ तथा आपस में (पूर्ण) मुक्त वितरक होते हैं।
5. भोलानाथ तिवारी— स्वनिम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी

भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों (ध्वनिग्रामों) तथा उनसे संबद्ध पूरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत स्वनिम (ध्वनिग्राम) तथा उपस्वन (संध्वनि) का निर्धारण, उपस्वन का वितरण, स्वर और व्यंजन स्वनिमों का उस भाषा में प्रयुक्त संयोग एवं अनुक्रम प्राप्त खंड्येत्तर स्वनिमों (अनुतान, बलाघात, दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता) की व्यवस्था के रूप में मिलने पर घटित होने वाले स्वनिमिक परिवर्तन आदि स्वनिमिक व्यवस्था से संबद्ध सारी बातें आती हैं। (भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिंदी भाषा, पृ0 92)

स्वनिम का स्वरूप और स्वनिम की अवधारणा

स्वनिम किसी भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई है। इसकी सत्ता अमूर्त होती है और यह मानव मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क में स्वनिम केवल संकल्पनात्मक रूप में रहता है और उसी के आधार पर मनुष्य उसका उपयोग बार-बार भाषा उत्पादन (अभिव्यक्ति) और बोधन में करता है। इसी कारण एक ही स्वनिम का हजारों-लाखों बार व्यवहार संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए हमारे मस्तिष्क में 'क', 'म्', 'ल्' और 'अ' स्वनिम हैं। इनके आधार पर हम निम्नलिखित शब्द निर्मित कर सकते हैं-

कमल, कलम, कल, कम, मल आदि।

इनमें 'क' का प्रयोग 4 बार हुआ है जो स्वन या ध्वनियाँ हैं। इन्हें क¹, क², क³ और क⁴ से व्यक्त किया जा सकता है। किन्तु इनके मूल में एक ही इकाई /क/ है जो इनका स्वनिम है। यही बात 'म्', 'ल्' और 'अ' के बारे में भी लागू होती है। स्वनिमों को दो स्लैश के बीच ('//') में प्रदर्शित किया जाता है।

स्वनिम, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न-भिन्न विषयों से संबंधित माना है। ब्लूम फील्ड इसे भौतिक इकाई मानते हैं। एडबर्ड सापीर इसे मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं। स्वन या ध्वनि परिवर्तन से सदा अर्थ परिवर्तन नहीं होता है जबकि स्वनिम परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन निश्चित है। स्वनिम उच्चारित भाषा की एक ऐसी लघुत्तम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। यदि ध्वनि का संबंध उच्चारण से होता है तो श्रवण से भी इसका अटूट संबंध होता है। यदि ध्वनि सुनी जाएगी तो उसका अस्तित्व भी संदिग्ध होगा।

ध्वनि के उच्चारण तथा श्रवण संबंधों के ही कारण स्वनिम को शरीर

विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से संबंधित कहा गया है, क्योंकि उच्चारण और श्रवण प्रक्रिया पूर्णतः भौतिक विज्ञान है।

किसी भी भाषा की मूलभूत ध्वनियाँ लगभग 15 से 50 तक होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के निर्धारण पर स्वनिमों का निर्धारण होता है। स्वनिम के माध्यम से ही ध्वनियों के मध्य अंतर प्रदर्शित होता है। ज, न, प भिन्न-भिन्न स्वनिम हैं इसलिए इनमें भिन्नता है। जान तथा पान का अंतर स्वनिम भिन्नता के आधार पर होता है। जहाँ 'ज' तथा 'प' दो भिन्न सार्थक ध्वनियाँ हैं। इन्हीं भिन्न सार्थक ध्वनियों के आधार पर जान तथा पान के अर्थ भी भिन्न हैं, इन्हीं सार्थक ध्वनियों को विज्ञान में स्वनिम कहते हैं। इन दो शब्दों की 'न' ध्वनि में सूक्ष्म अंतर है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि एक ध्वनि को दो बार उच्चारण करेगा तो उसमें सूक्ष्म अंतर आना स्वाभाविक है, जैसे— पान, जान, पानी, मनु, मीनू, मानों आदि शब्दों की विभिन्न 'न' ध्वनियों में सामान्य रूप से कोई अंतर नहीं लगता किन्तु सूक्ष्म चिंतन पर इन ध्वनियों में सूक्ष्म भिन्नता का ज्ञान होता है। स्वनिम रूप से यदि इसमें भिन्नता है तो उच्चारण के स्थान पर प्रयत्न तथा कारण आदि आधारों पर इनमें पर्याप्त समानता ही स्वनिम की अवधारणा का आधार है।

स्वनिम लेखांकन के लिए इस प्रकार आधार अपनाते हैं—

कमल को — क/म/ल

स्वनिम, भाषा की अर्थभेदक इकाई है। यह समान ध्वनियों का समूह है। इसका संबंध भाषा के उच्चारित पक्ष से है। इसमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। यह लघुत्तम इकाई है जो ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

'ल' स्वनिम को इस प्रकार दिखा सकते हैं—

आदि	मध्य	अन्त
ल	— ल	— ल
लखन	कलम	कमल

स्वनिम, ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एक ध्वनि का एक से अधिक या अनेक तरह का उच्चारण किया जाए तो उसके लिए एक ही स्वनिम होगा। स्वनिम, उच्चारित भाषा से संबंधित है। लिखित भाषा से इसका संबंध नहीं होता, लिखित भाषा में इसी प्रकार की इकाई लेखिम होती है। हिन्दी में 'क' एक स्वनिम है जिसके लिए अंग्रेजी में कई लेखिमों

का प्रयोग होता है।

जैसे— c > कैमल (camal), k > काइट (kite), Ch > केमेस्ट्री (Chemistry), que > चैक (cheque), ck > बैक (back) आदि।

प्रत्येक भाषाओं के स्वनिमों की संख्या अलग-अलग होती है। यदि कोई ध्वनि एक बार निश्चित हो जाए कि स्वनिम है तो वह सदा प्रत्येक स्थिति में स्वनिम होगी। लिपि निर्माण में स्वनिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदर्श लिपि का निर्माण स्वनिम से ही होता है। स्वनिम के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय लिपि (I . N. P. A.) का रूप सामने आया है।

संदर्भ ग्रंथ—

1. भोलानाथ तिवारी (भाषा विज्ञान)
2. देवेन्द्र नाथ शर्मा (भाषा विज्ञान)
3. net (e-pg पाठशाला)



“नारियाँ विभिन्न रूपों में अनेक नारिगत कष्ट सहती हैं, इसलिए उन्हें और नए कष्ट देने के बारे में सोचो ही मत।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

11.

स्वनिम के भेद एवं स्वनिमिक विश्लेषण

– डॉ० दिनेश श्रीवास*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान)

इकाई – 02 (स्वन प्रक्रिया)

स्वन विज्ञान का स्वरूप और शाखाएँ, वागवयव और उनके कार्य, स्वन की अवधारणा और स्वनों का वर्गीकरण, स्वनगुण, स्वनिम परिवर्तन, स्वनिम विज्ञान का स्वरूप, स्वनिम की अवधारणा, स्वनिम के भेद, स्वनिमिक विश्लेषण

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था– खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना– उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना– लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी वाक्य–रचना, पदक्रम और अन्विति।

(समस्त पाठ्य–वस्तु प्रथम सेमेस्टर की इकाई – 02 स्वन प्रक्रिया के अन्तर्गत अंतिम दो चैप्टर– स्वनिम के भेद और स्वनिमिक विश्लेषण की है जबकि प्रथम खण्ड की पाठ्य–वस्तु द्वितीय सेमेस्टर की इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप के अन्तर्गत 'हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था – खण्ड्य, खण्ड्येत्तर' की है।)

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी, पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस–सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल. (हिन्दी), पी–एच.डी. – “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण” शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध–पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1. कई राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमीनारों में शोध पत्र की प्रस्तुति, 3. सह–संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमीनार

का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता-पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए जीवन-अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा. इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए-71, रामाग्रिन सिटी, बिलासपुर (छ.ग.), मोबा. नं:- 7770899636, 7974698680, Email ID: dineshsriwash77@gmail.com

किसी भाषा में कई ध्वनियाँ हो सकती है। जैसे- हिन्दी भाषा में अ, इ, आ, क, ग आदि ध्वनियाँ है। किसी भाषा में जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें आने वाली ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के अंतर आ जाते हैं। इन अंतरों के कई कारण हो सकते हैं। एक ही शब्द का उच्चारण विभिन्न परिस्थितियों में होने पर अंतर आ सकता है। वक्ता की अपनी स्थितियों के कारण भी उच्चारण में परिवर्तन आ सकता है। वक्ता अलग मातृभाषा का हो तो भी यह संभव है। कभी-कभी ध्वनियों के उच्चारण में अंतर तब दिखाई देता है जब किसी शब्द में अन्य ध्वनियाँ तो समान रहें पर किसी एक विशेष ध्वनि के स्थान पर कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है, जैसे- ‘कमाल’ तथा ‘धमाल’ शब्दों में ध्वनि ‘क’ के स्थान ‘ध’ आने पर उच्चारण बदल जा रहा है। इसी प्रकार ‘कल’ और ‘काल’ शब्द में ‘अ’ तथा ‘आ’ का अंतर होने पर उच्चारण परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार डर, डमरू और डलिया को देखिए। इसमें ‘ड’ ध्वनि का अलग उच्चारण है तथा “लकड़ी” शब्द में ‘ड’ का अलग उच्चारण है। हम अपने मन में ‘ड’ के एक ही उच्चारण की कल्पना करते हैं जबकि भौतिक रूप से ‘ड’ के ये दो उच्चारण पाए जाते हैं। इस प्रकार जब किसी ध्वनि की भाषा में एक से अधिक उच्चारण या रूप मिलने लगते हैं तो उस ध्वनि को स्वनिम कहते हैं। इसे ध्वनिग्राम भी कहा जाता है और इस स्वनिम के भिन्न-भिन्न उच्चारण व रूप मिलते हैं उसे उपस्वन या संध्वनियाँ कहते हैं। उपर वर्णित ध्वनि ‘ड’ को स्वनिम तथा उसके दोनों उच्चारण ‘ड’ और ‘ड़’ को उपस्वन कहते हैं। उपस्वन को संस्वन भी कहते हैं।


हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था (स्वनिम के भेद)– खण्ड्य, खण्ड्येत्तर

(प्रथम सेमेस्टर इकाई – 02 एवं द्वितीय सेमेस्टर इकाई – 03

दोनों ही पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी)

स्वनिम ध्वनियाँ समान वातावरण में परस्पर व्यतिरेक या विरोध में आकर शब्द का अर्थ बदल देती हैं। इस प्रकार जो ध्वनियाँ समान वातावरण में परस्पर व्यतिरेक या विरोध में आकर शब्द का अर्थ बदल दें उसे स्वनिम कहते हैं। जैसे—काली → लाली में 'क' के स्थान में 'ल' आ गया है बाकी सब कुछ वैसा ही है लेकिन शब्द का अर्थ बदल गया है। इसलिए 'क' और 'ल' एक दूसरे के व्यतिरेकी या विरोधी कहे जाते हैं क्योंकि 'काली' (क+आली) → काली तथा 'लाली' (ल+आली) → लाली में आली के पहले 'क' और 'ल' दोनों आ सकते हैं। इस प्रकार 'क' और 'ल' स्वनिम हैं। यहाँ 'क' और 'ल' हिन्दी भाषा की लघुत्तम-अर्थभेदक ईकाई हैं। अतः स्वनिम किसी भाषा की लघुत्तम-अर्थभेदक ईकाई होती है।

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था खण्ड्य तथा खण्ड्येत्तर पर आधारित है। हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था को निम्नलिखित आरेख से भी समझ सकते हैं—



खण्ड्य स्वनिम—ऐसे स्वनिम जिनकी पृथक पहचान होती है, जिन्हें अलग-अलग खण्डित किया जा सके। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। इन्हें नासिक्य / निरनुनासिक, प्राणत्व, घोषत्व के आधार पर भी अलग किया जा सकता है। इसे दो भागों स्वर स्वनिम तथा व्यंजन स्वनिम में विभाजित किया जाता है।

स्वर स्वनिम— हिन्दी में दस स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ स्वनिम हैं, क्योंकि इनके न्यूनतम युग्म मिलते हैं तथा ये आपस में व्यतिरेकी और अर्थभेदक भी हैं। कुछ हिन्दी विद्वान 'ऋ' को भी हिन्दी स्वर में शामिल किये हैं, किन्तु उच्चारण और स्वनिम की दृष्टि से देखा जाए तो आज यह स्वर के रूप में उच्चरित होने के बजाए 'रि' के रूप में उच्चरित होता है। संस्कृत में इसका उच्चारण स्वर की तरह होता था किन्तु हिन्दी में व्यंजन की तरह प्रयुक्त होता है।

व्यंजन स्वनिम— व्यंजन वे भाषिक ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में विकार उत्पन्न होता है। अर्थात् इनके उच्चारण में मुख विवर में वायु प्रवाह को कहीं न कहीं से बाधित किया जाता है जबकि स्वर के उच्चारण में मुख विवर में कोई वायु प्रवाह की बाधा नहीं होती है। हिन्दी में 35 व्यंजन स्वनिम हैं—

- कट्य — क, ख, ग, घ, ङ
- तालव्य — च, छ, ज, झ, ञ
- मूर्धन्य — ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ष
- दन्तय — त, थ, द, ध, न
- वर्त्य — स, ज, र, ल
- ओष्ठय — प, फ, ब, भ, म
- दन्त्योष्ठय — व, फ़
- स्वर तंत्रीय — ह

हिन्दी के अधिकांश व्यंजनो में न्यूनतम युग्म मिल जाते हैं। कुछ न्यूनतम युग्म के उदाहरण इस प्रकार हैं—

- कड़ा—खड़ा—गड़ा—धड़ा
- धमाल—कमाल—हमाल
- लगभग—जगमग
- पली—फली—बली—भली
- तान—थान—दान—धान
- भान—जान—खान—पान

हिन्दी वर्णमाला में पाए जाने वाले 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ' आदि संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, जो दो स्वनिमों के मिलने से बने हैं। जैसे- क्ष = क्+श, त्र = त्+र, ज्ञ = ज्+ञ लिखित रूप अलग होने के कारण इन्हें वर्णमाला में रखा जाता है लेकिन स्वनिमों में नहीं रखा जा सकता है।

कुछ आगत ध्वनियाँ जो अरबी-फारसी या देशज भाषाओं से आए हैं जैसे- ज़, फ़ जिसमें नीचे नुक्ता लगता है। इनके कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है।

जैसे- राज → राज्य करने की व्यवस्था या शासन।

राज़ → (इसमें नुक्ता लगा है) - रहस्य।

यहाँ ज और ज़ को पृथक स्वनिम माना जा सकता है परंतु वर्तमान में हिन्दी में नुक्ता लगे व्यंजनों को हिन्दी के अनुरूप उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे पृथक स्वनिम मानने में कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार अंग्रेजी से आये ऐसे शब्द जिनका हिन्दीकरण किया गया है-

काफी - कॉफी → काफी (पर्याप्त) → कॉफी- (पेय)

बाल (केश) → बॉल (गेंद), हाल (हाल-चाल) तथा हॉल- (बड़ा कमरा) आदि शब्द पृथक उच्चारण तथा अर्थभेदक या भिन्न अर्थ रखने के कारण इनके व्यंजन स्वनिम अलग-अलग हैं- काफी में 'का' तथा कॉफी में काँ अलग-अलग स्वनिम हैं।

खंड्येत्तर स्वनिम - स्वनिमों का भाषा व्यवहार में प्रयोग करते समय उनके साथ कुछ ऐसे भाषिक तत्व भी आ जाते हैं जो स्वयं ध्वनि नहीं होते हैं, किंतु शब्द या वाक्य पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे भाषिक अभिलक्षणों को खंड्येत्तर स्वनिम कहते हैं। इन्हें अधिखंडात्मक स्वनिम भी कहा जाता है। इनका पृथक रूप से उच्चारण नहीं हो सकता है। ये खंडिय स्वरों तथा व्यंजनों के साथ ही प्रयुक्त या संलग्न होते हैं अर्थात् ये खंडिय स्वनिमों के साथ संलग्न होते हैं। बलाघात, अनुतान, दीर्घता, अनुनासिकता और संहिता(संगम) खंड्येत्तर स्वनिम हैं।

बलाघात- भाषा में किसी अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात है। उच्चारण में बल के इसी आघात को बलाघात कहते हैं। अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में एक ही शब्द में बल-परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी संज्ञा को क्रिया बनाने के लिए अंतिम अक्षर

पर बल दिया जाता है और क्रिया को संज्ञा बनाने के लिए प्रथम अक्षर पर बल दिया जाता है जैसे—

Present संज्ञा में PRE पर पूरा बल दिया गया PREsent

Present क्रिया में SENT पर बल दिया गया है PreSENT

इसी प्रकार किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष पर बल देना भी अलग अर्थ दे सकता है। जैसे—

1) बच्चों खाना खाओ।

2) बच्चों, खाना खाओ।

इन वाक्यों में पहले वाक्य में खाना पर ज्यादा बल नहीं है अर्थात् बच्चों को कुछ भी खादय खाना है जबकि दूसरे वाक्य में बच्चों को खाना ही खाना है।

सुर और अनुतान— स्वरतंत्रियों (मुखयंत्र) के कंपन में अंतर जब शब्द स्तर पर किया जाता है तो उसे 'सुर' तथा अंतर जब वाक्य स्तर पर किया जाता तो इसे 'अनुतान' कहते हैं। इसमें भी अर्थ बदल जाता है। जैसे चीनी भाषा में "मा" शब्द को अलग-अलग सुरों में बोलने से उसके क्रमशः माँ, घोड़ा, दोष निकलना तथा पटुआ चार भिन्न अर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार वाक्य में अलग-अलग जगह पर प्रभाव के आधार पर भिन्न अर्थ होते हैं—

वह आ रहा है (सामान्य) / वह आ रहा है ? (प्रश्न) / वह आ रहा है! (आश्चर्य)

दीर्घता— इसे मात्रा भी कहते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण कुछ दीर्घ समय तक किया जाये। हिन्दी में तीन लघु स्वर हैं अ, उ, इ, जब इन्हें दीर्घ समय तक उच्चारण किया जाये तो दीर्घ हो जाते हैं—

पल (लघु) – पाल (दीर्घ), चल (लघु) – चाल (दीर्घ), दिन (लघु)–दीन (दीर्घ)।

अनुनासिकता— उच्चारण करते समय (अ से औ तक के स्वरों का) मुँह के साथ नाक से भी वायु निकालें तो ये सभी स्वर नासिक्य हो जाते हैं। ऐसे स्वरों को अनुनासिक कहा जाता है।

सास—साँस, गोद—गोंद।

अनुनासिकता को लिखित भाषा में बिन्दु तथा चन्द्रबिन्दु दोनों से

लिखा जाता है।

पूछ – पूँछ, सवार – सँवार, भाग – भाँग

संहिता या संगम— शब्दों का उच्चारण करते समय एक ही शब्द के बीच में आने वाली किन्हीं दो ध्वनियों के बीच यदि थोड़ी देर रुक कर उच्चारण किया जाए तो भी अनेक भाषाओं में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दी का 'सिरका' शब्द को लेते हैं—

(1) अचार के लिए सिरका ले जाना। (सिरका)

(2) मेरे सिर—का दर्द अब बंद है। (सिर+का)

शब्द के बीच में किन्हीं दो ध्वनियों के बीच होने वाले इस क्षणिक विराम को ही संगम या संहिता कहा जाता है। संगम को (+) चिन्ह से दिखाया जाता है—

(1) सर्दी में एक कंबल से काम नहीं चलेगा। (कम+बल)

(2) उसमें बहुत कम बल है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिन्दी में स्वनिम व्यवस्था को मुख्यतः दो वर्गों खंड्य व खंड्येतर में विभाजित किया जाता है। विदेशी, देशज और आगत ध्वनियों ने भी हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था को प्रभावित किया है जबकि संस्कृत के कुछ अक्षरों को स्वनिम व्यवस्था में स्थान नहीं मिल पाया है। अंग्रेजी शब्दों के आने से भी हिन्दी स्वनिम प्रभावित हुई है।

(उपरोक्त पाठ्य—वस्तु द्वितीय सेमेस्टर की इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप के अन्तर्गत 'हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था – खंड्य, खंड्येतर' की है।)

स्वनिमिक विश्लेषण

(प्रथम सेमेस्टर इकाई – 02 के लिए उपयोगी)

स्वनिम विज्ञान में स्वनिमों का विश्लेषण किया जाता है, जिसे स्वनिमिक विश्लेषण अथवा स्वन प्रक्रियात्मक विश्लेषण कहते हैं। स्वनिमिक विश्लेषण में स्वनिमों का निर्धारण एवं स्वनिमों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें वर्गीकृत सूची भी तैयार की जाती है। इस क्रम में संबंधित भाषा

में पाए जाने वाले समस्त स्वनिमों का संग्रहण और संचयन किया जाता है। स्वनिमों के वर्गीकरण का आधार भी निश्चित किया जाता है। परम्परागत रूप से स्वनिमों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया जाता है।

आधुनिक भाषा विज्ञान में स्वनिमों के वर्गीकरण का मुख्य आधार व्यावर्तक अभिलक्षण है। इसके लिए समस्त स्वर और व्यंजन स्वनिमों को पृथक छांटते हैं। बाद में देखते हैं कि कोई स्वर ध्वनि है तो वह अघोष, ह्रस्व या दीर्घ या अनुनासिक अथवा बलाघात से युक्त अनाक्षरिक आदि तो नहीं है। यदि है तो कितनी है।

इसी प्रकार व्यंजन ध्वनि है तो स्थान अथवा प्रयास देखते हैं। व्यंजन अपने प्रकृत रूप से कितना भिन्न है। स्पर्श व्यंजन है तो अस्फोटित है या नहीं तथा पूर्ण स्पर्श है या अपूर्ण। इतनी सूक्ष्मता से जाँच करने के बाद समस्त स्वनिमों का चार्ट बनाते हैं। इससे समस्त स्वनिम व उनके उपस्वन अर्थात् संध्वनियों भी ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार इस स्वनिमिक विश्लेषण से समस्त स्वनिमों को उनके उपस्वनों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु यह सूची लम्बी होती है। दो समान जैसे लगने वाले स्वनिमों को संदेहात्मक स्वनिम की श्रेणी में रखते हैं।

निष्कर्ष—

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वनिम भाषा की लघुत्तम अर्थभेदक इकाई है। इसके मुख्यतः दो भेद — खण्ड्य तथा खण्ड्येत्तर है। स्वनिमों का वर्गीकरण और संचयन व्यावर्तक अभिलक्षणों के आधार पर करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है।



“हम ऐसा नाम अथवा उपनाम कदापि धारण न करें, जिसका उच्चारण करने में किसी को कोई संकोच हो।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

12.

रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ

— श्रीमती आशा भारद्वाज*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 03 (व्याकरण)

रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ, रूपिम की अवधारणा और भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य, वाक्य की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना,

रूप, वाक्य में प्रयुक्त 'शब्द' को कहते हैं। इसे पद भी कहा जाता है। शब्दों के दो रूप हैं— (1) शुद्ध रूप या मूल रूप, जो शब्दकोश में मिलता है। (2) यह वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध—सूत्र से युक्त होता है। यह दूसरा, वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही 'पद' या 'रूप' कहलाता है।

पदों अथवा रूपों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा

*जन्म तिथि : 20 अप्रैल 1970, पति : श्री आयोध्या भारद्वाज, शिक्षा : एम. ए., एम. एड. (हिन्दी), प्रकाशन : 1. पुस्तक 'आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी—अस्मिता का धरातलीय सच' में शोध—आलेख, 2. 'काव्य कुंज' में सजल, 3. 'ये दोहे गुंजते हैं' में दोहा, 4. 'सजल—नागरी' मथुरा में लेख, 5. साहित्यिक पत्रिका 'एहसास' बिलासपुर में कहानी एवं कविताएँ, 6. 'उजास' जाँजगीर में कहानी व कविताएँ, 7. 'साहित्य कलश' पटना में भी कई रचनाएँ, सम्मान : 1. अर्द्धवार्षिक सजल सहभागिता सम्मान, 2. साहित्य गौरव सम्मान, 3. अर्णव कलश संघ द्वारा दोहा रत्न सम्मान, 4. राष्ट्र गौरव सम्मान, 5. 'कलम से मंच' के द्वारा विशिष्ट लेखन सम्मान, कलम की सुगंध सम्मान, 6. साहित्य कला उन्नयन मंच बाराबंकी उत्तरप्रदेश द्वारा साहित्य सूर्य और प्रेम सौहार्द सम्मान, 7. राष्ट्रीय कवि चौपाल शाखा दौसा द्वारा शारदा सम्मान, 8. प्रदेश स्तरीय पांचवाँ सतनामी कवि सम्मेलन में पं० सखाराम बघेल सम्मान, लेखन—विधा : पद्य (मुक्त छंद, गीत, सजल, दोहा), गद्य (लघु कथा, साहित्यिक लेख), सम्प्रति : व्याख्याता (हिन्दी), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोता, वि. ख.— मालखरौदा, आवासीय पता : कलमी नहर पार, तहसील— मालखरौदा, जिला— जाँजगीर चाम्पा (छ.ग.), मो० नं० : 9098078037

को रूप विज्ञान कहते हैं। रूप एक भौतिक इकाई है, जो भाषिक कथनों में प्रयुक्त किया जाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त ध्वनियों का छोटा-से-छोटा स्वनक्रम, जिसका अर्थ निकलता है, 'रूप' कहलाता है।

“संकल्पना की दृष्टि से रूप मूर्त इकाई होता है।”

भाषा विज्ञान में रूपिम की संरचनात्मक इकाई के आधार पर शब्द रूप अर्थात् पद के अध्ययन को पद विज्ञान या रूप विज्ञान कहते हैं। रूप विज्ञान, भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। भाषा के व्याकरण में पद विज्ञान का विशेष महत्व है।

प्रत्येक भाषा कुछ सीमित अर्थहीन इकाइयों का प्रयोग करती है, जिसके द्वारा असंख्य अर्थपूर्ण इकाइयों की रचना की जाती है। इन सीमित अर्थहीन इकाइयों को हम सामान्य भाषा में ध्वनि कहते हैं, जिसे भाषा विज्ञान में 'स्वन' नाम दिया गया है। जब ये किसी भाषा विशेष की ध्वनि व्यवस्था को गठित करते हैं, तो स्वनिम कहलाते हैं, ये अमूर्त होते हैं। स्वनिमों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अर्थवान इकाइयों की रचना की जाती है, इनमें पहला स्तर 'रूप' का है। इससे संबंधित परिभाषाएँ अधोलिखित हैं—

“यह भाषा विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अध्ययन की केन्द्रीय इकाई 'रूपिम' है।”

नाइडा— “रूपविज्ञान, रूपिम तथा शब्द निर्माण में उसकी व्यवस्था का अध्ययन करता है।”

भोलानाथ तिवारी— “रूप, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं।”

ब्लाक तथा टेगर— “रूप विज्ञान, शब्द-गठन का विवेचन करता है।”

किसी पदार्थ का वह गुण जिसका बोध, दृष्टा को चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होता है अथवा पदार्थ के वर्णों और आकृति का योग, जिसका ज्ञान आँखों को होता है, रूप कहलाता है। जैसे— सूरत, आकार आदि। अर्थात् पदार्थों में एक शक्ति रहती है, जिससे तेज इस प्रकार विकीरित होता है कि जब वह आँखों पर लगता है, तब दृष्टा को उस पदार्थ की आकृति, वर्ण आदि का बोध होता है, इस शक्ति को भी रूप कहते हैं।

दर्शन शास्त्रों में रूप को चक्षुरिन्द्रिय का विषय माना गया है। सांख्य दर्शन ने इसे पंच तंत्राओं में से एक माना है। बौद्ध दर्शन ने इसे पांच स्कंधों में पहला स्कंध माना है। वेदांत दर्शन ने इसको एक प्रकार की

उपाधि माना है और अविद्याजनित माना है। महाभारत में रूप के सोलह भेद बताए गए हैं— ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चतुरस्र, वृत्त, शुक्ल, कृष्ण, नीलारूप, रक्त, पीत, कठिन, विक्कण, श्रलक्षण, पिच्छल, मृदु और दारुण।

परिभाषा—

संस्कृत में 'शब्द या मूल रूप को' प्रकृति या प्रतिपादित कहा गया है और संबंध—स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं— वाक्य में न तो केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है, न केवल प्रत्यय का। दोनों मिलकर प्रयुक्त होते हैं। प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मिलने से जो बनता है उसे ही पद या रूप कहते हैं।

शब्द भाषा उच्चतर की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। यह ऐसा न्यूनतम अनुक्रम है जो व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है। स्वनिम के बाद शब्द, भाषा का महत्वपूर्ण तत्व या अंग है। जिस प्रकार स्वन—प्रक्रिया की आधारभूत इकाई स्वनिम है, उसी प्रकार रूप—प्रक्रिया की आधारभूत इकाई रूपिम है। रूपिम वाक्य—रचना और अर्थ—अभिव्यक्ति की सहायक इकाई है और स्वनिम, भाषा की अर्थहीन इकाई है।

रूप प्रक्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं—

1.संबंध तत्व

2.अर्थ तत्व

'रूप' में दो तत्व होते हैं— संबंध तत्व और अर्थ तत्व। दोनों में प्रधान, अर्थ—तत्व है। संबंध—तत्व का कार्य विभिन्न अर्थ—तत्वों में संबंध दिखलाना होता है। जैसे— राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें राम, रावण, बाण, मारना चार अर्थ—तत्व हैं। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थ—तत्वों में संबंध—तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यहाँ चार संबंध—तत्व भी हैं। 'ने' संबंध तत्व वाक्य में राम का संबंध दिखलाता है। 'को', 'से' संबंध—तत्व क्रमशः रावण और बाण का संबंध स्पष्ट करते हैं। 'मारा' में संबंध तत्व मिल गया है।

संबंध—तत्व के प्रकार

प्रत्येक भाषा में संबंध—तत्व भिन्न—भिन्न प्रकार के होते हैं। शब्द स्थान, शब्द स्थान परिवर्तन या सुरभेद भी संबंध—तत्व का द्योतक है। संबंध—तत्व वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न अर्थ—तत्वों में परस्पर संबंध दिखाने

वाले होते हैं। स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। दूसरे शब्दों में— विभिन्न अर्थ—तत्वों में संबंध दिखाने वाला संबंध—तत्व होता है। अर्थात् वह प्रकट—अप्रकट तत्व, जिससे वाक्य के किसी शब्द का अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है, संबंध—तत्व कहलाते हैं।

जैसे— स्मिता, गीता, किताब, देना। ये चारों अर्थ तत्व हैं, परन्तु वह शक्ति नहीं कि वे आपस में संबंध दिखा सके। अतः इनके साथ 'ने', 'को', 'ई' प्रत्यय नामक संबंध तत्व का योग होने पर निम्न प्रकार की रचना प्राप्त होती है—

“स्मिता ने गीता को किताब दी।”

1. **शब्द स्थान**— शब्द का स्थान भी कभी—कभी संबंध—तत्व का कार्य करता है। संस्कृत समासों में यह बात प्रायः देखी जाती है। उदाहरण के रूप में—

धनपति— धन का पति अर्थात् कुबेर।

पतिधन— पति का धन।

इसमें स्थान परिवर्तन से संबंध—तत्व में अंतर आ गया है और अर्थ बदल गया है। वाक्यों में स्थान से संबंध—तत्व स्पष्ट हो जाता है। यह बात चीनी आदि स्थान प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पायी जाती है।

2. **स्वतंत्र शब्द**— भाषा में स्वतंत्र शब्द भी संबंध—तत्व का कार्य करते हैं। हिन्दी के सभी कारक—चिन्ह इसी वर्ग में आते हैं। उनका कार्य दो या दो से अधिक शब्दों का वाक्य में संबंध दिखलाना ही है। कभी—कभी दो स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग संबंध—तत्व के लिए होता है।

जैसे — अगर पिताजी की नौकरी छूट गयी तो हमें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। इसमें 'अगर' और 'तो' इसी प्रकार के शब्द हैं। हालांकि, मगर, न, ज्यों, त्यों, यदि, तो, यद्यपि भी इसी प्रकार के शब्दों के उदाहरण हैं।

3. **ध्वनि प्रतिस्थापन**— ध्वनियों के परिवर्तन से भी कभी—कभी संबंध—तत्व प्रकट किया जाता है। इसके तीन उपभेद हैं—

(अ) **स्वर प्रतिस्थापन**— स्वर प्रतिस्थापन में निम्नानुसार संबंध—तत्व प्रकट किया जाता है।

जैसे— मामा से मामी, पुत्र से पौत्र इसी श्रेणी में आते हैं।

(ब) व्यंजन प्रतिस्थापन— व्यंजन प्रतिस्थापन में व्यंजन के परिवर्तन से संबंध—तत्त्व प्रकट होता है ।

(स) स्वर—व्यंजन प्रतिस्थापन— इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का संबंध दिखता है ।

जैसे— मिल—मेल, लिख—लेख, भोज—भोग आदि ।

4. ध्वनि द्विरुक्ति— ध्वनि द्विरुक्ति से भी कभी—कभी संबंध—तत्त्व का कार्य किया जा सकता है । यह द्विरुक्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत में पायी जाती है ।

1.संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति— पानी—पानी, घर—घर, द्वार—द्वार आदि ।

2.सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति— अपना—अपना, किस—किस, कुछ—कुछ आदि ।

3.विशेषण शब्द की द्विरुक्ति— छोटे—छोटे, बड़े—बड़े, लाल—लाल आदि ।

4. क्रिया शब्द की द्विरुक्ति— आते—आते, जाते—जाते, रहते—रहते आदि ।

5. क्रियाविशेषण शब्द की द्विरुक्ति— जल्दी—जल्दी, धीरे—धीरे, पास—पास आदि ।

6. विस्मयादिबोधक शब्द की द्विरुक्ति— राम—राम, वाह—वाह, हरे—हरे आदि ।

7. विभक्तियुक्त शब्द की द्विरुक्ति— पास—ही—पास, झुंड—का—झुंड, घर—का—घर आदि ।

5. ध्वनि—वियोजन— कभी—कभी कुछ ध्वनियों को हटाकर या निकालकर भी संबंध—तत्त्व का काम लिया जा सकता है । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते हैं ।

6. आदि सर्ग या पूर्व सर्ग या पूर्व प्रत्यय— मूल शब्द के पूर्व में कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत—सी भाषाओं में बनते हैं, किन्तु संबंध—तत्त्व के लिए इसका प्रयोग अधिक नहीं मिलता है ।

जैसे— संस्कृत भूतकाल की क्रियाओं में आरंभ में 'अ' लगाते हैं— अगच्छत, अपठ, अलिख आदि ।

हिन्दी में— हार का प्रहार, आहार, संहार, विहार आदि।

7. मध्य सर्ग या मध्यम प्रत्यय— कभी—कभी संबंध—तत्त्व मूल शब्द के बीच में आता है।

जैसे— रुध से रुणधि। मूल शब्द और प्रत्यय के बीच आने वाले संबंध—तत्त्व मध्य सर्ग नहीं है। गम्यते में 'य', 'गम' के बाद आया है, अतः वह प्रत्यय है मध्य सर्ग नहीं।

8. अन्त्य सर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अन्त्य प्रत्यय— इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों के बनाने में इसका प्रयोग बहुत होता है।

जैसे — 'हो' धातु से होता, 'उस' धातु से उसने। हाथी से हाथियों, सड़क से सड़कों आदि।

9. ध्वनि गुण— ध्वनि गुण के अंतर्गत बलाघात या सुर भी संबंध का काम करते हैं। सुर का उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है।

जैसे— 'मिवरत' को यदि एक सुर में बोला जाए तो इसका अर्थ होगा मैं मार डालूँगा। परन्तु 'त' का सुर ऊँचा हो तो अर्थ होगा— मैं नहीं मारूँगा।

संस्कृत, ग्रीक, स्लेवोनिक में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

10. शून्य संबंध—तत्त्व— कोई संबंध न लगाकर शब्दों को ज्यों—का—त्यों छोड़ देना शून्य संबंध कारक है। इसमें ईकारांत पुलिगी शब्दों को लिया जाता है।

जैसे— आदमी जाता है, आदमी जाते हैं आदि।

अर्थ तत्त्व

अर्थ तत्त्व हर शब्द, धातु या रूप का अर्थ स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में, मूल शब्द को ही अर्थ तत्त्व कहा जाता है। रुढ़ शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। जैसे— नाक, कान, मुँह, पेट आदि। इन शब्दों के खण्ड सार्थक नहीं होते। अतः ये मूल शब्द हैं। इसके अंतर्गत तत्सम, तत्भव, उपसर्ग, प्रत्यय आदि आते हैं।

उपसर्ग—

उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है—

उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है 'समीप'। सर्ग का अर्थ होता है— सृष्टि करना। दूसरे शब्दों में, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। इसकी संख्या 41 है। हिन्दी में 10 उपसर्ग, संस्कृत में 19 और उर्दु में 12 उपसर्ग हैं।

प्रत्यय—

शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षरसमूह लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यह दो शब्दों के मेल से बना है— प्रति + अय। प्रति का अर्थ है— साथ में, अय का अर्थ है— चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ किन्तु बाद में चलने वाला या लगने वाला। मूलतः प्रत्यय के दो भेद हैं— कृत् और तद्धित प्रत्यय।

तत्सम—

तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् + सम् से बना है। तत् का अर्थ— उसके तथा सम् का अर्थ— समान है। अर्थात् ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं।

तत्भव—

तत्सम शब्दों में, समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। तत्भव का शाब्दिक अर्थ है— उससे बने। तत् और भव— उससे उत्पन्न। अर्थात् जो संस्कृत से ही बने हैं।

रूप प्रक्रिया के तत्व

रूप प्रक्रिया के निम्न तत्व हैं—

1. प्राचीन से नवीन— रामम् की जगह राम।
2. अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग— जेवरात की जगह जेवरातों।
3. नए प्रत्यय प्रयोग— प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी, वैज्ञानिक के स्थान पर विज्ञानी।
4. दिशा परिवर्तन— 'को' चिन्ह को लगाने के नए प्रयोग। जैसे— मुझे/मुझको के बदले मेरे को, तुझे/तुझको के बदले तेरे को।

रूप परिवर्तन के कारण

भाषा का प्रमुख गुण है परिवर्तन। अतः उसके अवयव, ध्वनि, अर्थ,

पद, वाक्य में विभिन्न परिस्थितियों के कारण समय-समय पर परिवर्तन लक्षित होते हैं। ये परिवर्तन कुछ परिस्थितियों के कारण होते हैं। ये कारण निम्न हैं—

1. सरलीकरण की प्रवृत्ति— सरलीकरण की प्रवृत्ति मानव की वृत्ति रही है। साथ ही कठिनता से सरलता की ओर बढ़ना भाषा की भी प्रकृति रही है। अतः इस प्रवृत्ति और प्रकृति ने रूप परिवर्तन में योगदान दिया है। हिन्दी में कारकों, वचनों एवं लिंगों की रूप-संख्या में न्यूनता इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। भाषा व्याकरण के इन रूपों में पहले संख्याधिक्य के कारण जहाँ विलिखता का अनुभव होता था वहाँ इनकी संख्यात्मक न्यूनता के कारण सरलता आ गयी है।

जैसे— वैदिक व्याकरण का 'लेटलकार' संस्कृत में लुप्त हो गया है तथा संस्कृत के ही सुप् और तिघ् प्रत्यय लुप्त हो चुके हैं। इस तरह रूप-रचना में सरलीकरण की प्रवृत्ति ने नए भाषा रूप को जन्म दिया है।

2. नवीनताबोध— नए के प्रति ललक का भाव मानवीय प्रवृत्ति है। शब्दों की रूप-रचना में भी उसकी यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। परम्परागत शब्दों के प्रयोग से उबरकर मानव-मेधा अभिनव शब्दबोध के प्रति जिज्ञासु बनती है और इसी कड़ी में उसके द्वारा नवीन और सुंदर पद-रूप गढ़ लिए जाते हैं।

जैसे— सुंदरता से सौंदर्य, विविधता से वैविध्य, विशेषता से वैशिष्ट्य आदि।

3. सादृश्य-समीकरण— रूप-रचना में वैविध्य लाने के लिए सादृश्य-समीकरण का प्रयोग किया जाता है। रूप परिवर्तन में सादृश्य-विधान का उपयोग संसार की प्रायः सभी जीवित भाषाओं ने किया है।

जैसे— संस्कृत में करिन् + आ = करिना एवं दण्डित + आ = दण्डिना जैसे शब्दों में 'ना' का संयोग व्याकरणसम्मत है।

4. स्पष्टता— भाषिक स्पष्टताबोध ने रूप-परिवर्तन में नए प्रयोग किए हैं। भाषा का प्रयोक्ता अपनी अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट करने के लिए भाषा के अपने ही पुराने रूप को बदल देता है। उसे जब तक लगते रहता है कि उसकी बात ठीक से नहीं समझी जा रही है तब तक अपनी भाषा को भिन्न-भिन्न रूपों में रचते रहता है। इस बचाव की मनोदशा उसकी

भाषा को अधिक स्पष्ट आकृति देती है। इस तरह की रूप-रचना व्याकरणसम्मत तो नहीं होती किन्तु स्पष्ट होती है।

जैसे- 'दरअसल में' एवं 'सर्वश्रेष्ठ' सरीखे स्पष्टवादी शब्दों को लिया जा सकता है। 'दर' का अर्थ ही होता है- 'में', फिर भी स्पष्ट होने की दशा में 'दरअसल में' जैसा नया रूप चल पड़ा है। इसी प्रकार श्रेष्ठ का अर्थ सबसे अच्छा होता है फिर भी स्पष्टता के लिए 'सर्वश्रेष्ठ' जैसा नया रूप चलाया जा चुका है।

5. अज्ञान- भाषा-व्याकरण की जानकारी के अभाव में आजकल अनेक शब्द-रूपों के प्रचलन चल पड़े हैं। अतः कतिपय रूप-रचनाएँ ज्ञान के अभाव में एक कारण के रूप में होती रहती हैं। इस तरह के रूप परिवर्तन हिन्दी में अधिक मिलते हैं। यह भी एक प्रधान कारण है।

जैसे- श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ। उपर्युक्त से उपरोक्त। अनुगृहीत से अनुग्रहीत।

6. बल-प्रयोग- बल देने अथवा कथन पर जोर देने के लिए भी भाषा के रूप में परिवर्तन हो जाता है।

जैसे- खालिस के स्थान पर निखालिस, खिलाफ के स्थान पर बेखिलाफ आदि।

7. आवश्यकता- आवश्यकता के कारण आविष्कार का होना सर्वविदित बात है। भाषा की रूप-रचना में भी इस तथ्य को स्वीकारा जा सकता है। भाषा में हमें जो संप्रेषित करना है यदि वह संप्रेषित नहीं हो पा रहा है तो भाषा के उस रूप को हम बदल देते हैं।

जैसे- संत कबीर ने साधू की जगह 'साधे' रूप चलाया, जिसका अभिप्राय था साधना।

रूप-परिवर्तन की दिशाएँ

जब किसी शब्द का एक रूप किसी कारण से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो उसे रूप-परिवर्तन कहते हैं। भाषा परिवर्तनशील है और उसकी रूप रचना में परिवर्तन होते रहता है, यद्यपि ध्वनि परिवर्तन की तुलना में यह कम होता है। कभी-कभी ये दोनों इतने समान और समीप हो जाते हैं कि इनको अलग कर पाना कठिन हो जाता है। रूप-परिवर्तन होने पर नए रूपों के साथ पुराने रूप भी चलते रहते हैं।

1. पुराने रूपों का लोप— रूप-परिवर्तन की दिशाओं में एक दिशा पुराने प्रचलित रूपों के विलोप की है। ध्वनि-परिवर्तन की स्थिति में पुराना प्रयोग होने के कारण संबंधतत्व लुप्त हो जाते हैं। परिणामतः अर्थबोध की बाधा आने पर संबंधतत्व के नए रूप जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह नए रूप प्रचलित होकर पुराने का धीरे-धीरे परित्याग कर देते हैं।

जैसे— संस्कृत के प्रयोग रूप को छोड़कर हिन्दी के प्रयोग रूप ने अपने को परिवर्तित कर लिया है।

2. सादृश्य के कारण नये रूपों का उद्भव— रूप-परिवर्तन की एक दिशा सादृश्य-विधि है। सादृश्य के कारण संबंधतत्व के नये रूप विकसित होकर अनेकरूपता का परिचय देते हैं। इस विधि में नवीनता का आकर्षण रहता है। हिन्दी में परसर्गों का विकास इसी सादृश्य-विधान के कारण है।

जैसे— 'चलिए' और 'पढ़िए' के सादृश्य का आधार लेते हुए 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए' का उदाहरण लिया जा सकता है।

3. प्रत्यय और शब्दों में अधिकपदत्व— रूप-परिवर्तन के कुछ अस्वाभाविक अभिलक्षण मिलते हैं, जिसके प्रयोग जाने-अनजाने में बहुत से लोग करते हैं। अर्थात् एक प्रत्यय के होते दूसरे प्रत्यय का प्रयोग, लोगों द्वारा किया जाता है।

जैसे— कागजात से कागजातों, अनेक से अनेकों। इन शब्द-प्रयोगों में क्रमशः 'आत' एवं 'इक' प्रत्यय मौजूद हैं, इसके साथ क्रमशः 'ओं' जोड़कर अतिरिक्त प्रत्यय लगाये गये हैं।

4. अभिनव रूप-रचना— कुछ पुराने और कुछ नये रूपों को ग्रहण कर आजकल प्रत्ययों के अभिनव रूप प्रचलित हैं।

जैसे— छटा से छठवाँ।

5. रूप-परिवर्तन की मौलिक दशा— पदों की आकृति में समूल परिवर्तन करके नयी पद-रचना की एक स्वतंत्र संस्कृति इधर दिखलाई पड़ती है।

जैसे— तुझको के स्थान पर तेरे को, किया के स्थान पर करी, मुझको के स्थान पर मेरे को जैसे शब्द देखे जा सकते हैं।

पदविज्ञान की शाखाएँ (अध्ययन की दिशा के आधार पर)

1. **वर्णनात्मक रूपविज्ञान**— इसमें किसी भाषा या बोली के एक समय के रूप या पद का अध्ययन किया जाता है।

2. **ऐतिहासिक रूपविज्ञान**— विभिन्न कालों की भाषा या बोली के रूपों या पदों का अध्ययन किया जाता है।

3. **तुलनात्मक रूपविज्ञान**— दो या अधिक भाषा के रूप या पदों का अध्ययन किया जाता है।

पदविज्ञान की शाखाएँ— (अध्ययन के योग की प्रक्रिया के आधार पर)

1. **व्युत्पादक रूपविज्ञान**— इसमें मुक्त रूपिम या शब्द में व्युत्पादक रूपिमों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

2. **रूप साधक**— इसमें शब्दों में रूप साधक रूपिमों को जोड़कर पद बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।

रूपविज्ञान को पदविज्ञान भी कहते हैं। पदविज्ञान के अंतर्गत पदों अर्थात् रूपों का अध्ययन करते हैं। ध्वनियों के मिलने से पद बनाए जाते हैं। रूपविज्ञान, हमें यह बताता है कि किस प्रकार रूपों का निर्माण होता है? किस आधार पर पदों का विभाजन होता है? पुरुष, लिंग, वचन, विभक्ति, काल, प्रत्यय आदि तत्व क्या हैं? इन सभी का विवेचन इसमें किया जाता है।

संक्षेप में, रूपविज्ञान भाषाविज्ञान की एक केन्द्रीय शाखा है, जिसमें लघुतम अर्थवान इकाइयों का विश्लेषण; रूप, रूपिम और उपरूप के रूप में किया जाता है। साथ ही व्युत्पादन और रूपसाधन की प्रक्रियाओं के माध्यम से शब्दनिर्माण और पदनिर्माण की व्याख्या की जाती है। रूपविज्ञान भाषाविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा होने के साथ-साथ स्वनिमविज्ञान और वाक्यविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है।



“किसी पुरुष का स्त्री-रोग विशेषज्ञ बनना, नारियों पर अत्याचार को बढ़ावा देने जैसा है।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

13.

रूपिम की अवधारणा और भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य

— प्रो० राज कुमार लहरे*

सेमेस्टर — I प्रश्नपत्र— IV (भाषा विज्ञान), इकाई — 03 (व्याकरण)
रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ, रूपिम की अवधारणा और
भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य, वाक्य
की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव
विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना,

भाषा की इकाई ध्वनि (स्वनिम) है। ध्वनि से शब्द, शब्द से पद (रूपिम) बनता है और पद से वाक्य का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि कोशीय शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद या रूप एक नहीं है। वास्तव में वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में एक निश्चित संबंध से जुड़ा होता है। यह निश्चित संबंध युक्त शब्द को ही पद या रूप कहते हैं। जो कोशीय शब्द से भिन्न या अलग है या नहीं मिलता है। अर्थात् शब्द के दो रूप हैं—

1 कोशीय शब्द — स्वतंत्र या प्रकृति शब्द। जहाँ आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे :

*जन्म तिथि : 15 अप्रैल 1973, माता : श्रीमती पुनौतिन लहरे, पिता : श्री असेन दास लहरे, शिक्षा : एम. ए., नेट, स्लेट, सेट (तीन बार), सीजी टेट, सी टेट, प्रकाशन : मौन भाषा, मनगीत, तोर मया गीत, मया सुराज, निरगुनिया (काव्य—संग्रह), विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र—पत्रिकाओं में लगभग 25 लेख/आलेख प्रकाशित, 51 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला व संगोष्ठियों में सहभागिता, विभिन्न रिसर्च जर्नल्स का सहायक संपादक/सदस्य, अभिरूचि : गहन अध्ययन, गीत—संगीत एवं पर्यटन, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.), पता : ग्राम— केंवाछी, पो० व तहसील— बिल्हा, जिला— बिलासपुर (छ.ग.), पिन कोड— 495224 मो० नं० 9109948054, मेल आई डी— lahareraj73@gmail.com


लड़का आम खाना


इन शब्दों में कोई संबंध प्रकट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लड़का आम खायेगा..... लड़का आम खाया.....लड़का आम खा रहा है। यह पता नहीं चल रहा है।

2 पदीय शब्द (वाक्य में प्रयुक्त शब्द) – जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और वे आपस में जिस संबंध से जुड़े होते हैं; उसे उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति कहते हैं। जैसे :

लड़का ने आम को खाया।

वाक्य में आम को खाया गया का बोध हो रहा है। इस वाक्य में तीन पद का प्रयोग हुआ है। लड़का ने, आम को, खाया। यहाँ लड़का के साथ ने, आम के साथ को तथा खाया में या विभक्ति या प्रत्यय के साथ जुड़कर वाक्य बनाता है।





शब्द निर्माण – शब्द उच्चारित ध्वनि पर आधारित होता है, जो स्वर या व्यंजन हो सकता है। शब्द से तात्पर्य— जो व्यक्ति द्वारा बोला और सुना जाता है। शब्द निर्माण धातुओं में पूर्व, मध्य एवं पर उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास लगाकर होता है।

क. उपसर्ग – इसे पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे :

अ, परि, अनु, अन्, अधि, अप, आ, आवि, उप, कु, दुर्, नि, पर, परा, प्र, प्रति, स, सर, सु, स्व, हम आदि।

ख. प्रत्यय – इसे पर प्रत्यय भी कहते हैं क्योंकि यह शब्द के पीछे मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे :

ता, आलु, जीवी, इक, ई, इमा, आई, आहट, आन, ईया, मंद, खोर, अन्त, आना, आपा, आर, आरी, आरू, ई, ईन्, तम, ची, त्व, नाक, वार, पन, बाज, वर, आदि।

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं –

1 कृत प्रत्यय – वह प्रत्यय जो धातु से जुड़ा हो। जैसे :

कृ (धातु) + तृच (प्रत्यय) = कर्तृ।

इकाई का नाम रुपिम है। अर्थात् शब्द की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और विभाजन नहीं किया जा सके, रुपिम है। यही हिन्दी में पदग्राम है। रुपिम एक शब्द हो सकता है और शब्दांश भी। जैसे :

1. सुन्दरता = सुन्दर + ता (यहाँ सुन्दर और ता दोनों रुपिम हैं)।

सपूत = स + पूत (यहाँ स और पूत दोनों रुपिम हैं)।

इसमें सुन्दर एक सार्थक शब्द है और ता एक शब्दांश।

2. "उसके रसोईघर में सफाई होगी।" उसके, रसोईघर, में, सफाई, होगी ये पाँच पद हैं, तथा उस, के, रसोई, घर, में, साफ, ई, हो, ग, ई, ये वाक्य में दस रुपिम हैं।

रचना व प्रयोग के आधार पर रुपिम के दो प्रकार हैं –

1 स्वतंत्र (मुक्त) रुपिम – जैसे : सुन्दर। सुन्दर एक स्वतंत्र के अर्थ में रुपिम है।

2 बद्ध रुपिम – जैसे : ता। यह सुन्दर सार्थक शब्द के साथ प्रयोग पर आधारित रुपिम है। इस तरह के रुपिम को बद्ध रुपिम कहते हैं, क्योंकि बद्ध रुपिम का कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है। जैसे :

पहनावा = पहन + वा (यहाँ पहन स्वतंत्र और वा बद्ध रुपिम है)।

लिखावट = लिख + आवट (यहाँ लिख स्वतंत्र और आवट बद्ध रुपिम है)।

अमराई = आम + राई (यहाँ आम स्वतंत्र और राई बद्ध रुपिम है)।

अर्थ और कार्य के आधार पर रुपिम के दो प्रकार होते हैं –

1. अर्थदर्शी रुपिम – जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ होता है और अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते। इन्हें अर्थ तत्व भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसे ही Stem, root, धातु मस्टर या माद्दा कहा जाता था। जैसे :

संज्ञा (राम, किताब), क्रिया (हो, खा, भू), सर्वनाम (वह, तुम), विशेषण (अच्छा, सुन्दर, काला, गोरा)।

2. संबंधदर्शी या कार्यात्मक रुपिम – यह निरर्थक तो नहीं लेकिन इसका मुख्य अर्थ वाक्य में संबंध प्रदर्शित करना है। इसे व्याकरणिक तत्व कहना अधिक उचित है। ये वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरों से

दिखाते हैं। जैसे :

संस्कृत में सुप्, तिङ्।

हिन्दी में परसर्ग, प्रत्यय।

साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, अर्थ और भाव आदि ई, या, ईया, इयों, ए, यों, आदि संबंधदर्शी पद रुपिम बना सकते हैं, इसीलिए इसे कार्यात्मक रुपिम भी कहते हैं।

खंडीकरण के आधार पर भी रुपिम के दो प्रकार हैं —

1. खंड रुपिम — जिसे तोड़कर अलग किया जा सके।

2. अखंड रुपिम — बलाघात, सुर, सुरलहर आदि।

सह पदग्राम/उपरुप/संरुप — एक पदग्राम या रुप के एक से अधिक उपरुप हो सकते हैं, जिसे संरुप कहते हैं। जैसे :

/s/ = Schools, Books, Rats etc.

/z/ = Dogs, Cows etc.

/es/ = Roses, Bridges etc.

/en/ = Oxen etc.

/ren/ = Children etc.

/p/ = sheep, etc.

/s/, /z/, /es/, /en/, /ren/ किन्तु कुछ शब्दों में कोई रुपग्राम नहीं लगता, इसे शून्य रुपग्राम कहते हैं। इसे /p/ लिखते हैं। ये रुपिम बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ एक समान होते हैं। अतः संभावना की जा सकती है कि ये अलग-अलग रुपिम न होकर एक रुपिम का उपरुप हो। यदि कई रुप (क) समानार्थी हो, (ख) एक प्रकार की रचना में आये, (ग) परिपूरक विवरण में हो; तब एक रुपिम के उपरुप माना जा सकता है।

हिन्दी में

/ओं / = माताओं, बहुओं, लताओं आदि।

/ओं / = संबोधन में सभी शब्दों। लड़कों, घोड़ों, पुस्तकों आदि।

/यों / = लड़कियों, कवियों, आदि।

/ए / = अपरसर्ग रुप के लिए अकारांत। लड़के, बेटे आदि।

- /अँ/ = माताएँ, बहुएँ, आदि।
/एँ/ = अपरसर्ग रूप के लिए। आँखें, बातें, गायें आदि।
/ईयाँ/ = नदियाँ, जातियाँ, गुडियाँ।
/प/ = शून्य संरूप होते हैं।
/ओं/, /ओँ/, /यों/, /ए/, /अँ/, /एँ/, /ईयाँ/,
/प/— ये सब उपरूप या संरूप हैं।

रूपमीय विश्लेषण की पद्धतियाँ

रूपमीय विश्लेषण के क्रम में भाषा शास्त्री एक मत नहीं हैं। रूपमीय रूपिम न्यूनतम अर्थवान इकाई होते हैं। रूपमीय विश्लेषण की दो पद्धतियाँ की जा सकती हैं —

1 रूप या पद पद्धति — वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ, प्रयोग और प्रसंग के आधार पर ही लगाया जा सकता है। जैसे :

पर (पंख, पैर), कनक (स्वर्ण, धतुरा), माधव (कृष्ण, बसंत)।

रूप पद्धति के अंतर्गत रूपिम को ऐसे खंडों का समूह माना जाता है, जो एक — दूसरे के स्थानापन्न हैं।

2 अर्थ पद्धति — रूपीय प्रक्रिया शब्द में जिस प्रक्रिया के तहत शब्द से अर्थ प्रगट किए जाते हैं, उन्हें रूपमीय प्रक्रिया कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं।

(क) अर्थ तत्व — अर्थ तत्व वह है जिससे शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। इसके लिए आवश्यक है कि शब्द का अर्थ भ्रामक न हो। जैसे :

“राम मैदान में खेलता है।” इस वाक्य में मानस पटल में तीन चित्र उपस्थित होते हैं। राम (व्यक्ति), मैदान (खेलने का स्थान), खेलना क्रिया का भाव। अतः अर्थ निकलता है कि एक लड़का, जिसका नाम राम है, वह मैदान में खेलता है।

(ख) संबंध तत्व — अर्थ तत्व के द्वारा अभिव्यक्त शब्दों के प्रतिभा भाव के सही उद्बोध के लिए जिस रूपात्मक अंश का सहारा लिया जाता है, उसे संबंध तत्व कहते हैं। जैसे :

“राम खेलता है।” में राम एक अर्थ तत्व + शून्य परसर्ग — संबंध तत्व, खेल अर्थ तत्व + ता सामान्य वर्तमान काल का क्रिया रूप —

संबंध तत्व हैं।

संबंध तत्व के आधार पर रुपिम

विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाना संबंध तत्व का मुख्य कार्य होता है। हिन्दी भाषा की आकृति और प्रकृति को देखते हुए निम्न भेद करना उचित है—

(1) सामासिक रूप — सामासिक रुपिम के लिए कम से कम दो मुक्त रुपिमों का संबंध अथवा योग अनिवार्य है। जैसे :

संज्ञा	+	संज्ञा	=	संज्ञा
Text	+	Book	=	Textbook
विशेषण	+	संज्ञा	=	संज्ञा
Red	+	Cap	=	Redcap
संज्ञा	+	विशेषण	=	विशेषण
Love	+	Sick	=	Lovesick
क्रिया	+	संज्ञा	=	संज्ञा
Play	+	Boy	=	Playboy
क्रिया	+	क्रिया विशेषण	=	संज्ञा
give	+	away	=	giveaway
क्रिया	+	संबंध सूचक	=	संज्ञा
Play	+	Back	=	Playback

(2) प्रत्यायोजन — प्रत्यायोजन का अर्थ होता है — प्रत्यय के योग। प्रत्यय योग निम्न प्रकार से हो सकता है।

क. आदि योग — काली = घर, पेलो = कुत्ता, नो = मेरा, मो = तेरा, आइ = उसका,

नोकाली = मेराघर, मोकाली = तेरा घर, आइकाली = उसका घर (आजटेक : मैक्सिको)।

ख. मध्ययोग — पढ़ना = पढ़ाना, लिखना = लिखाना, चलना = चलाना, हँसना = हँसाना (हिन्दी में)।

ग. अंतयोग — तुर्की भाषा में अंतयोग के उदाहरण हैं। जैसे :

मूल शब्द	प्रत्यय	रचित शब्द
ऐट (घोड़ा)	लर	ऐटलर (घोड़े)
कश (पक्षी)	लर	कशलर (पक्षियों)
मम (मोमबत्ती)	लर	ममलर (मोमबत्तियों)

घ. पूर्वांतर योग –

Pan (रोटी)	+/s/	+/be/	spanbe उसकी रोटी
		+/lu/	spanlu हमारी रोटी
Palu (घड़ी)	+/s/	+/be/	spalube उसकी घड़ी
		+/lu/	spalulu हमारी रोटी
			(जैपोटेक : मैक्सिको)

(3) आभ्यांतर प्रत्यायोजन – रूप और अर्थ में मेल होते हुए भी जब ध्वनियों में स्वल्प परिवर्तन हो जाता है, तब उसे अभ्यांतर परिवर्तन कहते हैं। ये तीन तरह से होते हैं –

1. स्वीकरण – किसी दूसरी भाषा के शब्द को यथातथ्य स्वीकार लेना ही स्वीकरण है। जैसे : स्कूल, टेबुल, स्लेट, पेंसिल।

2. अनुकूलन – किसी भाषा के शब्द को अपनी भाषा के अनुकूल बना लेना ही अनुकूलन है। जैसे : टेकनीक – तकनीक, कामेडी – कामेदी।

3. निर्माण – शब्द निर्माण की कई विधियाँ अपनायी जाती हैं। जैसे : संज्ञा – विशेषण, विशेषण – संज्ञा, एकवचन – बहुवचन। इसी को अभ्यांतर परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन तीन प्रकार से होता है –

(क) स्वर परिवर्तन –

एकवचन –	बहुवचन	Tooth	Teeth
संज्ञा –	क्रिया	Blood	bleed
वर्तमान –	भूतकाल	Come	Came

(ख) व्यंजन परिवर्तन –

एकवचन –	बहुवचन	Wife	Wives
संज्ञा –	क्रिया	Lad	less
वर्तमान –	भूतकाल	Bend	Bent

(ग) आमूल परिवर्तन — आलस — आदमी
आलर — आदमियों
जौखस — नौकर
जौखर — नौकरों
(कुडुख में)

(4) शून्य रूप — शब्द को पद बनाने के लिए उसमें विभक्तियों का प्रयोग करना होता है। परन्तु कई शब्दों में यह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। उस स्थिति में शून्य रूप की कल्पना कर ली जाती है।

जैसे : “राम आम खाता है।” इस वाक्य में राम के बाद ने विभक्ति लुप्त है। अतः इस स्थान पर शून्य रूप है।

(5) स्वतंत्र रूप — वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध अभिव्यक्त करने वाले रूपों को स्वतंत्र रूप कहते हैं। जैसे : हिन्दी की विभक्तियाँ — /ने/, /को/, /पर/, /से/ आदि।

(6) शब्द क्रम — रूप रचना में शब्दों का क्रम निश्चित रहता है और यदि क्रम बदल दें, तो अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे :

धर्मराम (युधिष्ठिर)राजधर्म (राजा का धर्म)।

कालरात्रि (प्रलय की रात) रात्रिकाल (रात का समय)।

लड़का काला स्वेटर पहनता है।

काला लड़का स्वेटर पहनता है।

(7) अभ्यास या द्विरावृत्ति — सम अथवा विषम प्रतिपदिक अथवा रूप रचना की आवृत्ति से संबंध तत्व का जो रूप सामने आता है, उसे द्विरावृत्ति कहते हैं। द्विरावृत्ति दो तरह के होते हैं —

(क) सम वृत्ति —

1.आंशिक सम —

पूर्वावृत्ति — काम—काज, दिल—दिमाग।

मध्यावृत्ति — सवाल—जवाब, औरत — मरद, सरद—गरम।

परावृत्ति — काट—छाँट, रुखा—सुखा।

2.पूर्ण सम — उच्चारित अंश जब पूर्णतः आवृत्त हो जाय।

बार-बार, धीरे-धीरे, पट-पट आदि।

(ख) विषम वृत्ति – हार-जीत, सोना-चाँदी (आ + ई)।

सहपद – परिपूरक वितरण में आए हुए सहपद रुपिम कहलाते हैं।

जैसे :

एकवचन	बहुवचन	बहुवचन के निर्माण करने वाला प्रत्यय
लड़का	लड़के (लड़का + ए)	ए (ँ)
बालिका	बालिकाएँ (बालिका + ऐँ)	ऐँ (ँ)
बालक	बालकों (बालक + ओँ)	ओँ (ँ)

इस तरह से ए/ऐँ/ओँ/ एकवचन से बहुवचन बनाने वाली रुपिम हैं। ये रुप परिपूरक वितरण के रुप में भी हैं, इसलिए ए, ऐँ तथा ओँ को सहपद की संज्ञा दी जा सकती है।

रुपिम का वितरण – रचना और प्रयोग की दृष्टि से रुपिम के दो भेद हैं –

1. एकरुपमिक – इसके अंतर्गत एक रुपमिक वाले शब्द को शामिल किया जाता है।

2. बहुरुपमिक – ये दो भागों में विभक्त हो सकता है –

(क) मिश्र रुपमिक,

(ख) यौगिक रुपमिक।

जिस रुपिम में एक से अधिक रुप रचना तो हो, किन्तु मुक्त रुपिम बिल्कुल न रहे, उसे साधित मुख्य शब्द कहा जाता है।

पद परिवर्तन के कारण

1 प्रयत्न लाघव – यह रुप परिवर्तन का मुख्य कारण है। बोलने में मुख-सुख के लिए ऐसा कहते हैं। जैसे :

रामचरित मानस = मानस

अभिज्ञान शाकुन्तलम् = शाकुन्तलम्

2 सादृश्य – सादृश्य या समानता के कारण बहुत से रुप परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे :

अंग्रेजी में –

Will = Would

Can = Could

(यहाँ सादृश्य के कारण Will में I के होने से = Would परन्तु Can में I नहीं है फिर भी सादृश्य के कारण Would हो गया।)

हिन्दी में 'दोनों' के सादृश्य पर तीनों, चारों, पाँचों, छइयों, सातों बना है।

3. अज्ञान – भाषा में अनजाने में ही भाषा रूपों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे :

अमरुद = अरमुद,

मतलब = मतबल।

4. बलाघात – किसी पद या रूप में परिवर्तन का कारण बलाघात होता है। जैसे :

श्रेष्ठ = श्रेष्ठतम,

अनेक = अनेकों।

5. नवीनता – भाषा सदा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। जैसे :

विशिष्ट = वैशिष्ट्य,

प्रमुखता = प्रामुख्य।

नोटा, हथियाया, लतियाया, गरियाया आदि कुछ रूपों के लुप्त होने पर नये रूप स्थान ले लेते हैं। जैसे : हिन्दी में इंद्रय से बहुवचन इंद्रिँ बनेगा। मध्यकाल में इंद्रयों बनना था।

6. असामर्थ्य – बोलने में असमर्थ होने के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे :

सिग्नल = सिंगल,

स्टेशन = टेशन,

काठफोड़ा = कठफोड़ा,

रेलगाड़ी = रेल।

7. ध्वनि परिवर्तन – ध्वनि परिवर्तन के कारण भी रूप में बदलाव होता है। संयोगात्मक भाषा में विभक्तियाँ लुप्त होकर एक नये रूप में सामने आती हैं। जैसे :

रामम् = राम को,
बालकस्य = बालक को।

8 नियमन – सभी भाषा में एक नियमन होता है और इन्हीं के आधार पर शब्द निर्माण होता है, परन्तु कहीं-कहीं अपवाद देखने को मिलता है। जैसे :

हिन्दी में पुराने मानक रूप हुजिए, कीजिए के अनुरूप सामान्यतः इय प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण हुआ है – होइए, कीजिए के स्थान पर करिए। मर का मरा, चल का चला मानक हैं। इसी तरह कर का करा अपरूप है।

9 बहु प्रयुक्त रूपों का प्रभाव – संस्कृत भाषा में आकारांत शब्दों का बाहुल्य था, इसीलिए परवर्ती भाषाओं में आकारांत शब्द का निर्माण होने लगा। जैसे :

पुत्र – पुत्रस्य, सर्व – सर्वस्य, सब्ब – सब्बस्य, अग्नि – अग्निस्य आदि।

10 स्पष्टता – भाषा का प्रयोजन मानव की भावाभिव्यक्ति रहा है। अतः जब किसी भाषा रूप में अस्पष्टता आने लगती है तो उसके स्थान पर नया शब्द स्थान लेने लगता है। हिन्दी में फारसी के रूप प्रयुक्त होते रहे हैं। जैसे :

दर-हकीकत, दर-असल। जब फारसी का प्रयोग कम होने से इन शब्दों का अर्थ लुप्त होने लगा, तब हिन्दी में दर-हकीकत में, दर-असल में प्रयुक्त होने लगा। इसी तरह संस्कृत का श्रेष्ठ शब्द के साथ हुआ- सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आदि।

11 आवश्यकता – आवश्यकता होने पर शब्द रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे :

मैं का मैंओं, एक कविता में – चार मैंओं के नीचे दबी ये मेरी लाश।
– भोलानाथ तिवारी

12 लोप – कुछ रूपों के लुप्त होने से नया रूप स्थान ले लेता है।

जैसे :

संस्कृत में या धातु का भूतकालिक रूप यात हुआ, फिर हिन्दी में आतु, आतु से तु हटकर आ का जा हो गया, जिससे जाना क्रिया बनी।

रूप परिवर्तन की दिशाएँ

रूप या पद में बदलाव निम्न दिशाओं में होता है।

1 सहसंबंध का लोप तथा नये का प्रयोग – ध्वनि परिवर्तन के पुराने सह-संबंध जब लुप्त होने लगते हैं, तो उसके स्थान पर नये सह-संबंध सामने आने लगते हैं। जैसे :

संस्कृत- रामः, रामम्, रामस्य, रामे के स्थान पर आज हिन्दी में राम ने, राम को, राम का, राम में का प्रयोग होने लगा है।

2 सादृश्य के कारण नये संबंध का प्रयोग –

संस्कृत = अग्नेः का अग्ने होना चाहिए, परन्तु हुआ- अग्निस्स। यहाँ स्स सादृश्य के कारण आ गया है। चला, पढ़ा के सादृश्य पर किया के स्थान पर करा हो गया। चलिए, पढ़िए के सादृश्य पर कीजिए के स्थान पर करिए हो गया।

3 अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग – एक प्रत्यय के रहते दूसरे का प्रयोग होना। जैसे :

जवाहरात – जवाहरातों, यहाँ रात बहुवचन प्रत्यय के रहते ओं प्रत्यय का प्रयोग।

कागजातों में कागजात बहुवचन होते हुए भी ओं का प्रयोग।

4 अतिरिक्त शब्द का प्रयोग – श्रेष्ठ – श्रेष्ठतम – सर्वश्रेष्ठ का प्रयोग। यहाँ श्रेष्ठ में उच्चता का भाव अपने आप रखते हुए तम् और सर्व का प्रयोग।

5 गलत प्रत्यय का प्रयोग – इंद्रियों के स्थान पर इंद्रियाँ। इंद्री शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया।

6 नया प्रत्यय – प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी। पहले प्रभावशाली ही चलता था।

7 आधा पुराना तथा आधा नया का प्रयोग –

छठा के स्थान पर छइवाँ = इसमें मूल शब्द है- छ। पाँचवाँ के सादृश्य पर ऐसा हुआ है।

8 मूल में परिवर्तन — मुझको के स्थान पर मेरे को।
तुझको के स्थान पर तेरे को।

9 मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन — हिन्दी में ऐसा कम होता है। अंग्रेजी में Go का Went होना इसका उदाहरण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 भाषा विज्ञान | — डॉ भोलानाथ तिवारी |
| 2 भाषा विज्ञान के सिद्धांत | — डॉ. मीरा दीक्षित |
| 3 हिन्दी भाषा की संरचना | — डॉ भोलानाथ तिवारी |
| 4 रूपविज्ञान | — डॉ लक्ष्मण प्रसाद निराला |



“दो लोगों अथवा पक्ष की बहस में किसी एक का चुप रहना श्रेयस्कर होता है, अन्यथा परिणाम नुकसानदायक हो सकता है।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

14.

वाक्य की अवधारणा एवं वाक्य के भेद

— डॉ. श्रीमती धनेश्वरी दुबे*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 03 (व्याकरण)
रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ, रूपिम की अवधारणा और
भेद— मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य, वाक्य
की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव
विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना,

भाषा विचारों की वाहक होती है, जिन्हें वह वाक्यों के माध्यम से वहन करती है। हमारा सोचना, समझना, बोलना या किसी भाव को हृदयगत करना सब कुछ वाक्यों में ही होता है। वाक्य भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य अखण्ड होता है। जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न सोते (नदी) आकर मिलते हैं फिर भी वह अनेक रूपों में एक होकर समुद्र ही होता है। वैसे ही वाक्य होते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से स्वतः पूर्ण सार्थक शब्द समूह का नाम वाक्य है। भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

“वाक्य भाषा की ऐसी सहज इकाई है, जिसमें एक या अधिक शब्द (पद) होते हैं तथा वह इकाई अर्थ की दृष्टि से पूर्ण या अपूर्ण होती है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है, साथ ही

*जन्म : 15 मार्च 1966, सतीगुड़ी चौक रायगढ़, माता : श्रीमती चन्द्रिका चौबे, पिता : श्री भरत लाल चौबे, पति : श्री प्रदीप कुमार चौबे, संतान : एक पुत्री—गार्गी दुबे, शिक्षा : एम. ए. (दो स्वर्ण पदक), एम. फिल., पी—एच. डी., अन्य : 05 वर्ष तक मेरिट के आधार पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त, सम्प्रति : विभागाध्यक्ष (हिन्दी), शासकीय इं. वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.), भारत, मो0 नं0 : 9406298740

उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक समापिका क्रिया अवश्य होती है।

यूरोपीय विद्वान थ्रैक्स और भारतीय मनीषी पंतजलि की वाक्य की दी गई परिभाषाओं का सार इस प्रकार है— “पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह का नाम वाक्य है।”

दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिसका पूरा-पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए— ‘सत्य की विजय’ होती है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है किन्तु ‘सत्य विजय होती।’ वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है।

वाक्य की दो शर्तें होती हैं—

01) कमबद्धता

02) सार्थकता

01) कमबद्धता — ‘राम गया।’ इसमें कमबद्धता है। ‘गया राम’ इसमें कमबद्धता नहीं है।

02) सार्थकता — ‘मोहन दूध पीता है।’— इस वाक्य में सार्थकता है। ‘मोहन दूध खाता है।’ इस वाक्य में सार्थकता नहीं है।

वाक्य के अंग — वाक्य के दो अंग होते हैं— उद्देश्य एवं विधेय।

01) उद्देश्य — वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य है। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे—

किसान फसल उगाता है।

शीतल खाना पकाती है।

अनुज भिखारी को वस्त्र देता है।

इन वाक्यों में ‘किसान’ ‘शीतल’ तथा ‘अनुज’— के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य हैं।

02) विधेय — उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वह विधेय है। क्रिया को विधेय कहते हैं। जैसे —

प्रतिभा सितार बजाती है।

संध्या स्वेटर बुनती है।

रोहन साइकिल चला रहा है।

इन वाक्यों में सितार बजाना, स्वेटर बुनना, साइकिल चलाना विधेय है।

विश्व की कितनी ही ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें एक ही शब्द के वाक्य हैं। सामान्य व्यवहार में भी एक ही शब्द के वाक्य दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ—

तुम कब आये हो।
कल।
एक—दो महीने तो रूकोगे।
हाँ।

इस बातचीत में 'कल', 'हाँ', एक शब्द के वाक्य हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई पानी, रोटी, घोड़ा, गाड़ी आदि एक शब्द का उच्चारण करता है तो वह अकेला शब्द पूरे वाक्य का अर्थ देता है। यहाँ तक कि जब हम उत्तेजना के क्षणों में एक शब्द बोलते हैं, तो भी वह कथन पूर्ण वाक्य होता है। यथा— जब कोई व्यक्ति बगीचे में साँप को देखकर साँप—साँप चिल्लाता है तो उसका कथन पूर्ण वाक्य का काम कर देता है जिसमें 'यहाँ साँप है' अर्थ की प्रतीति होती है। इसी प्रकार समान चुराकर भागते हुये व्यक्ति के पीछे चोर—चोर! चिल्लाना भी पूर्ण वाक्य होता है।

वाक्य की विशेषताएँ (अवधारणा)—

01) वाक्य भाषा की सहज इकाई है— मनुष्य के द्वारा भाषा का स्वाभाविक प्रयोग वाक्य के रूप में किया जाता है। जो ध्वनि भाषा का मूल आधार होती है, वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनियों के योग से प्रायः शब्द बनते हैं और शब्द अथवा शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं किन्तु भाषा की सहज इकाई वाक्य है।

02) वाक्य में एक शब्द (पद) या अधिक (पद) होते हैं— वाक्य एक से अधिक शब्द रूप पदों वाला होता है। अकर्मक वाक्य कम से कम दो पदों वाला होता है। उन दो पदों में एक पद कर्ता संबंधी तो दूसरा पद क्रिया संबंधी होता है। जैसे 'हवा चली।' सकर्मक वाक्य कम से कम तीन पदों वाला होता है। जैसे— 'लड़के ने नाटक देखा।' लेकिन कभी—कभी किसी शब्द रूप पद के लोप से एकपदीय वाक्य बना रहता है, जैसे— जा, आ, चलो, जाइए आदि वाक्य एकपदीय है क्योंकि इन वाक्यों में कर्ता संबंध

गी पद का लोप हुआ है। इस प्रकार वाक्य एकपदीय या अनेक पदीय होता है।

03) वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण या अपूर्ण होता है—

व्यवहार में वाक्य का उपयोग करते समय कभी वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होता है, तो कभी अपूर्ण होता है। जैसे—

क) अर्थ की दृष्टि से पूर्ण वाक्य —

लड़की बहुत सुन्दर है।

मैं मित्र को पत्र लिखता हूँ।

ख) अर्थ की दृष्टि से अपूर्ण वाक्य —

लड़की बहुत हैं।

राम ने खायी।

04) वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है— वाक्य को व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होना आवश्यक होता है। इसलिए वाक्य में आवश्यक पदों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में सबसे पहले क्रियापद और कर्तापद ये दोनों महत्वपूर्ण और आवश्यक पद होते हैं।

05) वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कम से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है— वाक्य में कम से कम एक समापिका क्रिया होती है। इससे किसी कार्य का होना सूचित होता है। कभी—कभी वाक्य में एक से अधिक भी समापिका क्रियाएँ होती हैं— जैसे—

सुनीता ने गाना गाया। (एक समापिका क्रिया)

राहुल ने कहा कि उज्ज्वल आ जायेगा। (दो समापिका क्रियाएँ)

सुनीता गाना गाता है, उज्ज्वल पुस्तक पढ़ता है और राहुल खेल खेलता है। (तीन समापिका क्रियाएँ) इस प्रकार वाक्य में समापिका क्रिया का होना आवश्यक है।

06) वाक्य में अर्थ की दृष्टि से योग्य पद का चयन होना आवश्यक है— वाक्य के लिए जिस पद का उपयोग करना होता है, उसमें सार्थकता का होना आवश्यक है। जैसे— 'अबला की रक्षा करना पुरुष का धर्म है।' यहाँ 'अबला' पद (शब्द) का अर्थ है—स्वयं का रक्षण करने में असमर्थ बलहीन स्त्री और 'पुरुष' पद (शब्द) का अर्थ है— अपने साथ औरों का भी

रक्षण करने में समर्थ पौरुष सम्पन्न मर्द। इस प्रकार वाक्य में सार्थक पदों का चयन जरूरी है।

वाक्यों के भेद (प्रकार)

वाक्यों के वर्गीकरण के कई आधार हैं—

भाव या अर्थ, रचना, आकृति और शैली इन पांच आधारों को लेकर वाक्य के भेद किये जाते हैं।

01) क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद— वाक्य में क्रिया का अस्तित्व कभी प्रत्यक्ष रूप से बना रहता है तो कभी परोक्ष रूप से बना रहता है। क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं—

क) क्रिया युक्त वाक्य— इस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का अस्तित्व बना रहता है। यथा—

लड़का चलता है।

लड़की पुस्तक पढ़ती है।

ख) क्रिया रहित वाक्य— कभी ऐसे भी वाक्य का प्रयोग होता है, जिसमें परोक्ष से क्रिया का अस्तित्व बना रहता है। जैसे— प्रश्नोत्तर वाक्यों में प्रायः परोक्ष रूप से क्रिया अस्तित्व बना रहता है। यथा —

राम—सुनीत ने गाना गाया, पर तुमने?

मोहन— मैंने भी।

इस प्रकार यहाँ पर तुमने?, मैंने भी। ये दोनों क्रियारहित वाक्य हैं। इस क्रियारहित वाक्य में 'गाया' इस क्रिया का अस्तित्व परोक्ष रूप से है।

02) भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद—

अ) रीति वाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य — जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया जाए उसे रीतिवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—

'मोहन पुस्तक पढ़ रहा है।'

सुनीत बैठा है।

रानी खाना बना रही है।

आ) निषेधवाचक वाक्य — जिन वाक्यों में किसी कार्य का

निषेध किया गया हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य में 'नहीं' शब्द आता है। जैसे—

मैं आज खाना नहीं खाऊँगा।
राम आज स्कूल नहीं जायेगा।
रमन आज खेलने नहीं आएगा।

इ) आज्ञावाचक वाक्य— जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना एवं अनुनय – विनय का भाव प्रकट होता है। जैसे—

सभी छात्र अपनी पुस्तकें खोलें।
तुम सब खड़े हो जाओ।
एक गिलास पानी लाओ।

ई) प्रश्नवाचक वाक्य— जिन वाक्यों से वक्ता द्वारा कोई न कोई प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। जैसे—

मुझसे क्या काम है?
वे क्यों चिल्ला रहे हैं?
आप कैसे हैं?

उ) विस्मयादिवाचक वाक्य— जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे—

वाह! क्या छक्का मारा है।
आह! अब दुख सहा नहीं जाता।
ओह! कितना मनोरम उपवन है।

ऊ) संदेहवाचक वाक्य — जिन वाक्यों में कार्य के प्रति संदेह हो या सम्भावना हो। वहाँ संदेह वाचक वाक्य होता है। जैसे—

लगता है मैंने इस आदमी को कहीं देखा है।
अब तक वह सो गया होगा।
कदाचित मोहन बैठा है।

ए) इच्छावाचक वाक्य— जिन वाक्यों से हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद एवं शॉक आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे—

दूधो नहाओ, पूतो फलो।

तुम्हारा कल्याण हो।

नववर्ष मंगलमय हो।

जा तुझे नरक में भी जगह ना मिले।

ऐ) संकेतवाचक वाक्य – जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाए, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे–

अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते।

यदि वह समय पर पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती।

यदि वह आटो पर नहीं चढ़ता तो नहीं मरता।

रचना के आधार पर वाक्य के भेद –

रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किये जाते हैं–

01) सरल वाक्य या साधारण वाक्य – जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात् एक कर्ता व एक समापिका क्रिया होती है उसे 'सरल वाक्य' या 'साधारण वाक्य' कहते हैं। जैसे– लड़का चला। यहाँ 'लड़का' वाक्य का उद्देश्य और कर्ता भी है। 'चला' वाक्य का विधेय और वाक्य की क्रिया भी है।

02) मिश्र वाक्य –जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और उसके साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे–

'मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाये।' इस मिश्र वाक्य में 'मैं चाहता हूँ।' यह प्रधान वाक्य है और 'कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाये।' यह आश्रित उपवाक्य है, जो प्रधान वाक्य का कर्म है।

03) संयुक्त वाक्य– जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उसे 'संयुक्त वाक्य' कहते हैं। जैसे– 'सुरेश आ गया, दिनेश आ गया और रमेश भी आ गया।' यहाँ तीनों वाक्य प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए यह 'संयुक्त वाक्य' है।

04) आकृति के आधार पर वाक्य के भेद– आकृति के आधार पर वाक्य के मुख्य दो भेद किए जाते हैं– 01) अयोगात्मक वाक्य, 02) योगात्मक वाक्य।

01) अयोगात्मक वाक्य— जिस वाक्य में केवल अर्थतत्त्व की प्रधानता के कारण निश्चित वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अपने मूल रूप में ही प्रत्येक शब्द का (पद का) स्थान क्रम ही संबंध तत्त्व का कार्य करता है, उसे अयोगात्मक वाक्य कहते हैं। अयोगात्मक वाक्य में मूल अर्थात् प्रकृत शब्दों का जो स्थान क्रम होता है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया तो वाक्यार्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। चीनी भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

अ— पा ताङ् शेन = पा मारता है शेन को = पा शेन को मारता है

आ— शेन ताङ् पा = शेन मारता है पा को = शेन पा को मारता है।

इस प्रकार अयोगात्मक वाक्य में अन्य किसी भी प्रकार के प्रत्यय के बिना केवल शब्द (पद) का स्थान क्रम ही संबंध तत्त्व का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

02) योगात्मक वाक्य— जिस वाक्य में निश्चित वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व (योग) पर आधारित पदक्रम महत्व का कार्य करता है, उसे योगात्मक वाक्य कहते हैं। योगात्मक वाक्य के तीन भेद माने जाते हैं—

क) अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य — जिस योगात्मक वाक्य में अर्थ तत्त्व के साथ संबंध तत्त्व के रूप में विभक्ति प्रत्ययों के अलावा अन्य प्रत्ययों की प्रधानता होती है, उसे अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य कहते हैं। यथा— गायें तथा घोड़ी दौड़े। यह हिन्दी भाषा का अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य है।

गाय (अर्थतत्त्व = मूल शब्द) + ँ (बहुवचन प्रत्यय) = गायें (पद)

घोड़ा (अर्थतत्त्व = मूलशब्द) + ई (स्त्रीलिंग प्रत्यय) = घोड़ी (पद)

इस प्रकार यहाँ अर्थतत्त्व के साथ संबंध तत्त्व के रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल से संबंधित प्रत्ययों की प्रधानता है। इसलिए यह अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य है।

ख) श्लिष्ट योगात्मक वाक्य — जिस योगात्मक वाक्य में अर्थतत्त्व के साथ संबंध तत्त्व के रूप में विभक्ति प्रत्ययों की प्रधानता होती है, उसे श्लिष्ट योगात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे—

‘राम ने रावण को बाण से युद्ध में मारा।’ यह हिन्दी भाषा का श्लिष्ट योगात्मक वाक्य है।

यथा, राम (अर्थतत्त्व = मूलशब्द) + ने (विभक्ति प्रत्यय) = राम ने (पद) ।

रावण (अर्थतत्त्व = मूलशब्द) + को (विभक्ति प्रत्यय) = रावण को (पद) ।

बाण (अर्थतत्त्व = मूलशब्द) + से (विभक्ति प्रत्यय) = बाण से (पद) ।

युद्ध (अर्थतत्त्व = मूल शब्द) + में (विभक्ति प्रत्यय) = युद्ध में (पद) ।

‘से’ तथा ‘में’ के योग से ‘बाण से’ और ‘युद्ध में’ ये पद क्रिया विश्लेषण सूचक बन गये हैं ।

ग) प्रश्लिष्ट योगात्मक शब्द— उस एक पदीय (एक शाब्दीय) योगात्मक वाक्य को ‘प्रश्लिष्ट योगात्मक’ वाक्य कहते हैं, जो सभी के थोड़े-थोड़े अंश को ग्रहण करके बन जाता है। जैसे – मेक्सिकन भाषा का एक पदीय वाक्य ‘नीनकक’ (मैं मॉस खाता हूँ) प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य है। जिसमें नेवत्ल (मैं), नकत्ल (मॉस) ‘क’ (खाना) इन शब्दों के थोड़े-थोड़े अंश का पूर्ण योग है। इस प्रकार के वाक्य को ‘पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य’ भी कहते हैं।

05. शैली की दृष्टि से वाक्यों के भेद—

01. अलंकृत वाक्य – अलंकारों से सुसज्जित वाक्य को अलंकृत वाक्य कहते हैं। साहित्यिक भाषाओं में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग बहुतायत से देखा जाता है। यथा— उत्तुंग प्रासाद के पास, प्रतिष्ठा में कलंक की तरह, एक गरीब माली की झोपड़ी थी।

02. अनलंकृत वाक्य – सामान्य और बिना सजावट वाले वाक्य को ‘अनलंकृत वाक्य’ कहते हैं। यथा—महल के पास एक झोपड़ी थी।

03. समान्तरित वाक्य – समान्तरता शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिसमें दो कथनों में भावों और शब्दों का समान्तर प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों में ऐसे वाक्य अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे—

जहाँ चाह वहाँ राह।

कहाँ राजा भोज कहीं गंगू तेली?

साहित्य में भी समान्तरता अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करती है। जैसे—

एक ओर उत्साह था, शक्ति थी, साहस था तो दूसरी ओर अभाव था, गरीबी थी और उनका अहसास था।

04. आवृत्ति वाचक वाक्य – जहाँ मुख्य कथन से पूर्व कई कुतूहलजनक उपवाक्यों की आवृत्ति होती है और अन्त में अभीष्ट कथन को पूरी ताकत के साथ गोली की तरह दाग दिया जाता है, उसे आवृत्यात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे—‘यदि आप धर्म निरपेक्ष व्यवहार चाहते हैं, यदि आप भ्रष्टाचार मुक्त कारभार चाहते हैं, यदि आप एक स्थायी सरकार चाहते हैं, तो अपना बहुमूल्य मत अमुकदल को दीजिए।’

05. श्रृंखलित वाक्य – ग्रामीण लोग संभाषण के समय प्रायः संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उनके पहले वाक्य का अंतिम अंश (विधेय) अगले वाक्य का ‘उद्देश्य’ बन जाता है और वाक्यों की एक श्रृंखला—सी बनती जाती है। इन वाक्यों को ‘श्रृंखलित वाक्य’ कहते हैं, जैसे ‘एक राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक कर एक कुटिया पर जा पहुँचा।’

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वाक्य से कोई न कोई भाव (अर्थ) अवश्य प्रकट होता है। वाक्य रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है। वाक्य रचना उद्देश्य तथा विधेय के योग से होती है। वाक्य के शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। वाक्य संक्षिप्त या कई शब्दों का हो सकता है। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होता है एवं अर्थ की दृष्टि से पूर्ण या अपूर्ण होता है। साथ ही वाक्यों के भेद क्रिया, भाव (अर्थ), रचना, आकृति एवं शैली के आधार पर किये जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथः—

01. भाषा—विज्ञान – डॉ. भोलानाथ तिवारी
02. भाषा – विज्ञान एवं हिन्दी भाषा – डॉ. पंडित बन्ने
03. भाषा विज्ञान – डॉ. राजेश श्रीवास्तव (शम्बर)
04. भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र – डॉ. कपिल देव द्विवेदी
05. सामान्य भाषा विज्ञान – डॉ. बाबू राम सक्सेना
06. भाषा विज्ञान की भूमिका – देवेन्द्र नाथ शर्मा



“छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग में आपसी प्रेम व भाईचारा झलकता है, अपनों के बीच इसका बहुतायत से प्रयोग हो।”

—डॉ रमेश टण्डन फूलबंधिया

15.

वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव विश्लेषण; गहन संरचना, बाह्य संरचना

– डॉ० दिनेश श्रीवास*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 03 (व्याकरण)
रूप प्रक्रिया का स्वरूप और शाखाएँ, रूपिम की अवधारणा और
भेद– मुक्त, आबध्य, अर्थदर्शी, संबंधदर्शी; रूपिम के प्रकार्य, वाक्य
की अवधारणा, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, निकटस्थ अवयव
विश्लेषण, गहन संरचना, बाह्य संरचना,

शब्दों का वह समायोजन जो अपने भाव को पूर्णतः स्पष्ट करे उसे वाक्य कहा जा सकता है। वाक्यों का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है। वाक्य के कई प्रकार भी होते हैं। इसमें एक आधार रचना भी होती है, अर्थात् रचना के आधार पर भी वाक्यों का निर्माण हो सकता है। इन्हीं रचना के आधार पर बने वाक्यों के घटकों को अलग-अलग कर उनका आपस में संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है।

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी,
पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस-सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल.
(हिन्दी), पी-एच.डी. – “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण”
शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध-पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई
काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1.कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध
पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमीनारों में शोध पत्र
की प्रस्तुति, 3. सह-संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड
कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य
अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक
के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता-पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए
जीवन-अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा.
इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए-71, रामाग्रिन सिटी,
बिलासपुर (छ.ग.), मो.बा. नं:- 7770899636, 7974698680, Email ID:
dineshsriwash77@gmail.com

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 146

वाक्य विश्लेषण में वाक्य के अंगों या घटकों को अलग-अलग कर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को वाक्य-विग्रह भी कहते हैं। इस प्रकार रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके सभी अंगों या घटकों सहित पृथक् कर उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है।

वाक्य का सही विश्लेषण कैसे होगा ?

वाक्य के वास्तविक या सही विश्लेषण करते समय हमें यह देखना होगा कि वाक्य अपना सही अर्थ देने में सक्षम है या नहीं। इसके लिए वाक्य की वास्तविक बनावट और उसके तत्वों या अंगों को पहचानने की कोशिश की जाती है। सही वाक्य विश्लेषण के लिए वाक्य के कई स्तरों को भी समझना आवश्यक है। वाक्य विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का अंतिम लक्ष्य संदेश, भाव या विचार सम्प्रेषण है। इसलिए वाक्य के सही सम्प्रेषण के लिए ध्वनियों, व्याकरणिक रचनाओं और अर्थ तत्वों से आगे सन्दर्भ तक जाना होता है। अर्थात् सन्दर्भ और परिवेश भी कभी-कभी वाक्य का सही अर्थ प्रदान करते हैं और इसलिए वाक्य विश्लेषण सही तभी होगा जब इन सबका ध्यान रखा जाए।

वाक्य की रचना के लिए संरचना, व्याकरण, अर्थ तथा सन्दर्भ का ध्यान रखा जाता है। अतः वाक्य विश्लेषण के लिए संरचनापरक, व्याकरणपरक, अर्थपरक तथा सन्दर्भपरक आदि सभी स्तरों को विश्लेषित करना होगा। जैसे- 'सीता को चोट लगी' वाक्य में 'सीता' को कर्ता माना जाता है। लेकिन सीता को चोट किसी दूसरे से लगी है, फिर वह कर्ता कैसे हुई। इस प्रकार इस वाक्य में केवल कर्ता (संज्ञा) के आधार पर वाक्य-विश्लेषण किया गया, जो सही नहीं था। अतः किसी वाक्य का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि संरचनापरक स्तरों के आधार पर सही विश्लेषण नहीं हो सकता, न ही सही अर्थ निकल सकता है। इसलिए सभी स्तरों पर विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

संरचनागत विश्लेषण-

इस स्तर में वाक्य का संरचनात्मक घटकों (शब्दों- जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि) के आधार पर विश्लेषण होता है- जैसे- पुनीता ने जल्दी-जल्दी खाना खाया।

इस वाक्य में संरचनात्मक कोटियाँ इस प्रकार होंगी जो शब्द वर्ग में आएगी।

पुनीता—संज्ञा, खाना—संज्ञा, खाया—क्रिया, जल्दी—जल्दी—क्रिया विशेषण, ने—परसर्ग।

व्याकरणिक विश्लेषण—

इस स्तर में वाक्य के व्याकरणिक भूमिका जैसे— कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि के आधार पर विश्लेषण होता है।

जैसे— रमेश ने सुरेश को जूते से मारा।

इस वाक्य में रमेश→कर्ता, सुरेश→कर्म, जूते से→पूरक, मारा→क्रिया है।

अर्थपरक विश्लेषण—

इस स्तर में लौकिक या वास्तविक जगत की भूमिकाओं के आधार पर निर्धारण होता है या विश्लेषण होता है।

जैसे— अभिकर्ता (सक्रिय कर्ता), अनुभव (कर्ता), भोक्ता, लक्ष्य (कर्म), परिवेश (क्रिया—विशेषण आदि) आदि। “सीता को चोट लगी” में सीता—अनुभव (कर्ता), चोट लगी—क्रिया। “गीता लुडो खेल रही है” में गीता—अभिकर्ता, लुडो—लक्ष्य, खेल रही है—क्रिया।

सन्दर्भपरक विश्लेषण—

किसी विशेष प्रकरण या प्रसंग या सन्दर्भ के अनुसार विश्लेषण होता है। इसमें पूर्व की जानकारी और नई जानकारी दोनों हो सकती है।

जैसे— राम जो यहाँ रहता है, नहीं आएगा।

राम जो यहाँ रहता है → पूर्व जानकारी, नहीं आएगा → नई जानकारी।

“मनोज पीट रहा है” वाक्य में मनोज को कर्ता मानने में बाधा हो सकती है, क्योंकि मनोज को कोई दूसरा पीट रहा है (मार रहा है)। इसमें मनोज मार खा रहा है तो कर्ता कैसे होगा। इसके लिए सन्दर्भ का विश्लेषण करने से ही सही विश्लेषण होगा।

सामान्यतः वाक्य के तीन प्रकार— साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य होते हैं। अतः इस आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार के विश्लेषण होते हैं।

निकट अवयव विश्लेषण (निकटस्थ अवयव विश्लेषण)

वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक पद (शब्द) या रूप वाक्य के ही अंग होते हैं। वाक्य जिन दो या अधिक अंगों से मिलकर बनता है, वे एक-दूसरे के निकट रूप या अंग कहे जाते हैं। यह निकटता अर्थ की दृष्टि से होती है, स्थान की दृष्टि से नहीं। अर्थात् जो पद या अवयव एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हें निकटस्थ अवयव कहते हैं, यह निकटता स्थान की न होकर संरचना या अर्थ की दृष्टि से होती है। निकटस्थ अवयव का महत्व इस दृष्टि से है कि ये किसी वाक्य का सही अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात् निकटस्थ अवयव द्वारा ही किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे— “क्या राम जाएगा ?” इस प्रश्नवाचक वाक्य में क्या और राम पास-पास हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से ‘क्या’ और ‘जाएगा’ निकट हैं। इसलिए ‘क्या’ और ‘जाएगा’ निकटस्थ अवयव हैं, क्योंकि “क्या जायगा” की अर्थ प्रतीति पहले होती है।

इसी प्रकार, “उस देश का राजा मर गया” वाक्य में ‘मर’ के पास ‘गया’ ज्यादा पास है, लेकिन अर्थ प्रतीति के अनुसार “उस देश का राजा” वाक्यांश ‘मर’ के निकटस्थ अवयव है और वाक्यांश “उस देश का राजा” में ‘राजा’, ‘उस देश’ के निकट है।

शब्द या पद के भी निकटस्थ अवयव हो सकते हैं। इसको जानने के लिए शब्द को यथा संभव खण्ड में विभाजित किया जाता है। जैसे— अभारतीय = अ + भारत + ईय, इस शब्द के क्रमिक प्रयोग से निकटस्थ अवयव का पता चलेगा। भारत के साथ ईय प्रत्यय का प्रारंभिक प्रयोग संभव है। इसलिए अ + भारत + ईय = ‘अभारतीय’ में भारत और ईय निकटस्थ अवयव हैं क्योंकि इसमें ‘भारत’ और ‘ईय’ निकट हैं और ‘भारत+ईय’, ‘अ’ के निकटस्थ अवयव हैं क्योंकि ‘अ’ और ‘भारतीय’ निकट हैं। यहाँ ‘अ’ और ‘भारत’ निकटस्थ अवयव नहीं होंगे क्योंकि ‘अ’ और ‘भारत’ निकट नहीं हैं।

निकटस्थ अवयव विश्लेषण एक से अधिक प्रकार से हो सकता है। इसके लिए वाक्य की संरचना उत्तरदायी होती है। अर्थात् वाक्य की अलग-अलग संरचना के लिए अलग-अलग निकटस्थ अवयव विश्लेषण हो सकता है। जैसे— 1. रूको, मत जाओ। 2. रूको मत, जाओ। इन दो वाक्यों में बलाघात का स्थान बदल गया है। पहले वाक्य में बलाघात ‘रूको’ शब्द

पर तथा द्वितीय वाक्य में बलाघात 'रूको मत' वाक्यांश पर है तथा विराम भी इसी प्रकार है। इसलिए इन वाक्यों के निकटस्थ अवयव विश्लेषण भी दो प्रकार से होगा। जैसे—

1. रूको, मत जाओ —> इसमें मत जाओ निकटस्थ अवयव है।
2. रूको मत, जाओ —> इसमें रूको मत निकटस्थ अवयव है।


वाक्य की गहन संरचना और बाह्य संरचना

किसी वाक्य का मानसिक स्वरूप हमारे मन में होता है। उसके बाद उसे हम बोलते या लिखते हैं। हमारे मन में उसका आंतरिक रूप होता है और जब बाहर आता है तो उसका स्वरूप कुछ बदल जाता है। मन में व्याप्त उस रूप को आंतरिक संरचना कहते हैं और जब बाह्य रूप में प्रकट होकर आता है तो उसे बाह्य संरचना कहते हैं। बाह्य संरचना का प्रयोग हम बोलने या लिखने में करते हैं। आंतरिक संरचना वक्ता के मन में होती है जबकि बाह्य संरचना ध्वनियों या लिपि के माध्यम से हमारे सामने होती है।

गहन संरचना—

आंतरिक संरचना को ही गहन संरचना कहते हैं। इसी को अन्तः मुखी संरचना भी कहते हैं। यह बाह्य संरचना के समानार्थी या उसके जैसा ही इसका अर्थ हो सकता है कुछ विभिन्नता लिए हुए। यही समानार्थी रचना गहन संरचना कहलाती है। गहन संरचना को अंग्रेजी में Deep Structure कहते हैं। इस आंतरिक या गहन संरचना में भौतिक और व्याकरणिक घटक अमूर्त होते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से गहन संरचना अपूर्ण भी होती है।

उदाहरण— "मुझे रोशनी दिख" —> यह वाक्य अपने आप में अपूर्ण है, परंतु कुछ अर्थ जरूर प्रदान करता है जिसका अनुमान किया जा सकता है। इसमें काल की पूर्ण जानकारी नहीं है। परंतु इतना पता चलता है कि रोशनी दिखाई दे रही है या दिखाई देगी या ऐसा ही कुछ और अनुमान। लेकिन इस वाक्य का वास्तविक मूर्त रूप हमें बाह्य संरचना में प्राप्त होगा। जैसे— मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। यह अर्थ, काल और व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट व मूर्त है।



यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आंतरिक संरचना के लिए बाह्य संरचना समानार्थी हो। उपरोक्त वाक्य जो वक्ता के मन में व्याप्त है इसमें राम और श्याम के दौड़ से संबंधित है। लेकिन बाह्य रूप में आकर अर्थात् मन के बाहर आकर इसका विपरीत अर्थ भी प्रदान कर सकता है।

जैसे— राम और श्याम दौड़ → राम और श्याम की दौड़ नहीं हुई

(आंतरिक संरचना) ↓ (बाह्य संरचना) ↓

इस उदाहरण में बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना के निषेध रूप में व्यक्त हुई है। आंतरिक या गहन संरचना को बाह्य संरचना में रूपान्तरित करने के लिए कई नियम एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें क्रम का पालन भी होना अनिवार्य है।

जैसे— क्या सीता खाना नहीं पका रही ?

वाक्य की आंतरिक संरचना → “सीता खाना पका रही है” → होगी

अब इस आंतरिक संरचना से बाह्य संरचना में रूपान्तरण के लिए इसमें प्रश्नावाचक, निषेधवाचक और लोप नियम एक निश्चित क्रम से कार्य करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा में गहन तथा बाह्य संरचना भिन्न-भिन्न होती है। लेकिन सभी भाषाओं में गहन संरचना, बाह्य संरचना से अधिक होती है। गहन संरचना अर्थ अभिव्यक्त करती है तो बाह्य संरचना उसे विशेष रूप देती है। बाह्य संरचना अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का प्रयोग कर कई अर्थ निकाल सकता है।

“उपकार करो और भूल जाओ, तब लोग याद रखेंगे;
 उपकार करो और याद रखो, तब लोग भूल जाएंगे।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

16.

अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध

— प्रो० करुणा गायकवाड़*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान), इकाई – 04 (अर्थ विज्ञान)

अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध, पर्यायता, अनेकार्थता, विलोमता, अर्थ परिवर्तन

अर्थ की अवधारणा

भाषा का प्रयोग अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ही होता है। ध्वनि, स्वनिम, अक्षर से ऊपर की सभी इकाईयों जैसे— शब्द, रूप, पदबंध तथा वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। अर्थ की परिभाषा देना वस्तुतः एक कठिन कार्य है।

अर्थ की सामान्य परिभाषा

किसी भी भाषिक इकाई जैसे— वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को सुन या पढ़कर उस भाषा के जानकार को उसकी किसी भी इन्द्रिय (प्रमुखतः— कान, आँख) को जो मानसिक प्रतीति होती है, वही उसका अर्थ है। अर्थात् शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है।

* जन्म तिथि : 09 फरवरी 1979, भिलाई, माता : श्रीमती चन्द्रकला बनाईत, पिता : श्री सोनीराम बनाईत, पति : श्री आलोक गायकवाड़, योग्यता : एम. एस—सी, बी. एड., एम. ए., सेट, नेट, टेट, सी टेट, कार्यक्षेत्र : महाविद्यालय में अध्यापन, रुचि: अध्ययन, काव्य लेखन, संगीत श्रवण, अन्य : पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षा कर्मी वर्ग— 3, 2 व 1 पद पर चयनित, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय दीपका, जिला— कोरबा, मो० नं० 9179057713, मेल आई डी— karu123.kar@gmail.com

अर्थ की प्रतीति :- भर्तृहरि ने अपने अर्थ – लक्षण में प्रतीति को मुख्य माना है। अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है—

(अ) आत्म अनुभव से अर्थात् स्वयं किसी चीज का अनुभव करके। उदाहरण के लिए— 'चीनी मीठी होती है' ये मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने से होती है। पानी, गर्मी, धूप के अर्थ की प्रतीति भी इसी प्रकार होती है।

(ब) पर अनुभव से – अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती। उस क्षेत्र से सम्बद्ध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभव या ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए— हममें से अनेक लोगों ने 'जहर' नहीं देखा होगा, किन्तु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि जहर जीव को मार डालने वाला होता है। अतः 'जहर' शब्द के अर्थ की प्रतीति का मूलाधार आत्म-अनुभव न होकर पर-अनुभव है। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर आदि अन्य भी अनेक प्रकार के शब्द हो सकते हैं।

अर्थ के स्वरूप की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। अर्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुये 'यास्क' ने कहा है कि "बिना अर्थ को जाने हुये शब्द को दुहराने से इच्छित अर्थ उसी प्रकार प्रकाशित नहीं होता जैसे अग्नि के अभाव में शुष्क ईंधन कभी नहीं जल सकता।" अर्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुये पतंजलि ने बहुत पहले ही कह दिया था कि समस्त शब्द (भाव) अपने-अपने अर्थ का बोध कराने के लिये होते हैं, परन्तु जिस अर्थ बोध के लिये शब्द प्रयुक्त होता है वही उसका अर्थ होता है।

शब्द की अवधारणा

एक या एक से अधिक वर्णों (बहुविकल्पी शब्द वर्णों) से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। जैसे— एक वर्ण से निर्मित शब्द – न (नहीं), व (और); अनेक वर्णों से निर्मित शब्द— कुर्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि ।

भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज्यादा शब्द मिलकर पद बनते हैं और पद मिलकर वाक्य बनते हैं।

अर्थ के आधार पर शब्द के भेद

1. पर्यायवाची,
2. विपरीतार्थक शब्द,

3. समरूप भिन्नार्थक या श्रुतिसम भिन्नार्थक,
4. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
5. अनेकार्थी शब्द,
6. एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द।

शब्द और अर्थ में सम्बन्ध

अर्थ के बिना शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ के बिना भाषा का कोई मूल्य नहीं है। शब्द को यदि शरीर कहे, तो अर्थ उसकी आत्मा है। शब्द के उच्चारण से श्रोता को जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति को अर्थ की संज्ञा दी जाती है। यह प्रतीति हमें ज्ञानेन्द्रिय और मन के द्वारा होती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अर्थ भाषा का अभ्यंतर रूप है और शब्द बाह्य रूप। शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से किया है। दोनों ही शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को अतिच्छेद्य मानते हैं।

शब्द और अर्थ पर सूक्ष्म चिंतन करने से यह ज्ञात होता है कि शब्द के द्वारा पहले उसका निजी भाषायी स्वरूप प्रकट होता है और उसके पश्चात् उसका अर्थ-बोध होता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध स्पष्ट होता है।

उदाहरण— यह कलम है।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 'कलम' कहने से 'कागज', 'पुस्तक' या अन्य किसी वस्तु का बोध नहीं होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शब्द से विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। यही कारण है कि वक्ता और श्रोता प्रायः एक शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। शब्दों का अर्थ जन सामान्य द्वारा स्वीकृत होता है। यदि जन-सामान्य द्वारा 'फूल' या अन्य किसी शब्द का भिन्न कोई अर्थ मान लिया जाये, तो वही अर्थ प्रकट होगा।

“जब एक शब्द का उच्चारण दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं, तो उसके उच्चारण में अंतर होने का स्पष्ट भान होता है। इस उच्चारण-भिन्नता से ही वक्ता को उसके अर्थ की स्पष्ट जानकारी मिलती है। एक शब्द को चाहे जितने आदमियों द्वारा प्रयोग किया जाए किन्तु उनका समान ही अर्थ निकलता है।”

शब्द और अर्थ के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण

भारतीय विद्वानों ने सर्वप्रथम इसके स्वरूप के सम्बन्ध में व्याकरणिक आधार पर विचार किया था। भाष्यकार, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अर्थ को शब्द की अंतरंग शक्ति माना है, क्योंकि शब्द, शब्द से ही बहिर्भूत होता है किन्तु अर्थ उससे अभिन्न होता है, अर्थ को शब्द से अलग करके नहीं देखा जा सकता वह उसमें अन्तर्निहित रहता है क्योंकि उसी की शक्ति विशेष है। अर्थ ज्ञान शब्द के द्वारा होता है, जब कोई शब्द सुना जाता है तब वह प्रथम अपने स्वरूप का बोध कराता है, तदान्तर जब तक शब्द के उच्चारण को ध्यान से नहीं सुना जायेगा, अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। पतंजलि, शब्द के अर्थ में प्रवृत्ति को चार प्रकार का बताते हैं— जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य चार प्रकार के अर्थ हैं। मानव, गौ आदि जातिवाची शब्दों से मानव और गौ जाति का बोध होता है। गुणावाची शब्दों में पीत, अरुण, श्वेत आदि गुण का; क्रियावाची शब्दों से चलना, फिरना, घूमना, खाना, पीना आदि क्रिया का; यदृच्छा शब्द जो कि व्यक्ति विशिष्ट द्वारा किसी न किसी के नाम रखे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य, दुग्ध, घृत, तेल आदि का बोध होता है।

शब्द और अर्थ के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण

अर्थ के स्वरूप के संबंध में पश्चिमी भाषा वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त चिन्तन एवं विवेचन किया है। जे.गेसर के अनुसार – “अर्थ और बोधत्व वस्तु के मध्य एक मुख्य संबंध है, क्योंकि अपने विषय के माध्यम से बोधत्व अभिव्यक्त होता है। जो अर्थ किया जाता है वह विचार अथवा भाषा के विषय में स्थित रहता है। अतएव शब्द, अर्थ और विषय में भेदक ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।” सी. के. आंगडेन और सी. आई. ए. रिचर्ड्स ने अर्थ की प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, जिसे अर्थ के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है— “शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़ा गया अन्य शब्द अर्थ है।”

“भाव का संकेत अर्थ है।”

इस प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उसके माध्यम से पता चलता है कि अर्थ, शब्द की आत्मा है और वह एक ऐसी शक्ति है जो शब्द के उच्चारण मात्र से उस वस्तु का ज्ञान कराती है जिसके सम्बन्ध में कोई शब्द उच्चारित किया गया हो या लिखा गया हो।

अर्थ ज्ञान के साधन

‘गाय’ कहने से ‘गाय’ पशु का अर्थ लिया जाता है, ‘घोड़े’ का नहीं। भाषा में शब्द सार्थक होते हैं। वह शब्द किसी अर्थ (वस्तु) विशेष का

बोध कराता है या अर्थ का संकेतित करता है। यह संकेत यादृच्छिक होता है। समाज द्वारा स्वीकृत होता है। एक ही शब्द (या ध्वनि समूह) का अर्थ भाषा भेद से बदल जाता है। गो का अर्थ अंग्रेजी में जाना होता है तो संस्कृत में गाय है। ध्वनि समूह से वस्तु के बोध या शब्द से अर्थ के बोध की प्रक्रिया को शक्ति ग्रह या संकेतग्रह कहा जाता है। यह संकेतग्रह लोक-व्यवहार एवं अनुभव से होता है। आचार्य जगदीश ने संकेतग्रह या अर्थ ज्ञान के आठ साधन माने हैं— 1. व्याकरण, 2. उपमान, 3. कोश, 4. आप्तवाक्य, 5. व्यवहार, 6. वाक्यशेष (प्रकरण), 7. विवृति (विवरण, व्याख्या), 8. प्रसिद्ध पद का सानिध्य।

व्याकरण— शब्दों के अर्थ जानने के लिए व्याकरण की सहायता ली जाती है। व्याकरण से प्रकृति – प्रत्यय, शब्दरूप, समास, तद्धित, उपसर्ग, कृत प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्ययों आदि का बोध होता है।

उपमान— इसका अर्थ होता है सादृश्य। यदि किसी प्राणी या वस्तु को पूछने वाले के सामने प्रत्यक्ष नहीं कराया जा सकता, तब बताने वाला उसके समीप की किसी परिचित वस्तु का उल्लेख करके कहता है कि वह इसके समान है।

कोश— शब्दकोश मुख्यतः शब्दों के अर्थ बताता है। हम प्रायः दैनिक जीवन में काम न आने वाले शब्दों का अर्थ याद नहीं कर पाते। उनके अर्थ हम कोश की सहायता से जान लेते हैं।

आप्तवाक्य— यथार्थ वक्ता को 'आप्त' कहते हैं। वेद, शास्त्र, गुरु, माता-पिता आदि आप्त हैं। आप्तों को विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान रहता है या वे विषय के विशेषज्ञ होते हैं। उनकी बात मानकर हम बचपन से सारे शब्द और उनके अर्थ जान जाते हैं।

व्यवहार— अर्थ बोध का व्यापक प्रमुख साधन है— लोक-व्यवहार। बच्चा वयस्क लोगों से अनेक प्रकार के वाक्य सुनता है, उनकी क्रियाओं को देखता है। वह शब्दों के अर्थों का ज्ञान उनसे प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन भर इसी साधन से अपनी शब्दावली बढ़ाता रहता है।

वाक्यशेष (प्रकरण)— वाक्य में प्रयोग होने पर प्रकरण के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है। रस शब्द के कई अर्थ लिए जा सकते हैं। षड् रस कहने से मधुर, तिक्त, अम्ल आदि रसों का, नव रस कहने से श्रृंगार, हास्य, करुण आदि साहित्यिक रसों का, 'रस पीजिए' कहने से शरबत का, 'आपकी बात में बहुत रस मिलता है' कहने से आनन्द का बोध होता है। उसी प्रकार पानी अर्थ प्रसंग के अनुसार बदलकर जल, सौंदर्य हो जाएगा। 'मुझे

जल चाहिए' और 'घर जल रहा है', इन दोनों वाक्यों में जल का अर्थ अलग-अलग है। पहले में वह वस्तु का अर्थ देता है तो दूसरे में क्रिया का अर्थ। कभी-कभी किसी वाक्य का अर्थ किसी अन्य वाक्य के अर्थ पर आधारित होता है। जैसे- "अभी-अभी वाजपेयी जी ने राष्ट्रसंघ में अपना अभिभाषण रखा है। यह कदाचित् पहला अवसर था कि भारत के कोई प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण दें।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने राष्ट्रसंघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया है।

विवृति— विवृति का अर्थ है— विवरण या व्याख्या। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके अर्थ एक ही शब्द के द्वारा बताया नहीं जा सकता। उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। विवृति के द्वारा शब्द के विविध पक्षों को उदाहरण, भेद-उपभेद आदि के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पारिभाषिक, तकनीकी या दार्शनिक शब्दों को बिना व्याख्या के नहीं समझा जा सकता।

प्रसिद्ध पद का सानिध्य— हम वाक्य के एक-दो अज्ञात शब्दों के अर्थ ज्ञात (सिद्ध) पदों की समीपता के आधार पर करते हैं। जैसे- "बाग में गुलाब, बेला, चमेली, गुलशब्बो खिले हैं।" इस वाक्य से हम जान जाते हैं कि गुलशब्बो भी एक फूल है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, करंजुआ नाम एक साथ लेने पर हम समझ जाते हैं कि करंजुआ भी एक अनाज है।

निष्कर्ष —

शब्द और अर्थ तत्त्वतः एक ही है। वे अलग-अलग केवल प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे अलग-अलग नहीं हैं। इस विषय में तुलसीदास का विचार अत्यन्त स्पष्ट एवं सटीक है। उन्होंने कहा है — गिरा अर्थ, जल वीची सम कहियत भिन्न अर्थात् जिस प्रकार जल की तरंगे जल से कदापि भिन्न नहीं होती, फिर भी भिन्न प्रतीत होती है, ठीक उसी प्रकार शब्द और अर्थ भी भिन्न प्रतीत होते हुए भी अभिन्न होते हैं।



“सत्कर्म की शुरुआत करके पूर्णता को प्राप्त करो,
इसके लिए हर सम्भव सच्चा प्रयत्न करो।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबांधिया

17.

पर्यायता, विलोमता, अनेकार्थता

— श्रीमती अमोला कोर्राम*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),

इकाई – 04 (अर्थ विज्ञान)

अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध, पर्यायता, अनेकार्थता,
विलोमता, अर्थ परिवर्तन

पर्यायता

भाषा धीरे-धीरे विकास करती है और कुछ न कुछ बनती रहती है। भाषा में नए शब्द जन्म लेते हैं और पुराने शब्द मरते जाते हैं। शब्दों के मरने का अर्थ है ऐसे शब्द जो प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसे— अघेला, छटॉक, गंडा आदि शब्द प्रचलन में नहीं हैं। इसलिए ये मृत शब्द हैं। जब हमें कोई नई चीज, नया विचार या नया भाव मिलता है, तब हम उसके लिए कोई नया शब्द गढ़ लेते हैं। इस तरह नए शब्दों का जन्म होता है। शब्दों के रूप में भी बदलते रहते हैं।

एक भाषा के कई पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक नहीं होता वरन् उनमें अंतर देखने को मिलता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अधिकतर कवियों के द्वारा किया जाता है।

पर्याय विज्ञान— यह अर्थ विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। पर्याय विज्ञान ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और तुलनात्मक सभी प्रकार का हो सकता है। पर्यायवाची शब्द एकार्थी होते हैं। उन्हें समनार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्याय विज्ञान के अनेक रूप भेद हैं परंतु मुख्य तीन हैं—


*जन्म : 05 मई 1971, नाहंदा, बालोद, माता : श्रीमती प्रेमबाई सेवता, पिता : सुखसिंह सेवता, पति : श्री वीरेन्द्र कुमार, शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी, भूगोल), बी. एड., सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय ई. वि. स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.), भारत, मो0 नं0 : 9993320162, मेल amolakorram@gmail.com

(1) **वर्णनात्मक**— इसमें काल विशेष में प्रचलित भाषा के पर्यायों का अध्ययन किया जाता है। पर्याय कोषों का निर्माण इसी आधार पर किया गया है तथा प्रयोग की दृष्टि से पर्यायों के सूक्ष्म अर्थ भेद का बोध होता है।

(2) **ऐतिहासिक**— ऐतिहासिक पर्याय विज्ञान में किसी भाषा में समय-समय पर हुए पर्याय विषयक विकासों आदि का अध्ययन किया जाता है।

(3) **तुलनात्मक**— दो या दो से अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में हो सकता है। इस प्रकार के अध्ययन बहुत कम हुए हैं।

पर्याय शब्दों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं—



1. **एकार्थी (पूर्ण पर्याय)**— इन्हें पूर्ण पर्याय भी कहा जाता है। किसी भाषा के शब्द जो सभी संदर्भों में प्रयोग किए जाने पर समान अर्थ देते हैं। जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वह भाव को प्रकट करता है तो वह एकार्थी शब्द है। जैसे संतरा – नारंगी, भावमय – भावपूर्ण। जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है, उनमें से 99 प्रतिशत एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं।

उदाहरण— मुश्किल और कठिन दो शब्द हैं, परंतु प्रयोग के आधार पर दोनों में अंतर है, उदाहरण— 'वह लड़का मुश्किल से पाँच वर्ष का होगा।' किन्तु इस वाक्य को यह नहीं कह सकते कि वह लड़का कठिन से पाँच वर्ष का होगा। इसी प्रकार, 'इस काम में बहुत कठिनाई है।' को 'इस काम में बहुत मुश्किलाई है', नहीं कह सकते। इस तरह हिन्दी में यह दोनों

शब्द समानार्थी हैं किन्तु एकार्थी नहीं है।

2. समानार्थी (अपूर्ण पर्याय)— किसी भाषा के वे शब्द जिनका अर्थ एक न होकर समान होता है, समानार्थी कहलाते हैं। पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। पंत जी ने पल्लव की भूमिका में समीर, वात, पवन, समीकरण आदि कुछ पर्याय के भेद की चर्चा की है —

(1) शैलिक— एक अर्थ रखने वाले शब्द, वाक्य की शैली के अनुरूप ही प्रयुक्त होते हैं। दो या अधिक शब्दों का अर्थ तो प्रायः एक होता है, किन्तु प्रयोग में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाक्य में एक ही शब्द आ सकता है या उपयुक्त लगता है। उदाहरण— सौन्दर्य और लावण्य, सुषमा और शोभा, यौवन और तरुण आदि शब्द समान अर्थ रखने वाले शब्दों के प्रसंग विशेष की शैली के अनुरूप होने में ही सार्थकता है। डॉ. तिवारी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है— सौन्दर्य और खूबसूरती में अंतर नहीं है। किन्तु 'कल्पनालोक की वह अभूतपूर्व अप्सरा साकार सौन्दर्य थी' वाक्य में सौन्दर्य के स्थान पर खूबसूरती का प्रयोग अच्छा नहीं होगा।

उदाहरण— सौन्दर्य—खूबसूरती, आज्ञा—इजाजत, बेहद—असीम, प्रसन्नता—खुशी, शुद्ध—पाक, जरूर—अवश्य, अशुद्ध—नापाक, बेसक—निःसंदेह, कठोर—सख्त आदि जोड़ा का अंतर भी प्रायः इसी स्तर पर है।

(2) वैचारिक— कुछ शब्द वैचारिक दृष्टि से एक ही अर्थ के समीप आ जाते हैं। हम उनके कभी अर्थ भेद कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते। जैसे— डॉक्टर—वैद्य—हकिम, ईश्वर—अल्लाह—गॉड, रानी—बेगम, स्कूल—मदरसा—पाठशाला—विद्यालय, ठर्रा—विस्की—बियर —ब्रांडी—शेंपेन, घोड़ा—टट्टू—खच्चर, मंदिर—मस्जिद—गुरुद्वारा—चर्च, टीचर—अध्यापक—मुदरिया, केसरिया—पीला—गंधकी आदि।

(3) क्षेत्रीय— एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नाम क्षेत्रीय पर्याय कहलाते हैं। जैसे— दिल्ली में तोरी (सब्जी), इलाहाबाद में नेनवां, बलिया में घेवड़ा कहा जाता है। तरबूज को पंजाबी में इदवाना और उत्तरप्रदेश में भतीरा, दिल्ली में तरबूज, जमीकंद को छत्तीसगढ़ में जिमीकांदा, दिल्ली में सुरन, बंगाल में ओल आदि नामों से जाना जाता है।

(4) प्रायोगिक— शैलिक या वैचारिक अंतर न होने पर भी परंपरागत प्रयोग के कारण एक शब्द के स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता। 'वह

पानी-पानी हो गया' को वह 'जल-जल हो गया' नहीं कह सकते। उदाहरण- 'जलपान कर लीजिए' को 'नीरपान कर लीजिए' नहीं कह सकते। रहीम के दोहे में प्रयुक्त पानी शब्द 'पानी बिना न उबरै, मोती मानुष चून', भिन्न-भिन्न प्रयोगों अथवा संदर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थ देता है।

भाषा में पर्याय के विकास के प्रमुख कारण -

(1) अर्थ परिवर्तन :- अर्थ परिवर्तन के कारण बहुत-से शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्दों के समीप पहुँच जाते हैं। इस प्रकार पर्याय में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण- 'हरे- हरे-राम-राम' में शब्द 'हाय-हाय', छी-छी का अर्थ देने लगे और 'राम-राम', नमस्ते का। इसी प्रकार रोटी खाने का अर्थ था- आजीविका। पैसा- धन का, लाल झंडा- कम्यूनिस्ट का पर्याय बन गया है।

(2) विकास के साथ नया ज्ञान :- ज्यों-ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, त्यों-त्यों उसकी अभिव्यक्ति के नये शब्दों का आविष्कार होता जाता है। पहले केवल लाल शब्द रहा होगा। आज लाल-सिंदुरी, इगुरी, गुलाबी, प्याजी, लाखा-तरबुजी, अबीरी, टमाटरी आदि अनेक वैचारिक अंतर वाले प्रयोग में आने लगे हैं। ठर्रा-वाइन-शेंपेन-बियर आदि।

(3) विदेशी संपर्क :- विदेशी भाषा के संपर्क में आने के कारण भी पर्याय बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों, अंग्रेजों के आने पर अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं के अनेक शब्द हिन्दी शब्दों के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे राजा-बादशाह, नारंगी-संतरा, दिया-चिराग, स्त्री-औरत, इमारत-भवन-बिल्डिंग, अंतिम-आखिरी, अधिकार-काबू, आयु-उम्र, टेलीफोन-दूरभाष-मोबाइल, सहस्त्र-हजार, यदि-अगर आदि।

(4) प्रत्यय/उपसर्ग (व्याकरणिक साधनों का प्रयोग) :- इसके कारण भी पर्यायों में वृद्धि होती है। उपसर्ग/ प्रत्यय के प्रयोग से दो शब्द बन जाते हैं। जैसे, भावमय-भावपूर्ण- भावयुक्त, मनुष्यत्व-मनुष्यता, सौन्दर्य-सुंदरता, अपढ़-अनपढ़, उत्साहशून्य-उत्साहीन- निरूत्साह, जनशून्य-जनरहित-जनहीन, थकान-थकावट, ध्यानमग्न-ध्यानलीन-ध्यानरत, संबधित तथा संबंध आदि।

(5) अनुवाद:- अन्य भाषाओं के शब्दों के अनुवाद जब भाषा में आ जाते हैं। जैसे, अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी रूपान्तरण के अन्तर्गत गर्वनर-राज्यपाल, कमिश्नर-आयुक्त, सोशलिज्म-समाजवाद, सेक्रेट्रिएट-सचिवालय,

प्रेसीडेंट-राष्ट्रपति, कम्युनिज्म-साम्यवाद, चीफगैस्ट-मुख्यअतिथि, यूनिवर्सिटी-विश्वविद्यालय, वाइसचांसलर-उपकुलपति, कलेक्टर-जिलाधीश आदि शब्द बने।

(6) पुराने शब्दों का उद्धार :- सांस्कृतिक जागरण अथवा अनुराग के कारण कभी-कभी प्राचीनकाल में प्रयुक्त अप्रचलित शब्दों का वर्तमान में पूर्णतः पुनरुद्धार हो जाता है। प्राचीन और वर्तमान प्रयोग पर्याय रूप में प्रचलित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्कल-उड़ीसा, बनारस-वाराणसी, रूपनगर-रोपड़, चेन्नई-मद्रास, पत्ता-पत्र, मुँह-मुख, पोथी-पुस्तक आदि।

(7) संक्षेप :- अंग्रेजी भाषा की एक प्रवृत्ति शब्दों का आधाक्षर लिखने के अनुकरण पर दूसरी भाषाओं में भी संक्षेपण की प्रवृत्ति आ गई है। इससे मूलरूप और संक्षिप्त रूप पर्याय-से बन जाते हैं। उदाहरण- भारतवर्ष-भारत, पाकिस्तान-पाक, भारतीय जनता पार्टी-भाजपा, टेलीविजन-टी.वी., दूरदर्शन समाचार-दू.द.स., जीवन बीमा निगम-एल.आई.सी., द्रविड़ मुनेत्र कगडम्-द्रमुक, आकाशवाणी भवन-आ.वा.भ. आदि।

(8) जनभाषा से शब्दों को लिया जाना :- कभी-कभी अपने कथन को स्थानीय रंगत देने के लिए जनभाषा के शब्दों का प्रयोग होने लगता है। नीक - (अच्छा) भला, लड़का - जातक (गंदेला) तथा दीखना-लौकना आदि।

(9) ध्वनि परिवर्तन :- ध्वनि परिवर्तन से एक ही शब्द के दो रूप हो जाते हैं। जैसे - काष्ठ-काठ, हस्ती-हाथी, हस्त-हाथ, कृष्ण-कान्हा, दधि-दही आदि पर्याय केवल शब्द ही नहीं, वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। जैसे- मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने का, वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह अनपढ़ है, वह लड़का चला गया जो आया था, जो लड़का आया था वह चला गया, मैंने उससे बैठने को कहा, मैंने उससे कहा तुम बैठो।

पर्यायवाची शब्द

असुर - दनुज, तमीचर, राक्षस, निशाचर, दंतुज, दानव, यातुधान, दैत्य।

अनल - धूमकेतु, वैश्वानर, पावक, वह्नि कृशानु, अग्नि, आग, दहन, जातिवेद।

- अंश – पक्ष, शरीर, सहायक, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग ।
अश्व – घोड़ा, तुरंग, घोटक, सैधव, हय, बाजि ।
अमिय – सोम, सुधा, अमृत, सुरभोग, पीयूष, देवरस, आबे—हयात ।
अनी – चूम, अनीकनी, कटक, दल, फौज, सेना ।
आसमान – पुष्कर, आकाश, अनंत, अतरिक्ष, अभ्र, खगोल, शून्य,
व्योम, नभ, गगन, अम्बर, तारापथ, द्यौ ।
आँख – दृग, चक्षु, नेत्र, लोचन, अक्षि, नयन, चख, विलोचन, नैन ।
आम – सहकार, आम्र, रसाल, फलराज, अति, शौरभ, अमृतफल ।
इन्द्र – वासव, मेघवाहन, पुरंदर, सुरपति, मघवा, शचीपति, सुरेश,
देवेन्द्र, देवराज ।
ईश्वर – जगदीश, पिता, जगन्नाथ, परमात्मा, परमेश्वर, जगत, प्रभु,
परमेश, अनन्त, ईश, प्रभु, भगवान ।
इच्छा – स्पृहा, बाँछा, मनोरथ, अभिलाषा, चाह, आकांक्षा, वासना,
कामना, तमन्ना, ख्वाहिश, आरजू ।
कमल – राजीव, कंज, पुण्डरीक, उत्पल, पद्म, अरविन्द, सरसीरुह,
नलिन, अंबुज ।

विलोमता

एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम, विपर्याय या विपरार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों का ज्ञान रखना विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है। जैसे— राजा—प्रजा (शासक—शासित का आधार), राजा—रंक (धन सम्पत्ति का आधार), धनी—निर्धन, पतला—मोटा, बड़ा—छोटा, लिंगभेद— घोड़ा—घोड़ी, बैल—गाय, राजा—रानी, आदि और वचन भेद— घोड़ा—घोड़ों, मनुष्य—मनुष्यों के आधार पर शब्दों की विलोमता की स्वीकृति विवादस्य है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ शब्दों के विलोम भी नहीं होते। घास, कलम, दीवार, द्वार, कुआँ, पोखर तथा कूड़ा आदि इसी प्रकार के शब्द हैं, जिनके विलोम शब्द नहीं होते। कभी—कभी अपनी संरचना (सत्य—असत्य, यश—अपयश, आशा—निराशा, कृतज्ञ—कृतध्न, नेकनाम—बदनाम) में भी विलोम होते हैं। विलोम शब्द तो होते ही हैं, वाक्य (राम गया, राम नहीं गया) भी होते हैं।

विलोमता के तीन सिद्धांत :-

1. **पूरकता** :- जहाँ एक शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे का पूरक होता है। इसमें एक शब्द के निषेध से दूसरे की स्वीकृति हो जाती है। जैसे –

वह महानगर में नहीं रहता है। (निषेध)

वह गाँव में रहता है। (स्वीकृति)

2. **विरुद्धार्थता** :- दो वस्तुओं के बीच गुण, सामान्य धर्म या दो स्थितियों के बीच अंतर ही विरुद्धार्थता है। जैसे– अमृत–विष, दिवस–रात्रि, उचित–अनुचित आदि।

3. **प्रतिलोमता** :- प्रतिलोमता के अंतर्गत एक विधेय को दूसरे विधेय में परिवर्तन किया जा सकता है।

जैसे– मोहन की पत्नी सरिता है।

सरिता के पति मोहन है। यहाँ पति–पत्नी विरुद्धार्थक न होने पर भी प्रतिलोम संबंध है।

अनेकार्थता

एक शब्द समानार्थक शब्दों के माध्यम से एक ही शब्द के द्वारा हम सैकड़ों शब्दों से परिचित हो जाते हैं। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ के धारण करने पर भी पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दशा में कभी कभी तीन–चार अर्थ एक ही समय में चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है, कभी विस्तृत में और कभी स्थूल में तो कभी सूक्ष्म में।

सुबरन को ढूँढंत फिरत कवि विभचारी चोर।

यहाँ सुबरन शब्द कवि के लिए उत्कृष्ट निर्दोष शब्द, व्यभिचारी के लिए रम्य मोहक रूप तथा चोर के लिए स्वर्ण (धन सम्पत्ति) अर्थ रखता है। अनेकार्थक शब्दों की सुंदर योजना को अलंकरण माना गया है और कवियों में श्लेष अत्यंत प्रिय अलंकार है।

उदा.– रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गये न ऊबरै, मोती मनुष चून।।

संस्कृत में तो ऐसे शब्दों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनके पच्चीस–पच्चीस अर्थ निकलते हैं। यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं–

हरि :- विष्णु, इन्द्र, वानर, अश्व, सिंह, मृग, चंद्र, जल, सूर्य, अग्नि, मेंढक, घोड़ा, हवा, पहाड़, हाथी, कामदेव आदि।

सारंग :- मृग, कोकिला, दीपक, मयूर, चातक, भ्रमर, खंजन, सूर्य, चन्द्रमा, कृष्ण, विष्णु कामदेव, हाथी, घोड़ा, सोंप, पृथ्वी, एक राग का नाम मेघ, शोभा, कमल तथा भौरा आदि पच्चास से अधिक अर्थ हैं।

शब्द की अनेकार्थकता के लिए उत्तरदायी कारणों को इस प्रकार भी समझा जा सकता है।

1. लक्षणा से :- लक्षणा रुढ़ि अथवा प्रयोजना के कारण शब्द अपने अर्थ को छोड़कर अथवा उसके साथ-साथ अन्यान्य अर्थों को ग्रहण कर लेता है।

जैसे :- 'पानी बिना न ऊबरे, मोती, मानुष चून' पंक्ति में प्रयुक्त पानी का अर्थ जहाँ चून के संबंध में जल है, मोती के विषय में चमक और मनुष्य के विषय में सम्मान है।

2. सादृश्य :- घोड़ी का मूल अर्थ मादा-घोड़ा है, किंतु सादृश्य के आधार पर चार पैर के उस ऊँचे स्टूल को भी घोड़ी कहते हैं जिस पर चढ़कर मकान की पुताई की जाती है। गाड़ी के नए-नए रूप विकसित हुए परंतु अर्थ वही है बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, पैरगाड़ी, मोटरगाड़ी। युग संदर्भ से केवल गाड़ी कहने से अर्थ लगा लेते हैं।

3. व्याकरणिक प्रक्रिया :- हिन्दी में खाना और खेलना दोनों क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप खिलाना बनता है। इस खिलाना रूप को भी सार्थक मान लिया जाता है।

4. स्रोत भिन्नता :- कई अलग-अलग स्रोतों से विकसित शब्द समध्वनीय हो, तो भी वे अनेकार्थक कहे जाते हैं। जैसे :- हिन्दी का आम संस्कृत के आम्र से आया है। परंतु आम उर्दू का आम (आम आदमी) अरबी से आया है, अतः दोनों का अर्थ भिन्न है।

5. संहिता :- शब्दों के पारस्परिक योग और अयोग से भी अनेकार्थकता आ जाती है। भूषण की पंक्ति 'तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के', में 'बरछी ने' में एक प्रयोग बरछी ने (बरछी), दूसरा 'बर छीने' में बर छीनना है। इस प्रकार संयोग वियोग से अर्थभेद हो गया।

पर्याय वाक्यों के समान ही विलोम वाक्यों की कल्पना भी की गई है। उनके अनुसार अनेकार्थी केवल शब्द ही नहीं होते वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरण के रूप में रोटी का प्रयोग देखिए—

1. आज कल रोटी का क्या संबंध है ?
2. बिना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा ?
3. गेहूँ की रोटी ।
4. धनिक गरीबों के खून की रोटी खाते हैं।

वस्तुतः लाक्षणिकता, अलंकारिता, संक्षिप्तता तथा चमत्कारिता आदि कारणों से ही एक शब्द के अर्थ के साथ अन्यान्य अर्थ जुड़ जाते हैं। एक ही समय में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त भी होते रहते हैं।

1. एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द :- कभी—कभी ऐसा देखा जाता है कि एक मूल से निकले या एक ही शब्द की ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे, ब्राह्मण—ब्रामण, कर्तव्य—करतब, भोग—भोजन, गर्भिणी—गाभिन, वत्स —बछड़ा, स्थान—थान, रतन—थन आदि।

कुछ शब्दों में अर्थ बहुत दूर चला जाता है। पंखी का अर्थ चिड़िया है। परंतु उसी से निकले पंखी शब्द का अर्थ हवा करने वाला पंखा है। क्षीर, खीर, कोण, कोनिया, पर्ण, पान, पन्ना तथा पत्र, पत्ता, पतई, पातर आदि ऐसे ही एक मूलीय भिन्नार्थक शब्द हैं।

2. समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द :- ध्वनि की दृष्टि से एकरूपता रखने वाले कुछ शब्द अपने मूल की भिन्नता के कारण भिन्न अर्थ लिखे जाते हैं। अंग्रेजी में इसे HOMO Phone भी कहते हैं। हिन्दी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द उदाहरण के लिए दिये जा सकते हैं :-

संस्कृत	अरबी
आम (फल) आम्र	आम— (साधारण)
सहन (बर्दाश्त) सहन	सहन (आंगन)
कुल (वंश) कुल	कुल (समस्त)

शब्द ध्वनि की दृष्टि से समान है परंतु भिन्नार्थक है और उनके स्रोत संबंध तथा अर्थ की जानकारी इनके प्रयोग से ही मिलती है।

अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जिसकी वर्तनी तो भिन्न है परंतु

ध्वनि रूप एक है यथा :- Here, hear, hair, there, their, sealing, ceiling, white, bite, I, eye, awl, all आदि। यहाँ वर्तनी देखते ही अर्थ की प्रतीति तथा शब्द का ज्ञान हो जाता है परंतु उच्चारण की स्थिति में तो अनिश्चितता ही रहती है।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. भाषा विज्ञान – डॉ. राजेश श्रीवास्तव (शम्बर)
2. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा – डॉ. पंडित बन्ने
3. हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय – डॉ. ज्ञानराज काशीनाथ गायकवाड़
4. भाषा विज्ञान – डॉ. भोला नाथ तिवारी
5. आधुनिक हिन्दी व्याकरण स्वरूप एवं प्रयोग – डॉ. भारती खुबालकर
6. भारतीय के अमर स्वर – डॉ. प्रोफेसर धनंजय वर्मा



“हमारी मातृभाषा हिन्दी और पितृभाषा छत्तीसगढ़ी को अत्यन्त मधुर एवं प्रभावपूर्ण ढंग से अपने आचरण में समावेश करें।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

18.

अर्थ परिवर्तन

— डॉ. डेजी कुजूर*

सेमेस्टर – I प्रश्नपत्र– IV (भाषा विज्ञान),
इकाई – 04 (अर्थ विज्ञान)
अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ में सम्बन्ध, पर्यायता, अनेकार्थता,
विलोमता, अर्थ परिवर्तन

भाषा मनुष्य के विचारों को मूर्त करती है। अतः विचारों में परिवर्तन होने पर भाषा के शब्दों में भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक है। भाषा में अर्थ व्यापार का संबंध बहुत कुछ मनुष्य की मानसिक स्थितियों से है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने अर्थ परिवर्तन के कारण रूप में लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का सूक्ष्मता से विवेचन किया है। अतः प्रायः सभी कारण लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के भेदों में अन्तर्निहित हो जाते हैं। अन्य भाषा प्रभाव आदि कारण उनके विचाराधीन नहीं थे।

शब्दों के अर्थों में जो परिवर्तन, संवर्धन, ह्रास, उत्कर्ष या अपकर्ष

*माता का नाम : श्रीमती बेर्था कुजूर, पिता का नाम : स्व. विन्सेन्ट कुजूर,
पति का नाम : श्री राजेश प्रकाश, एक्का, जन्म : 20 मार्च 1976, जन्म स्थान : कोरबा (छ.ग.) शिक्षा : बी.कॉम., बी.जे.एम.सी., एम.ए.–हिन्दी, एम.पी.स्टेट–2000, पी–एच.डी., पोस्ट डॉक्टोरेट। कार्य : महाविद्यालयों में हिन्दी का अध्यापन। अभिरुचि : अध्ययन, अध्यापन, लेखन। लेखन कार्य/ प्रकाशन : विभिन्न समाचार पत्रों में कविता, लेख, आलेख का प्रकाशन। काव्य संकलन में कविता का प्रकाशन। 15 से अधिक शोध पत्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशन। 2 पुस्तकों में शोध आलेख का प्रकाशन। 20 से अधिक शोध संगोष्ठी में सहभागिता। अन्य : वर्ष 2009 में शिक्षा के क्षेत्र में भीम चेतना पुरस्कार से सम्मानित।

मोबाईल : 94062 22869, 83195 59467 ई–मेल : daizy76@rediffmail.com
पदस्थापना : शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

होता है उसके विद्वानों ने तीस से अधिक कारण बताए हैं। किसी भी शब्द के पीछे उसका अर्थ समाहित होता है। एक शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के पीछे कई कारण हैं।

अर्थ परिवर्तन के कारण : अर्थ परिवर्तन कई कारणों से होते हैं, कुछ प्रमुख कारण हैं और कुछ गौण कारण होते हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक “भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिन्दी भाषा” में अर्थ परिवर्तन के 29 कारण बताए हैं जबकि डॉ. कैलाश नाथ पाण्डेय ने “भाषा-विज्ञान का रसायन” में 15 कारण बताए हैं। डॉ. राम छबिला त्रिपाठी ने “भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा” में अर्थ परिवर्तन के 20 कारणों पर विस्तार से चर्चा की है। डॉ. श्यामसुन्दर दास ने अर्थ परिवर्तन के कारण के पीछे छिपे नियमों का उल्लेख अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में किया है।

1. शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति और परिवेश : शिष्टाचार के कारण शब्द के मूल अर्थ एवं उसमें छिपे भाव में परिवर्तन आ जाता है। शिष्टाचार के कारण श्रीमान या हुजूर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भगवान, प्रभु, दया निधान, दया सागर, साहब, मालिक, बाबा जी जैसे शब्दों का प्रयोग शिष्टाचार के लिए ही किया जाता है।

सभ्यता के विकास के साथ-साथ शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन होने लगा। जैसे पत्र का अर्थ होता है पत्ता लेकिन अब इसका अर्थ चिट्ठी से लगाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि पहले के लोग ताड़ या भोज वृक्ष के पत्ते पर लिखा करते थे, फिर भोज वृक्ष की छाल पर लिखने लगे। सभ्यता विकसित हुई तो पतली और मुलायम वस्तुओं पर लिखने की प्रथा चल पड़ी। किंतु कागज के आविष्कार के पश्चात् उस पर ही लिखा जाने लगा और उसे पत्र कहा गया।

संस्कृति भी अर्थ परिवर्तन का एक कारण है। विभिन्न संस्कृतियों तथा जातियों के मिलने से शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तब अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे फारसी का मूर्ग-चिड़िया हिन्दी भाषियों में आकर मूर्गा बन गया। असूर शब्द जो देववाची था, वह राक्षसवाची हो गया। द्रविड़ भाषा का पिल्ला-बालक शब्द हिन्दी में कुतिया के बच्चे के लिए हो गया, संस्कृत का देव इरानी भाषा में राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

वातावरण के अंतर्गत भौगोलिक, सामाजिक और प्रथा संबंधी परिवेश

से है। भौगोलिक वातावरण से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे उष्ट्र। वैदिक काल में भैंस के संदर्भ में उष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था किंतु आज उष्ट्र का अर्थ परिवर्तित होकर ऊंट हो गया। इसी प्रकार भारत वर्ष के अलग-अलग प्रांतों में ठाकुर शब्द का अर्थ अलग-अलग होता है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय जाति के लिए, बिहार में नाई के लिए और बंगाल में रसोइये के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी प्रकार कान शब्द का अर्थ अनाज के लिए किया जाता था। जिस देश में जिस फसल की बहुतायात हुई वह उस देश के लिए अनाज हो गया जैसे अमेरिका में मक्का, स्काटलैण्ड में बाजरा और इंगलैण्ड में गेहूँ की फसल ज्यादा होती है जिससे उन देशों में उसे कॉर्न कहा जाने लगा।

सामाजिक वातावरण के कारण कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं जैसे अंग्रेजी का शब्द सिस्टर, घर में बहन, अस्पताल में नर्स और चर्च में नन के लिए प्रयुक्त होता है। एलोपैथी चिकित्सक को डाक्टर, यूनानी चिकित्सक को हकीम और आयुर्वेदिक चिकित्सक को वैद्य कहा जाता है।

प्रथा संबंधी वातावरण से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यजमान। सदियों पहले यज्ञ करने की प्रथा थी और यज्ञ कराने वाले को पुरोहित यजमान कहता था किंतु आज यजमान का अर्थ यज्ञ कराने वाले से नहीं है।

2. व्यंग्य और आलंकारिकता अथवा लाक्षणिकता : जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को अलंकृत भाषा या व्यंग्य में व्यक्त करता है तब भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। गुरुगरीयान् एक अलंकृत शब्द है, जिसका अर्थ है महाचंट, चालाक। इसी प्रकार तीन हाथ की बुद्धिवाले, अक्ल के खजाना, अक्ल की पुड़िया, पूरे पंडित, पूरे महात्मा, बड़े महाशय इन सभी का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान किंतु व्यंग्योक्ति के कारण वे मूर्ख के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार बहादुर को सिंह, चालाक को लोमड़ी, मोटे को हाथी, अन्धे को नैनसुख, झूठ बोलने वाले को सत्यवादी हरीशचंद्र, दुबले पतले को पहलवान, मोटे को तंदरुस्त कहते हैं किंतु उसका अर्थ बिलकुल विपरीत होता है।

3. पदार्थों के निर्माण और उनके नाम : अंग्रेजी के शब्द ग्लास से तात्पर्य काँच नामक पदार्थ से है किंतु आज पानी पीने के पात्र को गिलास कहा जाता है फिर चाहे वह गिलास काँच का हो या पीतल, तांबा, स्टील,

प्लासटिक आदि किसी भी धातु या पदार्थ से बना हो। इसी प्रकार पेन शब्द है, पहले पंख के नुकीले हिस्से जिसे पेन कहा जाता है को लेखनी के लिए उपयोग किया जाता था किंतु बाद में लेखनी लोहा, प्लासटिक आदि से बनने लगी और जिसे पेन कहा जाने लगा। अंग्रेजी शब्द कैरियर का अर्थ है ले जाने वाला। साइकिल का आविष्कार हुआ। पिछले पहिए के ऊपर सामान आदि रखने के लिए जो वस्तु लगाई गई वह भी कैरियर ही कहलायी।

4. उच्चारण की संक्षिप्तता : मनुष्य की इस प्रवृत्ति ने बहुत से शब्दों को छोटा कर दिया है। जैसे स्टेशन शब्द का अर्थ है रूकने या ठहरने का स्थान लेकिन अब रेलवे स्टेशन के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार मोटरकार के लिए कार, प्रिंसिपल टीचर के लिए प्रिंसिपल, जवाहरलाल नेहरू के लिए पं. नेहरू शब्द उच्चारण की संक्षिप्तता के कारण प्रयुक्त होता है।

5. अज्ञान एवं भ्रांतिजनक शब्द का प्रयोग : अज्ञान के कारण संस्कृत के अनेक शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। किसी शब्द का अर्थ कभी-कभी गलत लगा लिया जाता है और बाद में उस शब्द का प्रचलन गलत अर्थ के लिए हो जाता है। जैसे धन्यवाद शब्द का अर्थ संस्कृत में प्रशंसा होता है किंतु हिन्दी में आभार प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत में आभार प्रकट करने के लिए साधूवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। अज्ञानता के कारण ही लोग विन्ध्याचल पर्वत बोलते हैं। जबकि पर्वत का नाम विन्ध्य है और अचल पर्वत का पर्यायवाची है। ऐसा केवल संस्कृत से हिन्दी भाषा में आए शब्दों के लिए नहीं हुआ बल्कि उर्दू, अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ भी हुआ है। जैसे उर्दू के शब्द फालतू के लिए बेफालतु शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी शब्द एनाउन्समेन्ट के लिए एलाउन्समेन्ट जैसे शब्द प्रचलन में हैं।

6. साहित्यकारों की नवीन उद्भावना : साहित्यकार प्रायः नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे- आकाशवाणी-देववाणी के लिए प्रयुक्त होता है। हिन्दी के महाकवि पन्त ने रेडियो स्टेशन के लिए आकाशवाणी केन्द्र शब्द बना दिया और चल पड़ा। अंग्रेजी शब्द कन्सेप्ट ऑफ रस के समानान्तर डॉ. नगेन्द्र ने हिन्दी में रस परिकल्पना शब्द चालू कर दी और वह अब चल भी रहा है। इसी प्रकार ट्रेजेडी के लिए त्रासदी, कॉमेडी के लिए

कामदी, एकेडेमी के लिए अकादमी शब्द चल पड़े जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसी प्रकार एयर होस्टैस के लिए व्योमबाला, सेमीनार के लिए संगोष्ठी शब्द प्रयोग में आने लगा है।

7. अशोभन या अमंगल का दूरीकरण : शोभन की भावना से ही मृत के लिए स्वर्गवासी, दुकान बन्द करने के लिए दुकान बढ़ाना, दिया बुझाने के लिए दिया बढ़ाना प्रयुक्त किया जाता है। मुसलमानों में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो प्रायः इस प्रकार पूछा जाता है— क्या हुजूर के दुश्मनों की तबीयत अलील है ? अमंगल निवारण के लिए क्या आप बीमार हैं के स्थान पर उक्त वाक्य प्रयुक्त होता है।

8. साहचर्य : कभी—कभी वस्तुएं एक दूसरे में इस तरह श्लिष्ट हो जाती हैं कि उनमें भेद कर पाना कठिन होता है। यह साहचर्य का उदाहरण है। जैसे पत्र में बहुत त्रुटियां हैं। यहां त्रुटियां कागज में नहीं हैं बल्कि त्रुटियां कागज में लिखी भाषा में हैं। अतः यहां हम पत्र में लिखी भाषा में त्रुटियां बहुत हैं न कहकर यह कहते हैं कि पत्र में त्रुटियां बहुत हैं। अतः साहचर्य के कारण पत्र की भाषा का अर्थ पत्र से निकल रहा है जबकि पत्र का अर्थ सिर्फ कागज होना चाहिए। इसी प्रकार सिन्धु, कलिंग, महाराष्ट्र।

9. सादृश्य : सादृश्य के कारण भी कभी—कभी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ब्रजभाषा में रेलवे टिकट के लिए टिकस शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी टैक्स से ध्वनिसाम्य होने के कारण टिकस का प्रयोग टैक्स के अर्थ में भी होता है। समान ध्वनि के कारण अर्थों को सादृश्य के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे आश्रय के लिए प्रश्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि आश्रय का अर्थ सहारा देना होता है और प्रश्रय का अर्थ विनम्रता, शिष्टता होता है। रूप सादृश्य अथवा कार्य सादृश्य के कारण भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे घड़े का मुंह, सुराही की गर्दन, आरी के दांत, नदी का पेट, सितार के कान, पेड़ का धड़, कुर्सी के हाथ में प्रयोग करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है।

10. वर्ग या जाति सूचक शब्द : हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एकलिंग विशेष में होता है, लेकिन उनके अर्थ में दोनों लिंग निहित रहते हैं। लोमड़ी, कोयल, चींटी, चील आदि ऐसे ही शब्द हैं। इनके प्रयोग से अर्थ पुल्लिंग से भी लिया जाता है किंतु ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं, जो पुल्लिंग हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से उनमें

स्त्रीलिंग का भी भाव निहित है। कौआ, भेड़िया, तोता, बाज, उल्लू आदि ऐसे ही शब्द हैं।

11. अंग सूचक अंगी शब्द : घुटना अंग है और टांग अंगी है। कलाई अंग है और बांह अंगी है। घुटने में चोट लगने पर कहा जाता है कि टांग में चोट लग गयी। यहां टांग का अर्थ घुटना है। इसी प्रकार कलाई टुटने पर कहा जाता है कि बांह टूट गयी। यहां बांह का अर्थ कलाई है।

12. वाक्य संहिता से अर्थ भेद : अलग-अलग दो स्वतंत्र शब्दों और दो सम्मिलित शब्दों के उच्चारण से भी अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे सिरका- सिर का, दवाखाना - दवा खाना, तुम्हारे - तुम हारे, होली - हो ली। इसी प्रकार गुजरना और जाना क्रियाएं एक ही अर्थ रखती हैं किंतु दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में बोलें तो गुजर जाना का अर्थ मर जाना होता है।

13. वस्तु की उपयोगिता से अर्थ भेद : प्रयोग भेद से भी अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय, उपसर्ग के प्रयोग भेद से अर्थ भेद हो जाता है। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो लोहे का डोल (जाली) अच्छा है जिससे कई बार सामानों को लाया ले जाया जा सकता है। लेकिन कहार की वह डोली अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें केवल दुल्हन को लाया जाता है।

14. नम्रता प्रदर्शन - विनम्रता प्रदर्शन के लिए भी शब्दों के अर्थ व प्रयुक्ति बदलती है। जैसे मेरी कुटिया में पधारें। दौलतखाना, गरीबखाना, पधारना, दर्शन।

15. भावावेश : भावना या उद्वेग या आवेश या बोलने के ढंग से भी अर्थ परिवर्तन होता है। जैसे गुरु बड़ा सम्मानित शब्द है लेकिन बोलने का ढंग बदल जाए और हम कहें कहो गुरु या वह बड़ा गुरु निकला। प्यार में अच्छा बेटा कहना और क्रोध में अच्छा बेटा कहना दोनों संदर्भों में अर्थ बदल देता है। राम-राम, पाजी, बेटा, अम्मा, बाबूजी।

16. शब्दों में अर्थ का अनिश्चय : व्यक्ति अपनी सोच और अपने संस्कारों के आधार पर भी शब्दों के अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे अहिंसा का अर्थ तो अत्यधिक व्यापक है, परंतु सामान्य जन इसका अर्थ समझते हैं - किसी की हत्या न करना। जबकि गांधी जी ने जिस अहिंसा का उल्लेख किया है उसका अर्थ कुछ और ही है। इसलिए अर्थ व्यक्ति के आधार पर

भी बदल जाता है। आर्य, चौबे, सेठ आदि।

17. व्यक्तिगत योग्यता : व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर शब्दों का अर्थ अपने ढंग से ग्रहण करता है जैसे—धर्म, ईश्वर, पाप—पुण्य आदि की व्याख्या वह अपने तरीके से करता है।

18. अंधविश्वास : कभी—कभी अंधविश्वास के कारण भी लोग शब्दों का स्वरूप बदल देते हैं तथा पुराने शब्द का अर्थ नए शब्द से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे चेचक को शीतला या देवी आना, हैजे को पेट चलना, पति के लिए अमुक के पिता आदि।

19. हीन कार्य : हीन कार्य के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जैसे भंगी को मेहतर, चोर को तस्कर कहना आदि।

अर्थ परिवर्तन के प्रकार अथवा अर्थ परिवर्तन की दिशाएं

सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बदलाव या अन्य कोई कारणों से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कोई शब्द अपने अर्थ में विस्तार करता है और किसी अर्थ में संकोच आ जाता है। किसी का अर्थ अच्छा होता है और फिर बुरा भी हो जाता है। अर्थ के विकास या परिवर्तन में ऐसी स्थिति अर्थ विकास या अर्थ परिवर्तन की दिशा कहलाती है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन एवं डॉ. कैलाश नाथ पाण्डेय ने अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाओं का उल्लेख किया है जबकि डॉ. श्याम सुंदर दास ने अर्थ परिवर्तन के 11 एवं डॉ. राम छबीला त्रिपाठी ने 10 दिशाओं का वर्णन किया है। यहां मुख्य रूप से अर्थ परिवर्तन के निम्नलिखित दिशाओं का वर्णन किया गया है—

1. अर्थ विस्तार : अर्थ विस्तार का अर्थ है कि कुछ शब्द प्रारंभ में अपना एक मौलिक अर्थ रखते थे फिर कालान्तर में विस्तृत अर्थ रखने लगे। जब कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रचलित रहता है और बाद में उसका अर्थ इसी क्षेत्र में विस्तृत या व्यापक हो जाता है, तब उस प्रक्रिया को अर्थ विस्तार कहते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ सीमित अर्थों से विकसित होकर अनेक अर्थ देने लगता है तब उसे अर्थ विस्तार कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

शब्द	प्रारंभिक मौलिक अर्थ	विस्तृत या नया अर्थ
सब्ज या सब्जी	केवल हरे रंग की सब्जी के लिए पालक भाजी, मेथी भेजी आदि	अब हर रंग की सब्जी के साथ-साथ बैंगन, गाजर, टमाटर, मूली जैसे कई रंगों की सब्जी के लिए भी।
प्रवीण	वीणा बजाने में दक्ष	अब कला के हर क्षेत्र में निपुण, नृत्य, गीत, साहित्य शिल्प, युद्ध, सभी में दक्ष।
तेल	केवल तिल के तेल के लिए प्रयुक्त	आज खाद्य तेल, खनिज तेल, मछली का तेल आदि सभी प्रकार के तेलों के लिए।
अधर	पहले नीचे के होंठ के लिए	अब दोनों होठों के लिए अधर का प्रयोग होता है।
अभ्यास	केवल बाण या तीर चलाने को अभ्यास कहते थे	अब हर कार्य के लिए – पढ़ाई में, काम में, शिल्प में, गायन में वादन में, नृत्य में, खेल में, सभी में अभ्यास के लिए।
कुशल	कुश को काटने में दक्ष	हर कार्य में दक्ष या चतुर।
गवाक्ष	गाय की आंख	दक्ष या चतुर।
गवेषणा	गाय खोजने वाले को	अनुसंधान करना या खोज करना।
स्याही	केवल काले रंग की स्याही	हर रंग की स्याही।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पहले शब्द का मौलिक अर्थ विशेष या एक के लिए होता था किंतु समय के साथ शब्द का मौलिक अर्थ विशेष अर्थों में न होकर विस्तृत अर्थ में होने लगा जिससे शब्द के अर्थ में विस्तार होने लगा। अर्थ परिवर्तन की इस क्रिया को अर्थ विस्तार कहा गया।

2. अर्थ संकोच : अर्थ विस्तार की यह विपरीत स्थिति है, इसमें किसी शब्द का अर्थ कम हो जाता है। जैसे संकोच शब्द का अर्थ संकुचित होना, सिकुड़ना या सिमटना होता है। जब किसी शब्द का अर्थ सिकुड़ कर या सिमट कर एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे अर्थ संकोच कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाये तो जब किसी शब्द का विस्तृत अर्थ सीमित अर्थ में सिमट कर रह जाता है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। इसे निम्न उदाहरणों

से समझा जा सकता है।

शब्द	प्रारंभिक मौलिक अर्थ	संकुचित या नया अर्थ
पंकज	कीचड़ में उगने वाली समस्त वनस्पति जैसे शैवाल, कार्ई, सुआ व अन्य प्रकार की कई पौध प्रजातियां, कमल, भिस, आदि,	केवल कमल
मंदिर	घर, भवन, आवास, महल आदि	अब केवल हिन्दू देवताओं की पूजा का स्थान
कृष्ण	काला, श्यामल, गाढ़े हरे रंग की वस्तु, काले रंग का बोधक।	भगवान् कृष्ण
मृग	पशु	हिरण
गो	गमन करने वाला	गाय
पर्वत	पर्व, गांठा वाला	पहाड़
श्राद्ध	श्रद्धा युक्त कर्म	मृतक श्राद्ध
घनश्याम	घन की तरह श्याम	कृष्ण

इसी प्रकार हिन्दी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनका पहले कभी विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता रहा लेकिन धीरे-धीरे उस शब्द का विस्तृत अर्थ संकुचित होने लगा और अब केवल एक ही अर्थ प्रचलित है। प्रारंभ में उस शब्द का विस्तृत अर्थ प्रकट होता रहा लेकिन अब केवल एक ही अर्थ प्रकट करने की इस क्रिया को अर्थ संकोच कहा जाने लगा।

3. अर्थादेश : शब्दों को अर्थ का आदेश देना अर्थादेश है अर्थात् एक अर्थ को हटाकर दूसरे अर्थ का आना। इसमें शब्द का पुराना अर्थ लुप्त हो जाता है और नया अर्थ आ जाता है। जब शब्द अपने मूल अर्थ को त्यागकर दूसरा ही अर्थ देने लगे तब उसे अर्थादेश कहा जाता है।

शब्द	प्रारंभिक मौलिक अर्थ	अन्य अर्थ या नया अर्थ
तटस्थ	नदी के तट पर रहने वाला अर्थात् साधु सन्यासी जो नदी तट पर रहते थे व सबसे समान व्यवहार करते थे।	निष्पक्ष व्यक्ति
साहस	दुस्साहस, दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट, व्यभिचार जैसे बुरे कार्य के लिए प्रयुक्त	सकारात्मक व अच्छे कार्य के लिए
असुर	देवताओं के लिए	अब राक्षसों के लिए
अनुग्रह	पीछे से सहारा देने के लिए पकड़ना	कृपा
शुश्रूषा	सुनने की इच्छा	सेवा
शालीन	शाला में रहने वाला	विनीत, लज्जाशील
दुहितृ	दूहने का काम	कन्या
पाखण्ड	सम्प्रदाय विशेष	ढोंगी,
वर	श्रेष्ठ	दूल्हा,
आकाशवाणी	देववाणी	आल इण्डिया रेडियो

इसी प्रकार माहुर, गंवार, अनमना, मौन, मुग्ध, वाटिका, करपट, धूर्त आदि अर्थादेश के उदाहरण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थादेश में किसी शब्द का प्रारंभिक अर्थ कुछ और था किंतु बाद में बिल्कुल भिन्न अर्थ में या नये अर्थ में उस शब्द की प्रयोक्त प्रारंभ हो गयी। अब बिल्कुल नये अर्थ में उस शब्द का प्रचलन है और प्रारंभिक अर्थ लुप्त होता गया। अर्थ को बदलने की इस प्रक्रिया को अर्थादेश कहा जाता है।

4. अर्थोत्कर्ष (अर्थ का उत्कर्ष) : अर्थोत्कर्ष। अर्थात् निम्न प्रकार का अर्थ देनेवाले शब्द उच्च अर्थ देने लगे जैसे गोष्ठी शब्द को ही लें। गोष्ठी या गोठ पालतू जानवरों गाय-बैल, भैंस या बकरी आदि के रहने के स्थान को कहा जाता है, लेकिन आज विद्वानों के सामूहिक विचार मंथन की क्रिया

को गोष्ठी कहा जाने लगा है। अर्थात् जानवरों के बाड़े का स्थान ऊंचा होकर विद्वानों का सभा स्थल बन गया है। यह है अर्थ में उत्कर्ष।

यदि किसी शब्द का अर्थ प्रारंभ में बुरा हो किन्तु बाद में अच्छा हो जाये। अर्थ का उत्कर्ष हो जाना या श्रेष्ठ हो जाना ही अर्थोत्कर्ष है। यह अर्थ के उत्कर्ष की दिशा है।

शब्द	प्रारंभिक मौलिक अर्थ	उत्कृष्ट या नया अर्थ
साहस	चोरी, दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट आदि	अच्छे कामों के लिए
मुग्ध	मूर्ख या मूढ़	मोहित, आशिक, सुंदर,
पदार्थ	सामान्य वस्तु	उत्तम, वस्तु, स्वादिष्ट।
गवेषणा	गाय को ढूँढना	अनुसंधान
सभ्य	सभा में बैठने वाला	सुसंस्कृत
फिरंगी	पूर्तगाली डाकू	यूरोपियन।

इसी प्रकार कर्पट, अछूत, इण्डियन, गोष्ठ आदि शब्दों का पहले से अच्छे अर्थ में प्रयोग होने लगा।

5. अर्थापकर्ष (अर्थ का अपकर्ष) : अपकर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचे से नीचे गिरना। शब्द का अर्थापकर्ष का अर्थ होता है कि पहले किसी शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में किया जाता रहा लेकिन बाद में किसी कारणवश उस शब्द का प्रयोग बुरा अर्थ प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार उस शब्द की अर्थगत अवनति हुई और शब्द के अर्थ के गिरने की प्रक्रिया को अर्थ विज्ञान में अर्थापकर्ष कहा गया। शब्द के अर्थ की ऊपर से नीचे गिरने की दिशा को अर्थापकर्ष की दिशा कहते हैं। जैसे पहले 'नग्न-लुंचित' शब्द का अर्थ था दिगम्बर जैन धर्म के परम आदरणीय संत या मुनि गण। लेकिन इतने ऊंचे आदरणीय स्थान से गिरकर इस शब्द का अर्थ हो गया है— नंगा और लुच्चा।

शब्द	प्रारंभिक मौलिक अर्थ	अपकृष्ट या नया अर्थ
पाखंड	एक सन्यासी सम्प्रदाय	ढोंग
पुंगव	श्रेष्ठ, अच्छा	पोंगा, मूर्ख
जुगुप्सा	छिपाने की इच्छा	घृणा
गर्भिणी	गर्भवती स्त्री, गाय, भैंस आदि पशु लिए	केवल गाभिन पशु के
असुर	देववाचक	राक्षस
शौच	पवित्र कार्य के लिए, शुचि	मलत्याग के लिए
महाराज	बड़े राजा के लिए	रसोइया
लिंग	चिन्ह	इन्द्रिय विशेष।

6. अर्थ का मूर्तिकरण : जब शब्द का अर्थ अमूर्त से मूर्त बन जाता है, तब मूर्तिकरण कहलाता है। कभी एक शब्द का अमूर्त अर्थ मूर्त हो जाता है अर्थात् वह शब्द क्रिया, गुण अथवा भाव का बोधक न होकर किसी द्रव्य का वाचक हो जाता है। जैसे देवता और जनता भाववाचक था पर बाद में उनका मूर्त अर्थ हो गया। इसी प्रकार जाति का अर्थ जन्म से था पर बाद में जाति व्यवस्था से हो गया जैसे ब्राह्मण, वैश्य आदि। उसी प्रकार संतति का अर्थ लगातार बढ़ते जाना, विस्तार से था लेकिन अब वंश से हो गया। मिठाई भाववाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता था लेकिन अब द्रव्य वाचक शब्द के रूप में प्रचलित है। प्रारंभ में सामग्री का भाववाचक अर्थ था संचय फिर वस्तुवाची अर्थ हो गया।

7. अर्थ का अमूर्तिकरण : शब्द का अर्थ जब जातिवाचकता से भाववाचकता प्रकट करने लगता है तब अमूर्तिकरण कहलाता है। जैसे कांटा—कंटक जब दर्द या पीड़ा के अर्थ में आता है, तब अमूर्तिकरण कहलाता है। रोटी का प्रश्न बड़ा विकट है— यहाँ रोटी शब्द आजीविका का द्योतक है। कपाल, हृदय शरीर के अंग को व्यक्त करने वाले शब्द हैं किंतु अब कपाल से भाग्य और हृदय भावुकता के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

8. अनेकार्थता : कभी कोई शब्द नवीन अर्थ धारण कर लेता है किन्तु प्राचीन अर्थ को भी नहीं छोड़ता। अतः दो तीन अर्थ साथ—साथ चलते

हैं। इस प्रकार एक शब्द का कभी-कभी बहुत से अर्थों में व्यवहार होने लगता है।

1. 'मूल' शब्द दर्शन, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान आदि में भिन्न-भिन्न अर्थ देता है।
2. 'धातु' भी व्याकरण, वैद्यक, खनिज शास्त्र आदि में भिन्न-भिन्न अर्थों में आता है।
3. 'योग' भी दर्शन, गणित, व्याकरण आदि में भिन्न-भिन्न अर्थ देता है।

9. रूपक : रूपकों में सदैव अर्थ परिवर्तन हो जाता है। वह गधा है, पंजाब का शेर, आज कमल मुरझाया है— इन वाक्यों में गधा, शेर, कमल दूसरा अर्थ रखते हैं।

10 एकोच्चरित समूह : प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द समूह प्रयुक्त होते हैं, जिनको समास कहा जा सकता है। अर्थात् विग्रह करने पर उनका अर्थ ही बदल जाता है। भ्रमवश कई शब्द एक साथ सामूहिक रूप से उच्चारित होने लगते हैं। जैसे ऊँ नमः सिद्धम् के स्थान पर अब ओनामासीधम का प्रचलन है जिसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिन्दी भाषा, डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब घर, नई दिल्ली, 2009
2. भाषा-विज्ञान का रसायन, डॉ. कैलाश नाथ पाण्डेय, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, 2012
3. भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा, डॉ. राम छबिला त्रिपाठी, किताब महल, पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2014
4. भाषा विज्ञान, डॉ. श्यामसुन्दर दास, विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, 2012



“अपने भाषण में ‘अपनी’ बात बताएँ, दूसरों के ‘विचार’ नहीं;
क्योंकि भाषण ‘आप’ दे रहे हैं, दूसरा नहीं।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

भाग – दो

19

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैदिक संस्कृत की विशेषताएँ

—प्रो० श्रीमती संध्या पाण्डेय*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा), इकाई –01

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ—
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य
भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी
विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी समाज विशेष में जन्म लेने के साथ ही मानव के मस्तिष्क में भाषा के नियमों उपनियमों का ज्ञान बड़ी सरलता के साथ आरोपित हो जाता है। वह इन्हीं नियमों के दायरों में भाषा के द्वारा अपने भावों और विचारों का विनिमय करता है। परंतु भाषा प्रयोक्ता से जब विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त वाक्यों के प्रयोग के विषय में पूछा जाता है तो इन प्रश्नों का उत्तर देना उसके लिए कठिन हो जाता है। भारतवर्ष अनेक भाषाओं का विशाल देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाषा—विज्ञान के आचार्यों ने भाषाओं में एकता ढूँढकर उनका वर्गीकरण कर परस्पर संबंध रखने वाली भाषाओं को एक परिवार के अन्तर्गत रखकर उसमें समानता स्थापित करने का प्रयास किया है।

हिन्दी का संबंध भारोपीय परिवार से है जो विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कहा जाता है। इसके अंतर्गत संस्कृत, ग्रीक, लेटीन, अवेस्ता,

*जन्म : 11 जनवरी 1963, जांजगीर, माता : श्रीमती गोदावरी तिवारी, पिता : श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी, अभिरूचि : छात्राहित में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य, मो० नं० : 7389291084, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरबा, छ.ग.

अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी, हिन्दी, मराठी, बंगाली आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। आर्यभाषा को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है—

(1) यूरोपीय आर्य भाषा,

(2) भारत ईरानी आर्य भाषा।

भारत ईरानी आर्य भाषा की तीन शाखाएँ मानी गई—

(अ) ईरानी (ईरान और अफगानिस्तान की भाषा),

(ब) दरद (कश्मीर और पामीर के पूर्व दक्षिण की भाषा),

(स) भारतीय आर्य भाषा— धर्म, समाज, साहित्य, कला व संस्कृति की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में लिखा गया है।

भारतीय आर्य भाषा

भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात् भारतीय आर्य भाषा का इतिहास प्रारंभ होता है। परंतु आर्यों के आगमन के संबंध में विद्वानों में मतभेद होने के कारण इतिहासकार सप्त सैधव क्षेत्र जो हिंदुकुश के नाम से जाना जाता है, से आर्यों के आने का प्रमाण बताते हैं। सप्त सैधव प्रदेश में आर्य के द्वारा विभिन्न दलों ने अपने राज्य स्थापित कर, समस्त उत्तरी भारत में फैल गए। उनकी प्रभुता इस क्षेत्र में स्थापित होने के कारण उन्होंने इस प्रदेश को आर्यावर्त का नाम दिया। इसी काल में यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई।

आर्यों के आगमन के पूर्व भरत में चार प्रमुख जातियाँ निवासरत थीं। इनमें नेग्रिटो भारत की प्राचीनतम जाति है जो अफ्रीका के निवासी थे। इनकी भाषाओं का प्रभाव भारतीय आर्य भाषा पर नहीं पड़ा। बंगला में बादुड़ (बाद में), बिहारी में चमदड़िया (चमगादड़) आदि शब्द नेग्रिटो जाति के हैं। नेग्रिटो जाति के बाद आस्ट्रिक भूमध्यसागर से इराक, ईरान होते हुए भारत में आए थे। भारत की कोल, मुंडा, खासी, निकोवारी आदि भाषाएँ इन्ही की हैं। कार्पास, कदली, बाण, ताम्बूल, पिनाक, गंगा, लिंग, कम्बल आदि अनेक शब्द आस्ट्रिक भाषा के हैं। आस्ट्रिक के बाद किरात भारत में आए थे, ये आदि मंगोल थे। चीनी सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माता यही थे। इनकी शाखा पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, बंगाल एवं उड़ीसा में फैल गई। यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। खोखा (मछली

का जाल), फेटा आदि शब्द इन्ही के हैं। भारत में आनेवाली चौथी जाति द्रविड़ों की है जो अफ्रीका से ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत में फैल गये। आज तमिल, तेलगु, कन्नड़ मलयालम आदि इनके वृहत् भाषा क्षेत्र के अवशेष हैं। भाषा के क्षेत्र में आर्य भाषाओं पर द्रविड़ का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में परिलक्षित होता है। 'ट' वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़ भाषा से ही आर्यभाषाओं में आया है। अणु, कला, गण, नाना, पुष्प, बीज, रात्रि, सायं, तंदुल, मर्कट, शव, झगडा, सीप, खूटा आदि शब्द द्रविड़ भाषा से ही भारतीय आर्यभाषाओं में प्रयुक्त होते हैं।

भारत में आर्यभाषा का प्रारंभ 1500 ई. पू. के आसपास माना जाता है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्यभाषा को तीन भागों में बांटा गया है—

(1) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा—

1500 ई.पू.से 500 ई.पू. तक (वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत)

(2) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा—

500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक (पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट)

(3) आधुनिक भारतीय आर्यभाषा—

1000 ई.से वर्तमान समय तक (बंगला, उड़िया, असमी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, हिन्दी आदि)

आधुनिक काल की अनेक भाषाओं में से हिन्दी सब भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन है तथा सर्वाधिक जनसमूह द्वारा बोली एवं समझी जाती है।

प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ—प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के दो रूप हैं—

(1) वैदिक संस्कृत,

(2) लौकिक संस्कृत।

वैदिक संस्कृत

वेद रचना के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा वैदिक संस्कृत के नाम से जानी जाने लगी। इसे छान्दस या प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संहिताएँ ब्राम्हण ग्रंथ आरण्यक तथा प्राचीन उपनिषद इसी भाषा में लिखे गये हैं। इसका प्रचीनतम् रूप ऋग्वेद में मिलता है। चूँकि

ऋग्वेद छंदोबद्ध होने के कारण ही इसको छान्दस के नाम से जाना जाने लगा। वैदिक संस्कृत लगभग 700 (सात सौ) वर्षों तक जनभाषा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है किन्तु भाषा का यह रूप बोलचाल का रूप न होकर बोलचाल की वैदिक संस्कृत पर आधारित साहित्यिक रूप है।

वैदिक संस्कृत पर अनार्य जातियों की भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। यजुर्वेद संहिता की भाषा में अनार्य तत्वों का समीक्षण किया जा सकता है। अथर्ववेद की संस्कृति और भाषा में ये तत्व और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये छः वेदांग हैं। इनमें शिक्षा उच्चारण से, कल्प यज्ञविधान के सूत्र से, व्याकरण वैदिक भाषा के रूप और प्रयोग से, निरुक्त वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्युत्पत्ति से, ज्योतिष समय निर्धारण से और छंद साहित्यशास्त्र से संबंधित है।

वैदिक संस्कृत की विशेषताएँ

वैदिक साहित्य में वैदिक भाषा का विकास दिखाई पड़ता है परंतु कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक बातों को वैदिक भाषा की विशेषताएँ माना जा सकता है—

(1) ध्वनिगत विशेषताएँ— वैदिक ध्वनिसमूह में निम्नलिखित ध्वनियाँ हैं—

स्वर—

- (1) मूलस्वर — अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, औ।
(2) संयुक्त स्वर — ऐ (अइ), औ (अउ)।

व्यंजन—

1. क वर्ग — क, ख, ग, घ, ङ (कण्ठ्य)
2. च वर्ग — च, छ, ज, झ, ञ (तालव्य)
3. ट वर्ग — ट, ठ, ड, ढ, ण, लह, ल (मूर्धन्य)
4. त वर्ग — त, थ, द, ध, न (द्वन्तय)
5. प वर्ग — प, फ, ब, भ, म (ओष्ठ्य)
6. अंतस्थ — य, र, ल, व

7.संघर्षी – श, ष, स, ह विसर्ग (:) उष्म, जिह्वामूलीय (ः), उपध्यमानीय(ः)

8.अनुनासिक, अनुस्वार (ं), नासिक्य

वैदिक भाषा में विसर्ग जिह्वामूलीय तथा उपध्यमानीय ‘ह’ की संध्वनियाँ थी। अ, व, य, आदि कई अन्य ध्वनियों की भी कई संध्वनियाँ थी।

वैदिक भाषा में ग्वंग ध्वनियाँ थी। संस्कृत में ग्वंग ध्वनि नहीं है, अनुस्वार है। वैदिक भाषा में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के अलावा प्लुत (तीन मात्रा के) स्वर भी थे।

(2) स्वराघातः—

वैदिक भाषा की मुख्य विशेषता स्वराघात है जो तीन प्रकार के हैं उदात्त, अनुदात्त और तीसरा स्वरित। जैसे— जुहोति इसमें ‘जु’ अनुदात्त, ‘हो’ उदात्त और ‘ति’ स्वरित है। स्वराघात के कारण शब्द का अर्थ भी बदल जाता था जैसे इन्दुशत्रु का अर्थ है, जिसका शत्रु इंद्र है। किंतु स्वराघात के कारण इंद्र का शत्रु समझा जाता है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनो ही स्वराघात था।

(3) व्याकरणिक विशेषताएँ :—

वैदिक भाषा में तीन लिंग थे— पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। व्याकरण की जटिलता अधिक थी। आठ प्रकार के कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता था। सर्वनामों की रूप रचना में भी जटिलता थी। उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष में लिंग भेद नहीं था, परंतु अन्य पुरुष में दो रूप थे सस्मिन् और तस्मिन्।

(4) क्रियागत विशेषताएँ :—

धातुएं दस गणों में विभक्त थीं। प्रत्येक गण की धातुओं का रूपान्तर या तो परस्मैपद में होता था या आत्मनेपद में। क्रिया रूप तीनों वचनों एवं तीनों पुरुषों में होते थे। क्रिया के बारह लकार थे।

(5) समासगत विशेषताएँ:—

वैदिक भाषा में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वन्द्व ये चार समास ही प्रयुक्त होते थे, शेष दो समास बाद में विकसित हुए हैं।

(6) शब्दावली:—

प्राचीन आर्यभाषा का शब्द भंडार बहुत सम्पन्न है। सांस्कृतिक शब्दों की भरमार है। आर्येत्तर द्रविड भाषा एवं आस्ट्रिक भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था।

(7) बोलियाँ तथा उपभाषाएँ:—

वैदिक काल में प्राचीन आर्यभाषा की तीन बोलियों का उल्लेख मिलता है—

- 1) पश्चिमोत्तरी बोली,
- 2) मध्यवर्ती बोली,
- 3) पूर्वी बोली।

पश्चिमोत्तरी का क्षेत्र अफगानिस्तान से पंजाब तक था। इसमें 'र' ध्वनि की प्रधानता थी। मध्यवर्ती का क्षेत्र पंजाब से मध्यउत्तर प्रदेश तक था। इसमें 'र' और 'ल' का प्रयोग अधिक होता था। पूर्वी बोली का क्षेत्र मध्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग था। इसमें 'ल' की प्रमुखता थी।

ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का प्रतिनिधित्व हुआ है। इसी बोली को आदर्श माना गया। उसे उस समय उदीच्य कहते थे।



“परहित व परोपदेश देने के पूर्व अपने घर के बुजुर्ग माता-पिता
व असहाय की सेवा करें व शिक्षा दें।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

20.

लौकिक संस्कृत और पाली की विशेषताएँ

— घनश्याम टण्डन*

सेमेस्टर – II!प्रश्नपत्र– IV!(हिन्दी भाषा), इकाई –01

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ—
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य
भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी
विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

लौकिक संस्कृत

पूरे विश्व की भाषा को चार भागों में बाँटते हैं— 1. अफ्रीका खण्ड, 2. यूरोशिया खण्ड, 3. प्रशांत महासागरीय खण्ड तथा 4. अमरीका खण्ड। इसमें से यूरोशिया खण्ड को 09 भागों में विभाजित करते हैं, जिसका अंतिम खण्ड भारोपीय कहलाया। भारोपीय को पुनः 10 भाग में विभाजित करते हुए एक भाग 'भारत-ईरानी' हुआ। भारत-ईरानी के तीन भेद— 1. ईरानी (अवेस्ता, फारसी, पश्तो...), 2. दरद तथा 3. भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य, ईरानियों एवं दरद लोगों से अलग होकर 1500 ई० पू० के आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं भारतीय आर्यों की भाषा का विकास कालक्रम इस प्रकार से ज्ञात हुआ—

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (1500 ई० पू० से 500 ई० पू०) – संस्कृत।
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई० पू० से 1000 ई०)– प्राकृत।
3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई० से अब तक)।

*जन्म : 15 जून 1994, फगुरम (जांजगीर-चाम्पा), माता : झूलबाई टण्डन, पिता : इच्छाराम टण्डन, कार्य/कार्यक्षेत्र : अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, रुचि : लेखन कार्य, सम्प्रति : अतिथि प्राध्यापक नेशनल विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय खरसिया। मो० नं० – 8319680138, ई-मेल : ghanshyamtandan74@gmail.com

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा अर्थात् संस्कृत के विकास क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा आई, जिसमें वेदों की रचना हुई। इसमें भी ऋग्वेद की रचना बहुत पहले हुई एवं अन्य तीनों वेदों की रचना का काल काफी पीछे का रहा। जब वैदिक संस्कृत की भाषा बहुत क्लिष्ट हो गई, व्याकरणों व नियमों में जकड़ दी गई, पूर्ण रूप से साहित्य की भाषा हो गई, आम लोगों की पहुँच से बाहर हो गई तब लोगों ने, आम जनता ने अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सरल रूप में लौकिक संस्कृत को जन्म दिया। इसी लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण की रचना हुई।

लोक से संबंधित होने के कारण इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत नाम पाणिनी के बाद पड़ा जो बोलचाल एवं साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता था। यास्क, कात्यायन, पतंजलि आदि ने भी इसे लोक व्यवहार की भाषा माना है।

बोलचाल की भाषा होने के कारण इसमें न तो स्थिरता थी और न ही एकरूपता। पाणिनी के पूर्व कुछ विद्वानों के द्वारा स्थिरता एवं एकरूपता लाने का प्रयास भी किया गया। परंतु वास्तविक वैज्ञानिक कार्य पाणिनी ने किया जिनके व्याकरणिक नियमों का पालन आज तक किया जाता है।

लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण 500 ई.पू. का है। महाभारत पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ई.पू. से आज तक अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। परंतु कतिपय विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का काल 5वीं शती ई. तक माना है परंतु इसकी परंपरा अब तक समाप्त नहीं हुई। संस्कृत की वास्तविक उन्नति मौर्यकाल के अंत से आरंभ करके 9वीं, 10वीं शताब्दी तक लगातार होती रही है। जितना उपयोगी धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, लौकिक एवं ललित साहित्य इस भाषा में लिखा गया उतना संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा गया। संस्कृत सारे विश्व की समन्वय शक्ति बनकर सर्वत्र छा गई। आज सभी भाषाओं की शब्द शक्ति इसी स्रोत से सम्पन्न होती है।

संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत (800 ई० पू० से 500 ई० पू० तक)–

‘प्राचीन भारतीय आर्य भाषा’ का वह रूप जिसका पाणिनी की ‘अष्टाध्यायी’ में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। पतंजलि महाभाष्य के प्रथम अह्निक में शब्दों को वैदिक और लौकिक, दो रूपों में संकेतित करते हैं। परन्तु भाषा के नाम का उल्लेख नहीं है। वैदिक

संस्कृत की 04 ध्वनियों के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गईं।

पाणिनी ऋषि से पूर्व की लगभग सभी रचना वैदिक संस्कृत में मिलती है। यह भारोपीय (इंडो-यूरोपीय) भाषा इरानियों के पवित्र ग्रंथ 'अवेस्ता' की भाषा के निकटवर्ती प्रतीत होती है। पाणिनी की रचना 'अष्टाध्यायी' से लौकिक संस्कृत का रूप उभरकर आया। संस्कृत भाषा की शब्दावली का उपयोग किया गया है। लौकिक संस्कृत का प्राचीन उपयोग 500 ईसा पूर्व 'रामायण' और 'महाभारत' में मिलता है। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकसित रूप कहा जा सकता है।

लौकिक साहित्य—

वैदिक साहित्य के अनन्तर (पश्चात्) वाल्मीकि के रामायण और व्यास के महाभारत की भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मानी गयी है। वाल्मीकि रामायण आद्य लौकिक महाकाव्य है। उसकी गणना आज भी विश्व के उच्चतम काव्यों में की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, भरत का नाट्यशास्त्र आदि ग्रंथ संसार के प्राचीन वाङ्मय (साहित्य) में स्थान है। कवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में स्थान प्राप्त है। अश्वघोष, भास, भवभूति, विशाखादत्त, वाणभट्ट, शूद्रक आदि कवि और नाटककारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है।

लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ:—

(क) ध्वनिगत विशेषताएँ —

1. वैदिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं।
2. वैदिक संस्कृत में लृ, ऋ, ॠ के उच्चारण स्वर के समान होते थे, जो संस्कृत में लि, रि, री, जैसे उच्चरित होने के कारण व्यंजन के समीप पहुँच गये।
3. ऐ, औ के उच्चारण वैदिक भाषा में आइ, आउ थे जो लौकिक संस्कृत में अई, अउ हो गए।
4. ए, ओ का उच्चारण वैदिक भाषा में अइ, अउ था, जो संयुक्त स्वर थे किन्तु लौकिक संस्कृत में मूल स्वर हो गए।
5. लेखन में ल, ल्ह अक्षर समाप्त हो गए, इनके स्थान पर ङ, ढ प्रयुक्त होने लगे।

6. वैदिक त वर्ग (त, य, द, घ, न और स) दंतमूलीय थे, जो लौकिक संस्कृत में दन्त्य हो गए।
7. वैदिक ह्रस्व और दीर्घ ग्युं ध्वनि लौकिक संस्कृत में नहीं रही।
8. स्वरों में से 'लृ' लुप्त सा हो गया।

(ख) स्वराघात –

वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात था। इसके विरुद्ध लौकिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात का प्रयोग होने लगा। उदात्त आदि स्वर नहीं रहे।

(ग) क्रिया रूप –

क्रिया रूपों में वैदिक लौकिक संस्कृत का लट् लकार लौकिक संस्कृत में विलुप्त हो गया। वैदिक संस्कृत में लिट् वर्तमान में अर्थ में था, किन्तु लौकिक संस्कृत में वह परोक्षभूत के लिए आता है। क्रिया रूपों में वैकल्पिक रूपों की न्यूनता हो गई।

(घ) समासगत विशेषताएँ –

1. वैदिक संस्कृत में लंबे-लंबे समासों की प्रवृत्ति नहीं थी, किन्तु संस्कृत में गद्य विकास के कारण लंबे-लंबे समास बनने लगे।

2. वैदिक संस्कृत में केवल चार समास थे – तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वन्द्व किन्तु लौकिक संस्कृत में दो समास बढ़ गए— द्विगु और अव्ययीभाव समास।

(ङ.) उपसर्ग—

मूल भारोपीय भाषा एवं वैदिक भाषा में उपसर्ग वाक्य में कहीं भी आ सकते थे। किन्तु लौकिक संस्कृत में उपसर्ग का क्रिया एवं शब्द रूप के साथ प्रारंभ में जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया।

जैसे— “प्रदेव वरुण ब्रतम मिनीयसि” यहां प्र उपसर्ग मिनीयसि के पूर्व आना चाहिए था, किन्तु इन दोनों के बीच में तीन शब्द आए हैं।

(च) प्रत्यय—

वैदिक भाषा में पूर्ण कालिक कृदन्त प्रत्यय के अनेक रूप थे। जैसे— त्वा, त्वाय, त्वीन, त्वी, य। लौकिक संस्कृत में इसके दो ही रूप रह गये 'त्वा' और 'य'। जैसे गत्वा, अधिगत्य आदि।

इसी प्रकार वैदिक संस्कृत में तुमुन प्रत्यय के अर्थ में अनेक हैं— तुम, से, असे, अध्यै आदि परंतु लौकिक संस्कृत में एकमात्र तुम प्रत्यय का ही प्रयोग होता है।

(छ) शब्द रूप—

वैदिक संस्कृत में विजातीय शब्द मिल चुके थे, किंतु लौकिक संस्कृत में इनकी संख्या बढ़ गई। यूनानी, रोमन, अरबी, ईरानी, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं के शब्द लौकिक संस्कृत में आ गए।

अनेक वैदिक संस्कृत के अर्थ लौकिक संस्कृत में बदल गए, जैसे— अद्रि का अर्थ वैदिक संस्कृत में 'बादल' था, जो लौकिक संस्कृत में 'पर्वत' के अर्थ में बदल गया। असुर का अर्थ वैदिक संस्कृत में शक्तिशाली था परंतु लौकिक संस्कृत में दैत्य के अर्थ में बदल गया।

अनेक वैदिक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बंद हो गया, जिससे शब्द कोश में अंतर आ गया।

जैसे — मूर (मूढ़), अमूर (बुद्धिमान), अमीवा (व्याधि), रपस (चोट), दृशीक (सुंदर) आदि।

(ज) अन्य विशेषताएँ—

- लौकिक संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता पाणिनी कृत नियम बद्धता है। ये विशेषता ही उसे वैदिक भाषा से अलग करती है (अष्टाध्यायी—सूत्र)।
- इसमें 'लट्' लकार का प्रयोग नहीं किया जाता।
- अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग बंद हो गया।
- एक ही अर्थ में प्रयुक्त अनेक प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय रूढ़ हो गया।
- कई वैदिक शब्दों का प्रचलन लुप्त हो गया। जैसे— दर्शत = सुन्दर, अमूर = बुद्धिमान, मूर = मूढ़, रपस = चोट।
- संधि कार्य अनिवार्य सा हो गया।
- उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग बंद हो गया।
- स्वरभक्ति अप्रचलित हो गयी। स्वरों का उदात्त—अनुदात्त और स्वरित उच्चारण समाप्त हो गया।

● अति विस्तृत रचना—काल—

संस्कृत साहित्य की रचना अति प्राचीन काल (हजारों वर्ष ईसा पूर्व) से लेकर अब तक निरन्तर चली आ रही है।

● विविधता—

संस्कृत साहित्य की विविधता आश्चर्यचकित करने वाली है। इसमें धर्म और दर्शन, नाटक, कथा, काव्य आदि तो हैं ही, इसमें गणित, खगोलशास्त्र, शिल्प आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, रसशास्त्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में रचित ग्रन्थों की संख्या कई लाख हैं।

● सातत्य—

प्राप्त पाण्डुलिपियों से स्वयं स्पष्ट है कि भारतीय महाखण्ड पर इतने सारे दैवी एवं मानवीय आपदाओं के बावजूद हर कालखण्ड में संस्कृत साहित्य की रचना निर्बाध होती रही।

उपर्युक्त विशेषताओं के आलोक पर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के मध्य अंतर के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं—

वैदिक संस्कृत	लौकिक संस्कृत
इस दौरान की रचनाएँ पूर्णतः धार्मिक है।	इसमें लौकिकता देखने को मिलता है।
इसमें स्वरो की संख्या अधिक है।	इसमें स्वरो की संख्या कम है। 'लु' का लोप।
व्याकरण की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में कुछ अव्यवस्था देखने को मिलती है।	लौकिक संस्कृत में व्याकरण के नियमों का अनुसरण अनिवार्य रूप से हुआ है।
लोट लकार की उपलब्धता।	लोट लकार का अभाव।
शब्दों के अर्थ में अंतर :- 1. पत् —उड़ना 2. सह —जीतना 3. वध —घातक शस्त्र	पत् —गिरना सह —सहना वध —हत्या
भाषा में स्वरो का उपयोग किया गया।	भाषा में स्वरो का उपयोग विलुप्त हो गया।
संगीतात्मक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है।	संगीतात्मक शब्दों के स्थान पर बलात्मक शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया।

निष्कर्ष—

लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का विकासात्मक रूप है, जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई। लौकिक संस्कृत का महत्त्व भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है, क्योंकि संस्कृत ग्रंथों का विषय क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। अतः इसका महत्त्व हमेशा वर्तमान रहेगा।

पालि

भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से तीन वर्गों में बांटा गया है—

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (1500 ई० पू० से 500 ई० पू०)।
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई० पू० से 1000 ई०)।
3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई० से अब तक)।
इसमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई० पू० से 1000 ई०) के कालक्रम पर नजर डालें तो इसका क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ—
 1. प्रथम प्राकृत (500 ई० पू० से 1 ई० तक)— पालि।
 2. द्वितीय प्राकृत (1 ई० से 500 ई० तक)— प्राकृत।
 3. तृतीय प्राकृत (500 ई० से 1000 ई० तक)— अपभ्रंश।

पालि का अर्थ 'बुद्ध वचन' (पा रक्खनीति बुद्धवचन इति पाली) है। पालि, प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा— राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल—उत्तरप्रदेश से दक्षिण में मध्यप्रदेश तक बोली जाती थी। भगवान बुद्ध भी इन्हीं प्रदेशों में विचरण करते हुए लोगों को धर्म समझाते रहे। आज इन्हीं प्रदेशों में हिन्दी बोली जाती है। इसलिए, पालि प्राचीन हिन्दी है। इसे बौद्ध त्रिपिटक के रूप में भी जाना जाता है। पालि, ब्राम्ही परिवार की लिपियों में लिखी जाती थी।

पालि साहित्य—

पालि में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या तीन है— 1. सुत्त पिटक, 2. विनय पिटक और 3. अभिधम्म पिटक। 'पालि' का अर्थ 'बुद्ध वचन' होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटकों (ग्रन्थों) के लिए प्रयुक्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार—प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेन्द्र त्रिपिटकों के साथ लंका (वर्तमान श्रीलंका) गए। पालि ही भारत की प्रथम 'देश भाषा' है।

सुत्त पिटक— इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं।

विनय पिटक— इसमें बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय—समय पर संघ के नियमित संचालन करने के लिए अपने शिष्यों को दी थी।

अभिधम्म पिटक— इसमें चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद् विश्लेषण किया गया है 'सुत्त पिटक' के उपदिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। इसमें 7 ग्रन्थ हैं।

विशेषताएँ—

1. पालि में ऋ को कहीं अ, कहीं इ तथा कहीं उ कर दिया गया। जैसे— ऋक्ष > अच्छो, ऋणम् > इणं, ऋतु > उतु।
2. औ का ओ या उ हो गया। जैसे— पौर > पोरो, गौतम > गोतम, औषध > ओषध।
3. ऐ का इ या ई रूप बन गया। जैसे— वैमानिक > वेमानिकों, मैत्री > मेती, ऐरावण > एरावण।
4. श तथा ष के स्थान पर स का व्यवहार होने लगा। जैसे— शिष्य > सिरसो, श्रमण > समणो, श्रावक > सावको।
5. शब्द के अन्त में स्थित व्यंजनों का लोप हुआ। जैसे— गुणवान > गुणवा, यावत् > याव, तावत् > ताव, कश्चित् > कोचि।
6. अकारान्त शब्दों से परे विसर्ग को ओ तथा इकारान्त या उकारान्त शब्दों से परे विसर्ग का लोप हुआ। जैसे— देवः > देवो, कः > को, अग्निः > अग्गि, धेनुः > धेनु।
7. रेफ का लोप हो गया तथा रेफ वाले वर्णों का द्वित्व हो गया। जैसे— कर्म > कम्म, निर्जल > निज्जल, सर्व > सब्बो, वर्ग > वग्गो।
8. पद के आदि स्थित क्ष का ख तथा मध्य स्थित क्ष का क्ख या च्छ हो गया। जैसे— क्षीरम् > खीरं, क्षेमः > खेमो, दक्षिणः > दक्खिणो, मोक्षः > मोक्खो, पक्षः > पच्छो।
9. पद के आदि स्थित द्य का ज तथा मध्य स्थित द्य का ज्ज हो गया। जैसे— द्युति > जुति, अद्य > अज्ज, विद्यते > विज्जते।
10. पद के आदि स्थित ध्य का झ तथा मध्य स्थित ध्य का ज्झ हो गया। जैसे— ध्यानम् > ज्ञानं, बुध्यते > बुज्झते।
11. पद के आदि स्थित त्य का च तथा मध्य स्थित त्य का च्च हो गया। जैसे— त्यजति > चजति, प्रत्ययः > पच्चयो, सत्यं > सच्चं, अव्ययः > अच्चयो।
12. पद के आदि स्थित ज्ञ का ज तथा मध्य स्थित ज्ञ का ज्ज हो गया। जैसे— ज्ञाति > जाति, ज्ञानम् > जानम्/जाणं, संज्ञा > संज्जा, प्रज्ञा > प्रज्जा।
13. ष्ट और ष्ट के स्थान पर ट्ट (ट्ठ), स्त के स्थान पर त/थ/त्थ होता

है। जैसे— ओष्ठ > ओट्ठ, तुष्टः > तुट्ठो, षष्ठः > छट्ठो, हस्ती > हत्थी।

14. पालि में धातुओं को नौ गणों में विभाजित किया गया है। इनमें कोई धातु हलन्त नहीं होता।
15. धातु के रूप, सभी कालों में परसपद (परस्मैपद) और अत्तनोपद (आत्मनेपद) दो तरह के हैं। किन्तु व्यवहार में अत्तनोपद के रूप बहुत कम हैं। धातु रूपों में प्रत्यय लगभग संस्कृत के समान है।
16. पालि में नामरूप सात विभक्तियों और सम्बोधन में प्रयुक्त होते हैं, कोई नाम हलन्त नहीं होता।
17. पालि भाषा का शब्द भण्डार तद्भव शब्दों से युक्त है, परन्तु तत्सम शब्द भी प्रयुक्त होते हैं और धातुओं के संस्कृत रूप भी प्रयोग में लाए गए हैं।
18. पालि मागधी भाषा है जो बुद्धकाल में पालि और कालान्तर में कुछ और परिवर्तनों के साथ मागधी प्राकृत रूप में काव्यभाषा बनी।

निष्कर्ष—

पालि में त्रिपिटक साहित्य के अलावा 'अट्टकथा साहित्य', मिलिन्दपञ्चो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पालि का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। यह हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। इसी (पालि) भाषा के माध्यम से पूरे विश्व को बुद्ध ने शांति का मार्ग दिखाया।

सन्दर्भ ग्रन्थ—

1. भाषा विज्ञान व हिन्दी भाषा
2. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास
3. गूगल (नेट)

“किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक एवं सतत लगावपूर्ण बातें करने व मिलने से दोस्ती तो होती है, परन्तु दुष्मनी की आशंका भी प्रबल हो जाती है।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

21.

प्राकृत की विशेषताएँ, अपभ्रंश की विशेषताएँ

– प्रो० दिनेशकुमार संजय*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा), इकाई –01
हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ—
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य
भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी
विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

प्राकृत

‘प्राकृत’ शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दो मत हैं :-

(क) कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति ‘प्राक् + कृत’ अर्थात् पहले की बनी हुई मानते हैं (प्राक् = पूर्व का, कृत = बनाया हुआ)। दूसरे शब्दों में प्राकृत अकृत्रिम भाषा है और इसके विपरीत संस्कृत कृत्रिम भाषा है।

(ख) दूसरे लोग प्राकृत की उत्पत्ति और ढंग से करते हैं। मार्कंडेय के अनुसार “प्रकृतिः संस्कृत तत्र भवं प्राकृतमुच्यते” अर्थात् प्रकृति संस्कृत है, उससे जन्मी भाषा को प्राकृत कहते हैं। हेमचन्द्र के अनुसार “प्रकृतिः संस्कृतम् तत्र भवं तदागतं वा प्राकृतम्” अर्थात् प्रकृति संस्कृत है, और संस्कृत से जो आई है, प्राकृत है। प्राकृत शब्द के दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में यह 5 वीं ई. पूर्व से 1000 ई. तक की भाषा है।

*जन्म तिथि : 04 अक्टूबर 1983, माता : श्रीमती रामकुँवर संजय, पिता : श्री गंगाराम संजय, कार्यक्षेत्र : महाविद्यालय में अध्यापन, रुचि : पुस्तकें पढ़ना, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया, आवासीय पता : ग्राम पोस्ट – चिखली, जिला – रायगढ़ (छ.ग.), मो० नं० : 7898680604, मेल आई डी : dineshsanjay1983@gmail.com

इसको तीन भागों में बाटा गया है:-

1. प्रथम प्राकृत (500 ई. पूर्व से 1 ई. तक) इसमें पालि तथा अभिलेखी प्राकृत आती हैं।

2. द्वितीय प्राकृत (1 ई. से 500 ई. तक) – इसके अंतर्गत भारत एवं भारत के बाहर प्रयुक्त विभिन्न धार्मिक साहित्यिक और अन्य प्राकृतें आती हैं।

3. तृतीय प्राकृत (500 ई. से 1000 ई. तक) – इसमें अपभ्रंश एवं कथित अवहट्ट आती हैं।

केवल द्वितीय प्राकृत के लिए ही प्राकृत नाम का प्रयोग होता है। यहाँ 'प्राकृत' शब्द इसी अर्थ में लिया जा रहा है।

प्राकृतों के प्रकार:-

- | | | |
|--------------|------------|----------------|
| 1. शौरसेनी | 2. पैशाची | 3. महाराष्ट्री |
| 4. अर्धमागधी | 5. मागधी | 6. केकय |
| 7. टक्क | 8. ब्राचड़ | 9. खस |

प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ

1. प्राकृत में व्यंजन से अंत होने वाले शब्द प्रायः नहीं हैं।
2. प्राकृतों में 'न' का विकास प्रायः 'ण' रूप में हुआ है।
3. विसर्ग का सर्वथा अभाव पाया जाता है। विसर्ग परिवर्तित होकर 'ओ' हो जाता है, जैसे – भर्तारः – भत्तारो।
4. द्विवचन के रूपों का प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदि में) प्राकृतों में नहीं होता है, केवल 'तीन' प्रत्यय को छोड़कर।
5. प्राकृतों में अधिकांश शब्द तद्भव हैं।
6. वैदिकी और संस्कृत संयोगात्मक भाषाएँ थी। प्राकृत भाषा अयोगात्मकता की ओर बढ़ने लगी थी।
7. प्राकृत भाषाओं में ऐ, औ, ऋ, लृ का अभाव होता है।
8. संस्कृत की तुलना में शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी बदलाव हुए। धातु के अर्थ शब्दों में पूर्णतः सुरक्षित न रह सके।
9. प्राकृत में प्रयुक्त द्वित्व व्यंजनों में से एक विलुप्त हो जाता है, शेष

का द्वित्व हो जाता है। जैसे भक्त – भक्त ।

निष्कर्ष :-

पालि का विकसित रूप प्राकृत है। प्राकृत भाषा जनभाषा के रूप में लोकप्रिय रही है। भगवान महावीर ने इसी प्राकृत भाषा के अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया है। इस दृष्टि से भी इस भाषा का महत्व बढ़ जाता है।

अपभ्रंश

अपभ्रंश का अर्थ है :- 'भ्रष्ट हुई' या 'बिगड़ी हुई'। प्राकृत में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन के बाद जिस भाषा की उत्पत्ति हुई उसे पंडितों ने 'अपभ्रंश' नाम से अभिहित किया। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है, हर आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का जन्म किसी-न-किसी अपभ्रंश से हुआ है। 'अपभ्रंश' शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के 'महाभाष्य' में मिलता है। 'अपभ्रंश' के सबसे प्राचीन उदाहरण भरतमुनि के 'नाट्य-शास्त्र' में मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश नाम का प्रयोग छठी सदी से मिलने लगता है।

अपभ्रंश के भेद:-

'प्राकृत-सर्वस्त्र' ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद माने गये हैं, परन्तु अपभ्रंश के मुख्य भेद निम्न है :-

- | | | |
|------------|----------------|--------------|
| 1. केकय | 2. टक्क | 3. व्राचड़ |
| 4. शौरसेनी | 5. महाराष्ट्री | 6. अर्धमागधी |
| 7. मागधी | | |

अपभ्रंश की विशेषताएँ

1. स्वरों का अनुनासिक रूप (ऋ का नहीं) प्रयुक्त होने लगा था ।
2. अपभ्रंश उकार-बहुला भाषा थी ।
3. अपभ्रंश में भाषा वियोगात्मक हो गई, जबकि संस्कृत, संयोगात्मक भाषा थी ।
4. नपुंसक लिंग समाप्त हो गया ।
5. कारकों के रूप कम हो गये, संस्कृत में एक शब्द के लगभग 17 रूप होते थे, प्राकृत में 12 हुए, अपभ्रंश में लगभग 6 रूप रह गये, दो वचनों और 3 कारकों (1 कर्ता, कर्म, सम्बोधन, 2 करण, अधिकरण, 3 संप्रदान, अपादान, सम्बन्ध) के ।

6. संगीतात्मक स्वराघात समाप्त हो गया था। बलात्मक स्वराघात विकसित हो चुका था।
7. ध्वनि परिवर्तन जो पालि में शुरू हुई थी, प्राकृत में विकसित हुई, उसके अपभ्रंश में और विकास हुआ। ध्वनि विकास की बहुत-सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जैसे 'य' का 'ज' (युगल-जुगल) 'ष्ण' का 'न्ह' (कृष्ण-कान्ह) आदि।
8. अपभ्रंश में स्वराघात प्रायः प्रथम अक्षर पर था इसीलिए प्रथम अक्षर तथा उसका स्वर यहाँ सुरक्षित मिलता है जैसे :- माणिक्य - माणिक्य।
9. शब्द के अंतिम स्वर के ह्रस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भी थी, किन्तु अपभ्रंश में यह बढ़ गई।
10. अपभ्रंश के शब्द भंडार की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :-
 1. तद्भव शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश में सर्वाधिक है, दूसरा क्रम देशज शब्दों का है।
 2. तत्सम शब्द अपभ्रंश के पूर्वार्द्ध काल में तो बहुत ही कम है, किन्तु उत्तरार्द्ध में उनकी संख्या बढ़ गई।
 3. इस समय तक बाहर से भारत का संपर्क हो चुका था, इसीलिए उत्तरकालीन अपभ्रंश में कुछ विदेशी शब्द भी आ गए जैसे कट्टा, ठक्कुर, तुर्क, तहसील आदि।

निष्कर्ष:-

अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण भाषा है क्योंकि हिन्दी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इसी से हुआ है। हिन्दी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है।

संदर्भ:-

1. भाषा विज्ञान - भोलानाथ तिवारी
2. हिन्दी भाषा का संक्षिप्त इतिहास - भोलानाथ तिवारी
3. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास - गोविन्द पाण्डेय, सरस्वती पाण्डेय
4. गूगल (नेट)

“मैं आपको 'आप' से सम्बोधित करता हूँ, परन्तु आप मुझे 'तुम' से, क्यों ?

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

22.

शौरसेनी की विशेषताएँ, अर्द्ध मागधी की विशेषताएँ

— श्रीमती आशा भारद्वाज*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा), इकाई –01

हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ—
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य
भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्द्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी
विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

शौरसेनी

600 ई० पू० से लेकर 1000 ई० सन् तक उत्तर भारत में जो भाषाएँ
बोली जाती थी, उसका सामान्य नाम प्राकृत था। किन्तु प्रदेश भेद से इसके
अलग-अलग नाम पड़े, उस समय मथुरा और आसपास का क्षेत्र शूरसेन

*जन्म तिथि : 20 अप्रैल 1970, पति : श्री आयोध्या भारद्वाज, शिक्षा : एम.
ए., एम. एड. (हिन्दी), प्रकाशन : 1. पुस्तक 'आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में
नारी-अस्मिता का धरातलीय सच' में शोध-आलेख, 2. 'काव्य कुंज' में सजल, 3.
'ये दोहे गुंजते हैं' में दोहा, 4. 'सजल-नागरी' मथुरा में लेख, 5. साहित्यिक पत्रिका
'एहसास' बिलासपुर में कहानी एवं कविताएँ, 6. 'उजास' जाँजगीर में कहानी व
कविताएँ, 7. 'साहित्य कलश' पटना में भी कई रचनाएँ, सम्मान : 1. अर्द्धवार्षिक
सजल सहभागिता सम्मान, 2. साहित्य गौरव सम्मान, 3. अर्णव कलश संघ द्वारा
दोहा रत्न सम्मान, 4. राष्ट्र गौरव सम्मान, 5. 'कलम से मंच' के द्वारा विशिष्ट
लेखन सम्मान, कलम की सुगंध सम्मान, 6. साहित्य कला उन्नयन मंच बाराबंकी
उत्तरप्रदेश द्वारा साहित्य सूर्य और प्रेम सौहार्द सम्मान, 7. राष्ट्रीय कवि चौपाल
शाखा दौसा द्वारा शारदा सम्मान, 8. प्रदेश स्तरीय पांचवाँ सतनामी कवि सम्मेलन
में पं० सखाराम बघेल सम्मान, लेखन-विधा : पद्य (मुक्त छंद, गीत, सजल, दोहा),
गद्य (लघु कथा, साहित्यिक लेख), सम्प्रति : व्याख्याता (हिन्दी), शासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय पोता, वि. ख.— मालखरौदा, आवासीय पता : कलमी नहर पार,
तहसील— मालखरौदा, जिला— जाँजगीर चाम्पा (छ.ग.), मो० नं० : 9098078037

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 202

कहलाता था। इसे मध्यदेश भी कहते थे। यहाँ बोली जाने वाली भाषा शौरसेनी कहलाती थी। अशोक के समय के प्राचीन लेखों में इन्हीं प्राकृतों विशेषतः शौरसेनी का प्रयोग पाया जाता है। शौरसेनी पश्चिम हिन्दी है, इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, बांगर, कन्नौजी, बुन्देली आदि हैं।

शौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत का एक प्रमुख भाषा थी। यह संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त होती थी, बाद में इससे हिन्दी भाषा समूह और पंजाबी विकसित हुए। दिगंबर जैन परंपरा के सभी जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसेनी में ही लिखे जो उनके आदृत महाकाव्य हैं।

शौरसेनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में मध्यप्रदेश में प्रचलित थी जिसका केन्द्र शूरसेन अर्थात् मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश था। सामान्यतः उन समस्त लोकभाषाओं का नाम प्राकृत था जो मध्यकाल में समस्त उत्तर भारत में प्रचलित हुईं। मूलतः प्रदेश-भेद से ही वर्णोच्चारण, व्याकरण तथा शैली की दृष्टि से प्राकृत के अनेक भेद थे, जिनमें से प्रधान थे – पूर्व देश की मागधी एवं अर्द्धमागधी प्राकृत, पश्चिमोत्तर देश की पैशाची, प्राकृत तथा मध्यप्रदेश की शौरसेनी प्राकृत।

मौर्य सम्राट अशोक से लेकर अलभ्य प्राचीनतम लेखों तथा साहित्य में इन्हीं प्राकृतों और विशेषतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है। भरत के नाट्य शास्त्र में विधान है कि नाटक में शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाए। भास के नाटकों में भी मुख्यतः शौरसेनी का ही प्रयोग पाया जाता है।

“शौरसेनी संज्ञा स्त्रीलिंग है।” प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा जो शूरसेन वर्तमान ब्रजमंडल प्रदेश में बोली जाती थी, यह मध्यप्रदेश की प्राकृत थी और शूरसेन देश में इसका प्रचार होने के कारण यह शौरसेनी कहलाई।

विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न-भिन्न बताया है –

विद्वानों के नाम	शौरसेनी का आधार
वररुचि	संस्कृत प्रकृति संस्कृत
राम शर्मन	महाराष्ट्री
पुरुषोत्तर	संस्कृत और महाराष्ट्री

इस प्रकार साहित्य में शौरसेनी प्राकृत की प्रमुखता, वैदिक युग में

प्राकृत के प्रमुख क्षेत्र मध्यप्रदेश की प्राचीनता, शौरसेनी प्राकृत का देश के विभिन्न भागों में प्रयोग और विभिन्न प्राकृतों के प्रमुख लक्षणों का शौरसेनी में समावेश आदि प्रमुख कारण हैं, जो शौरसेनी प्राकृत को भारत देश की मूल जनभाषा प्राकृत के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। प्राकृत वैयाकरणों ने अपने ग्रंथों में शौरसेनी की जो प्रमुख विशेषता गिनायी है, वह उसकी विशिष्टता बताने के लिए है।

भरत मुनि और शौरसेनी—

भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभिन्न प्राकृतों के नाम के साथ शौरसेनी का उल्लेख कर प्राकृत भाषा के कुछ नियम और उदाहरण भी दिए हैं —

1. ख, घ , थ , ध और भ का ह में परिवर्तन—

मुख > मुँह, मेघ > मेह, कथा > कहा, प्रभूत > पहूद।

2. ट् का ड के रूप में प्रयोग—

कुटी > कुड़ी, कटक > कड़क।

3. प का व के रूप में प्रयोग—

आपान > आवान।

4. च का लोप—

अचिर > अइर।

5. थ का ध के रूप में प्रयोग—

यथा > यधा, तथा > तधा।

6. संस्कृत व्यंजनों का प्रयोग—

पथ्य > पच्छ, शक > सक्क।

ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। इनके अतिरिक्त भरत के इन नियमों में 13 वें श्लोक में उसने संभवतः शौरसेनी के उस प्रसिद्ध नियमों का उल्लेख किया है जिसमें अनादि 'तकार' को "दकार" कहा गया है।

नाटकीय शौरसेनी प्राकृत—

नाटकीय शौरसेनी की विशेषताएँ प्राकृत व्याकरणों एवं प्राकृत विद्वानों ने विस्तार से दी है।

1. अनादि मे वर्तमान असंयुक्त 'त' का 'द' होता है।
मारुदिणा > मन्तिदो।
2. तावत् शब्द के आदि तकार को विकल्प से 'दकार' होता है।
दाव > ताव।
3. थ के स्थान पर विकल्प से 'ध' होता है।
कधं > कथम्, नाहो > नाथ।
4. नकारान्त शब्दों में सम्बोधन एकवचन में विकल्प से न् के स्थान पर अनुस्वार होता है।
भो राजं > भो राजन्।
5. भवत् और भगवत् शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में अनुस्वार होता है।
एदु भवं > समणं भगवं।
6. य के स्थान पर विकल्प से 'भय' होता है।
कययं > कार्यम्।
7. भू धातु के आकार को विकल्प से 'भ' आदेश होता है।
भोदि, होदि > भवति।
8. इदानीम् के स्थान पर "दाणि" आदेश होता है।
अनन्तर करणीयं दाणि आणेवदु अययो।
9. पंचमी विभक्ति के स्थान पर 'आदो' और 'आदु' के स्थान पर 'दे', 'दि' आदेश होता है।
वीरादो, वीरादु।
10. 'ति' के स्थान पर 'दि' और 'ते' के स्थान पर 'दे', 'दि' आदेश होता है।
गच्छदि, गच्छदे।
11. 'क्त्वा' प्रत्यय के स्थान पर 'इय', 'दूण' और 'त्वा' प्रत्यय होते हैं।
भू > क्त्वा इय भविष्य > भूत्वा
भू > दूण भोदूण > भूत्वा
पठ् > त्वा पठित्ता > पठित्वा

शौरसेनी प्राकृत भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास से प्रारंभिक रूप से जुड़ी हुई है। शूरसेन जनपद की भाषा शौरसेनी प्राकृत में तीर्थकरों के विभिन्न कालों, रामायण एवं महाभारत काल, वैदिक युग के विभिन्न स्तरों के जनजीवन से अपना संबंध स्थापित रखा है।

अर्धमागधी

अर्धमागधी मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार के साथ-साथ काशी-कौशल प्रदेश की भी भाषा रही है। जैन आचार्यों ने इस भाषा में शास्त्रों की रचना की है। वे इसको "आर्षी" कहते थे और आदि भाषा मानते थे। संस्कृत-नाटकों में भी अर्ध-मागधी का प्रयोग होता था। मध्य-एशिया से प्राप्त 'अश्वघोष' के संस्कृत-नाटक 'शारिपुत्रप्रकरण' में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है।

अर्धमागधी में, शौरसेनी एवं मागधी, दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसमें 'र' एवं 'ल' दोनों ही ध्वनियों विद्यमान हैं और प्रथमा एकवचन का रूप एकारांत मागधी के समान तथा ओकारांत शौरसेनी के समान दोनों प्रकार का उपलब्ध होता है।

यह संस्कृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। यह प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्मोपदेश दिए हैं। यदि हम अर्ध-मागधी को मध्यवर्ती भाषाओं की स्थानापन्न मान ले तो, हेमचंद्र ने तीन प्रकार की भाषाओं के नाम गिनाए हैं— प्रायः अर्थात् अर्धमागधी, चूलिका पैशाचिक और अपभ्रंश।

हेमचंद्र आचार्य के अनुसार— "अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा गया है।"

अर्धमागधी शब्द का अर्थ कई रूपों में किया गया है —

1. जो भाषा मगध के आधे भाग में बोली जाती हो।
 2. जिसमें मागधी भाषा के कुछ लक्षण पाए जाते हों। जैसे— पुल्लिंग में प्रथमा के एकवचन में एकारांत रूप का होना, उदाहरण के तौर पर 'धम्म'।
- अर्ध मागधी की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृत के बीच है। इसलिए उसमें दोनों की विशेषताएँ पायी जाती हैं। इस भाषा का महत्व जैन साहित्य के कारण अधिक है।

भाषा विज्ञान की परिभाषा में अर्धमागधी मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। आजकल की पूर्वी हिन्दी अर्थात् अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियाँ इसी से निकली हैं।

विशेषताएँ —

1. अर्धमागधी में 'र' एवं 'ल' दोनों का प्रयोग होता है। इसमें दन्त्य का मूर्धन्य हो जाता है।
2. इस भाषा में श्, ष और स् में से केवल 'स' का प्रयोग होता है, तथा अनेक स्थानों पर स्पर्श व्यंजनों का लोप होने पर 'य' श्रुति का आगम होता है।
जैसे — सागर > सायर।

कत/कथं इस नियम का अपवाद है कि ग् व्यंजन का सामान्यतः लोप नहीं होता है।

3. अर्ध मागधी में कर्ता कारक एकवचन के रूपों की सिद्धि मागधी के समान एकारांत तथा शौरसेनी के समान ओकारांत दोनों के समान होती है।
4. मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा होने के कारण अर्ध मागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
5. इस भाषा में विपुल जैन एवं लौकिक साहित्य की रचना की गई।
6. कहीं-कहीं स्वरमध्यम सघोष स्पर्श-व्यंजन भी सुरक्षित हैं।
जैसे— लोगंसि का लोकस्मिन। 'स्म' के स्थान पर यहाँ प्रायः 'स' रह गया है और पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो गया है।
7. अन्य प्राकृतों की अपेक्षा अर्धमागधी में दन्त्य-व्यंजनों के मूर्धन्यादेश की प्रवृत्ति बहुत अधिक है।
8. संस्कृत के पूर्वकालिक-क्रिया के प्रत्यय 'त्वा' एवं 'त्य' अर्धमागधी में 'त्ता' एवं 'च्चा' के रूप में सुरक्षित रहे।
9. 'तुमुन्नन्त' शब्दों का व्यवहार अर्धमागधी में पूर्वकालिक-क्रिया के समान किया गया है।

जैसे— काउँ का प्रयोग 'कृत्वा' के स्थान पर हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ—

विकिपीडिया

“किसी छोटे कार्य को छोटा समझकर कभी-भी लापरवाही न करें,
अन्यथा उस छोटे कार्य के भी सफल होने में संशय बना रहेगा।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंदिया

23.

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ और उनका वर्गीकरण

डॉ. दिनेश श्रीवास*


सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा), इकाई –01
हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ—
वैदिक तथा लौकिक संस्कृत एवं उनकी विशेषताएँ। भारतीय आर्य
भाषाएँ— पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश और उनकी
विशेषताएँ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण।

“आर्यभाषा” शब्द से ध्वनित होता है कि यह आर्यों की भाषा है, आर्यों द्वारा बोली, समझी और व्यवहृत होती है। इस दृष्टि से इसका मूल स्रोत जातियों (नस्लों) में ढूँढा जाता है। आर्यों के पूर्वज केवल भारत में ही नहीं अपितु एशिया और यूरोप में भी निवास करते थे। डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार सत्रहवीं—अठारहवीं शताब्दी में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेश

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी, पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस—सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल. (हिन्दी), पी—एच.डी. — “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण” शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध—पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1. कई राष्ट्रीय—अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र की प्रस्तुति, 3. सह—संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता—पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए जीवन—अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा. इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए—71, रामाग्रिन सिटी, बिलासपुर (छ.ग.), मोबा. नं.—7770899636, 7974698680, Email ID: dineshsriwash77@gmail.com

स्थापित हो जाने पर इन यूरोपीय या आर्य परिवार की भाषाओं का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि वहाँ की मूल भाषाएँ दब-सी गईं। अब इन देशों की सामान्य या मुख्य भाषाएँ आर्य परिवार की हैं। विद्वानों ने इस वृहद् भाषा परिवार का नामकरण भारत-यूरोपीय (भारोपीय) किया है। संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार यही है। इसी भाषा परिवार से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की उत्पत्ति हुई।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति:— आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की उत्पत्ति को हम निम्नलिखित आरेख-तालिका से सरलतापूर्वक समझ सकते हैं—




इस प्रकार आधुनिक भारतीय भाषाओं (जिसमें हिन्दी व हिन्दीतर भाषाएँ सम्मिलित हैं) की उत्पत्ति कई चरणों में हुई है। यदि भारोपीय भाषाओं को मूल स्रोत माना जाए तो प्रथम चरण में भारत-ईरानी शाखा अलग हो गई। द्वितीय चरण में भारत-ईरानी शाखा से भारतीय आर्यभाषाएँ अलग हो गईं। इसी भारतीय आर्यभाषा परिवार का कालक्रम अनुसार विभाजन के अंतिम चरण में आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की उत्पत्ति हुई। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार "वर्तमान भारतीय आर्यभाषाओं का साहित्य में प्रयोग कम से कम 13वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से प्रारंभ हो गया तथा अपभ्रंशों का व्यवहार 14वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा। इस बात को ध्यान में रखकर कि किसी भाषा के साहित्य को व्यवहृत होने में समय लगता है, यह कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं के अंतिम रूप की अपभ्रंशों से 10वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का अविर्भाव हुआ होगा।" अतः यह स्पष्ट है कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्यभाषाओं की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान अपभ्रंश के अंतिम रूप "अवहट्ठ" से इन भाषाओं की उत्पत्ति मानते हैं। अनेक विद्वान अपभ्रंश तथा "अवहट्ठ" को एक ही भाषा मानते हैं।

आधुनिक आर्यभाषाओं का विकासक्रम इस प्रकार भी बताया जा सकता है -

वैदिक संस्कृत → पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ (हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि)। अपभ्रंश तथा आधुनिक आर्यभाषाओं के मध्य एक और भाषारूप "अवहट्ठ" भी था। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने कहा है- "अवहट्ठ अपभ्रंश और आधुनिक आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी है। बल्कि यों कहना अधिक उचित लगता है कि अवहट्ठ अपभ्रंश और आधुनिक आर्यभाषाओं की संधिकालीन भाषा है।" लेकिन इसके बाद भी अधिकतर विद्वान अवहट्ठ और अपभ्रंश को एक ही भाषा ठहराते हैं।

ऐसा लगता है कि अवहट्ठ पश्चिमी अपभ्रंश के अधिक निकट है और इसी अवहट्ठ से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी और पहाड़ी आदि भाषाएँ निसृत हुई हैं। अतः भाषाओं की उत्पत्ति के आरेख को इस प्रकार भी बताया जा सकता है:-



आधुनिक भारतीय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय:—

1. सिन्धी:— यह मूलतः सिन्ध प्रदेश की भाषा है। इसके बोलने वाले कच्छ, मुंबई, अजमेर, दिल्ली में बस गए। सिन्धी के लिए फारसी लिपि का प्रयोग होता है। किन्तु भारत में यह देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होती है। सिन्धी भाषा का प्राचीनतम संकेत नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। सिन्धी का नियमित साहित्य 14वीं सदी से मिलना शुरू होता है। सिन्धी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ "शाजो रिशालो" है। सिन्धी बोलने वालों की संख्या लगभग एक करोड़ है। सिन्धी की तीन उपबोलियाँ हैं— सिराठी, लाठ, बिचोली।

2. लहंदा:— यह पश्चिमी पंजाब की भाषा है। इसलिए इसे पंजाब में 'लहन्दे दी बोली' कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति पैशाची अपभ्रंश से हुई है। इसे बोलने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। इसे फारसी लिपि में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त 'लंडा' और गुरुमुखी लिपियों का भी प्रयोग होता है।

3. पंजाबी:— पंजाबी शब्द का अर्थ है पांच नदियों का देश। पंजाबी भाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। पंजाब में इसकी प्रमुख लिपि गुरुमुखी है। वैसे इसे शारदा, फारसी और नागरी लिपि में भी लिखा जाता है। इस भाषा में उर्दू का प्रभाव अधिक है। गुरुनानकदेव, अर्जुनदेव, गुरुदास तथा हरि रांझा आदि प्रमुख साहित्यकार हैं। आधुनिक रचनाकारों

में अमृता प्रीतम प्रसिद्ध है। इसकी चार बोलियाँ हैं— मांझी, पोवाधी, मालवाई, डोंगरी।

4. गुजराती:— यह गुजरात प्रदेश में व्यवहृत होती है। विद्वानों के अनुसार यह 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी के साथ थी। गुजराती शौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिण-पश्चिम रूप में विकसित हुई है। इसका उपनाम नागर अपभ्रंश भी है। 18वीं शताब्दी में नरसिंह भगत, राजशेखर आदि रचनाकारों ने गुजराती को प्रसिद्ध कर दिया। आधुनिक युग में गोवर्धन राम त्रिपाठी, के.एम. मुंशी, काका कालेलकर आदि प्रमुख रचनाकार हैं। इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं:— नागरी, बम्बईया, पूर्वी, अनापाला, सोरठी, काठयावाड़ी आदि।

5. मराठी:— महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्र प्रदेश में व्यवहृत होती है। लगभग पूरे भारत में फिल्मों के माध्यम से इसका प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। इसका साहित्य बहुत समृद्ध है।

6. बंगला:— मागधी अपभ्रंश के पूर्व रूप से बंगला का विकास हुआ है। यह बंगाल प्रदेश के साथ भारत के बाहर बंगलादेश, म्यानमार, बर्मा आदि देशों में भी बोली जाती है। हिन्दी के बाद भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती है। बंगलादेश की राष्ट्रीय भाषा है। इसमें विपुल मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। कृतिवास का रामायण सिर्फ बंगाल में ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस भाषा के आधुनिक रचनाकार भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। बंकिम चन्द्र के 'आनंद मठ' को कौन नहीं जानता। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर, माईकल मधुसूदन दत्त आदि साहित्यकार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं।

7. असमिया:— यह असम प्रदेश के साथ आस-पास के प्रदेशों में भी व्यवहृत होती है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह तिब्बत, बर्मा और आस्ट्रिक भाषाओं से प्रभावित है। इसकी अपनी लिपि है। यह भाषा बंगला और मैथिली भाषा के अधिक निकट है। इसकी पाँच बोलियाँ हैं— पूर्वी, पश्चिमी, मयांग, इरवा, अनिशिटत बीली।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण:— इन भाषाओं को अनेक विद्वानों ने वर्गीकृत किया है। इसमें प्रमुख हैं — हार्नले, डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा आदि। निम्नानुसार इसके वर्गीकरण को समझा जा सकता है—

हार्नले का वर्गीकरण:-

1. पूर्वी गौडियन – पूर्वी हिन्दी (बिहारी भी), बंगला, असमिया, उड़िया
2. पश्चिमी गौडियन – पश्चिमी हिन्दी (राजस्थानी भी), गुजराती, सिंधी, पंजाबी
3. उत्तरी गौडियन – गढ़वाली, नेपाली आदि (पहाड़ी)
4. दक्षिणी गौडियन – मराठी

डॉ. ग्रियर्सन का वर्गीकरण:-

1. बहिरंग उपशाखा
 - (i) उत्तरी पश्चिमी वर्ग – लहंदा, सिंधी
 - (ii) दक्षिणी वर्ग – मराठी
 - (iii) पूर्वी वर्ग – उड़ीया, बिहारी, बंगाली और असमिया
2. मध्य उपशाखा – पूर्वी हिन्दी
3. अंतरंग उपशाखा – पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेशी
4. महाराष्ट्री – मराठी
5. ब्राचड – सिंधी, लहंदा, पंजाबी
6. पहाड़ी वर्ग – पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी

डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार वर्गीकरण:-

1. उदीच्य – सिंधी, लहंदा, पूर्वी पंजाबी
2. प्रतीच्य – गुजराती, राजस्थानी,
3. मध्यदेशी – पश्चिमी हिन्दी
4. प्राच्य – पूर्वी हिन्दी, बिहारी, उड़ीया, असमिया, बंगाली
5. दाक्षिणात्य – मराठी

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्गीकरण :-

1. शौरसेनी से प्रसृत – पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती
2. मागधी प्रसृत – बंगला, उड़िया, असमिया, मैथिली, मगही
3. अर्धमागधी प्रसृत – पूर्वी हिन्दी, अवधी, भोजपुरी

डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार वर्गीकरण:-

1. हिन्दी वर्ग – पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी
2. हिन्दीतर वर्ग – (क) पूर्वी उपवर्ग- बंगला, असमी, उड़ीया
(ख) दक्षिणी उपवर्ग- मराठी और सिंहली
(ग) पश्चिमी उपवर्ग- सिंधी, पंजाबी, गुजराती
(घ) उत्तरी उपवर्ग – नेपाली

आधुनिक भारतीय भाषाओं में सिन्धी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिन्दी आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीरी भी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है, किन्तु मूलतः वह भारत-ईरानी की दरद शाखा में सम्मिलित की जाती है। उर्दू भी भाषा वैज्ञानिक स्तर पर हिन्दी की ही एक शैली है, इसलिए इसे हिन्दी के अंतर्गत ही रखा जाता है। राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी को विद्वान हिन्दी से पृथक् श्रेणी में रखते हैं, किन्तु यह भी हिन्दी प्रदेश की भाषा है। कुछ विभिन्ताओं के साथ यह भी हिन्दी के जैसी ही है।

भारत के बाहर बोली जाने वाली आधुनिक आर्यभाषाओं में नेपाली, सिंहली और जिप्सी भी उल्लेखनीय है, जिनका प्रयोग भारत में कम होता है। भारत के बाहर अधिक होता है। किन्तु आर्यभाषाओं के वर्णन में इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। कहा जा सकता है कि आधुनिक आर्यभाषा परिवार समृद्ध भाषा परिवार है। भारत की अधिसंख्य जनता इस भाषा परिवार की प्रयोक्ता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का कार्य इस भाषा परिवार ने किया है।

संदर्भ ग्रन्थः—

1. डॉ. पं. बन्ने , भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा, अमन प्रकाशन कानपुर, प्रथम संस्करण 2009 ।
2. डॉ. ज्ञानराज काशीनाथ गायकवाड़, हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय, अमन प्रकाशन कानपुर, प्रथम संस्करण 2007 ।
3. तेजपाल चौधरी, भाषा और भाषा विज्ञान, विकास प्रकाशन, कानपुर, द्वितीय संस्करण 2009 ।
4. डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2000 ।
5. डॉ. हुकूम चंद राजपाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1997 ।
6. डॉ. नगेन्द्र (संपादक) हिन्दी साहित्य का इतिहास, मयूर पेपर बैग्स, नई दिल्ली, 47वां संस्करण 2014 ।
7. डॉ. हरदेव बाहरी, हिन्दी भाषा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण 1998 ।
8. डॉ. प्रतिमा चतुर्वेदी, (संपादक) हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 13वां संस्करण ।
9. प्रो. हेमदेव शर्मा, भाषा विज्ञान समीक्षा, अशोक प्रकाशन दिल्ली, नवीन संस्करण 1997 ।



“मैं अपने हिस्से के कार्य को बखूबी करूँगा। दूसरे के हिस्से के कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। यदि दूसरे का कार्य करता हूँ तो वह अकर्मण्य हो सकता है, जिसके लिए जिम्मेदार मुझे माना जाएगा।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

24

पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी और राजस्थानी का भौगोलिक विस्तार और उनकी विशेषताएँ

— डॉ. दिनेश श्रीवास*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)


इकाई – 02 हिन्दी का भौगोलिक विस्तार

हिन्दी की उप भाषाएँ— पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियाँ। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ।

पूर्वी हिन्दी अर्धमागधी अपभ्रंश की सुता है। अर्थात् पूर्वी हिन्दी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिन्दी और राजस्थानी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ऐसा अधिकतर विद्वानों का मत है। लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश तथा पश्चिमी हिन्दी व राजस्थानी की संधिभाषा के रूप में अवहट्ट का नाम उल्लेख आता है। अवहट्ट तथा पश्चिमी राजस्थानी

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी,
पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस-सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल.
(हिन्दी), पी-एच.डी. – “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण”
शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध-पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई
काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1. कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध
पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र की
प्रस्तुति, 3. सह-संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड
कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य
अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक
के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता-पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए
जीवन-अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा.
इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए-71, रामाग्रीन सिटी,
बिलासपुर (छ.ग.), मोबा. नं:- 7770899636, 7974698680, Email ID:
dineshsriwash77@gmail.com

व पहाड़ी भाषाओं के तत्कालीन शब्दों के वर्णों का भारीपन (प्रारंभिक शब्दों का) लगभग समान है। इसलिए भी ऐसा कहा जा सकता है। अतः इन भाषाओं की उत्पत्ति—आरेख से इसे समझने में सुविधा होगी—



आरेख से स्पष्ट है कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी का उदय हुआ है।

पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और राजस्थानी भाषाओं का भौगोलिक क्षेत्र और विशेषताएँ:—

पश्चिमी हिन्दी का परिचय:— पश्चिमी हिन्दी का क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से लेकर पूर्व में कानपुर की सीमा तक एवं उत्तर में जिला देहरादून से दक्षिण में मराठी की सीमा तक चला गया है। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र आते हैं। इस भाषावर्ग के बोलने वालों की संख्या जनगणना 1990 के अनुसार 6 करोड़ हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत सम्पन्न भाषावर्ग है। सूरदास, नन्ददास, भूषणदेव, बिहारी, रसखान, भारतेन्दु और रत्नाकर आदि के नाम सर्वविदित हैं। ये सब इसी भाषावर्ग से संबंधित हैं। पश्चिमी हिन्दी में उच्चारणगत खड़ापन है। पश्चिमी हिन्दी की प्रकृति सामान्य भाषा हिन्दी अर्थात् खड़ी बोली के अनुरूप है। वास्तव में यही पश्चिमी हिन्दी भारत की सामान्य भाषा हो गई है।

पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ:— पश्चिमी हिन्दी में मुख्य रूप से पाँच बोलियाँ हैं—

1. खड़ीबोली या कौरवी
2. ब्रज भाषा
3. हरियाणवी
4. बुंदेली
5. कन्नौजी

खड़ीबोली:— खड़ीबोली का तात्पर्य है स्टैण्डर्ड भाषा। इस अर्थ में सभी भाषाओं की अपनी खड़ीबोली हो सकती है। किन्तु हिन्दी में खड़ीबोली मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है। कौरवी और नागरी इसके उपनाम हैं। ग्रियर्सन ने इसे देशी हिन्दुस्तानी कहा है। खड़ीबोली की प्रमुख बात इसका खड़ापन है। अर्थात् कठोर या खड़े वर्णों या शैली का प्रयोग। कुछ लोग खड़ी का अर्थ शुद्धता से लगाते हैं और दूसरे लोग खड़ी या स्टैण्डिंग से लगाते हैं। कुछ लोग इसके ध्वन्यात्मक कर्कशता से खड़ेपन का संदर्भ जोड़ते हैं। इस भाषा में लोक साहित्य पर्याप्त संख्या में है।

भौगोलिक विस्तार:— इसका क्षेत्र सहारनपुर, देहरादून, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, दिल्ली का कुछ भाग, रामपुर और मुरादाबाद आदि तक है।

विशेषताएँ:—

1. खड़ीबोली में ब्रजभाषा की तरह ऐ और औ का प्रयोग विशेष रूप से न होकर ए और ओ का प्रयोग होता है। जैसे — उसको—उसके।
2. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में शब्दांत में 'आ' ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे— गया, भला, मेरा।
3. साहित्यिक हिन्दी में उ और ढ के स्थान पर ड़ और ढ़ का प्रयोग होता है। जैसे बढ़ना, चढ़ना, बड़ा आदि।
4. मेरठ की खड़ीबोली में न के स्थान पर अधिकांश में ण ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे सुनना — सुणणा, मानुष — माणुस आदि।

ब्रज भाषा:— यह ब्रज क्षेत्र को इंगित करता है। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। हिन्दी प्रदेश और देश के बाहर रहने वाले भारतीय

भी सांस्कृतिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। विदेशों में बसे भारतीय अपने सांस्कृतिक समारोह में इसका प्रयोग करते हैं। सूरदास, तुलसीदास, नन्ददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं।

भौगोलिक विस्तार:— ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूँ, बरेली व आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाती है।

विशेषताएँ:—

1. ब्रजभाषा अपने माधुर्य और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ट, थ, ड, ध, ण जैसे कठोर वर्ण नहीं हैं और ष और श के स्थान पर स है और ण के स्थान पर न है।

2. इसमें ए और ओ के ह्रस्व रूपों का भी प्रयोग हुआ है।

3. ब्रजभाषा में राजस्थानी, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के शब्द आ जाने के कारण इसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ गई है।

4. अरबी, फारसी के कुछ शब्द भी इस बोली में ग्रहण कर लिए गए हैं।

हरियाणवी:— इस भाषा की व्युत्पत्ति में अनेक विद्वानों ने अलग-अलग मत दिया है। कुछ विद्वान इसे कृष्ण के यान अर्थात् हरि के यान से जोड़ते हैं, कुछ इसे हरि के वन अर्थात् हरि और अरण्य से जोड़ते हैं, तो कुछ अहीर, आना से जोड़ते हैं। कुल मिलाकर यह हरियाणा या हरयाणा शब्द से व्युत्पन्न माना जा सकता है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित है।

भौगोलिक विस्तार:— यह हरियाणा और दिल्ली के आसपास बोली जाती है।

विशेषताएँ:—

1. इसमें ध्वनि लोप की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। जैसे— एकतिस—कत्तिस हो गया है।

2. बहुवचन रूप में ओ न होकर ऑ होते हैं, जैसे—दिनों को दिनों, घोड़ों को घोड़ों हो जाता है।

3. हरियाणवी में हिन्दी न के स्थान पर ण का प्रयोग बहुत होता है। जैसे— अपना को अपना तथा होना को होणा कहा जाता है।

बुंदेली:— यह बुंदेले राजपूत के कारण ज्यादा ध्यानाकर्षित करती है। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमारेखा के क्षेत्र को बुंदेलखण्ड कहा जाता है। इस क्षेत्र में यह भाषा प्रसिद्ध है। बुंदेलों हरबोलों ने इस भाषा को लोक गायन में बहुत अधिक प्रयोग किया है। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन्हीं बुंदेलों हरबोलों के गायन से प्रभावित होकर 'झांसी की रानी' नामक कविता की रचना की थी। बुंदेली में लोक साहित्य काफी है। फागुन के गीत, होली से संबंधित गीत पर्याप्त संख्या में इस लोक साहित्य में उपलब्ध है। ईसुरी नामक लोककवि के फागुगीत बहुत ही प्रसिद्ध है। लोकगाथा आल्हा, जिसमें आल्हा—उदल दो वीरों की कथा है, भी इसी लोक साहित्य में है।

भौगोलिक विस्तार:— इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद आदि है।

कन्नौजी:— कन्नौजी कान्यकुब्ज शब्द से प्रभावित मानी जाती है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ब्रजभाषा और कन्नौजी लगभग एक—सी लगने वाली भाषाएँ हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है। ब्रजभाषा से समानता होने के बाद भी यह ब्रजभाषा के समान प्रसिद्ध नहीं है।

भौगोलिक विस्तार:— यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत के क्षेत्र की भाषा है।

पूर्वी हिन्दी का परिचय:— यह हिन्दी पश्चिमी हिन्दी प्रदेश के पूर्व में बोली जाती है। पूर्व में इसकी सीमा बिहार को स्पर्श करती है। यही कारण है कि इस पर बिहारी और पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव है। यह उत्तर कौशल से दक्षिण कौशल के मध्य बोली जाती है। अतः इसे कौशली भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं। इसकी व्युत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। सामान्यता की दृष्टि से जितना घनिष्ठ संबंध इनमें है उतना हिन्दी के अन्य उपभाषाओं में नहीं है। ण की जगह सदा न और श, ष की जगह सदा स बोला जाता है।

पूर्वी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ:—

1. **अवधी:**— अवधी अयोध्या शब्द से संबंधित है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है। जिससे अवधी बनी है, इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से

मानते हैं, तो कुछ विद्वान पाली की समानता के आधार पर इसे नहीं मानते। अवधी में साहित्य और लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। विश्वप्रसिद्ध 'श्रीरामचरित मानस' जो हिन्दुओं की बाईबल मानी जाती है, इसी भाषा में है। विदेशों में बसे हिन्दू सम्मानपूर्वक इस भाषा का श्रवण-कीर्तन करते हैं। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, उस्मान, सबल सिंह चौहान आदि महान साहित्यकारों ने इस भाषा में रचना की है।

भौगोलिक विस्तार:— इसका क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ बारांबाकी आदि है।

विशेषताएँ:—

1. इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, अरबी, फारसी और ब्रज भाषा के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं।
2. बंगला, राजस्थानी, भोजपुरी के शब्द भी यत्र-तत्र दिख जाते हैं।
3. अवधी ईकारात बोली है। इसमें ई प्रत्यय का अधिक प्रयोग होता है। जैसे ई, ईया, इति।
4. करण की अभिव्यक्ति 'से' के स्थान पर 'अन' का प्रयोग होता है। जैसे—भूखन मरत गयन।

2. बघेली:— बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखण्ड कहलाता है और इसी क्षेत्र में बोले जाने वाली यह भाषा बघेली कही जाती है। इसका आर्विभाव अर्धमागधी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से हुआ है। कुछ विद्वान इसे अलग बोली न मानकर अवधी की ही एक दक्षिणी शाखा मानते हैं। परन्तु यह भाषा वैज्ञानिक स्तर पर सही नहीं है। इस भाषा में केवल लोक साहित्य है।

भौगोलिक विस्तार:— इसका क्षेत्र रीवा, नागोद, शहडोल, सतना, मैहर आदि है।

विशेषताएँ:—

1. बघेली में 'व' के स्थान पर सर्वत्र 'ब' का प्रयोग किया जाता है। जैसे— आईए को आबा कहा जाता है।
2. बघेली में ऐ और औ को अइ और अउ कहने की प्रवृत्ति है। जैसे—

औरतें को अउरतें कहा जाता है।

3. बघेली में पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे— ठाकुर —ठकुराइन।

3. **छत्तीसगढ़ी** :— 36 गढ़ों में विस्तारित होने के कारण इस भाषा को छत्तीसगढ़ी कहा जाता था। परन्तु अब इस भाषा के आधार पर एक राज्य ही निर्मित हो गया है। 36 गढ़ों से भी अधिक विस्तार इस भाषा को मिल गया है। छत्तीसगढ़ में इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। इस भाषा में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है और उच्च कोटि के हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है।

भौगोलिक विस्तार:— इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर आदि है।

विशेषताएँ:—

1. इसमें शब्द के मध्य ध्वनि ड का लोप हो जाता है। जैसे— लड़का को लइका कहा जाता है।

2. इसमें अल्प प्राण ध्वनियाँ महाप्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं। जैसे— जन को ज़न कहा जाता है। कचहरी को कछेरी कहा जाता है।

3. एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए अन या मन का प्रयोग होता है। जैसे— लड़का का बहुवचन लइकामन है।

राजस्थानी भाषा का परिचय

यह राजस्थान प्रदेश की भाषा है। राजस्थान के बाहर सिन्ध के कोने तक और मध्यप्रदेश के मालवा तक बोली जाती है। इसे हिन्दी की उपभाषा मानते हुए राजस्थानी हिन्दी के नाम से संबोधित किया जाता है। जब साहित्य जगत में ब्रजभाषा प्रतिष्ठित नहीं हुई थी तब राजस्थानी में ही साहित्य लिखा जाता था। वर्तमान समय में इसे हिन्दी से पृथक् भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थानी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।

राजस्थानी भाषा का भौगोलिक विस्तार:—राजस्थानी भाषा को चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:—

1. पश्चिमी राजस्थानी:— यह जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, शिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इसे मारवाड़ी भी

25

बिहारी, पहाड़ी तथा इनकी बोलियों का भौगोलिक विस्तार तथा विशेषताएँ

— डॉ० दिनेश श्रीवास*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 02 हिन्दी का भौगोलिक विस्तार

हिन्दी की उपभाषाएँ, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियाँ। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ।

उत्तर प्रदेश से जुड़े होने के कारण उत्तर प्रदेश की राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितियों का प्रभाव बिहार पर पड़ते रहता है, लेकिन बिहार की उपभाषाएँ समानता और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बंगला से भी समानता रखती हैं। बिहारी का क्षेत्र पूर्वी हिन्दी तथा बंगला के बीच में है। बिहारी की बोलियों में मैथिली, मगही तथा भोजपुरी का नाम लिया जाता है। बिहारी भाषा का नाम ग्रियर्सन ने दिया है। उत्पत्ति की दृष्टि से बिहारी का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। बिहारी बोलियों को 03 अलग-अलग

*जन्म : 10/12/1977, बिलासपुर (छ.ग.), माता : श्रीमती आशा देवी, पिता : श्री गणेश श्रीवास, शिक्षा : बी.एस-सी. (गणित), एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल. (हिन्दी), पी-एच.डी. – “मोहन राकेश के नाटक और व्यक्ति स्वातंत्र्य: एक विश्लेषण” शीर्षक पर, रुचि : कविता, कहानी, नाटक तथा शोध-पत्र लेखन में विशेष रुचि, कई काव्य संग्रह व कहानी संग्रह प्रकाशनाधीन, कार्य : 1. कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र का प्रकाशन, 2. दस से अधिक राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्र की प्रस्तुति, 3. सह-संयोजक के रूप राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, 4. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन कोरबा मुख्यालय में अनेक बार “हिन्दी पखवाड़ा” में मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि, 5. जनगणना, मतदान आदि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में राज्य स्तर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य, अन्य : आपके माता-पिता कम शिक्षित होने के बावजूद आपके लिए जीवन-अनुशासन के श्रेष्ठ शिक्षक बने, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शा. इंजी. विश्वेश्वरैया महाविद्यालय कोरबा, छ.ग., आवास : ए-71, रामाग्रनी सिटी, बिलासपुर (छ.ग.), मोबा. नं:- 7770899636, 7974698680, Email ID: dineshsriwash77@gmail.com


भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 224

लिपियों में प्रयुक्त किया जाता है। छपाई में देवनागरी अक्षर का प्रयोग होता है तथा लिखने में कैथी लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली लिपि बंगला लिपि से बहुत अधिक मिलती-जुलती है। इस प्रकार बिहारी बोलियों के लिए देवनागरी → कैथी → मैथिली लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली में प्राचीन साहित्य मिलता है, जबकि भोजपुरी में कबीर के कुछ पुराने पद मिलते हैं। मगही को कैथी लिपि में लिखा जाता है। अनेक विद्वान मैथिली लिपि को देवनागरी लिपि से भिन्न मानते हैं। इस आधार पर इन बोलियों की लिपि इस प्रकार तीन अलग-अलग हैं—

मैथिली → मैथिली लिपि, भोजपुरी → देवनागरी लिपि, मगही → कैथी लिपि।

गौण बिहारी बोलियों में अंगिका तथा वज्जिका का भी नाम लिया जाता है।

बिहारी बोलियों के उत्पत्ति— बिहारी बोलियों की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई—



बिहारी बोलियों का भौगोलिक विस्तार:— बिहारी को बिहारी हिन्दी भी कहते हैं। यह बिहार में पूर्वी हिन्दी प्रदेश से बंगला प्रदेश के मध्य तक बोली जाती है। बिहार के अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, वाराणासी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है। बिहारी बोलियाँ हैं— मगही, मैथिली व भोजपुरी।

इन बोलियों में समानता की अपेक्षा विषमता अधिक है। इनमें जो तत्व है, वे भी प्रायः पूर्वी हिन्दी में पाए जाते हैं और जो भिन्न हैं वे बिहारी को एक अलग भाषा या सुगठित इकाई बनाने में बाधक हैं। कुछ वर्षों से भोजपुरी और अंगिका भाषा में साहित्यिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं।

बिहारी बोलियों का परिचय, भौगोलिक विस्तार एवं विशेषताएँ:— बिहारी बोलियों में मुख्यतः भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियाँ हैं—

भोजपुरी का परिचय:— राजा भोज के वंशजों ने बिहार के मल्ल जनपद में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। भोजपुर को इसकी राजधानी बनाया था। इसी आधार पर पूरे उस क्षेत्र को भोजपुर कहा जाने लगा और आस-पास बोली जाने वाली उपभाषा को भोजपुरी कहा जाने लगा। भोजपुरी हिन्दी बोलियों में सबसे अधिक क्षेत्र में व्याप्त है। न सिर्फ बिहार बल्कि भारत के बाहर मॉरीशस, सुरीनाम, त्रिनिनाद आदि देशों में भी बोली जाती है। जनगणना 1990 के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 3.50 करोड़ हैं। प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, धरमदास, शिवनारायण, जयशंकर प्रसाद आदि की मातृभाषा भोजपुरी ही थी। आधुनिक युग में इसमें रचनाधर्मिता बढ़ गई है। नाटक, उपन्यास, कहानियाँ आदि लिखी जा रही हैं। सिनेमा की एक भाषा के रूप में भी इसे प्रसिद्धी मिल गई है।

भौगोलिक विस्तार:— उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर तथा बिहार के शाहाबाद, छपरा, चम्पारण्य, रांची, पलामू में भोजपुरी बोली जाती है। भारत के बाहर मॉरीशस, त्रिनिनाद, सुरीनाम में व्यवहृत होती है। भारत के बाहर की प्रायः सभी हिन्दी बोलियाँ मूलतः और मुख्यतः भोजपुरी पर आधारित हैं। अतः उनको भोजपुरी की विभिन्न उपबोलियों माना जा सकता है, जिन पर तत्संबंधी स्थानीय मूल भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। जैसे— मॉरीशसी पर फ्रांसीसी का, तो सुरीनामी पर डच का, फिजी में अवधी का भी मिश्रण है।

विशेषताएँ:—

1. अ, इ, उ के अति ह्रस्व रूप भी होते हैं।
2. अ थोड़ा वृत्ताकार (होठों को गोल करके) बोला जाता है।
3. ऐ और औ का उच्चारण अइ, अउ करके होता है। जैसे— पइसा, मइला, गउना, मउति।
4. स्वरों का अनुनासीकरण कुछ अधिक शब्दों में मिलता है। जैसे— ठींठ, खाई, पांपर (पापड़), खोपड़ी, हींसा (हिस्सा)।
5. दीर्घाकरण की प्रवृत्ति भी अधिक है। जैसे— आंजुरी, खांड (खंड), तावा (तवा), डीबा (डिब्बा), माठा (मट्ठा)

मैथिली का परिचय:— मैथिली भाषा का संबंध मिथला से है। मिथला वह क्षेत्र है जो माता सीता से संबंधित है। अर्थात् वैशाली, विदेह और

अंग जनपदों का संयुक्त प्रान्त है। साहित्य की दृष्टि से यह बड़ी संपन्न बोली है। विद्यापति से लेकर आधुनिक काल के कवियों तक काव्य और नाटक के क्षेत्र में बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं। जनगणना 1990 के अनुसार बोलने वालों की संख्या लगभग 1.50 करोड़ हैं।

भौगोलिक क्षेत्र:— यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर में बोली जाती है।

विशेषताएँ:—

1. उच्चारण सामान्यतः भोजपुरी के समान है, परन्तु सभी शब्द स्वरांत होते हैं।
2. अ थोड़ा वृत्ताकार होता है, कुछ-कुछ बंगला अ की तरह।
3. संज्ञा के एकवचन और बहुवचन रूप में कोई अंतर नहीं है।
4. कर्म और सम्प्रदान कारक चिन्ह कै, करण कारण सैं, सौं और ऍ प्रत्यय (जैसे-नेनिँ, लड़की के द्वारा) संबंधकारक का, कर, केर और अधिकरण में मैं जुड़ते हैं।
5. क्रिया रूप जटिल है। कर्ता और कर्म के रूप आदरसूचकता के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे- देखलथ (उन्होंने उसको देखा), देखलथिन्हि (उन्होंने उनको देखा)।

मगही का परिचय:— मगध प्रान्त की बोली को मगही कहते हैं। यह भोजपुरी से बहुत अधिक समानता रखती है। वर्तमान समय में इस पर हिन्दी का प्रभाव पड़ता रहा है।

भौगोलिक क्षेत्र:— इसका क्षेत्र पटना, गया, हजारीबाग का पूरा भाग और भागलपुर तथा मुंगेर का थोड़ा सा भाग इसके क्षेत्र में सम्मिलित है।

विशेषताएँ:—

1. भोजपुरी से समानता अधिक है, लेकिन सम्प्रदान में ल, लेल अधिकरण में मो अतिरिक्त परसर्ग लगाया जाता है।
2. हिन्दी में आप की जगह इसमें 'रौआ' सर्वनाम का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया हिन्दी की तरह ही ह रूप है, पर उसका रूपान्तर भोजपुरी बाटे और भइल की तरह होता है।
3. क, ख, थ विकल्प थोड़े रूप में जोड़े जाते हैं। जैसे- ही या हकी

भूतकाल का (आपणा खेत में गो अर्थात् गया), ल भविष्य काल का (यो बाल समझी जालो अर्थात् जाएगा) द्योतक है।


गढ़वाली का परिचय:— यह गढ़वाल क्षेत्र जिसमें उत्तराखण्ड, केदारखण्ड और तपोभूमि का क्षेत्र आता है, की बोली है। इस बोली पर पंजाबी, राजस्थानी और वैशाली का प्रभाव है। इसमें लोक साहित्य भी लिखा गया है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 15 लाख हैं।

भौगोलिक विस्तार:— यह टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तर काशी के आस-पास बोली जाती है।

विशेषताएँ:—

1. इसमें व्यंजन ध्वनियाँ मुख में सामान्य से थोड़े पीछे बोली जाती हैं।
2. स्वरों को अनुनासिक कर देने की प्रवृत्ति अधिक है। जैसे—छायॉ, दँत, पैसा, प्यार, सांत।
3. सर्वनाम राजस्थानी की तरह है।
4. संज्ञार्थक क्रिया देखण, देखणू, प्रेरणार्थक दिखाण, पूर्वकालिक मारिइ या मारिके, वर्तमान काल पंजाबी की तरह देखदा (देखता) है।
5. भूतकाल अकारान्त कौरवी की तरह होता है। जैसे— चल्या, भविष्य कुमाउनी की तरह 'ल' रूप होता है। जैसे— होला (होगा)।

बिहारी और पहाड़ी बोलियों का पारस्परिक संबंध:—



“पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त इस अच्छी जिंदगी को,
अगले जन्म की अच्छी जिंदगी के लिए निवेश मत कीजिए।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

26.

खड़ी बोली, ब्रज, अवधी का भौगोलिक विस्तार तथा उनकी विशेषताएँ

— डॉ० शिवदयाल पटेल*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 02 हिन्दी का भौगोलिक विस्तार

हिन्दी की उप भाषाएँ, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियाँ। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ।

खड़ी बोली

भाषाशास्त्र की दृष्टि से 'खड़ी बोली' शब्द का प्रयोग दिल्ली, मेरठ के समीपस्थ ग्राम समुदाय की ग्रामीण बोली के लिए होता है। जार्ज ग्रियर्सन ने इसे "वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी" नाम से पुकारा है। सुनीतिकुमार चटर्जी ने इसको "जनपदीय हिंदुस्तानी" कहा है। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से खड़ी बोली की मानक हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की मूलाधार बोली है। साहित्यिक

*जन्म : 03 जून 1971, शिक्षा : एम. ए., एम. एड., पी-एच. डी., नेट, सेट, प्रकाशन कार्य : 'आठवें दशक में हिन्दी नाटकों में बिम्ब विधान का अनुशीलन', अकादमिक कार्य : लघु शोध परियोजना के अन्तर्गत 'छत्तीसगढ़ी, उरांव एवं सादरी लोकगीतों के अन्तर्संबंधों का अध्ययन' का सह अन्वेषक, 100 से अधिक शोध-संगोष्ठियों में सहभागिता व शोध प्रपत्र वाचन, 05 शोध पत्र प्रकाशित, सम्मान : जिला युवा अवार्ड (2005), नेशनल यंग लीडर्स अवार्ड (2015-16), एन एस एस में छत्तीसगढ़ का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी पुरस्कार (2016-17), कोरबा जिले का श्रेष्ठ नोडल अधिकारी (स्वीप) सम्मान 2018-19, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष-हिन्दी), शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला- कोरबा, छ.ग., आवासीय पता : मकान क्र. बी-1378, कृष्णा विहार, एन टी पी सी कॉलोनी, जमनीपाली, कोरबा, छ.ग., पिन कोड- 495450, मो० नं० : 9669128900, ई-मेल : patelshivdayal1@gmail.com

संदर्भ में कभी-कभी अवधी, ब्रज आदि बोलियों के साहित्य से अलगाव करने के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य को खड़ी बोली साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है।

इतना स्पष्टीकरण होते हुए भी खड़ी बोली शब्द के आरंभिक अर्थ तथा नामकरण और उसके रूप, अर्थ प्रयोग के विकास के संबंध में मत वैभिन्न्य दिखाई देता है। “खड़ी बोली” नाम की व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से की है। उन विद्वानों की विचारधाराओं को यहां निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

(1) कुछ विद्वान ‘खड़ी बोली’ नाम को ब्रज भाषा सापेक्ष में मानते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं। लल्लूलाल ने 1803 ई. में यह नाम ब्रजभाषा की मधुर मिठास की तुलना में उस बोली को दिया था, जिसमें कालांतर में स्टैण्डर्ड हिंदी और उर्दू का विकास हुआ। ये विद्वान खड़ी शब्द से कर्कशा, कटुता, खारापन, खड़ापन आदि अर्थ लेते हैं। इस वर्ग के विद्वानों में बंशीधर विद्यालंकार और डॉ धीरेन्द्र वर्मा प्रमुख हैं।

(2) कुछ विद्वान उर्दू को सापेक्ष न मानकर इसे प्रकृत, शुद्ध, ठेठ ग्रामीण बोली मानते हैं। इस वर्ग के विद्वानों में चंद्रबली पांडेय का नाम उल्लेखनीय है।

(3) कुछ विद्वान ‘खड़ी’ का अर्थ सुस्थिर, सुप्रचलित, सुसंस्कृत, परिष्कृत या परिपक्व मानते हैं।

(4) सुनीतिकुमार चटर्जी उत्तरी भारत ओकारान्त ब्रज आदि बोलियों को ‘पड़ी बोली’ और उसके विरोध में इसे खड़ी बोली मानते हैं।

(5) कुछ विद्वान रेखता शैली को ‘पड़ी’ और इसे ‘खड़ी’ मानते हैं।

वास्तव में खड़ी बोली में प्रयुक्त ‘खड़ी’ शब्द गुणबोधक विशेषण है और किसी भाषा के नामकरण में गुण-अवगुण प्रधान दृष्टिकोण अधिकांशतः अन्य भाषा सापेक्ष्य होता है। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और उर्दू आदि इसी श्रेणी के नाम हैं। अतएव ‘खड़ी’ शब्द अन्य भाषा सापेक्ष्य अवश्य है। इसके लिए शब्द के इतिहास की खोज आवश्यक है। ‘बोली’ के अर्थ में इस नाम का उल्लेख मध्यकाल में कहीं नहीं मिलता। निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग 19 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लूलाल ने दो बार, सदल मिश्र ने दो बार और गिलक्राइस्ट ने छह बार किया है।

खड़ी बोली संभवतः विश्व की विचित्र बोली है। बोली उसे कहते हैं, जो केवल बोली जाती है। किंतु कई बोलियों में आगे चलकर साहित्य की रचना होने लगती है। इस तर्क के आधार पर तो खड़ी बोली जैसे कई बोलियाँ होंगी। परंतु खड़ी बोली ने साहित्य में एक ओर हिंदी का रूप लिया, तो दूसरी ओर उर्दू का रूप लिया और तीसरी ओर व्यापक बोलचाल के प्रयोग में आकर हिंदुस्तानी कहलाई।

इससे स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वास्तव में ये तीनों खड़ी बोली के तीन रूप हैं। खड़ी बोली ही प्रथक-पृथक रूप से इनसे संबंधित नहीं है अपितु अन्य तीनों भी परस्पर संबंधित हैं। उर्दू, खड़ी बोली, साहित्यिक हिंदी और हिंदुस्तानी तीनों से संबंधित है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा अन्य तीनों से संबंधित है, किंतु सबके केंद्र खड़ी बोली है।

खड़ी बोली के कर्कश, कटु आदि अर्थ भारतेंदु युग की देन हैं। जबकि हिंदी कविता के लिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में प्रतियोगिता हो रही थी। संभवतः ब्रजभाषा पक्ष वालों ने उस युग में खड़ी बोली का इस प्रकार अर्थ किया होगा।

बेनी महोदय के अनुसार 'खड़ी' ही मूल शब्द है – 'खरी' नहीं। जो 'खड़ा' शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 'खड़ी' शब्द का अर्थ है 'उठी'। जब यह शब्द किसी भाषा के लिए प्रयुक्त होता होगा, तब इसका अर्थ प्रचलित रहा होगा। इस प्रकार इनके अनुसार 'खड़ी' का अर्थ है परिपक्व, प्रचलित और सुस्थिर।

चंद्रबली पांडेय ने अपने लेख 'खड़ी बोली की निरुक्ति' में बोली के परिपक्व, प्रचलित अर्थ का खंडन करते हुए यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है कि खड़ी बोली सदल मिश्र की निजी या उनके यहाँ की प्रचलित बोली नहीं है। किंतु उनका खंडन मान्य नहीं। क्योंकि इस बोली का प्रचलन 'हिन्दवी' रूप में अंततः प्रांतीय व्यवहार के लिए बहुत पहले से था, अन्यथा सिंधु, गुजरात के स्वामी प्राणनाथ (कुलजय स्वरूप) और लालदास (वीतक), पटियाला के रामप्रसाद निरंजनी (योग वशिष्ठ), राजस्थान के पं दौलतराम (पद्मपुराण) और बिहार के सदल मिश्र (नासीकेतोपाख्यान) रचना नहीं कर पाते। अतः 'खड़ी' शब्द का अर्थ परिपक्व मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

खड़ी बोली नाम सर्वप्रथम हिंदी (हिंदुस्तानी) की उस शैली के लिए दिया गया, जो उर्दू की अपेक्षा अधिक शुद्ध हिंदी (भारतीय) थी और जिसका प्रयोग संस्कृत परंपरा अथवा भारतीय परंपरा से संबंधित लोग अधिक करते थे। अधिकांशतः वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। ई.1805 से हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू शब्द गिलक्राइस्ट के अनुसार समानार्थक थे, अतएव अलगाव सिद्ध करने के लिए शुद्ध विशेषण जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तथा 'खड़ीबोली' नाम सार्थक हुआ।

इस प्रकार खड़ी बोली का वास्तविक अर्थ होगा – शुद्ध, परिष्कृत या परिनिष्ठित भाषा। उर्दू भी दिल्ली, आगरे की बोली थी, किंतु यह फारसी, अरबी से मिश्रित थी, अतएव वह दिल्ली, आगरे की 'खड़ी'— शुद्ध, परिष्कृत और परिनिष्ठित बोली नहीं थी। लल्लूलाल के उदाहरण का यही वास्तविक अर्थ है। 'खड़ी बोली' के अर्थ को 1823 ई. के बाद हिंदी कहा गया। किंतु जब प्राचीन तथा प्रचलित शब्द ने 'खड़ी बोली' शब्द का स्थान ले लिया तो 'खड़ी बोली' शब्द उस शैली के लिए बहुत कम प्रयुक्त हुआ। केवल साहित्यिक संदर्भ में ही कभी—कभी प्रयुक्त होता रहा और आज भी कभी—कभी प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार जब से यह मत प्रसिद्ध हो गया कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की मूलाधार बोली ब्रजभाषा नहीं बल्कि दिल्ली और मेरठ की जनपदीय बोली है तब उस बोली का अन्य उपनाम प्रचलित न होने के कारण उसे खड़ी बोली ही कहा जाने लगा।

खड़ी बोली का जन्म 1900 ई. के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली का आदि रूप गोरखनाथ, खुसरो, रामानंद आदि के काव्य में दिखाई पड़ता है। ध्वनि की दृष्टि से इस काल में अपभ्रंश की तुलना में दो नई ध्वनियाँ 'ए', 'औ' आ गयीं। रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा बाद में विकसित शब्द साथ—साथ चलते रहे। इस काल की शब्दावली मुख्यतः तद्भव और देशज थी। तत्सम शब्द अपेक्षाकृत कम थे। कुछ विदेशी शब्द भी आ गये थे। खड़ी बोली के मध्यकाल का स्वरूप कबीर, नानक, रैदास, रहीम तथा गंग के काव्य में दिखाई पड़ता है।

भौगोलिक विस्तार —

खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है — मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर, मुरादाबाद, बंगारू या जाटवी या हरियाणी

एक प्रकार से पंजाब और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली ही है, जो दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार और पटियाला, नाभा, जींद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली क्षेत्र के पूर्व में ब्रजभाषा, दक्षिण पूर्व में मेवाती, दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिम में पूर्वी पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोलियों का क्षेत्र है। इस बोली के प्रधानतः दो रूप मिलते हैं— (1) पूर्वी या पूर्वी खड़ी बोली, (2) पश्चिमी खड़ी बोली।

खड़ी बोली की ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—

(1) विशिष्टता या पहचान की दृष्टि से अवधी अकारान्त या व्यंजान्त है, जैसे — करन, होत, होण, घोर या घोड़, नीक, बड़ खोट। ब्रजभाषा ओकारान्त प्रधान है, जैसे — नीको, बड़ो, खोटो, छोरो, आयो, लिनो, होबो, करेगो, करिबो, घोरो। खड़ी बोली आकारान्त प्रधान है, जैसे — करता, किया, करना, करेगा, बड़ा, छोटा, खोटा, घोड़ा आदि।

(2) 'ऐ', 'औ' का उच्चारण इतना संवृत होता है कि क्रमशः 'ए', 'ओ' सुनाई देते हैं, जैसे — बेठ, पेर, ओर, होर, दोरा (बैठ, पैर, और, दौरा)।

(3) 'ह' के पहले 'अ' का उच्चारण 'ए' की तरह सुनाई देते हैं, जैसे — केह्या (कह्या), रेह (रह) आदि।

(4) ठेट बोली में 'ड़' के स्थान पर 'ड', जैसे — गाडी (गाड़ी), बडा (बड़ा), स्वर मध्यम 'ल' के स्थान पर 'ल', जैसे — माल, नीला (माल, नीला) और स्वर 'ल' (उच्चारण) मध्यम 'न' के स्थान पर 'ण'। जैसे — जाणा (जाना), जाव्या (जाना-समझा), लेण-देण (लेना-देना) आदि।

(5) खड़ी बोली की एक विशेषता है स्वर मध्यम द्वित्व व्यंजन जो दीर्घ स्वर के बाद भी उच्चारित होता है, किंतु उस स्वर की दीर्घता कुछ कम हो जाती है, जैसे — बाप्पू, बेटा, राणी, रान्नी, लोट्टा, पुच्छा। बांगड़ और खड़ी बोली में अन्य हिंदी बोलियों की अपेक्षा बलाघात कुछ जोर से पड़ता है, जिसके कारण पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर तो द्रस्व हो ही जाता है, कभी — कभी द्रस्व स्वर का लोप भी हो जाता है, जैसे — मठाई (मिठाई), कट्टा (इकट्टा) आदि।

व्याकरण संबंधी विशेषताएँ —

(1) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कृदंत आदि रूपों में शब्दान्त में 'आ' ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे — भला, गया, मेरा।

(2) संज्ञा शब्दों के रूप प्रायः वही हैं, जो साहित्यिक हिंदी में हैं, किंतु

बहुवचन तिर्यक रूप 'ऊँ' जैसे – मरदुं, मरदुं का बेटयूं को एवं वैकल्पिक स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियाँ, लड़कियों उल्लेखनीय है। कारकों के अर्थ में निम्नलिखित परसर्ग प्रयुक्त होते हैं—

कर्ता – ने, नें

कर्म तथा सम्प्रदान – को, कूँ, नूँ, ने, के।

करण तथा अपादान – लें, सेती, सों।

सम्बन्ध – का, के, की।

अधिकरण – में, पे, प।

(3) सर्वनाम और उनके विशिष्ट रूप निम्नलिखित हैं –

में, मुझ, मेरा, हम, हमें, हमारा या म्हारा, तू तिर्यक – तें, तुझ, तेरा, तम, तमें, तुम्हारा या थारा। यू, यो (स्त्रीलिंग या) तिर्यक इस, आ, ओह (स्त्रीलिंग वाः) जो। जोण, के, 'कोंण', के (क्या) आप, अपना, को (कोई)।

(4) कुछ क्रिया विशेषण हैं – कै (कितने), असे (ऐसे), इस (अब), इमी (अभी), जिव-तिव (जब-तब), हाँ (वहाँ), जाँ (जहाँ), कीकर (कैसे), क्यूँ (क्यों), नूँ (यों), जूँ (ज्यों)।

(5) खड़ी बोली के क्रियात्मक रूप साहित्यिक हिंदी के समान है। किंतु 'है' का उच्चारण 'हे' और विकल्प से 'है' के स्थान पर 'सै' का प्रयोग भी होता है। जैसे – लाया करे सै (लाया करता है)। दूसरी विशेषता यह है कि वर्तमान कृदंत का जो रूप साहित्यिक अथवा सामान्य हिंदी में काल और अर्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, उसकी जगह खड़ी बोली में क्रिया रूप के विकसित अकृदंतीय प्रयोग चलते हैं।

(6) भूत अपूर्ण निश्चयार्थ के 'मारूँ था' मारे था आदि रूप भी इसी से बने हैं। भविष्यत काल के रूप में इनमें 'गा, गे, गी जोड़कर सामान्य हिंदी की तरह ही होते हैं। इनका उच्चारण भले ही 'मारूँगा', 'जाएँगे' करके होता है। पश्चिमी में पंजाबी प्रभाव के कारण 'खांगगा', 'जांगगे' आदि रूप भी पाए जाते हैं।

(7) भूतकालिक कृदंतीय रूप एक वचन में रिह्या, उठया आदि और बहुवचन में सामान्य हिंदी के समान 'रहे', 'उठे' आदि बनते हैं। यद्यपि उच्चारण में 'ह' की अल्पप्राणता और व्यंजन के द्वित्व के कारण अंतर अवश्य पाया जाता है। करणा से करया, जाणा से जिया बनता है।

ब्रज भाषा

ब्रजभाषा का एक नाम ब्रजभाखा भी है। यह ब्रज मंडल की भाषा है। गंगा यमुना का दो आब यारों की पवित्र भूमि होने के कारण अन्तर्वेद कहलाता है। इसी कारण ब्रजभाषा को 'अन्तर्वेदी' भी कहते हैं। इन दोनों नामों में से किसी के द्वारा भी ब्रजभाषा के सम्पूर्ण क्षेत्र का परिचय नहीं मिलता। ब्रजमंडल का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक मथुरा जिला है। इसी के अंतर्गत कृष्ण की लीला भूमि गोकुल तथा वृंदावन है किंतु ब्रजभाषा का क्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है।

ब्रजभाषा के लिए संक्षिप्त रूप में 'ब्रज' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उधर दो आब – आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तथा इटावा की बोली को अन्तर्वेदी कहा जाता है। इसमें से इटावा तथा फर्रुखाबाद की भाषा तो कन्नौजी है तथा शेष की भाषा ब्रज है।

ब्रजभाषा में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, भ्रातपूर्व के अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली, ग्वालियर के पश्चिम भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यह उत्तर में गुडगांव के पूर्वी भाग में, उत्तर-पूर्व दो आबों में यह बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा गंगा पार के बंदायूँ, बरेली तथा नैनीताल की ट्रैव में बोली जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 38 हजार वर्गमील है तथा बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ 23 लाख है। इसके अन्य नाम हैं— ब्रजी, ब्रिज, बिजको, भाषामणि, मथुरा, मथुरही, पुरुषोत्तम भाषा तथा नागभाषा। कुछ ब्रिजबुलि को भी ब्रजभाषा समझते हैं, जो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है, इसमें बांग्ला, मैथिली और ब्रज का मिश्रण है।

नैनीताल की मुक्सा, एटा, मैनपुरी, बरेली और ब्रज की अन्तर्वेदी धौलपुर और पूर्वी जयपुर की डांग, गुडगांव, भरतपुर की मिश्रित करौली की जाटोवा आदि इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं।

ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। वल्लभ सम्प्रदाय के अष्टछाप के कवियों तथा रीतिकालीन केशवदास, रसखान, रहीम, बिहारी, देव, मतिराम, घनानंद, पद्माकर आदि ने इसी भाषा में उच्चकोटि का साहित्य रचा। ब्रजभाषा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि समस्त उत्तर भारत में यह काव्यभाषा के रूप में गृहीत हुई। नाथों और संतों की वाणियों में ब्रजभाषा का व्यापक व्यवहार हुआ। साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त ब्रजभाषा का लोक साहित्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ब्रजभाषा की ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—

1. ब्रजभाषा की ध्वनिगत विशेषताओं में सबसे उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि यह अन्य विभाषाओं की अपेक्षा सही रूप से पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे —

(1) इसमें अपभ्रंशकालीन अन्य स्वरों के साथ 'ऐ', 'औ' ध्वनियाँ मिलती हैं।

(2) इसमें अपभ्रंशकालीन अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त रह, न्ह, ,म्ह, हह ध्वनियाँ भी मिलती हैं।

(3) इसमें तीन सकारों श, ष, स में से केवल स मिलता है।

(4) इसमें 'ए', 'ओ' के ह्रस्व रूपों का प्रयोग मिलता है।

(5) इसमें 'ऋ' के स्थान पर 'रि' अथवा 'र' मिलता है।

(6) इसमें आदि और मध्यस्थ 'अ' के स्थान पर कभी-कभी 'इ' मिलती है, जैसे— तस्य— तिस्स, तिसु। कपाट — कवाड़, किवाड़ आदि।

(7) ब्रजभाषा में 'व' के स्थान पर 'म' का आदेश मिलता है, जैसे — पावेंगे —पामेंगे, आवतु— आमतु।

(8) आधुनिक ब्रजभाषा में 'ण' के स्थान पर 'न' मिलता है। 'ण' लिखे जाने पर भी उच्चारण 'न' जैसे होता है, जैसे — प्रवीण — प्रवीन, तरुणी — तरुनी, वेणु — वेनु, चरण — चरन।

(9) हिन्दी की 'ड़', 'ड', 'ल' ध्वनियों के स्थान पर ब्रज में 'र' ध्वनि हो जाता है, जैसे— घड़ा — घर्रा, पड़ा — पर्यौ, उलझना — उरझना।

व्याकरण संबंधी विशेषताएँ —

(1) खड़ी बोली हिंदी की अकारान्त संज्ञाओं के स्थान पर ब्रजभाषा में ओकारान्त संज्ञाएँ मिलती हैं, जैसे — तिनका — तिनको, कारा — कारो।

(2) ब्रजभाषा में कर्ता-बहुवचन में 'न', 'नि' जैसे— श्रवननि, दृगनि, कर्म — एकवचन और बहुवचन में 'हि', 'हिं' जैसे— कैलासहिं, तिहाई, करण—एकवचन में 'हि' जैसे — ताहि, अधिकरण में 'हि', 'इ', 'ए' जैसे — तिनहिं तथा संबंध एकवचन में 'ह' जैसे — तिन्ह का प्रयोग होता है।

(3) ब्रजभाषा में निम्न परसर्ग का प्रयोग होता है—

कर्ता — ने नें, नै, नैं।

कर्म – कों, कू।

करण – सौं, तन, त, तैई।

सम्प्रदान – कई, ताई, हेत, लागे।

अपादान – हूँ, तौ, ते सौ।

संबंध – कउ, का, के, की।

अधिकरण – मांहि, मांझि, में, माँ, मंजि।

(4) ब्रजभाषा के प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए 'अ', 'आ', 'आउ', 'ब' आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे – चलिइऔ, चलाउ, चलाइहै, चलाऊंगो, चलवाउ, चलवाऔ।

(5) वर्तमान कालिक कृदंत में त-त प्रत्यय लगाये जाते हैं य जैसे – खेलत, भविष्यत काल में गा, गे, गी के अतिरिक्त गी, इह, एह, हैं प्रत्यय लगाये जाते हैं, जैसे – पढ़ेगा, मारेगा, होइहाँ आदि।

(6) क्रियात्मक संज्ञाएँ 'व' तथा 'ल' लगाकर बनती हैं, जैसे – खेलबो, चलिबो।

अवधी भाषा

पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली अवधी है। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल अवध की बोली है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, वर्तमान में इसके नाम के अनुसार इसकी सीमा नहीं रही। अब तो इसको व्यवहार में लाने वाले विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक ओर यह हरदोई, खीरी तथा फैजाबाद के कुछ भाग में बोली जाती है, तो दूसरी ओर अवध के बाहर फतेहपुर, प्रयाग, केराकत तहसील छोड़कर जौनपुर तथा मिर्जापुर के पश्चिम भाग में बोली जाती है।

इसका अन्य नाम पूर्वी तथा कोशली भी है। पूर्वी से वास्तव में पूरब की बोली से तात्पर्य है। कभी-कभी अवधी तथा भोजपुरी दोनों को पूर्वी बोली के नाम से अभिहित किया जाता है। किंतु वास्तव में पूर्वी शब्द पूर्वी हिंदी के लिए प्रयुक्त होता है। कोशली से कौशल राज्य की भाषा से तात्पर्य है और यदि इस प्राचीन नाम को स्वीकार कर लिया तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। किंतु तुलसीदास रामचरितमानस के अवध शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया कि इस प्रदेश की बोली के लिए

अवधी नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। डॉ. ग्रियर्सन ने अपने सर्वे के भाग छह, पृष्ठ नौ पर अवधी के लिए “बैसवाड़ी” भी बताया है। किंतु बैसवाड़ी तो अवधी के अंतर्गत एक सीमित क्षेत्र की बोली है। वास्तव में बैस राजपूतों की प्रधानता के कारण उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली तथा फतेहपुर के कुछ भाग को बैसवाड़ा कहते हैं और बैसवाड़ी इसी क्षेत्र की बोली है।

अवधी की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है—“अपभ्रंश या प्राकृत काल की काव्यभाषा के उदाहरणों में आजकल भिन्न-भिन्न बोलियों के मुख्य-मुख्य रूपों के बीज या अंकुर दिखाई दिए हैं।” “हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग” नामक पुस्तक में डॉ. नामवर सिंह लिखते हैं— “ब्रजभाषा का प्रारंभिक इतिहास शौरसेनी से सम्बद्ध किया जा सकता है, किंतु अवधी के किसी साहित्यिक का पता नहीं चलता।” अवध प्रान्त शूरसेन और मगध के बीच में होने से इसे दोनों क्षेत्रों की भाषा संबंधी विशेषताओं से युक्त समझा जाता है। अतः शूरसेन में शौरसेनी अपभ्रंश, मगध में मागधी अपभ्रंश और इन दोनों के मध्य में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रचलन रहा होगा। इसी अनुमान पर अर्धमागधी के उद्गम का अनुमान किया जाता है।

डॉ. ग्रियर्सन ने भी अवधी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से ही माना है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ने भी अवधी को शौरसेनी के अंतर्गत माना है। डॉ. ग्रियर्सन ने ‘एवोल्यूशन ऑफ अवधी’ के पृष्ठ सात पर लिखा है— “अवधी से अर्धमागधी भाषागत विशेषताओं के कारण बहुत दूर है, परंतु पालि से पर्याप्त साम्य और नैकट्य प्रतीत होता है।”

अवधी की सामान्य विशेषताएँ —

(1) अवधी के पश्चिम में पश्चिमी हिंदी और पूर्व में भोजपुरी का क्षेत्र है, इस दृष्टि से पश्चिमी में जहाँ आकारांत शब्द मिलते हैं, वहीं अवधी में आकारांत के अतिरिक्त अकारान्त या व्यंजनान्त तथा प्रत्ययान्त रूप प्राप्त होते हैं, जो बिहारी उपभाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ — पश्चिमी हिंदी में घोड़ा, जो अवधी में घोड़ा, घोड़, घाड़, घोड़वा के रूप में मिलता है। प्रयाग की अवधी में इन रूपों के अतिरिक्त ‘घोड़ाना’ रूप भी चलता है, जो बिहारी बोलियों में नहीं मिलता।

(2) पश्चिमी हिंदी में जहाँ लिंग संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन होता है, वहाँ अवधी में पर्याप्त शिथिलता पायी जाती है। बिहारी में तो इन लिंग संबंधी नियमों का पालन नहीं के बराबर है।

(3) अवधी में कर्ता एकवचन के रूपों में 'उकार' का प्रयोग किया जाता है, जो पश्चिमी हिंदी में नहीं पाया जाता। जैसे पश्चिमी हिंदी में 'घर', अवधी में 'घरू'।

(4) अवधी की कुछ बोलियों में 'ए' लगाकर कर्ता बहुवचन बनाये जाते हैं।

(5) अवधी में परसर्गों के व्यवहार की अपनी विशेष स्थिति होती है—
अ. पश्चिमी हिंदी के 'ने' परसर्ग का प्रयोग अवधी एवं बिहारी में बिलकुल नहीं किया जाता।

ब. पश्चिमी हिंदी के 'को', 'कौ' परसर्गों का रूप अवधी में 'का', 'के' तथा बिहारी में 'के' हो जाता है।

स. अधिकरण कारक में पश्चिमी हिंदी में बिहारी की भांति ही 'में' परसर्ग प्रयुक्त होता है, परंतु अवधी में इसका 'मा', 'माँ' हो जाता है।

(6) ऐसे ही सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में अवधी अपनी विशेषता रखती है—

(अ) पश्चिमी हिंदी में व्यवहार होने वाले संबंधकारक के सर्वनाम मेरा, तेरा, मेरो, तेरो अवधी में मोर, तोर के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

ऐसे ही बहुवचन विकारी रूप पश्चिमी हिंदी 'हमारे' का अवधी में 'हमरे' हो जाता है।

(ब) संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' पश्चिमी हिंदी की तरह ही अवधी में भी 'जो' ही रहता है, किंतु प्रश्नवाचक सर्वनाम का रूप पश्चिमी हिंदी में 'कौन' होता है, वह अवधी में 'कोन' हो जाता है। बिहारी उपभाषाओं में 'जो' का 'जे' और 'कौन' का 'के' रूप मिलता है।

(7) क्रियारूप में भी अवधी की अलग विशेषताएँ हैं—

पश्चिमी हिंदी में वर्तमान कालिक सहायक क्रिया 'है' प्रयुक्त होती है, किंतु अवधी में 'अहै', वाहे, बाहै, वाही, बाहु आदि का प्रयोग किया जाता है। बिहारी में 'बा', बाड़े, बाड़ै, आछू, आछै आदि रूप चलते हैं।



“न करो इस जिंदगी को बदहाल,
पाने के लिए अगली जिंदगी खुशहाल।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

27

उपसर्ग, समास

डॉ० रमेशकुमार टण्डन*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना—
उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था
के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी
वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

उपसर्ग

उपसर्ग = उप (समीप) + सर्ग (सृष्टि करना)। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग है। जो शब्दांश सार्थक शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग (prefix) कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरम्भ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है।

*जन्म : 03 जनवरी 1975, ग्राम— फूलबंधिया (रायगढ़), माता : श्रीमती फूलकुँवर टण्डन, पिता : श्री कौशलप्रसाद टण्डन, पत्नी : श्रीमती पूर्णिमा टण्डन, योग्यता : एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी) सेट, पी—एच. डी., प्रकाशन : 1. काव्य संग्रह 'पीड़ा' 2014 में जयपुर से प्रकाशित, 2. पुस्तक 'आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी—अस्मिता का धरातलीय सच' का फरवरी 2020 में संपादन, अन्य : अन्तर्राष्ट्रीय शोध—पत्रिकाओं में 25 शोध—पत्र एवं राष्ट्रीय शोध—पत्रिकाओं में 04 शोध—पत्र प्रकाशित, 29 राष्ट्रीय शोध—संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 03 अन्तर्राष्ट्रीय शोध—संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 04 किताबों में चैप्टर लेखक, पत्र—पत्रिकाओं में कविता/लेख एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिए लगातार छपना। सम्प्रति : महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया में विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक) — हिन्दी, मो० नं० 9685671975, ई मेल— rameshktandan@gmail.com

उपसर्ग के भेद— 1. हिन्दी उपसर्ग, 2. संस्कृत उपसर्ग, 3. उर्दू उपसर्ग, 4. अंग्रेजी उपसर्ग।

हिन्दी उपसर्ग

हिन्दी उपसर्ग प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश होते हैं और तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं।

1. **अ** – अभाव, निषेध; उदाहरण— अथाह, अचेत। अपवाद— अनगिनती, अनघेरा, अनमोल, अनहित।
2. **अध** – आधा; उदाहरण— अधकच्चा, अधमरा, अधपका।
3. **उन** – एक कम; उदाहरण— उन्नीस, उन्तीस, उनचास, उनसठ, उनहत्तर।
4. **औ** – हीन, निषेध; उदाहरण— औगुन, औघट।
5. **दु** – बुरा, हीन; उदाहरण— दुकाल, दुबला।
6. **नि** – रहित; उदाहरण— निकम्मा, निखरा, निडर, निरोगी, निहत्था।
7. **बिन** – निषेध, अभाव; उदाहरण— बिनजाने, बिन—ब्याहा।
8. **भर** – पूरा, ठीक; उदाहरण— भरपेट, भरपूर।
9. **सु**— अच्छा; उदाहरण— सुडौल, सुजान।
10. **पर** – दूसरा, बाद का; उदाहरण— परलोक, परोपकार, परसर्ग।
11. **कु** – बुरा; उदाहरण— कुचैला, कुचक्र।

संस्कृत उपसर्ग

1. **अति**— अधिक, उस पार, ऊपर; जैसे— अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। (हिन्दी में 'अति', इसी अर्थ में स्वतंत्र शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे— "अति बुरी होती है।")
2. **अधि**— ऊपर, स्थान में, मुख्य, श्रेष्ठ; जैसे— अधिकार, अधिराज, अधिष्ठाता, अध्यात्म, अधिपति, अध्यक्ष, अध्ययन।
3. **अनु**— पीछे, समान; जैसे— अनुकरण, अनुक्रम, अनुग्रह, अनुचर, अनुज, अनुताप, अनुरूप, अनुशासन, अनुस्वार।
4. **अप**— बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव; जैसे— अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपराध, अपशब्द, अपहरण।
5. **अभि**— ओर, पास, सामने; जैसे— अभिप्राय, अभिमुख, अभिमान,

- अभिलाष, अभिसार, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, (अधिक) अभिनन्दन ।
6. **अव-** नीचे, हीन, अभाव; जैसे- अवगुण, अवनत, अवलोकन ।
(खाली)- अवगणना, अवतरण ।
 7. **आ-** तक, ओर, समेत, उलटा; जैसे- आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन, आबालवृद्ध, आरम्भ; (पर्यन्त)- आकंठ, आजन्म ।
 8. **उत्-** ऊपर, ऊँचा, श्रेष्ठ; जैसे- उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उद्यम, उद्देश्य, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख ।
 9. **उप-** निकट, सदृश, गौण; जैसे- उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग, उपवन, उपवेद ।
 10. **दुर्, दुस्-** बुरा, कठिन, दुष्ट; जैसे- दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्बल, दुर्लभ, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य ।
 11. **नि-** भीतर, नीचे, बाहर; जैसे- निकृष्ट, निदान, निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण; (अत्यन्त)- निमग्न, निबंध ।
 12. **निर्, निस्-** बाहर, निषेध; जैसे- निराकरण, निर्गम, निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निश्चल, निर्दोष, नीरोग, निरंजन, निराशा । (हिन्दी में यह उपसर्ग बहुधा -'नि' हो जाता है, जैसे- निडर, निधन ।)
 13. **परा-** पीछे, उलटा; जैसे- पराक्रम, पराजय, परामर्श, परावर्तन ।
 14. **परि-** आसपास, चारों ओर, पूर्ण; जैसे- परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिमाण, परिवर्तन, परिणय, पर्याप्त, परिश्रम, परिवार ।
 15. **प्र-** अधिक, आगे, ऊपर; जैसे- प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय, प्रकोप ।
 16. **प्रति-** विरुद्ध, सामने, एक-एक; जैसे- प्रतिकूल, प्रतिक्रमण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रत्येक ।
 17. **वि-** भिन्न, विशेष, अभाव; जैसे- विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विख्यात, विनती, विफल, विसंगति ।
 18. **सम्-** अच्छा, साथ, पूर्ण; जैसे- संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, सन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, संस्कृत, संगीत ।
 19. **सु-** अच्छा, सहज, अधिक; जैसे- सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुशिक्षित, सुदूर, स्वागत ।

उर्दू उपसर्ग

1. **अल**— निश्चित; जैसे— अलगरज, अलवक्ता ।
2. **ऐन**— ठीक, पूरा; जैसे— ऐनजवानी, ऐनवक्त ।
3. **कम**— थोड़ा, हीन; जैसे— कमउम्र, कमकीमती, कमजोर, कमबख्त, कमहिम्मत ।
4. **खुश**— अच्छा; जैसे— खुशबू, खुशदिल, खुश—किस्मत ।
5. **गैर**— भिन्न, विरुद्ध; जैसे— गैर—मुल्क, गैरवाजिब, गैरसरकारी ।
6. **दर**— में; जैसे— दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत ।
7. **ना**— अभाव; जैसे— नादान, नाराज, नालायक ।
8. **फी**— में, पर; जैसे— फिलहाल (फी + अल + हाल) अर्थात् हाल में ।
9. **ब**— ओर, में, अनुसार; जैसे— बनाम, ब—इजलास, बदस्तूर, बदौलत ।
10. **बद**— बुरा; जैसे— बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू, बदमाश, बदहजमी ।
11. **बर**— ऊपर; जैसे— बरखास्त, बरदास्त, बरतरफ, बरवक्त, बराबर ।
12. **बा**— साथ; जैसे— बाजाबता, बाकायदा, बातमीज ।
13. **बिल**— साथ; जैसे— बिलकुल, बिलमुकता ।
14. **बिला**— बिना; जैसे— बिलाकुसूर, बिलाशक ।
15. **बे**— बिना; जैसे— बेईमान, बेचारा (हिन्दी में बिचारा), बेतरह, बेवकूफ, बेरहम । (हिन्दी में बेकाम, बेचैन, बेजोड़, बेमन, बेडौल, बेसुर ।)
16. **ला**— बिना, अभाव; जैसे— लाचार, लावारिस, लाजवाब, लामजहब ।
17. **सर**— मुख्य; जैसे— सरकार, सरताज (हिन्दी में सिरताज), सरदार, सरनाम (हिन्दी में सिर—नामा), सरखत, सरहद ।
18. **हम**— साथ, समान; जैसे— हमउम्र, हमदर्दी, हमनाम, हमराह, हमवजन ।
19. **हर**— प्रत्येक; जैसे— हररोज, हरमाह, हरचीज, हरसाल, हर—तरह ।

अंग्रेजी उपसर्ग

1. सब — सब इंस्पेक्टर ।
2. डिप्टी — डिप्टी कलेक्टर ।
3. हाफ — हाफटाइम, हाफपैट ।

समास

दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द या समस्तपद कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में, समास का तात्पर्य है— 'संक्षिप्तीकरण'। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अर्थात् समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिन्दी में कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह (परसर्ग) लुप्त हो जाते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के सम्बन्धों स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात् सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे, राजपुत्र — राजा का पुत्र। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्वपद और दूसरे पद को उत्तरपद कहते हैं।

पं० कामताप्रसाद गुरु के 'हिंदी व्याकरण' में, संयोग होने वाले शब्दों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद किए गए हैं—

1. जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है।
2. जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है।
3. जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वन्द्व समास कहलाता है।
4. जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास कहलाता है।

तत्पुरुष समास का उपभेद करते हुए उन्होंने एक भेद समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय दिया। इस कर्मधारय का पुनः दो भेद किया— 1. विशेषतावाचक कर्मधारय, 2. उपमावाचक कर्मधारय। विशेषतावाचक कर्मधारय का पुनः सात भेद करते हुए उसके छठवें भेद को संख्यापूर्वपद अथवा द्विगु समास के रूप में नामकरण किया।


प्रयोग की दृष्टि से समास के तीन भेद हैं—

1. संयोगमूलक समास, 2. आश्रयमूलक समास, 3. वर्णनमूलक समास।

पदों की प्रधानता की दृष्टि से समास के चार भेद हैं—

1. पूर्वपद प्रधान – अव्ययीभाव
2. उत्तरपद प्रधान – तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु
3. दोनों पद प्रधान – द्वंद्व
4. दोनों पद अप्रधान— बहुब्रीहि

समास के मुख्यतः छः भेद एवं उनके उपभेद इस प्रकार हैं—



विभिन्न समास उदाहरण सहित-

अव्ययीभाव समास (Adverbial Compound)- जिस समास का पहला शब्द प्रधान होता है, वह अव्ययीभाव समास होता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है।

समास	समास विग्रह
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार
प्रतिक्षण	क्षण- क्षण
प्रत्यक्ष	आँखों के प्रति
आजीवन	जीवन भर
भरपेट	पेट भर कर
निस्संदेह	सन्देह के बिना
साफ-साफ	बिल्कुल साफ
बेखटक	बिना खटक के
अनुरूप	रूप के योग्य
हर-घड़ी	घड़ी-घड़ी

तत्पुरुष समास (Determinative Compound)- इसमें प्रथम पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। इसके आठ भेद हैं।

1. कर्म तत्पुरुष- चिन्ह 'को'।

स्वर्गगत	स्वर्ग को गत
शरणागत	शरण को आगत
यशप्राप्त	यश को प्राप्त
जनप्रिय	जन को प्रिय
मरणासन्न	मरण को आसन्न
वनगमन	वन को गमन

2. करण तत्पुरुष- चिन्ह 'से, द्वारा'।

रेखांकित	रेखा से अंकित
तुलसीकृत	तुलसी द्वारा कृत

मनमानी	मन से मानी
मुँहमांगा	मुँह से मांगा
स्वरचित	स्व द्वारा रचित
मनचाहा	मन से चाहा
आँखोंदेखी	आँखों से देखी
भूखमरी	भूख से मरी

3. सम्प्रदान तत्पुरुष— चिन्ह 'के लिए' ।

सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह
शयनकक्ष	शयन के लिए कक्ष
गुरुदक्षिणा	गुरु के लिए दक्षिणा
रसोईघर	रसोई के लिए घर
प्रयोगशाला	प्रयोग के लिए शाला
देशभक्ति	देश के लिए भक्ति
विद्यालय	विद्या के लिए आलय
स्नानघर	स्नान के लिए घर

4. अपादान तत्पुरुष— चिन्ह 'से' (अलग होना) ।

जीवनमुक्त	जीवन से मुक्त
धनहीन	धन से हीन
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
पथभ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट
देशनिकाला	देश से निकाला
कामचोर	काम से जी चुराने वाला

5. सम्बन्ध तत्पुरुष— चिन्ह 'का, के, की' ।

विश्वासपात्र	विश्वास का पात्र
माखनचोर	माखन का चोर
रामकहानी	राम की कहानी
पवनपुत्र	पवन का पुत्र

अमचूर	आम का चूर
राष्ट्रपति	राष्ट्र का पति
राजपुत्र	राजा का पुत्र
पितृभक्त	पिता का भक्त
राजनीति	राजा की नीति
मूर्तिपूजा	मूर्ति की पूजा

6. अधिकरण तत्पुरुष— चिन्ह 'में, पर' ।

आत्मविश्वास	आत्मा पर विश्वास
धर्मवीर	धर्म में वीर
आपबीती	आप पर बीती
स्वर्गवास	स्वर्ग में वास
सिरदर्द	सिर में दर्द
दानवीर	दान देने में वीर

7. अलुक तत्पुरुष— इस तत्पुरुष में पहले पद का कारक चिन्ह का लोप न होकर उसी में समाहित होना पाया जाता है ।

युधिष्ठिर	युद्ध में स्थिर
खेचर	आकाश में चरने वाला
वनचर	वन में चरने वाला

8. नञ् तत्पुरुष— इसमें पहला पद निषेधवाचक रहता है ।

अछूत	जो छूत न हो
अनादि	न आदि
असभ्य	न सभ्य
अनन्त	न अन्त
असम्भव	न सम्भव

9. उपपद तत्पुरुष समास— इस समास में उत्तरपद, स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग में आता है ।

कृतज्ञ, कृतघ्न, जलद आदि ।

10. **लुप्तपद तत्पुरुष समास**— इस समास में कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाता है।

दहीबड़ा	दही में डूबा हुआ बड़ा
ऊँटगाड़ी	ऊँट से चलने वाली गाड़ी
पवनचक्की	पवन से चलने वाली चक्की

कर्मधारय समास (Appositional Compound)— जब समस्त पदों के खण्डों में परस्पर विशेष्य—विशेषण भाव अथवा उपमान—उपमेय भाव सम्बन्ध होता है, कर्मधारय समास होता है।

वचनामृत	वचन रूपी अमृत
चन्द्रमुख	चन्द्र जैसा मुख
महावीर	महान् वीर
महादेव	महान् देव
सज्जन	सत् जन
लाल मिर्च	लाल जो मिर्च
महाराज	महान् जो राजा
परमात्मा	परम है जो आत्मा

विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास—

नीलगाय	नीली गाय
पीताम्बर	पीत अम्बर

विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास—

कुमारश्रमणा	कुमारी श्रमणा
-------------	---------------

विशेषणोभयपद कर्मधारय समास—

नील	— पीत
सुनी	— अनसुनी
कहनी	— अनकहनी

विशेष्योभयपद कर्मधारय समास—

आमगाछ
वायस—दम्पति

2. उत्तरपद पर जोर देना—

पंचप्रमाण पांच प्रमाण

पंचहत्थड पांच हत्थड

द्वन्द्व समास (Copulative Compound)— इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर 'और/अथवा' का प्रयोग होता है।

माता—पिता माता और पिता

धर्माधर्म धर्म और अधर्म

सुख—दुख सुख और दुख

राधा—कृष्ण राधा और कृष्ण

इतरेतर द्वंद्व समास— समास विग्रह करने पर 'और' शब्द आता है। सामासिक पद बहुवचन में हो जाता है।

माँ—बाप माँ और बाप

ऋषि—मुनि ऋषि और मुनि

समाहार द्वंद्व समास— दोनों पद 'और' समुच्चयबोधक से जुड़े होने पर भी अलग—अलग अस्तित्व न रख कर समूह का बोध कराते हैं।

दालरोटी दाल और रोटी

हाथपाँव हाथ और पाँव

वैकल्पिक द्वंद्व समास— दोनों पदों के मध्य विकल्पसूचक अव्यय (या, अथवा) छिपे होते हैं। दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं।

पाप—पूण्य पाप या पूण्य

भला—बुरा भला या बुरा

थोड़ा—बहुत थोड़ा या बहुत

बहुब्रीहि समास (Attributive Compound)— इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। यह तीसरा पद प्रधान होता है।

पीताम्बर पीला है अंबर (वस्त्र) जिसका अर्थात् श्रीकृष्ण

त्रिलोचन तीन है लोचन (नेत्र) जिसके अर्थात् शिव

चतुर्भुज चार हैं भुजाएँ जिसकी अर्थात् विष्णु

सुलोचना	सुंदर है लोचन जिसके – वह स्त्री
गजानन	गज के समान आनन है जिसका – गणेश
चतुर्मुख	चार हैं मुख जिसके – ब्रम्हा
दिगम्बर	दिशाएँ हैं अंबर जिसकी – शंकर
दीर्घबाहु	दीर्घ है बाहु जिसकी – विष्णु
महेश	महान है जो ईश – शिव
पतझड़	झड़ते हैं पत्ते जिसमें – विशेष ऋतु
कमलनयन	कमल के समान है नयन जिसके – विष्णु

समानाधिकरण बहुब्रीहि समास— इसके सभी पद में कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं लेकिन सामासिक पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है।

प्राप्तोदक	प्राप्त है उदक जिसको
जितेंद्रियाँ	जीती गई इन्द्रियाँ हैं जिसके द्वारा
दत्तभोजन	दत्त है भोजन जिसके लिए
निर्धन	निर्गत है धन जिससे
नेकनाम	नेक है नाम जिसका
सातखंडा	सात है खण्ड जिसमें

व्यधिकरण बहुब्रीहि समास— इसमें पहला पद कर्ता कारक की विभक्ति का, उत्तर पद संबंध कारक या अधिकरण कारक की विभक्ति का होता है।

शूलपाणि	शूल है पाणि में जिसके
वीणापाणि	वीणा है पाणि में जिसके

तुल्ययोग बहुब्रीहि समास (सहबहुब्रीहि समास)— इसमें पूर्व पद 'सह' होता है।

सबल	जो बल के साथ है
सदेह	जो देह के साथ है
सपरिवार	जो परिवार के साथ है

व्यतिहार बहुब्रीहि समास— इसमें घात या प्रतिघात की सूचना मिलती है।

मुक्का—मुक्की मुक्के—मुक्के से जो लड़ाई हुई

बाताबाती बातों—बातों से जो लड़ाई हुई

प्रादी बहुब्रीहि समास — इसमें पूर्वपद उपसर्ग होता है।

बेरहम नहीं है रहम जिसमें

निर्जन नहीं है जन जहाँ

प्रयोग की दृष्टि से समास—

संयोगमूलक समास (संज्ञा समास) — इसमें दोनों पद संज्ञा होते हैं। जैसे, भाई—बहन, दिन—रात, माता—पिता।

आश्रयमूलक समास (विशेषण समास अथवा कर्मधारय समास)— इसमें प्रथम पद विशेषण होता है। जैसे, घनश्याम, शीशमहल, कच्चाकेला।

वर्णनमूलक समास— इसके अन्तर्गत अव्ययीभाव और बहुब्रीहि समास का निर्माण होता है। पूर्वपद अव्यय और उत्तरपद संज्ञा होता है। जैसे, यथाशक्ति, प्रतिमास, भरपेट, प्रत्येक।

सन्दर्भ:—

1. पं० कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग, सं० 1984.
2. एजूकेशन, हरीश एकेडेमी, स्टडी मटेरियल.
3. www.mycoaching.in



“अगले जन्म में अच्छी जिंदगी पाने की ख्वाहिश में, यदि आप वर्तमान जिंदगी को ठीक से जीना नहीं चाहेंगे, तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त वर्तमान जिंदगी का क्या लाभ ?”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

28

प्रत्यय

— डॉ० रमेशकुमार टण्डन*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना— उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अन्त में जुड़कर, अपनी प्रकृति के अनुसार, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है – प्रति + अय। 'प्रति' का अर्थ 'साथ में, परंतु बाद में' और 'अय' का अर्थ 'चलने वाला' होता है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं—

1. कृत प्रत्यय (कृदन्त) – ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं।


2. तद्धित प्रत्यय – ये प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में

*जन्म : 03 जनवरी 1975, ग्राम— फूलबंधिया (रायगढ़), माता : श्रीमती फूलकुँवर टण्डन, पिता : श्री कौशलप्रसाद टण्डन, पत्नी : श्रीमती पूर्णिमा टण्डन, योग्यता : एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी) सेट, पी—एच. डी., प्रकाशन : 1. काव्य संग्रह 'पीड़ा' 2014 में जयपुर से प्रकाशित, 2. पुस्तक 'आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी—अस्मिता का धरातलीय सच' का फरवरी 2020 में संपादन, अन्य : अन्तर्राष्ट्रीय शोध—पत्रिकाओं में 25 शोध—पत्र एवं राष्ट्रीय शोध—पत्रिकाओं में 04 शोध—पत्र प्रकाशित, 29 राष्ट्रीय शोध—संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 03 अन्तर्राष्ट्रीय शोध—संगोष्ठियों/कार्यशाला में सहभागिता, 04 किताबों में चैप्टर लेखक, पत्र—पत्रिकाओं में कविता/लेख एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिए लगातार छपना। सम्प्रति : महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरसिया में विभागाध्यक्ष (सहायक प्राध्यापक) – हिन्दी, मो० नं० 9685671975, ई मेल— rameshktandan@gmail.com

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 255

लगकर संज्ञा, विशेषण बनाते हैं।

प्रत्यय के भेद व उपभेद को निम्न आरेख से समझ सकते हैं—



हिन्दी क्रियापदों के अन्त में कृत् प्रत्यय के योग से छः प्रकार के कृदन्त शब्द बनाए जाते हैं—

1. **कर्तृवाचक कृदन्त** – तैरना + आक = तैराक, खेलना + आड़ी = खिलाड़ी, गाना + वाला = गानेवाला, सड़ना + इयल = सड़ियल, हँसना + ओड़ = हँसोड़, पीना + अक्कड़ = पियक्कड़।

2. **गुणवाचक कृदन्त** – टिकना + आऊ = टिकाऊ, घटना + इया = घटिया, बहुत + एरा = बहुतेरा, हल + वाहा = हलवाहा, सुहाना + वन = सुहावन, आगे + ला = अगला।

3. **कर्मवाचक कृदन्त** – चाटना + नी = चटनी, खेलना + औना = खिलौना।

4. **करणवाचक कृदन्त** – झुलना + आ = झुला, रेतना + ई = रेती, ढकना + अन = ढक्कन, मथना + आनी = मथानी, झाड़ना + ऊ = झाड़ू।

5. **भाववाचक कृदन्त** – दौड़ना + अ = दौड़, घेरना + आ = घेरा, लड़ना + आई = लड़ाई, मिलना + वट = मिलावट, बचना + त = बचत,

घबराना + आहट = घबराहट, बसना + एरा = बसेरा, समझाना + औता = समझौता ।

6. क्रियाद्योतक कृदन्त – बहना + ता = बहता, गाना + ता = गाता, रोना + आ = रोया ।

हिन्दी में तद्धित के आठ प्रकार हैं—

1. कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय – सोना + आर = सुनार, मजाक + इया = मजाकिया, सब्जी + वाला = सब्जीवाला, पालन + हार = पालनहार, समझ + दार = समझदार ।

2. भाववाचक तद्धित प्रत्यय – देवता + त्व = देवत्व, बच्चा + पन = बचपन, सज्जा + वट = सजावट, रंग + त = रंगत, मीठा + आस = मीठास ।

3. ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय – ढोल + क = ढोलक, छाता + री = छतरी, बूढ़ी + इया = बुढ़िया, चोरी + टा = चोटा, पाग + डी = पगड़ी ।

4. संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय – नाना + हाल = ननिहाल, नाक + एल = नकेल, ससुर + आल = ससुराल, फूफा + एरा = फुफेरा, भाई + जा = भतीजा ।

5. अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय – वसुदेव + अ = वासुदेव, मनु + अ = मानव, कुरु + अ = कौरव, नर + आयन = नारायण, राधा + एय = राधेय, दिति + य = दैत्य ।

6. गुणवाचक तद्धित प्रत्यय – निशा + अ = नैश, शरीर + इक = शारीरिक, पक्ष + ई = पक्षी, छूत + हा = छुतहर, लाल + इमा = लालिमा, कुल + ईन = कुलीन, मधु + र = मधुर, माया + वी = मायावी ।

7. स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय – चारा + गाह = चारागाह, पटना + इया = पटनिया, आगा + आड़ी = आगाड़ी, सर्व + त्र = सर्वत्र, यद् + त्र = यत्र, तद् + त्र = तत्र ।

8. अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय – सर्व + दा = सर्वदा, पीछा + ए = पीछे, धीर + ए = धीरे, यह + आँ = यहाँ, आप + स = आपस ।

हिन्दी प्रत्यय के अन्य उदाहरणः—

हिन्दी – कृदन्त

1. अ – आकारान्त धातुओं से जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं। जैसे– लूटना– लूट, मारना– मार, जाँचना– जाँच, पहुँचना– पहुँच, समझना– समझ, उछलना कूदना– उछलकूद, चमकना– चमक, देखना भालना– देखभाल।

कभी–कभी धातु के उपांत्य में इ और उ होने से गुण हो जाता है।
जैसे– मिलना– मेल, झुकना– झोक।

कभी–कभी धातु के उपांत्य अ की वृद्धि हो जाती है।
जैसे– अड़ना– आड़, लगना– लाग, बढ़ना– बाढ़, चलना– चाल, फटना– फाट।

कोई–कोई विशेषण भी बनते हैं।

जैसे– बढ़ना– बढ़, घटना– घट, भरना– भर।

पूर्वकालिक कृदन्त भी बनते हैं।

जैसे– चलना– चल, जाना– जा, देखना– देख।

2. अक्कड़ (कर्तृ वाचक) –

बूझना– बुझक्कड़, कूदना– कुदक्कड़, भूलना– भुलक्कड़, पीना– पियक्कड़।

3. अंत (भाववाचक) –

गढ़ना– गढ़ंत, लिपटना– लिपटंत, लड़ना– लड़ंत, रटना– रटंत।

4. आ – इसके योग से बहुधा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं।
जैसे– घेरना– घेरा, फेरना– फेरा, जोड़ना– जोड़ा, झगड़ना– झगड़ा, छापना– छापा, रगड़ना– रगड़ा, झटकना– झटका, उतारना– उतारा, तोड़ना– तोड़ा।

किसी–किसी धातु के उपांत्य स्वर में गुण हो जाता है।
जैसे– मिलना– मेला, टूटना– टोटा, झुकना– झोका।

इस प्रत्यय के योग से भूतकालिक कृदन्त बनाए जाते हैं।
जैसे– मरना– मरा, धोना– धोया, बैठना– बैठा, पड़ना– पड़ा, बनाना– बनाया, खींचना– खींचा।

कहीं-कहीं करणवाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

जैसे - झूलना- झूला, ठेलना- ठेला, फाँसना- फाँसा, झारना- झारा, पोतना- पोता, घेरना- घेरा।

5. **आई** - इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जिनसे क्रिया के व्यापार और क्रिया के दामों का बोध होता है। जैसे- क्रिया के व्यापार- लड़ना- लड़ाई, समाना- समाई, चढ़ना- चढ़ाई, दिखना- दिखाई, सुनना- सुनाई, पढ़ना- पढ़ाई, खुदना- खुदाई, जुतना- जुताई।

क्रिया के दाम- लिखाना- लिखाई, पिसाना- पिसाई, चराना- चराई, कमाना- कमाई, खिलाना- खिलाई, धुलाना- धुलाई, बनवाना- बनवाई।

6. **आऊ**- यह प्रत्यय योग्यता के अर्थ में लगता है। जैसे- टिकना- टिकाऊ, बिकना- बिकाऊ, चलना- चलाऊ, जलना- जलाऊ, गिरना- गिराऊ।

किसी-किसी धातु में इस प्रत्यय का अर्थ कर्तृवाचक होता है। जैसे- खाना- खाऊ, उड़ाना- उड़ाऊ, जुझाना- जुझाऊ।

7. **अंकू आक, आकू (कर्तृवाचक)** -

उड़ना- उड़कू, लड़ना- लड़कू, तैरना- तैराक, लड़ना- लड़ाकू, उड़ना- उड़ाकू।

8. **आन (भाववाचक)** -

उठना- उठान, उड़ना- उड़ान, लगना- लगान, मिलना- मिलान, चलना- चलान।

9. **आप (भाववाचक)** -

मिलना- मिलाप।

10. **आव (भाववाचक)** -

चढ़ना- चढ़ाव, बचना- बचाव, छिड़कना- छिड़काव, बहना- बहाव, लगना- लगाव, जमना- जमाव, पड़ना- पड़ाव, घूमना- घुमाव, रूकना- रुकाव।

11. **आवट (भाववाचक)** -

लिखना-लिखावट, थकना- थकावट, रूकना- रुकावट, बनना- बनावट, सजना- सजावट, दिखना- दिखावट, मिलना- मिलावट, कहना- कहावट ।

12. आवना (विशेषण) –

सुहाना- सुहावना, लुभाना- लुभावना, डराना- डरावना ।

13. आवा (भाववाचक)–

भुलाना- भुलावा, छलना- छलावा, बुलाना- बुलावा, पहिरना- पहिरावा, पछताना- पछतावा ।

14. आस (भाववाचक)–

पीना- प्यास, ऊँघना- उँघास, रोना- रोआस ।

15. आहट (भाववाचक)–

चिल्लाना- चिल्लाहट, घबराना- घबराहट, गुराना- गुराहट, जगमगाना- जगमगाहट, गड़गड़ाना- गड़गड़ाहट ।

16. इयल (कर्त्वाचक)–

अड़ना- अड़ियल, सड़ना- सड़ियल, मरना- मरियल,

17. ई (भाववाचक)–

हँसना- हँसी, कहना- कही, बोलना- बोली, मरना- मरी, धमकाना- धमकी, घुड़कना- घुड़की ।

ई (करणवाचक)–

रेतना- रेती, फांसना- फांसी, चिमटना- चिमटी ।

18. इया (कर्त्वाचक)–

जड़ना- जड़िया, लखना- लखिया, धुनना- धुनिया ।

इया (गुणवाचक)–

बढ़ना- बढ़िया, घटना- घटिया ।

19. ऊ (कर्त्वाचक)–

खाना- खाऊ, रटना- रटू, चलना- चालू, भगना- भगू, बिगाड़ना- बिगाड़ू, उतरना- उतारू (तैयार) ।

ऊ (करणवाचक)–

झाड़ना– झाड़ू।

20. ए–

यह प्रत्यय सभी धातुओं में लगता है। इसके योग से अव्यय बनते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। इससे बने हुए शब्दों को बहुधा पूर्ण क्रिया–द्योतक कृदन्त कहते हैं।

जैसे– देखे, पाये, लिये, समेटे, निकाले।

21. एरा (कर्त्वाचक)–

कमाना– कमेरा, लूटना– लुटेरा।

एरा (भाववाचक)–

निबटाना– निबटेरा, बसना– बसेरा।

22. ऐया (कर्त्वाचक)–

काटना– कटैया, बचाना– बचैया, परोसना– परोसैया, भरना– भरैया।

23. ऐत (कर्त्वाचक)–

लड़ना– लड़ैत, चढ़ना– चढ़ैत, फेंकना– फिकैत।

24. ओड़ा (कर्त्वाचक)–

भागना– भगोड़ा, हँसना– हँसोड़ा (हँसोढ़), चाटना– चटोरा।

25. औता, औती (भाववाचक)–

समझाना– समझौता, मनाना– मनौती, छुड़ाना– छुड़ौती, चुकाना– चुकौती, कसना– कसौटी, चुनना– चुनौती (प्रेरणा)।

26. औना, औनी, आवनी–

खेलना– खेलौना, बिछाना– बिछौना, ओढ़ना– उढ़ौना, पहराना– पहरौनी (पहरावनी), छाना– छावनी, कहना– कहानी, (आँख) मीचना– (आँख) मिचौनी।

27. औवल (भाववाचक)–

बूझना– बुझौवल, बनना– बनौवल।

28. क (भाववाचक, स्थानवाचक)–

बैठना– बैठक, फाड़ना– फाटक ।

क (कर्तृवाचक)–

मारना– मारक, घालना– घालक, घोलना– घोलक ।

29. का (विविध अर्थ में)–

छीलना– छिलका ।

30. की (विविध अर्थ में)–

फिरना– फिरकी, फूटना– फुटकी, डूबना– डुबकी ।

31. गी (भाववाचक)–

देना– देनगी ।

32. त (भाववाचक)–

बचना– बचत, खपना– खपत, पड़ना– पड़त, रँगना– रंगत ।

33. ती (भाववाचक)–

बढ़ना– बढ़ती, घटना– घटती, चढ़ना– चढ़ती, भरना– भरती, चुकना– चुकती, गिनना– गिनती, पाना– पावती ।

34. न (भाववाचक)–

चलना– चलन, लेना–देना– लेनदेन, खाना–पीना– खानपान ।

न (करणवाचक)–

झाड़ना– झाड़न, बेलना– बेलन ।

35. नी–

इस प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग कृदंत संज्ञाएँ बनती हैं ।
जैसे– नी (अ) – (भाववाचक)–

करना– करनी, भरना– भरनी, बोना– बोनी ।

नी (आ)– (कर्मवाचक)–

जैसे– कहना– कहानी ।

36. वाँ (विशेषण)–

ढालना– ढलवाँ, पीटना– पिटवाँ ।

37. वाला—

जाना— जानेवाला, खाना— खानेवाला, देना— देनेवाला ।

38. वैया —

खवैया, गवैया ।

39. हा (कर्तृवाचक) —

काटना— कटहा, मारना— मरकहा, चराना— चरवाहा ।

हिन्दी तद्धित

1. आ — इस प्रत्यय को संज्ञा में लगाने से विशेषण बनते हैं ।

जैसे— भूख— भूखा, प्यास— प्यासा, मैल— मैला, प्यार— प्यारा, ठंड— ठंडा ।

नाम और जातिसूचक संज्ञाओं में यह प्रत्यय अनादर अथवा दुलार के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है ।

जैसे— शंकर— शंकरा, ठाकुर— ठाकुरा, बलदेव— बलदेवा ।

पदार्थों की स्थूलता दिखाने के लिए भी इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ।

जैसे— लकड़ी— लकड़ा, चिमटी— चिमटा, घड़ी— घड़ा (विनोद में) ।

अव्यय के रूप में भी इसका प्रयोग होता है ।

जैसे— द्वार— द्वारा ।

2. आई — इस प्रत्यय के योग से विशेषणों और संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएँ बनते हैं ।

जैसे— भला— भलाई, बुरा— बुराई, ढीठ— ढिठाई, चतुर— चतुराई, पंडित— पंडिताई, चिकना— चिकनाई ।

इस प्रत्यय से कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं ।
जैसे— मिठाई । 'आई' प्रत्ययान्त सभी तद्धित शब्द स्त्रीलिंग हैं ।

3. आनंद — विनोद में नामों के साथ जोड़ा जाता है ।

जैसे— गड़बड़ानंद, गोलमालानंद ।

4. आऊ (गुणवाचक) — आगे— अगाऊ, घर— घराऊ, पंडित— पंडिताऊ ।

5. आका/ आटा— अनुकरणवाचक शब्दों से इस प्रत्यय के द्वारा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

जैसे – धम– धमाका, भड़– भड़ाका, धड़– घड़ाका। भर्नाटा, सर्नाटा, घर्नाटा।

6. आन (भाववाचक)— यह प्रत्यय अक्सर परिमाणवाचक विशेषणों में लगता है।

जैसे– घमस– घमासान, ऊँचा– उँचान, नीचा– निचान, चौड़ा– चौड़ान।

7. आना (स्थानवाचक) – राजपूत– राजपुताना, तिलंगा– तिलंगाना।

8. आयत (भाववाचक) – बहुत– बहुतायत, पंच– पंचायत।

9. आर – यह संस्कृत के 'कार' प्रत्यय का अपभ्रंश है।

जैसे– कुम्हार (कुम्भकार), सुनार (सुवर्णकार), लुहार।

कभी–कभी इस प्रत्यय से विशेषण बनते हैं।

जैसे– दूध– दुधार, गाँव– गँवार।

10. आरी, आरा, आड़ी – पूजा– पुजारी, खेल– खिलाड़ी, भिखारी, हत्यारा।

आरा (भाववाचक) – छूट– छुटकारा।

11. आल– इस प्रत्यय से विशेषण और संज्ञाएँ बनती हैं।

जैसे– लाठी– लठियाल, भाठा– भठियाल, दया– दयाल, कृपा– कृपाल, डाढ़ी– डढ़ियाल।

कहीं–कहीं यह प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय 'आलय' का अपभ्रंश है।

जैसे– ससुराल (श्वशुरालय), ननिहाल, घड़ियाल (घड़ी का घर)।

12. आला– दिवाला, शिवाला।

13. आली– यह संस्कृत प्रत्यय 'आवली' का अपभ्रंश है, समूह के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

जैसे– दिवाली।

14. आलू– झगड़ा– झगड़ालू, लाज– लजालू, डर– डरालू।

15. आवट (भाववाचक)– अमावट, महावट।

16. आस (भाववाचक) – मीठा– मिठास, खट्टा– खटास, नींद– निंदास ।

17. आसा – मुँडासा, मुँहासा ।

18. आहट (भाववाचक) – कडुवा– कडुवाहट, चिकना– चिकनाहट, गरम– गरमाहट ।

19. इया – कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय के द्वारा कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं ।

जैसे– गाड़र– गड़रिया, मुख– मुखिया, दुख– दुखिया, रसोइया, रसिया ।

इया (स्थानवाचक) – कन्नौज– कनौजिया, कलकत्ता– कलकतिया ।

इया (ऊनवाचक) – खाट– खटिया, डब्बा– डबिया, गठरी– गठरिया, बेटी– बिटिया ।

इया (वस्त्रार्थी) – जाँघिया, अँगिया ।

इया – अनादर अथवा दुलार के लिए भी यह प्रत्यय लगता है । जैसे– हरी– हरिया, राधा– रधिया, माई– मैया, भाई– भैया । तेली– तिलिया, धोबी– धुबिया ।

इया– प्राचीन कविता में यह प्रत्यय लगा हुआ मिलता है । जैसे– आँख– अँखिया, भांग– भंगिया, आग– अगिया, जी– जिया, पी– पिया ।

20. ई – (विशेषण) भार– भारी, ऊन– ऊनी, देश– देशी ।

जंगली, बैंगनी, गुलाबी, बैसाखी, सरकारी ।

मारवाड़ी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, अरबी ।

ऊनवाचक संज्ञाएँ– पहाड़– पहाड़ी, घाट– घाटी, ढोलकी, डोरी, टोकरी ।

व्यापारवाचक संज्ञाएँ– तेली, माली, धोबी ।

भाववाचक संज्ञाएँ– बुद्धिमान– बुद्धिमानी, सावधान– सावधानी, चतुर– चातुरी, गृहस्थ– गृहस्थी ।

समुदायवाचक संज्ञाएँ– बीस– बीसी, बत्तीसी, पच्चीसी ।

भाववाचक संज्ञाएँ—चोर— चोरी, खेत— खेती, किसान— किसानी,
दलाल— दलाली, डाक्टर— डाक्टरी ।

भूषणार्थक— अँगूठी, कंठी, पैरी, जीभी ।

21. ईला — (विशेषण) रंग— रंगीला, छवि— छवीला, लाज— लजीला,
रस— रसीला, जहर— जहरीला, पानी— पनीला ।

संज्ञाएँ— गोबर— गोबरीला ।

22. उआ — मछुआ, गेरुआ, फगुआ ।

23. ऊ — (विशेषण) ढाल— ढालू, घर— घरू, बाजार— बाजारू,
पेट— पेटू, झांसा— झांसू, नाक— नक्कू (बदनाम) ।

व्यक्तिवाचक तथा सम्बन्धवाचक संज्ञाओं में यह प्रत्यय प्रेम अथवा
आदर के लिए प्रयुक्त होता है ।

जैसे— श्याम— श्यामू, बच्चा— बच्चू, लल्ला— लल्लू ।

24. ए— सामना— सामने, पीछा— पीछे ।

25. एरा— भाववाचक— अंध— अंधेरा ।

संबंधवाचक— मामा—ममेरा, चाचा—चचेरा, फूफा—फुफेरा, मौसा— मौसेरा ।

26. एड़ी (कर्तृवाचक) — भांग— भंगेड़ी, गांजा— गंजेड़ी ।

27. एली— हाथ— हथेली ।

28. एल— फूल— फुलेल, नाक— नकेल ।

29. ऐत— (व्यवसायवाचक)— लट्ट— लटैत, भाला— भलैत,
डाका— डकैत ।

30. ऐल— (गुणवाचक) — खपरा— खपरैल, दाँत— दंतैल ।

31. एला — एक— अकेला, आधा— अधेला, सौत— सौतेला ।

32. ऐला— (गुणवाचक) — वन— वनैला, मूँछ— मूँछेला ।

33. औड़ा — हाथ— हथौड़ा ।

34. औती — बाप— बपौती, बूढ़ा— बुढ़ौती ।

35. औता — काठ— कठौता ।

36. ओला (ऊनवाचक) — साँप— सँपोला, खाट— खटोला,
माँझ— मँझोला ।

37. **क** – धड़– धड़क, भड़– भड़क, धम– धमक ।
चौक, पंचक, सप्तक, अष्टक ।
ठंड – ठंडक, ढोल– ढोलक ।
38. **कर** – खास– खासकर, विशेष– विशेषकर ।
39. **का** – छोटा– छुटका, बड़ा– बड़का, छाप– छपका ।
इक्का, दुक्का, चौका ।
मा– मैका, माटी– मटका, लाड़– लड़का ।
40. **की (ऊनवाचक)** – कन– कनकी, टिम– टिमकी ।
41. **जा** – भतीजा, भानजा ।
दूजा, तीजा ।
42. **जी** – गुरुजी, पंडितजी, बाबूजी ।
43. **टा, टी (ऊनवाचक)** – रोआँ– रोंगटा, काला– कलूटा,
चोर– चोट्टा, बहू– बहूटी ।
44. **ठो** – दोठो, चारठो ।
45. **ड़ा, डी (ऊनवाचक)** – चाम– चमड़ा, टूक– टुकड़ा, दुख–
दुखड़ा, मुख– मुखड़ा, लँग– लँगड़ा, टँग– टँगड़ी, आँत– अँतड़ी ।
स्थानवाचक – आगा– अगाड़ी, पीछा– पिछाड़ी ।
46. **त (भाववाचक)** – चाह– चाहत, रंग– रंगत ।
47. **ता (विविध)** – रायता (राई से बना) ।
48. **तना** – यह– इतना, वह– उतना, जो– जितना, कौन– कितना ।
49. **था** – चार– चौथा, छः– छठा ।
50. **नी** – चाँद– चाँदनी, पाँव– पैजनी, नथ– नथनी ।
51. **पन (भाववाचक)** – काला– कालापन, लड़का– लड़कपन,
बाल– बालपन, पागल– पागलपन ।
52. **पा (भाववाचक)** – बूढ़ा– बुढ़ापा, मोटा– मोटापा ।
53. **ब** – यह– अब, वह– तब, जो– जब, कौन– कब ।
54. **राम** – इसका प्रयोग आदर, निरादर अथवा विनोद के लिए

- होता है। जैसे— माताराम, मेंढकराम, गीदड़राम।
55. री – कोठा— कोठरी, छत्ता— छतरी, बाँस— बाँसुरी।
56. ला (गुणवाचक) – आगे— अगला, पीछे— पिछला,
माँझ— मँझला, धुंध— धुँधला, लाड़— लाड़ला।
57. ली— टीका— टिकली, खाज— खुजली, सूप— सुपली।
58. ल (विविध) – घाव— घायल, पाँव— पायल।
59. यों – यह— यों, वह— त्यों, जो— ज्यों, कौन— क्यों।
60. वंत – दया— दयावंत, गुण— गुणवंत, शील— शीलवंत।
61. वाला – टोपी— टोपीवाला, गाड़ी— गाड़ीवाला।
62. वाँ (क्रमवाचक) – पाँचवाँ, सातवाँ, दसवाँ।
63. वा— बेटा— बेटवा, बच्छा— बछवा, बच्चा— बचवा।
64. स (भाववाचक) – आप— आपस, घाम— घमस।
(क्रमवाचक) – बारह— बारस, तेरस, चौदस।
65. सा – यह— ऐसा, वह— वैसा, कौन— कैसा, जो— जैसा।
66. सरा (क्रमवाचक) – दूसरा, तीसरा।
67. साँ— परसों, नरसों।
68. हरा – इकहरा, दुहरा।
सोना— सुनहरा, रूपा— रुपहरा।
69. हा (गुणवाचक) – हल— हलवाहा, कबीर— कबिराहा।
70. हारा – लकड़ी— लकड़हारा, चुड़िहारा, मनिहारा।

सन्दर्भ:—

1. पं० कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग, सं० 1984
2. www.mycoaching.in



“मैं कई भाषाओं को जानना नहीं चाहता, सिर्फ एक भाषा को तो
ठीक से जान लूँ— मानवता की भाषा।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

29.

लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम

— प्रो० करुणा गायकवाड़*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना—
उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था
के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी
वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

संज्ञा:— संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, जिससे किसी विशेष
वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो।

हिन्दी व्याकरण में संज्ञाओं को दो भागों में बाँटा गया है— (1) वस्तु
की दृष्टि से और (2) धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से व्यक्ति वाचक,
जाति वाचक, समूह वाचक और द्रव्य वाचक संज्ञाएँ हैं। धर्म की दृष्टि से
भाववाचक संज्ञा है।

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा— जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति
का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम आदि।

2. जातिवाचक संज्ञा— जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं
अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

*जन्म तिथि : 09 फरवरी 1979, भिलाई, माता : श्रीमती चन्द्रकला बनाईत,
पिता : श्री सोनीराम बनाईत, पति : श्री आलोक गायकवाड़, योग्यता : एम. एस—सी,
बी. एड., एम. ए., सेट, नेट, टेट, सी टेट, कार्यक्षेत्र : महाविद्यालय में अध्यापन, रुचि
: अध्ययन, काव्य लेखन, संगीत श्रवण, अन्य : पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षा
कर्मी वर्ग— 3, 2 व 1 पद पर चयनित, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, शासकीय
महाविद्यालय दीपका, जिला— कोरबा, मो० नं० 9179057713, मेल आई डी—
karu123.kar@gmail.com

उदाहरण – संबंधियों के नाम – चाचा, मामा आदि।

व्यवसायों के नाम – वकील, डॉक्टर आदि।

इसी प्रकार के पदों, पशु-पक्षियों के नाम आदि।

3. समूहवाचक संज्ञा— जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – व्यक्तियों का समूह— दल, सभा, गिरोह आदि।

4. द्रव्यवाचक संज्ञा— जिस संज्ञा से नाप-तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है।

जैसे – दूध, पानी, तेल आदि।

5. भाववाचक संज्ञा— जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे— मिठास, नम्रता आदि।

1. क्रिया से –

उदाहरण – चढ़ना— चढाई, बहना – बहाव।

2. विशेषण से –

उदाहरण – मीठा – मिठास, चतुर – चतुराई।

3. सर्वनाम से –

उदाहरण – मम – ममता, अपना – अपनापन।

4. जातिवाचक संज्ञा से –

उदाहरण – लड़का – लड़कपन, मित्र – मित्रता।

संज्ञा शब्द विकारी होते हैं अर्थात् वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूपों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के तीन मुख्य कारण हैं लिंग, वचन एवं कारक।

लिंग व्यवस्था के संदर्भ में हिन्दी संज्ञा

लिंग— संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष या स्त्री) जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की दो जातियाँ हैं— चेतन एवं जड़। चेतन वस्तुओं में पुरुष एवं स्त्री का भेद होता है परन्तु

जड़ पदार्थों में भेद नहीं होता है। संसार की संपूर्ण वस्तुओं की तीन जातियाँ हैं— पुरुष, स्त्री और जड़। इन तीन जातियों के विचार में व्याकरण में लिंगों को तीन भागों में बाँटा गया है— 1. पुल्लिंग, 2. स्त्रीलिंग 3. नपुंसक लिंग। अंग्रेजी, मराठी, गुजराती एवं संस्कृत भाषाओं में भी तीन लिंग होते हैं परन्तु कुछ जड़ पदार्थों को गुणों के आधार पर सचेतन मान लिया गया है। कठोरता, श्रेष्ठता, बल आदि गुण जिन पदार्थों में देखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना से उनके वाचक शब्दों को पुल्लिंग एवं जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि गुण दिखाई देते हैं उसमें स्त्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। किंतु हिन्दी भाषा में दो ही लिंग होते हैं— पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता है।

लिंग के कारण संज्ञा का रूपांतर—

बालक खाता है। (यहाँ बालक संज्ञा है)

बालिका खाती है। (यहाँ लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा बालक, संज्ञा बालिका में परिवर्तन हुआ है।)

इस प्रकार लिंग में परिवर्तन से संज्ञा का रूपांतर होता है।

1. स्त्रीलिंग— स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे—घोड़ी, शेरनी, लड़की आदि।

2. पुल्लिंग— पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे— नर, लड़का, शेर, घोड़ा आदि।

3. नित्य स्त्रीलिंग— वे प्राणिवाचक संज्ञाएँ जिसमें नर एवं मादा दोनों होते हैं किंतु उन दोनों के लिए केवल स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है नित्य स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे— मकड़ी, छिपकली, मैना, चील आदि।

4. नित्य पुल्लिंग— वे प्राणिवाचक संज्ञाएँ जिनमें नर व मादा दोनों होते हैं किंतु दोनों के लिए पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है नित्य पुल्लिंग कहलाती है जैसे— उल्लू, मच्छर, कछुआ, गीदड़ आदि।

5. उभयलिंगी— कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो दोनों जातियों के लिए समान होते हैं, केवल प्रयोग के समय स्त्री के लिए हो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष के लिए हो तो पुल्लिंग। जैसे— राजदूत, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, पंच, मंत्री आदि।

इस प्रकार, जो चेतन है और प्राणीवाचक संज्ञाएँ हैं उनमें स्त्री एवं पुरुष जाति का लिंग निर्धारण आसान है।

अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण—

अप्राणिवाचक संज्ञाओं के अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय करने के कई नियम बनाए गये हैं परन्तु ये अव्यापक और अपूर्ण हैं। एक नियम के जितने उदाहरण हैं, प्रायः उतने ही अपवाद हैं।

अप्राणिवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग निर्धारण के नियम—

1. अधिकांश, पुल्लिंग में प्रयुक्त संज्ञाएँ— देशों, पर्वतों, द्रव्यों, पदार्थों, ग्रहों, समुद्रों, वारों, अनाजों, यानों के नाम, वर्णमाला के अधिकांश वर्ण।

2. सामान्यतः अकारांत शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे— भारत, आम, सोमवार, सोना आदि।

3. जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, अव, पन, वा, पा होता है। जैसे आना, गाना, बहाव, पड़प्पन, बुढ़ापा आदि।

4. कृदांत की आनांत संज्ञाएँ जैसे लगान, मिलान, पान, नहान इत्यादि।

शरीर के अव्ययों के नामों को पुल्लिंग माना जाता है।

जैसे— मस्तक, बाल, सिर, तालू, दाँत, मुँह आदि।

अपवाद— आँख, नाक, जीभ, जांघ (स्त्रीलिंग)।

अप्राणिवाचक संज्ञाओं में स्त्रीलिंग संज्ञाओं का निर्धारण के नियम—

1. नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों आदि के नाम।

2. आई, आवट, आहट, ता आदि प्रत्ययों से युक्त भाववाचक संज्ञाएँ अधिकांशतः स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती हैं।

जैसे— गंगा, लिखाई, सजावट, टोकरी, खुरपी आदि।

निष्कर्ष— हिन्दी में चेतन संज्ञाओं का, स्त्री व पुरुष जाति के अनुसार लिंग निर्धारण करना आसान है। परन्तु अप्राणिवाचक (जड़) संज्ञाओं का लिंग निर्धारण कठिन है। इसके लिए संज्ञाओं के अर्थ अनुसार लिंग निर्णय करने के कई नियम बनाये गये हैं परन्तु वे अव्यापक और अपूर्ण हैं। अप्राणिवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण व्यवहार द्वारा ही सीखा जा सकता है।

वचन व्यवस्था के संदर्भ में हिन्दी की संज्ञा

वचन— शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं।

वचन के भेद — 1. एकवचन, 2. बहुवचन।

एकवचन— शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं।

जैसे— किताब, गाय, लकड़ी, रात आदि।

बहुवचन— शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे— किताबें, गायें, लड़कियाँ, रातें आदि।

वचन के कारण संज्ञा का रूपांतर—

संज्ञा का रूपांतर वचन के आधार पर निम्नानुसार होता है—

उदाहरण— बच्चा दौड़ता है।

बच्चे दौड़ते हैं।

यहाँ 'बच्चा' शब्द एक के लिए आया है और बच्चे एक से अधिक के लिए।

वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं—

(क) विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम—

1. पुलिग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है।

आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'अ' का 'एँ' करने से—

उदाहरण	एकवचन	बहुवचन
	किताब	किताबें
	बहन	बहनें
	कमीज	कमीजें

2. अकारांत पुलिग शब्दों के अंत में 'आ' को 'ए' करने से—

उदाहरण—	एकवचन	बहुवचन
	कीड़ा	कीड़े
	ताला	ताले
	पंखा	पंखे

3. इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में 'यौं' जोड़कर 'ई' को ह्रस्व 'इ' करने से—

उदाहरण—	एकवचन	बहुवचन
	लड़की	लड़कियाँ
	नदी	नदियाँ
	निधि	निधियाँ

4. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'आ' के 'ऐँ' जोड़ने से—

उदाहरण	एकवचन	बहुवचन
	सभा	सभाऐँ
	माला	मालाऐँ
	शाखा	शाखाऐँ

5. 'इया' अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम 'या' के स्थान पर 'यौँ' करने से—

उदाहरण	एकवचन	बहुवचन
	बिटिया	बिटियाँ
	पुडिया	पुडियाँ
	लुटिया	लुटियाँ

6. स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम 'उ', 'ऊ' और 'औ' के स्थान पर 'ऐँ' करने से 'ऊँ' के स्थान पर ह्रस्व 'उ' करने से—

उदाहरण	एकवचन	बहुवचन
	वधू	वधुऐँ
	बहू	बहुऐँ
	जूँ	जुऐँ

7. दल, गण, जन, वृंद, लोग, वर्ग आदि शब्द लगाने से

उदाहरण—	एकवचन	बहुवचन
	आप	आपलोग
	पक्षी	पक्षीवृंद
	छात्र	छात्रवृंद

(ख) विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम—

1. अकारांत, आकारांत तथा एकारांत संज्ञाओं के अंतिम 'अ', 'आ' या 'ए' के स्थान पर बहुवचन बनाने में 'ओं' कर दिया जाता है ।

जैसे— एकवचन बहुवचन विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग

बच्चा बच्चों बच्चों ने कहा ।

चोर चोरों चोरों को सजा दो ।

2. संस्कृत में आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, ऊकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में 'ओं' जोड़ना पड़ता है। ऊकारांत शब्दों में ओं जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर दिया जाता है ।

जैसे— लता लताओं लताओं को पानी दो ।

घर घरों घरों से खाना लाओ ।

3. सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में 'यों' जोड़ा जाता है। 'इकारांत' शब्दों में यों जोड़ने के पहले 'ई' का 'इ' कर दिया जाता है ।

जैसे— साड़ी साड़ियों साड़ियों को पंसद करो ।

नदी नदियों नदियों का जल प्रवाह ।

आदरार्थक बहुवचन— आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एकवचन संज्ञा के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, उसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं ।

जैसे— अध्यापक ने गृहकार्य दिये हैं ।

मेरे पिताजी बड़े दयालु हैं ।

कभी—कभी अधिकार जताने व अहंकार के वशीभूत वक्ता अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करता है ।

जैसे— हमारी आज्ञा है कि बंदी को दण्ड दिया जाये ।

नित्य बहुवचन— कुछ संज्ञाएँ अनेक का बोध कराने पर भी एकवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे— जनता, भीड़, आग, वायु आदि ।

भाववाचक संज्ञाएँ एकवचन में प्रयुक्त होती हैं ।

जैसे— प्रेम, सच्चाई, झूठ आदि ।

द्रव व धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएँ एकवचन में प्रयुक्त होती हैं ।

जैसे— पानी, शहद, सोना, तौबा आदि ।

कारक व्यवस्था के संदर्भ में हिन्दी की संज्ञा

कारक— संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका (संज्ञा या सर्वनाम का) संबंध सूचित हो, उसे (उस रूप को) कारक कहते हैं । अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब 'ने', 'को', 'से' आदि विभक्तियाँ लगती हैं, तब उनका रूप 'कारक' कहलाता है ।

इन कारक चिन्हों को 'परसर्ग' कहते हैं ।

उदाहरण — मीरा खाना खाती है । (बिना कारक चिन्ह के)
 मीरा ने खाना खाया । (ने कारक के साथ)

तालिका —1

हिंदी में निम्नलिखित कारक हैं— संज्ञा शब्द 'लड़का' तथा सर्वनाम शब्द 'वह' के कारकीय रूपों को देखते हैं—				
कारक	क्रिया से संबंध	परसर्ग/विभक्ति	विभक्ति युक्त संज्ञा शब्द (लड़का)	विभक्ति युक्त सर्वनाम शब्द (वह)
कर्ता	क्रिया को करने वाला	ने	लड़का/लड़के ने	वह, उसने
कर्म	जिस पर क्रिया का फल पड़े	को	लड़के को	उसको
करण	क्रिया का साधन	से, के द्वारा	लड़के से, लड़के के द्वारा	उससे, उसके द्वारा
संप्रदान	जिसके लिए क्रिया की जाए	के लिए, को	लड़के के लिए, लड़के को	उसके लिए
अपादान	जिससे अलग होने की क्रिया का बोध हो रहा हो	से	लड़के से	उससे
संबंध	क्रिया के अतिरिक्त	का के की रा, रे, री ना, ने, नी	लड़के का	उसका
अधिकरण	क्रिया के होने पर स्थान/समय/आधार	में, पर	लड़के में लड़के पर	उसमें, उस पर
संबोधन	संज्ञा को बुलाने या पुकारने के अर्थ में	अरे, ओ, हे, ए आदि	ए, लड़के!	ए, तुम!

विभक्तियों की विशेषताएँ—

1. सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं । इनका अर्थ नहीं होता ।

जैसे— ने, से, आदि ।

2. हिन्दी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने

पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती है।

जैसे— मेरा, उसे, उन्हें आदि।

3. विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं।

जैसे— मीरा के घर से यह चीज आयी है।

विभक्तियों का प्रयोग—

हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं— 1. विश्लिष्ट, 2. संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं अर्थात् अलग रहती हैं। जैसे राधा को, वृक्ष पर, गायों से। सर्वनामों के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट या मिली होती हैं। उदाहरण— 'के लिए' जैसे दो शब्दों की विभक्ति में पहला संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट, जैसे— तू + रे लिए = तेरे लिए, तुम + रे लिए = तुम्हारे लिए।

कारक के भेद—

हिन्दी में कारक के आठ भेद हैं —

1. कर्ता कारक (ने) — वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कहते हैं। 'ने' प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। 'ने' परसर्ग का प्रयोग संज्ञा/सर्वनाम के साथ वर्तमान काल व भविष्य काल में नहीं लगता। 'ने' परसर्ग केवल क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, हेतुहेतुमद्भूत और संदिग्ध भूतकालों और कृत्ववाच्य में लगता है।

सामान्यभूत	—	मोहन ने मिठाई खायी।
आसन्नभूत	—	मोहन ने मिठाई खायी है।
पूर्णभूत	—	मोहन ने मिठाई खायी थी।
संदिग्धभूत	—	मोहन ने मिठाई खायी होगी।

नोट— अपूर्णभूत को छोड़ शेष पाँच भूतकालों में 'ने' का प्रयोग होता है।

अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है।

जैसे— उसने लड़ाई लड़ी।

प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी ने लगता है।

जैसे- मैंने उसे पढ़ाया।

2. कर्म कारक (को) – क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा/सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं।

(1) बुलाना, खुलाना, कोसना, जमाना, इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ 'को' विभक्ति लगती है।

जैसे- माँ ने बच्चे को सुलाया।

(2) 'मारना' क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, परन्तु यदि उसका अर्थ 'शिकार करना' होता है तो विभक्ति नहीं लगती अर्थात् कर्म अप्रत्यय रहता है।

जैसे – मछुआरे ने मछली मारी।

(3) कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म सप्रत्यय रखा जाता है।

उदाहरण – बाघ बकरी खा गया। (साधारण कर्तृत्व शक्ति)

बाघ बकरी को खा गया। (विशेष कर्तृत्व शक्ति)

(4) कर्म सप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुलिग होगी किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार।

जैसे- राम ने रोटी को खाया (सप्रत्यय)

राम ने रोटी खायी (अप्रत्यय)

(5) यदि विशेषण, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म 'को' अवश्य लगता है।

उदाहरण- बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार।

3. करण कारक (से / के द्वारा)– करण का अर्थ है साधन, अतः ये चिन्ह वही कारक चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

उदाहरण- माँ ने चाकू से फल काटे।

यहाँ पर चाकू साधन है जिससे फल काटने का कार्य हुआ।

4. संप्रदान (को / के लिए) कारक– जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, उन संज्ञा/सर्वनाम पदों में संप्रदान कारक होता है।

जैसे— हवन के लिए सामग्री लाओ।

दान के भाव में अर्थात् जिसको कुछ दिया जाए उसमें सदैव संप्रदान कारक होता है।

5. अपादान कारक (से अलग होना) – संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रगट हो, वहाँ अपादान कारक होता है।

जैसे— मोहन घर से निकला।

पेड़ से पत्ता गिरा।

पृथकता के अतिरिक्त निकलने, डरने, सीखने, सजाने अथवा तुलना का भाव प्रकट करने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है।

बहू ससुर से लजाती है। (लज्जा का भाव)

मैं साँप से डरता हूँ। (डर का भाव)

रमा सीता से सुंदर है। (तुलना का भाव)

हम अध्यापक से पढ़ते हैं। (सीखने का भाव)

6. संबंध कारक (का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने)— यह कारक संज्ञा/सर्वनाम का संबंध 'क्रिया' से न बनाकर आपस में उनका संबंध बताता है।

जैसे — गरीब की झोपड़ी।

लड़के की साइकिल।

संबंध कारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग वचन के कारण बदलता है।

7. अधिकरण (में/पर) कारक— संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का 'स्थान' या 'समय' पता चले, उसमें अधिकरण कारक होता है।

उदाहरण — इस जगह पर बहुत गंदगी है।

मेरे सिर में दर्द है।

8. संबोधन (हे/अरे) कारक— संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं।

जैसे— हे लड़के ! यहाँ मत खेलो।

अरे सुनीता ! यहाँ तो आओ।

लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में सर्वनाम

सर्वनाम

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार— “सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, जो पूर्वा पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है।” जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे— आप, तुम, मैं, यह, वह, कोई, कुछ आदि।

सर्वनाम की विशेषताएँ—

1. भाषा में सर्वनाम शब्दों की विशेष उपयोगिता है। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से बचने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है।
2. भाषा में संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
3. सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट व सुंदर बनती है। उसका अटपटापन, अरोचकता व भद्दापन दूर होता है।
4. संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह (संज्ञा) नाम है, वहाँ सर्वनाम में पूर्वापद संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है।

उदाहरण— संज्ञा लड़की कहने से केवल लड़की का बोध होता है, जबकि सर्वनाम वह कहने से (लड़की, मकान, मंदिर आदि) किसी भी वस्तु का बोध पूर्वापद संबंध के अनुरूप होगा।

सर्वनाम के भेद— हिंदी में कुल ग्यारह सर्वनाम हैं— मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के छः भेद हैं —

1. पुरुषवाचक सर्वनाम— ‘पुरुषवाचक सर्वनाम’ पुरुषों (स्त्री या पुरुष) के नाम के बदले आते हैं। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं :-

(क) उत्तम पुरुष— वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको।

(ख) मध्यम पुरुष— वक्ता या लेखक सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको।

(ग) अन्य पुरुष— वक्ता या लेखक किसी अन्य अर्थात् किसी दूरस्थ व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— वह, वे,।

2. निभचयवाचक सर्वनाम— जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

दूर की वस्तुओं के लिए — 'वह'
समीप की वस्तुओं के लिए — 'यह'

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम— किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के विषय में जहाँ अनिश्चय की स्थिति हो, वहाँ प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे— कोई, कुछ, किस, किसी, किन्हीं आदि।

उदाहरण— मेरे लिए कुछ बाजार से लाना।
कोई घर आया है।

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम— प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— कौन, क्या आदि।

उदाहरण — तुम्हारा भाई कौन है ?
तुम क्या बता रहे थे ?

5. संबंधवाचक सर्वनाम— जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग किए गए दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— जो करेगा, सो करेगा।

जैसे— जो परिश्रम करता है उसे ही सफलता मिलती है।
जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी।

6. निजवाचक सर्वनाम— निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, यह कर्ता का बोध है। अन्यपुरुष वाले 'आप' से इसका प्रयोग बिलकुल अलग है।

यहाँ 'आप' स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक में 'आप' बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे— आप, अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि।

उदाहरण — मैं स्वयं कार्य करूँगा ।
मैं आप ही चला जाऊँगा ।

अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम (वह) और निश्चयवाचक सर्वनाम (वह) में अंतर—

1. वह जा रहा है।
2. यह कर्ता मेरा है वह तुम्हारा।
'आप' सर्वनाम का तीन रूपों में प्रयोग—
 1. मध्यम पुरुषवाचक— आप कहाँ जा रहे हैं।
 2. अन्य पुरुषवाचक — इनसे मिलिए आप हैं हमारी संस्था के अध्यक्ष।
 3. निजवाचक — मैं अपना काम आप करता हूँ।

सर्वनाम के रूपांतर (लिंग, वचन और कारक)

सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंगभेद के कारण रूपान्तर नहीं होता।

जैसे — वह दौड़ता है।
वह दौड़ती है।

संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं— एकवचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्तिरहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं।

सर्वनाम में केवल सात कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होता। कारकों में विभक्तियाँ लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ सकती है।

जैसे— मैं — मुझे, मुझको, मेरा। तुम—तुम्हें, तुम्हारा।
कौन — किसने, किसको, किसे। यह — इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इन्हें, इनसे।

सर्वनाम शब्दों की रूप रचना

तालिका -2 अग्रांकित है-

वाचक	पुरुषवाचक	निश्चयवाचक	अनिश्चयवाचक	प्रश्नवाचक	संबंधवाचक	निजवाचक
मैं	(क) मैं, मैंने (ख) तु, तुने, तुमने, आपने, तुम	यह, वह इसने, उसने	कुछ, कोई, किसने	कौन, किसने क्या	जो-वह जिसने, उसे	आप
	(ग) वह, उसने हम, हमने, तुमने, उन्होंने	ये वे	किन्होंने	किन्होंने किन्होंने	जिन्होंने, उन्हींने	आप आप
तुम्हें	मुझे, मुझको तुम्हें, तुमको हमें, हमको उन्हें, उनको	इसे, इसको उसे, उसको इन्हें, इनको उन्हें, उनको	किसको	किसको	जिसको-उसको	आपको
	मुझसे, तुझसे, उससे	इससे, उससे	किससे	किससे	जिससे, उससे	आपसे
हमारे	हमसे, तुमसे, उनसे	इनसे, उनसे	किनसे	किनसे	जिनसे, उनसे	
	मुझे, मेरे लिए तुझे, उसे/उसको उसके लिए	इसके लिए इसको	किसके लिए	किसके लिए	जिसके लिए-वह	अपने लिए
उनके	हमें, हमारे लिए तुम्हें, तुम्हारे लिए उन्हें उनके लिए	इनके लिए इनको	किनके लिए	किनके लिए	जिनके लिए-वे	
	मुझसे, तुझसे उससे	इससे उससे	किससे	किससे	जिससे-उससे	अपने से
हमारे	हमसे, तुमसे उनसे	इनसे उनसे	किनसे	किनसे	जिनसे-उनसे	
	मेरा, तेरा, उसका मेरी, तेरी, उसकी हमारा, हमारी तुम्हारा, तुम्हारी उनका, उनकी	इसका, उसका इसकी, उसकी इनका, इनकी उनका, उनकी	किसका किसकी किनका किनकी	किसका किसकी किनका किनकी	जिसका-उसका जिसकी-उसकी जिनको-जिनकी उनका/की	अपना अपनी
हमारे	मुझमें, मुझपर तुम्हें, उसमें तुम्हें, उसपर	इसमें उसमें	किसमें किस पर	किसमें किस पर	जिसमें उसमें	आप पर अपने पर
	हममें, हमपर उनमें, उनमें	इनमें उनमें	किन में किन पर	किन में किन पर	जिनमें उनमें	

“मुझसे मिलते वक्त आप मेरी ही सफलता अथवा असफलता के बारे में पूछिए, न कि मेरे बच्चों की...।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

30

लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के सन्दर्भ में हिन्दी के विशेषण, क्रिया

— डॉ० रेखा दुबे*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना—
उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था
के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी
वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

हिन्दी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है, जिसकी व्यापकता अखंड भारत को एक सूत्र में बांधती है। परंतु जब हम प्रांतीय रूप से देखें तब हिन्दी भाषा के विविध रूपों की जानकारी मिलती है। किसी भी भाषा में व्याकरणिक शुद्धता होने पर साहित्य सृजन होने लगता है। भाषा का रूप सदैव स्थिर नहीं रहता और मानव तथा स्थान भेद के कारण इसमें अंतर आ जाता है और भाषा की एकरूपता वहीं पर समाप्त हो जाती है। 'व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र है।

*जन्म तिथि : 06 जुलाई 1971, माता : स्व. श्रीमती शिव कुमारी गौरहा, पिता : श्री भागीरथी गौरहा, पति : श्री सतीश कुमार दुबे, शिक्षा : एम. ए. (समाजशास्त्र एवं हिन्दी), पी-एच. डी. (हिन्दी), प्रकाशन : पत्र-पत्रिकाओं में कहानी, कविता, समीक्षा एवं शोध आलेखों का प्रकाशन, अनेक किताबों में चैप्टर लेखन, सम्मान : विकलांग-विमर्ष सम्मान, गुरु घासीदास संस्कृति एवं साहित्य अकादमी रायपुर द्वारा अकादमी सम्मान, सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा हिन्दी सेवी सम्मान, अन्य कई सम्मान, सम्पादन : तीन वर्ष तक 'सरयू द्विज' त्रैमासिक का सम्पादन, रुचि : अध्ययन एवं गार्डनिंग, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, डॉ० सी वी रमन विश्वविद्यालय कोटा (बिलासपुर), पता : मिनी छात्रावास के पीछे, पुराना सरकंडा, बिलासपुर पिन कोड 495001, मो० नं० 9300324439, 9827486874, मेल आई डी—rekhadubey5336@gmail.com

उदाहरणार्थ – 'समीर ने रोटी खाया।' यह वाक्य अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध रूप समीर ने रोटी खायी।

इस प्रकार जब हमें व्याकरणिक रूप से ज्ञान होगा तब हम वाक्य को शुद्ध रूप में लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोल पाएंगे। किसी भी भाषा में लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लिंग स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है अर्थात् संज्ञा का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है, वह लिंग कहलाता है।

हिन्दी भाषा में मुख्यतः लिंग के दो प्रकार के हैं—

1. पुल्लिंग , 2. स्त्रीलिंग

पुल्लिंग— जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे— पिता, शिक्षक, घोड़ा, वृक्ष, मोर आदि।

स्त्रीलिंग— जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे — माता, मोरनी, घोड़ी, शिक्षिका, पुस्तक आदि।

इस प्रकार लिंग हमें इंगित कराता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री। निर्जीव चीजों के लिंग की पहचान करने में कभी—कभी बहुत कठिनाई हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है, इसके लिए व्याकरण में कुछ नियम हैं जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा रहा है—

लिंग की पहचान

स्त्री लिंग— यदि बाद में ँ या औ आए तो स्त्रीलिंग होता है।

पुल्लिंग— यदि ँ या औ बाद में न आए तो पुल्लिंग होता है।

जिन शब्दों में आ, आव, या, आर, ख, आस, न आदि आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं।

जैसे—	आ	—	कमरा, ताला
	आव	—	बहाव, लगाव
	पा	—	बुढ़ापा
	आर	—	सुमार, लोहार
	ख	—	मुख, सुख
	आस	—	विकास
	न	—	गमन, डमन आदि।

पुल्लिंग की पहचान में ध्यान देने योग्य बातें –

1. दिनों, पहाड़ों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
2. पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं— पीपल, बड़, जामुन आदि।
3. रत्नों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं परंतु कुछ रत्न जैसे मणि, अपवाद स्वरूप हैं।
4. फारसी, अरबी के शब्द दान, रोशदान, फूलदान, खाना— पागलखाना आदि पुल्लिंग शब्द हैं।
5. ऐरा तथा वाला जैसे अंत में लगने वाले प्रत्यय स्वरूप शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे – सपेरा, दूधवाला।
6. देशों के नाम और समुद्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। भारत, हिन्द महासागर।
7. जिन शब्दों के अंत में त्व एवं अक आते हैं वे भी पुल्लिंग होते हैं – जैसे— अपनत्व, अध्यापक आदि।
8. कुछ संज्ञा शब्द जैसे – खटमल, तोता, भेड़िया, कौआ सभी पुल्लिंग शब्द हैं।

स्त्रीलिंग की पहचान –

जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि स्त्री जाति का बोध जिन शब्दों से होता है, वह स्त्रीलिंग होता है परंतु यह ज्ञात होना जरूरी है कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाए। वह इस प्रकार है—


1. कुछ शब्दों का प्रभाव स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है।
जैसे – कोयल, गिलहरी, मछली, चील, बिल्ली आदि।
2. भाषाओं तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
3. तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं।
4. नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
5. पहाड़ियों, खाड़ियों के नाम भी स्त्रीलिंग प्रधान होते हैं।
6. ईकारांत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं परन्तु कुछ शब्द पानी, घी, दही, मोती ये स्त्रीलिंग में नहीं हैं।

7. जिन शब्दों के अंत में ता, इका, आहत, आई, इमा, री आदि जैसे प्रत्यय बोधक आते हैं, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं।

8. जिन शब्दों के अंत में यदि आ, या, ए (बहुवचन) आता है, वहाँ स्त्रीलिंग होता है। जैसे – पुल्लिंग – कुर्सी, स्त्रीलिंग – कुर्सियाँ।

इस प्रकार हिन्दी में लिंग की पहचान की प्रक्रियाँ आसान है। जहाँ पर लिंग बोध आवश्यक है वहीं पर वचन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। व्याकरण में निर्धारित समस्त विषय-वस्तु को जब तक गहन अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। इस क्रम में जब वचन की ओर बढ़े, तब हमें ज्ञात होता है कि 'शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिन्दी में वचन के दो प्रकार हैं— (1) एकवचन और (2) बहुवचन। शब्द के जिस रूप में एक ही संख्या का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं, जैसे – लड़का, बहन, कमरा, शिक्षक आदि और जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कमरे, बहनें आदि। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, और क्रिया के द्वारा होती है।

उदाहरणार्थ –



वचन में कहीं-कहीं पर जब आदरसूचक शब्द प्रकट करना होता है, तब एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग प्रायः किया जाता है।

जैसे – शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

एकवचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया—

अ. अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में 'आ' स्थान पर 'ऐ' बनाकर—
(लड़का—लड़के)।

ब. अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में 'अ' के स्थान पर 'ए' लगाकर—
(बहन—बहने)।

स. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में 'आ' के पश्चात् 'ऐं' जोड़कर—
(माता—माताएँ)।

द. इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम में इ, ई के स्थान पर इयाँ लगाकर— (घड़ी—घड़ियाँ)।

इ. उकारांत या अकारांत शब्दों में उ या ऊ को उएँ कर दिया जाता है— (वस्तु—वस्तुएँ)।

ई. जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या होगा उसे याँ करते हुए—
चिड़िया—चिड़ियाँ।

उ. कुछ संज्ञा शब्दों में वृंद, गण, दल, जल, लोग लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं।

हिन्दी के शब्द स्तर में बहुवचन रूप समान होता है। वचन के प्रकार एवं विभिन्न नियमों के उपरांत कारक रचना पर प्रवेश करते हैं।

'कारकों' का ज्ञान व्याकरण एवं भाषा के लिए अति आवश्यक माना गया है। विभक्ति एवं कारक अथवा प्रत्यय और परसर्ग दोनों ही भिन्न—भिन्न शाखाएँ हैं। विभक्ति, प्रत्यय, परसर्ग ये रूप बोधक होते हैं जबकि कारक अर्थ बोधक तत्व हैं। एक विभक्ति अनेक कारकों का बोध करा सकती है किन्तु एक कारक अनेक विभक्तियों का बोध नहीं करा सकती। इसीलिए संस्कृत में विभक्तियों के लिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कारक हेतु कर्ता, कर्म, करण, ... आदि का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उस रूप को कारक कहते हैं या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है।

उदाहरण — राधा ने दूध पीया।

इस वाक्य में 'राधा', क्रिया का 'कर्ता' है और दूध कर्म। यहाँ पर 'राधा' कर्ता कारक, और 'दूध' कर्म कारक है। और संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के बाद ने, को, से, की, पर जैसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो सके; ये सभी चिन्ह कारकों के हैं जिसे कारकों के 'परसर्ग' से हम जानते हैं। पाणिनि ने कारकों की संख्या छः बतायी है जबकि हिन्दी में कारक के आठ भेद हैं क्रमशः कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन।

निम्न कारक तालिका द्वारा कारकों को सरल तरीके से समझा जा सकता है –

विभक्ति	–	कारक	–	चिन्ह
प्रथमा	–	कर्ता (काम करने वाला)	–	ने
द्वितीया	–	कर्म (जिस पर काम का प्रभाव न पड़े)	–	को
तृतीया	–	करण (जिस साधन से काम किया जाए)–		से, के द्वारा
चतुर्थ	–	सम्प्रदान	–	को, के लिए (जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए)
पंचम	–	अपादान	–	से (किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना)
षष्ठ	–	सम्बंध	–	का, के, की, रा, रे, री, (एक व्यक्ति, वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध बताना)
सप्तम	–	अधिकरण	–	में, पर (जिसने क्रिया के आधार का बोध हो)
अष्टम्	–	संबोधन	–	हे, अरे, (शब्द के किसी रूप से किसी को पुकारा जाए) –

1. वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।

जैसे – श्री कृष्ण ने कंश को मारा।

2. वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं।

जैसे – सिपाही ने चोर को पकड़ा।

3. कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य (क्रिया) करता है उसे करण कारक कहते हैं।

जैसे – श्याम बस के द्वारा विश्वविद्यालय पहुँचा।

4. कर्ता जिसके लिए काम करता है या उसे देता है उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं।

जैसे – बच्चों ने बुजुर्गों के लिए फल दिए।

5. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलग होना पाया जाए अथवा तुलना किया जाए अथवा किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं।

जैसे – पेड़ से पत्ते गिरे।

अपादान कारक में ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि करण कारक और अपादान कारक में परसर्ग चिन्ह 'से' का प्रयोग होता है। परंतु करण कारक में 'से' का जब प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ 'के द्वारा' होता है और अपादान कारक में 'से' का अर्थ 'अलग होने से' लिए होता है।

उदाहरण :- करण कारक – कैंची से कटा कपड़ा।

अपादान – पेड़ से फल गिरा।

6. संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं।

जैसे – 1) यह मेरी माँ है।

2) यह मेरी कलम है।

7. संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो या क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

जैसे – 1) शेर जंगल में रहता है।

2) पक्षी पेड़ पर बैठे हैं।

8. शब्द के जिस रूप में किसी रूप से किसी को पुकारा जाए, संबोधन कारक कहलाता है।

जैसे – अरे भाई! इधर आओ।

हे राम! विश्व का कल्याण करो।

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 290

इस प्रकार भाषा में कारक की महत्ता स्पष्ट होती है कि भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा के माध्यम से जो वाक्य उच्चारित होता है उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए भाषा में कारक का विशेष रूप से महत्व स्थापित होता है। कारक व्यवस्था का हिन्दी भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका है।

विशेषण

इस प्रकार आगे की कड़ी में विशेषण की ओर जब बढ़ेंगे तब साधारणतः हम सभी यह जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को शब्द को विशेषण कहते हैं। यथा – अच्छा, बुरा, चार, गोरी आदि।

1. गमले में चार फूल हैं।
2. राम अच्छा लड़का है।
3. सीता गोरी है।
4. बुरा व्यक्ति हमेशा अपमानित होता है।

विशेष्य – विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं।

यथा, गमले में चार फूल हैं। (फूल – विशेष्य)

उपरोक्त वाक्य में फूल संज्ञा है जिसकी विशेषता है कि फूल चार हैं अर्थात् फूल के विषय में कहा जा रहा है, अतः फूल विशेष्य होगा।

विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। –

1. संज्ञीय विशेषण, 2. सार्वनामिक विशेषण।

(1) संज्ञीय विशेषण प्रदर्शन के लिए प्रत्यय के साथ (योग) विशेषण का कार्य करते हैं। इनकी प्रकृति संज्ञावत् होती है।

संज्ञीय विशेषण के तीन प्रकार हैं – (1) गुणवाचक विशेषण, (2) संख्यावाचक विशेषण, (3) परिमाण वाचक विशेषण।

संज्ञा या सर्वनाम पदों के गुण–दोष, रंग–रूप तथा आकार–प्रकार बताने वाले विशेषण पद गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे– अच्छा, बुरा, खरा, सफेद आदि 'गुण' में निम्न विशेषताओं की प्रधानता दृष्टिगत होती है।

1. काल सूचक – अगले माह कार्य समान होगा।

2. स्थान सूचक — वह ऊपर वाले कमरे में बैठा है।
3. आकार सूचक — लम्बा, मोटा, पतला, विशाल, लघु आदि।
4. दशा सूचक — बीमार आदमी, स्वस्थ व्यक्ति, निर्बल, दुर्बल आदि।
5. रंग सूचक — काला, पीला, सफेद, हरा, लाल, आदि।
6. गुण सूचक — अच्छा, चतुर, मृदुल, कपटी, चोरी।
7. संज्ञा सूचक — लखनवी, बनारसी, हरियाणवी।
8. रस सूचक — मीठा, कड़ुवा, खट्टा, चटपटा आदि।

उपर्युक्त आठ रूपों से गुण वाचक विशेषण को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले विशेषणों को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यथा— एक, चार, पाँच संख्यावाचक विशेषण विशेष्य की संख्याओं का निर्धारण करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं —

1. निश्चित संख्या वाचक,
2. अनिश्चित संख्या वाचक।

(1) निश्चित संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके पाँच उपभेद होते हैं—

1. पूर्णता बोधक — ये पूर्ण संख्या का बोध कराते हैं तथा एक से सौ के आगे तक की संख्याएँ पूर्णता बोधक कहलाती हैं।

2. भिन्नार्थक बोधक (अपूर्णता बोधक) — जो शब्द एक या अन्य भिन्नों का बोध कराते हैं वे भिन्नार्थक बोधक कहलाते हैं। जैसे— सवा, डेढ़ पौन, तिहाई आदि।

3. क्रम बोधक — निश्चित संख्या का क्रम दर्शाने वाले शब्द क्रमबोधक होते हैं। जैसे — पहला, दूसरा, तीसरा आदि।

4. समूह बोधक — संख्याओं के समूह का बोध कराते हैं, जैसे — तीनों, चारों, पाँचों आदि। ये समूह की संख्या को इंगित करते हैं तथा इसकी निष्पत्ति बहुवचन द्वारा 'ओ' प्रत्यय से होती है।

5. आवृत्ति बोधक — ये किसी संख्या के गुणात्मकता का बोध कराते हैं। जैसे — दुगना, तिगुना, चौगुना आदि।

6. इकाई बोधक — इनमें संख्याओं के साथ 'प्रति' या 'हर' शब्द

लगाकर एक इकाई का निर्माण होता है, जैसे – प्रत्येक, हरेक, प्रतिदो आदि।

(2) **अनिश्चित संख्या वाचक** – जिस शब्द से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्या वाचक कहते हैं। जैसे– कुछ लोग, सब लोग, बहुत आदमी आदि आदि। परिणाम वाचक में संज्ञा, सर्वनाम पदों की नापतौल, वजन, परिमाण आदि बताने वाले शब्द परिमाणवाचक होते हैं। ये दो प्रकार के हैं–

1. निश्चित परिमाण वाचक, 2. अनिश्चित परिमाण वाचक।

निश्चित परिमाण वाचक विशेषण में निश्चित नाप–तौल का बोध होता है। जैसे– दो लीटर दूध, एक किलो चाँवल आदि। अनिश्चित परिमाण वाचक में निश्चित नापतौल का बोध नहीं होता। जैसे– थोड़ा चावल, कुछ फल आदि। इनमें कुछ, थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हैं।

(2) **सार्वनामिक विशेषण** (या संकेतवाचक विशेषण)– ये सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्दों के पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं।

जैसे – ये गरीब बालक उस दयालु स्त्री को सड़क किनारे बैठा मिला।

उपरोक्त वाक्य में 'ये' पद गरीब बालक (संज्ञा) की ओर तथा 'उस' पद स्त्री (संज्ञा) की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये पद सार्वनामिक विशेषण हैं।

विशेषणों की तुलना की दृष्टि से तीन अवस्थाएँ हैं– मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। इसमें एक–दूसरे की तुलना नहीं की जाती, यथा – सोहन मोटा है। जबकि उत्तरावस्था में जिस विशेषण से एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, यथा– राधा श्याम से गोरी है। उत्तमावस्था में जब दो या दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कही जाती है अर्थात् सबसे ज्यादा या सबसे कम। जैसे – वह सबसे सुंदर है।

उदाहरणार्थ :-

अवस्थाओं के रूप की तालिका

मूलावस्था	उत्तरावस्था	उत्तमावस्था
पतला	अधिक पतला	सबसे अधिक पतला
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
प्रिय	प्रियतर	प्रियतम
सुंदर	अधिक सुंदर	सबसे अधिक सुंदर
काला	अधिक काला	सबसे अधिक काला

इस प्रकार विशेषण की रचना चार 'शब्दों' से होती है— संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से।

क्रिया

क्रिया अर्थात् जिसमें किसी काम को करने या होने का बोध हो। 'जिन शब्दों' से किसी प्राणी या वस्तु का होना अथवा किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे— सृष्टि गाना गा रही है। सुयश सो रहा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे— गा, पढ़, लिख आदि। सामान्यतः क्रिया के अंत में 'ना' जैसे वर्ण की प्रधानता होती है, जिसे सरलता से पहचाना जा सकता है।

उदाहरण —	धातु	—	क्रिया
	गा	—	गाना (गा+ना)
	पढ़	—	पढ़ना
	लिख	—	लिखना आदि।

क्रिया कर्म पर निर्धारित होती है। अतः कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं —

- 1) अकर्मक क्रिया,
- 2) सकर्मक क्रिया

जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया होती है। यथा— 'चिड़िया उड़ रही है। इस वाक्य में 'उड़ रही' क्रिया पद है और कर्म करने वाली 'चिड़िया' है। अतः यहाँ पर क्रिया के काम (व्यापार) का फल

अर्थात् प्रभाव कर्ता (चिड़िया) पर पड़ रहा है। जीना, खेलना, मरना, हँसना, सोना, रोना, डरना, जागना, शरमाना, पढ़ना, होना आदि सभी अकर्मक क्रियाएँ हैं।

सकर्मक क्रियाएँ वे क्रिया शब्द होते हैं जिनका काम (व्यापार) का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे – श्याम पढ़ता है। पढ़ना, खाना, लाना, मारना, टोकना, हराना आदि सकर्मक क्रियाएँ हैं। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं— एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक कर्म होता है, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे सीमा खाना पका रही है। रेखांकित पद 'पका रही है' एक कर्मक क्रिया को इंगित कर रहा है। जबकि जिस क्रिया में दो क्रियाएँ एक साथ हो, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे – सीमा गाना गा कर नृत्य कर रही है, रेखांकित पद में गाकर और नृत्य कर दो क्रियाएँ एक साथ हो रही है। 'पिता ने पुत्र को पत्र लिखा।' इस वाक्य में पुत्र को तथा पत्र दो कर्म हैं, अतः यहाँ 'लिखा' क्रिया द्विकर्मक होगी। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ 'क्या' और 'किसको' लगाकर प्रश्न करने पर जब भिन्न-भिन्न उत्तर आते हैं तब द्विकर्मक क्रिया होती है।

कुछ क्रियाएँ पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। यदि एक क्रिया से पूर्व, कोई दूसरी क्रिया आए, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जाएगी। जैसे – वह पुस्तक पढ़कर सो गया। इसमें रेखांकित 'पढ़कर' पूर्वकालिक क्रिया को संकेत करता है। पूर्वकालिक क्रिया की संरचना में धातु के साथ 'कर' या 'करके' जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ – खा-खाकर, देख-देखकर आदि संयुक्त क्रिया इस क्रिया में मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया में मिलकर आती है।

यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि – प्रथम प्रेरणार्थक रूप में 'आना' प्रत्यय और द्वितीय प्रेरणार्थक में 'वाना' प्रत्यय लगता है।

उदाहरण :-

क्रिया	प्रथम रूप	द्वितीय रूप
1 खेलना	खेलाना	खिलवाना
2 नाचना	नचाना	नचवाना
3 रोना	रुलाना	रुलवाना आदि।

निष्कर्षतः हिन्दी में भाषा ज्ञान के साथ-साथ व्याकरणिक ज्ञान होना जरूरी है। भाषा की व्यवस्था में लिंग, वचन और कारक के संदर्भ में विशेषण और क्रिया की अहम् भूमिका होती है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. सामान्य हिन्दी ज्ञान – डॉ. गणेश खरे, शांति प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. अच्छी हिन्दी – डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, साहित्यागार, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर।
3. अभ्यास सागर – डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधकीय समिति नई दिल्ली।
4. गीता सचित्र हिंदी व्याकरण तथा रचना – राजेंद्र प्रकाश, गीता पब्लिशिंग हाउस।



“मुझसे मिलने पर वे मेरे बच्चों के बारे में पूछते हैं— ‘किसे गा, लइका मन का-का करथें?’”, परन्तु वही बच्चे जब बड़े होकर सफल हो जाते हैं, तब उनसे भी वे वही प्रश्न करते हैं— ‘किसे गा, लइका मन का-का करथें?’

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

31

हिन्दी वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति

— श्रीमती आशा भारद्वाज*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 03 हिन्दी का भाषिक स्वरूप

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था— खण्ड्य, खण्ड्येत्तर, हिन्दी शब्द रचना—
उपसर्ग, प्रत्यय, समास। रूपरचना— लिंग, वचन और कारक व्यवस्था
के सन्दर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप। हिन्दी
वाक्य—रचना, पदक्रम और अन्विति।

हिन्दी वाक्य — रचना

मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समुह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। “यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है, तो वाक्य उसका विस्तार।” सभ्यता के विकास के साथ ही वाक्यों के विकास की वृद्धि हुई, क्योंकि मनुष्य के भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्यों में ही होती है। शब्द तो “साधन” है, जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं।

*जन्म तिथि : 20 अप्रैल 1970, पति : श्री आयोध्या भारद्वाज, शिक्षा : एम. ए., एम. एड. (हिन्दी), प्रकाशन : 1. पुस्तक ‘आधुनिक कालीन हिन्दी साहित्य में नारी—अस्मिता का धरातलीय सच’ में शोध—आलेख, 2. ‘काव्य कुंज’ में सजल, 3. ‘ये दोहे गुंजते हैं’ में दोहा, 4. ‘सजल—नागरी’ मथुरा में लेख, 5. साहित्यिक पत्रिका ‘एहसास’ बिलासपुर में कहानी एवं कविताएँ, 6. ‘उजास’ जाँजगीर में कहानी व कविताएँ, 7. ‘साहित्य कलश’ पटना में भी कई रचनाएँ, सम्मान : 1. अर्द्धवार्षिक सजल सहभागिता सम्मान, 2. साहित्य गौरव सम्मान, 3. अर्णव कलश संघ द्वारा दोहा रत्न सम्मान, 4. राष्ट्र गौरव सम्मान, 5. ‘कलम से मंच’ के द्वारा विशिष्ट लेखन सम्मान, कलम की सुगंध सम्मान, 6. साहित्य कला उन्नयन मंच बाराबंकी उत्तरप्रदेश द्वारा साहित्य सूर्य और प्रेम सौहार्द सम्मान, 7. राष्ट्रीय कवि चौपाल शाखा दौसा द्वारा शारदा सम्मान, 8. प्रदेश स्तरीय पांचवाँ सतनामी कवि सम्मेलन में पं० सखाराम बघेल सम्मान, लेखन—विधा : पद्य (मुक्त छंद, गीत, सजल, दोहा), गद्य (लघु कथा, साहित्यिक लेख), सम्प्रति : व्याख्याता (हिन्दी), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोता, वि. ख.— मालखरौदा, आवासीय पता : कलमी नहर पार, तहसील— मालखरौदा, जिला— जाँजगीर चाम्पा (छ.ग.), मो० नं० : 9098078037

वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है। वाक्य की उपयोगिता व्याकरण में तो है ही, सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में भी कम नहीं है। अतः सामान्य जीवन में वाक्य का विशेष महत्त्व है।

दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अन्य शब्दों में – शब्दों के उस समूह को जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए, वाक्य कहते हैं।

शब्दकोषीय अर्थ

वह पद समूह जिसमें श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, वाक्य कहलाता है। यह, भाषावैज्ञानिक आर्थिक इकाई का बोध पद समूह है। वाक्य में कम-से-कम कारक (जो संज्ञा या सर्वनाम होता है) और क्रिया का होना आवश्यक है। क्रियापद और कारक पद से युक्त साकांक्ष अर्थबोधक पद-समूह या पदोच्चय ही वाक्य है। यह उद्देश्यांश और विधेयांश वाले पदों का समूह होता है।

नैयायिकों और अलंकारियों के अनुसार वाक्य में- (क) आकांक्षा, (ख) योग्यता और (ग) आसक्ति या सन्निधि का होना आवश्यक है। “आकांक्षा” का अभिप्राय यह है कि शब्द यों ही रखे हुए न हों, वे मिलकर किसी एक तात्पर्य का बोध कराते हों। जैसे- मनुष्य, चारपाई, पुस्तक तो यह वाक्य न होगा। जब वह कहेगा- “मनुष्य चारपाई पर पुस्तक पढ़ता है।” तब वाक्य होगा। “योग्यता” का तात्पर्य यह है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव न हो। जैसे- “पानी में हाथ जल गया।” तो यह वाक्य न होगा। “आसक्ति” या “सन्निधि” का मतलब है सामीप्य या निकटता। अर्थात् तात्पर्यबोध कराने वाले पदों के बीच देश या काल का व्यवधान न हो। जैसे- कोई यह न कहकर कि “कुत्ता मारा, पानी पिया”, यह कहे “कुत्ता पिया मारा पानी” तो इसमें आसक्ति न होने से वाक्य न बनेगा, क्योंकि ‘कुत्ता’ और ‘मारा’ के बीच ‘पिया’ शब्द का व्यवधान पड़ता है।

काव्यभेद का विषय मुख्यतः न्याय दर्शन के विवेचन से प्रारंभ होता है और यह मीमांसा और न्यायदर्शनों के अंतर्गत आता है।

दर्शनशास्त्री विद्वानों ने वाक्यों में तीन भेद बताये हैं – (अ) विधि वाक्य (ब) अनुवाद वाक्य (स) अर्थवाद वाक्य। इसमें अंतिम भेद के चार उपभेद – स्तूति, निंदा, परकृति और पुराकल्प बताए गए हैं।

वक्ता के अभिप्रेत अथवा वक्तव्य की अबाधकता वाक्य का मुख्य उद्देश्य माना गया है । इसी की पृष्ठभूमि में संस्कृत वैयाकरणों ने वाक्य स्फोट की उद्गावना की है । वाक्यपदोपकार द्वारा स्फोटात्मक वाक्य की अखंड सत्ता स्वीकृत है । भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में वाक्य संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं ।

शब्दाकृतिमूलक वाक्य के शब्दभेदानुसार चार भेद –

अ– समास प्रधान

ब– व्यास प्रधान

स– प्रत्यय प्रधान

द– विभक्ति प्रधान

अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद

अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं –

(अ) विधिवाचक वाक्य – जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य या साधारणार्थक वाक्य कहते हैं ।

जैसे– कल्पना पढ़ती है । सनी आम खाता है ।

(ब) निषेध वाचक वाक्य – जो वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेध वाचक वाक्य कहते हैं । इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं ।

जैसे– हमने खाना नहीं खाया । मैं आज नहीं आऊँगा ।

(स) आज्ञा वाचक वाक्य – जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उसे आज्ञा वाचक वाक्य कहते हैं ।

जैसे– तुम खाओ । तुम पढ़ो ।

(द) विस्मयादि वाचक वाक्य – जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं ।

जैसे– ओह ! मेरा सिर फटा जा रहा है । छि! कितनी गंदी बात है ।

(इ) प्रश्न वाचक वाक्य – जिन वाक्यों में प्रश्न होने का बोध हो या किसी से कोई बात पूछी जाए , उन्हें प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं ।

जैसे— क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे ? क्या तुमने आगरा देखा ?

(प) संकेत वाचक वाक्य — जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं ।

जैसे— उसने खा लिया होगा । मैंने कहा होगा ।

(फ) इच्छा वाचक वाक्य — वाक्य की इच्छा, शुभकामना, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य कहलाते हैं ।

जैसे— तुम अपने कार्य में सफल रहो । आपकी यात्रा शुभ हो ।

(ब) संदेह वाचक वाक्य— जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो ,उन्हें संदेह वाचक वाक्य कहते हैं ।

जैसे— उसने खाना खा लिया होगा । शायद आज मेरा दोस्त आ जाए ।

रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद —

(अ) सरल वाक्य— जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं । इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है । दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है । जैसे— बिजली चमकती है । छयंक बाजार गया । इन वाक्यों में एक—एक उद्देश्य अर्थात् “कर्ता” और विधेय अर्थात् “क्रिया” है । अतः ये सरल या साधारण वाक्य हैं ।

(ब) मिश्र या मिश्रित वाक्य— जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किन्तु एक प्रधान वाक्य अथवा उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं । सरल शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएँ हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं । दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान या “मुख्य उपवाक्य” हो और अन्य आश्रित या “गौण उपवाक्य” हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं । जब दो ऐसे वाक्य मिलें जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है । जैसे— मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा । इस

वाक्य में "मेरा दृढ़ विश्वास है" मुख्य उपवाक्य है और "भारत जीतेगा" गौण उपवाक्य है । इसलिए यह मिश्रित उपवाक्य है ।

इसमें उपवाक्य के मुख्यतः तीन भेद हैं ---

(1) संज्ञा वाक्य – संज्ञा वाक्य संज्ञा के समान क्रिया के कर्ता, कर्म और पूरक आदि के रूप में आते हैं ।

जैसे– तुम जानते न थे, यह झूठ है। इसमें "तुम जानते न थे" वह उपवाक्य, 'झूठ है' क्रिया के कर्ता के रूप में आया है ।

वह लिखता है कि मराठे बड़े वीर थे। इसमें "मराठे बड़े वीर थे" उपवाक्य, 'लिखता है' क्रिया के कर्म के रूप में आया है ।

मेरा विचार है कि युद्ध समाप्त हो चुका होगा। इसमें "युद्ध समाप्त हो चुका होगा" उपवाक्य, 'विचार है' क्रिया के पूरक के रूप में आया है ।

(2) विशेषण वाक्य – विशेषण वाक्य विशेषण का काम देते हैं ।

जैसे– जो बरसते हैं वे बरसते नहीं । इसमें "जो बरसते हैं" उपवाक्य है, क्रमशः कर्ता और कर्म के विशेषण का काम करते हैं, अतः दोनों विशेषण वाक्य हैं ।

(3) क्रिया-विशेषण वाक्य– क्रिया-विशेषण का कार्य देते हैं ।

जैसे– जहाँ नदी बहती थी वहाँ अब सुखी रेत पड़ी है। इस वाक्य में जहाँ, वहाँ से आरंभ होने वाले उपवाक्य क्रमशः स्थानवाचक, परिणामवाचक और काल वाचक क्रिया – विशेषण का काम देते हैं, अतः क्रिया-विशेषण वाक्य है ।

(स) संयुक्त वाक्य – जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे– मैं आया और वह गया । इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक 'और' है। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष समानाधिकरण वाक्य होते हैं ।

समानाधिकरण वाक्य चार प्रकार के होते हैं–

1. संयोजक वाक्य – संयोजक वाक्य से वाक्यों का आपस में मेल प्रकट होता है ।

जैसे– तुम लाते हो और वे आते हैं ।

2. विभाजक वाक्य – विभाजक वाक्यों से वाक्यों का आपस में विभाग या विरोध प्रकट होता है ।

जैसे– तुम्हें बहुत समझाया, परंतु तुमने एक न मानी ।

3. विकल्पदर्शक वाक्य – विकल्पदर्शक वाक्य से वाक्यों में विकल्प प्रकट होता है ।

जैसे– भाग जाओ नहीं तो मार पड़ेगी ।

4. परिणामबोधक वाक्य – परिणामबोधक वाक्य से फल का बोध होता है ।

जैसे– तुमने क्षमा मांग ली है, अतः मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ।

कर्ता और क्रिया की दृष्टि से–

कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं ।

1. उद्देश्य – जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं ।

2. विधेय – जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं ।

जैसे– मोहन प्रयाग में रहता है । इस वाक्य में 'मोहन' उद्देश्य है और 'प्रयाग में रहता है' विधेय है ।

आकृति-मूलक वाक्य के भेद –

विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक भेद किया गया है । 'प्रकृति और प्रत्यय' अथवा 'अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व' किस प्रकार मिलते हैं, इसके आधार पर वाक्य के चार प्रकार हैं–

1. अयोगात्मक वाक्य–

अयोग का अर्थ है– प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व का मिला हुआ न होना । अयोगात्मक भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय अलग-अलग रहते हैं । इनमें कारक-चिन्ह आदि स्वतंत्र शब्द होते हैं । इसमें पदक्रम निश्चित है– कर्ता, क्रिया, कर्म । विशेषण कर्ता के पूर्व आता है । चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा है ।

जैसे– ता जेन अर्थात् बड़ा आदमी । ता-बड़ा, जेन-आदमी ।

नी ता वो- तू मुझे मारता है । नी का अर्थ तू, ता का अर्थ मारना, वो का अर्थ मैं ।

2. श्लिष्ट योगात्मक वाक्य—

ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय, श्लिष्ट अर्थात् मिले हुए या जुड़े हुए होते हैं। इसमें शब्द, धातु और प्रत्यय को अलग-अलग करना कठिन होता है। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएँ— संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता आदि इसी प्रकार की हैं।

जैसे— वृक्षात् पत्रात् अपतत् — पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ वृक्ष + पंचमी एकवचन, पत्रा + द्वितीया एकवचन, पत् + लङ लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। इस वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता।

3. अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य—

ऐसे वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थतत्त्व और संबंधतत्त्व अश्लिष्ट अर्थात् घनिष्ठता से न मिलना होता है। प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होने पर भी तिल और चावल की तरह अलग-अलग देखे जा सकते हैं। तुर्की भाषा में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं।

जैसे— एल्-इम्-डे-कि, इसमें एल् का अर्थ—हाथ, इम् का अर्थ—मेरा, डे का अर्थ— में, कि का अर्थ— होना।

4. प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य—

ऐसे वाक्यों में प्रकृति और प्रत्यय इतने अधिक घनिष्ठ रूप से मिल जाते हैं कि पदों को पृथक करना कठिन होता है। पूरा वाक्य एक शब्द सा हो जाता है। ऐसे उदाहरण दक्षिण अफ्रीका की चेरोंकी भाषा, पेरीनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली बास्क भाषा आदि में मिलते हैं।

जैसे— चेरोंकी में— नाधोलिनिन अर्थात् हमारे पास नाव लाओ।

हिन्दी आदि की बोलचाल की भाषा में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं।

जैसे— भोजपुरी में— सुनलेहलीह — मैंने सुन लिया है।

मेरठ में — उन्नेका इसका अर्थ हुआ उसने कहा ।

गुजराती में — मकुंजे इसका अर्थ है मैंने यह कहा कि।

शैली—मूलक वाक्य के भेद

शैली के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं—

1. शिथिल वाक्य—

इसमें अलंकृत या मुहावरेदार वाक्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वक्ता या लेखक मनमाने ढंग से बात कहता है।

जैसे— एक थी रानी कुन्ती, उसके पाँच पुत्र, एक का नाम युधिष्ठिर, एक का नाम भीम, एक का नाम कुछ और, एक का नाम कुछ और, एक का नाम भूल गया। यह कथावाचकों की शैली होती है।

2. समीकृत वाक्य—

इसमें संतुलित और संगति का ध्यान रखा जाता है। यह वाक्य संतुलन आदि गुणों के कारण लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो जाते हैं।

जैसे— जिसकी लाठी उसकी भैंस, न घर का न घाट का।

3. आवर्तक वाक्य—

इसमें क्रिया कथनीय वस्तु में दी जाती है। श्रोता की जिज्ञासा अंतिम वाक्य सुनने पर ही पूर्ण होती है। यदि, अगर आदि लगाकर वाक्यों को लंबा किया जाता है।

जैसे— यदि सुख चाहिए, यदि शांति चाहिए, यदि कीर्ति चाहिए, यदि अमरता चाहिए तो विद्याध्ययन में मन लगाओ।

अन्विति

जब वाक्य के अंत में पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है उसे अन्विति कहते हैं। “यह संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द है।” इसका विग्रह “अनु + इति अर्थात् अन्वित होने की अवस्था। भाव व्याकरण वाक्य में पदों या पदबंध के लिए वचन, पुरुष, कारक या काल की परस्पर समानता है। अन्वय का अर्थ है— पीछे जाना, अनुरूप होना अथवा समानता होना। व्याकरण की शब्दावली में कहे तो इसका अर्थ है— “व्याकरणिक एकरूपता।” अर्थात् वाक्यों में पदों की परस्पर संगति को अन्विति कहा जाता है। शब्दकोश के अनुसार— वाक्य में पदों का परस्पर उचित संबंध, आशय नियमानुसार यथास्थान रखना, हेतु और साध्य का साहचर्य, कारण, कार्य का संबंध, पद्य के शब्दों को वाक्य रचना के नियमानुसार अर्थात् कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में रखना, पद्य या

कविता की वाक्य रचना को गद्य की वाक्य रचना के अनुसार उसका ठीक और संगत अर्थ लगाना, पद्यों के शब्दों को वाक्य रचना के नियमानुसार यथास्थान रखने का कार्य।

जैसे – पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया।

कपिल देव द्विवेदी के अनुसार – व्याकरण की दृष्टि से एकरूपता। लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण आदि समरूप हो। लिंग भेद, वचन भेद, विभक्ति भेद आदि से व्याकरण संबंधी अनुरूपता विच्छिन्न होती है; अतः अन्विति की आवश्यकता होती है। वाक्य के अंतर्गत संज्ञा पदबंध से क्रिया पदबंध की पुरुष, लिंग, वचन की दृष्टि से जो संबंधता होती है, अन्विति कहलाती है।

अन्विति का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है –

1. कर्तरि प्रयोग– जिसमें क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के उस प्रयोग को कर्तरि प्रयोग कहते हैं। यह जरूरी है कि कर्ता विभक्ति हो।

जैसे – छयंक आम खाएगा।

2. कर्मणि प्रयोग– जिसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। कर्मणि प्रयोग में दो प्रकार की वाक्य रचनाएँ मिलती हैं –

अ) कर्मवाच्य की जिन भूतकालिक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगी होती है।

जैसे – सीता ने पत्र लिखा।

ब) कर्मवाच्य में जहाँ कर्ता के साथ 'से' या 'द्वारा' परसर्ग लगते हैं लेकिन कर्म के साथ 'को' परसर्ग नहीं लगता।


जैसे – हमसे सेव गिने गए।

3. भावे प्रयोग – इसमें क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होते हैं।

जैसे– मुझसे हँसा गया।

कर्ता, क्रिया कर्म वाक्य के प्रमुख अंग हैं। इन तीनों के परस्पर संबंध से ही कोई वाक्य शुद्ध बनता है। कर्ता, क्रिया, कर्म के परस्पर संबंध को ही अन्वय मेल कहते हैं।

“अन्विति अर्थात् अनुगमन अर्थात् आहार”




कर्ता, क्रिया, कर्म वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं। इन तीनों के परस्पर संबंध को ही अन्वय या मेल कहते हैं।

जैसे – मोहन कपड़े धोता है।

धोने वाला मोहन है अतः मोहन 'कर्ता' है, मोहन क्या धोता है ? अर्थात् 'कर्म' कपड़े है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही 'कर्म' है। वाक्य शुद्ध हो इसके लिए इन तीनों के बीच सही संबंध स्थापित होना आवश्यक है।

वाक्य के पदों की परस्पर एकरूपता लिंग, वचन, पुरुष के साथ क्रिया की एकरूपता होनी चाहिए। अन्विति का कार्य यह निश्चित करना है कि वाक्य में क्रिया किसके अनुरूप चल रही है, कर्ता के कर्म के या क्रिया भाव के। प्रत्येक वाक्य के पदों में परस्पर संबंध होता है। क्रिया पद का किसके साथ संबंध है इसे अन्वय कहते हैं।

1. सर्वनाम का अन्वय संज्ञा के साथ
2. विशेषण का अन्वय विशेष्य के साथ
3. कर्ता का अन्वय क्रिया और कर्म के साथ
4. क्रिया का अन्वय कर्ता और कर्म के साथ
5. कर्म का अन्वय क्रिया और कर्ता के साथ



कर्ता और क्रिया के मध्य 2 प्रकार से अन्विति पायी जाती है।

अ) केवल वचन और पुरुष अन्विति—

मैं जाऊ / हम जाए / तू जा / तुम जाओ।

लड़का सुंदर है / लड़के सुंदर हैं।

ब) पुरुष, लिंग और वचन अन्विति—

मैं बाजार जाता हूँ / हम बाजार जाते हैं / तुम बाजार जाते हो।

अन्विति के नियम —

कर्ता और क्रिया अन्विति —

1) यदि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे।

जैसे— राम आता है। बच्चे स्कूल जाते हैं। रीता घर जाती है।

2) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले 'और' संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी।

जैसे— मोहन और सोहन सोते हैं। आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं।

3) यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हो और दोनों द्वन्द्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उसकी क्रिया पूर्लिंग बहुवचन में होगी।

जैसे— नर—नारी गए। राजा—रानी आए। स्त्री—पुरुष मिले।

4) यदि वाक्य में दो भिन्न—भिन्न विभक्ति रहित एकवचन कर्ता हो और दोनों के बीच 'और' संयोजक आए तो उनकी क्रिया पूर्लिंग और बहुवचन में होगी।

जैसे— राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं।

5) यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा।

जैसे— एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियाँ आती हैं। एक बकरी, दो गायें और बहुत—से बैल मैदान में चरते हैं।

6) यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अवयव 'या' अथवा 'वा' रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी।

जैसे— घनश्याम की पाँच दरियाँ या एक कम्बल बिकेगा। हरि का एक कम्बल या पाँच दरियाँ बिकेंगी। मोहन का बैल या सोहन की गायें बिकेंगी।

7) यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए, तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी।

जैसे— वह और हम जाएंगे। हरि, तुम और हम सिनेमा देखने चलेंगे। वह, आप और मैं चलूंगा।

8) यदि कर्ता क्रियार्थक संज्ञा हो तो क्रिया सर्वदा पुलिङ्ग एकवचन अन्य पुरुष होती है।

जैसे — पढ़ना —लिखना अच्छा लगता है।

9) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक 'ने' रहित कर्ता हो, 'और' से जुड़ा हो तो सब कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी।

जैसे — महिलाएँ और लड़कियाँ आम खाती हैं।

10) यदि भिन्न—भिन्न लिंगों की दो या अधिक प्राणी वाचक संज्ञा एकवचन में आए तो क्रिया बहुधा पुलिङ्ग बहुवचन में आती है।

जैसे— माता और पिता भी चले गए।

11) यदि भिन्न—भिन्न लिंग और वचन की एक से अधिक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्ता कारक में आए तो क्रिया के लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होते हैं।

जैसे — महाराज और समूची सभा उसके दोषों को भली—भांति जानती है।

12) यदि अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता हो तो वह एक ही बार आता है और यदि उन क्रियाओं में लगे हुए सहायक क्रिया के रूप समान हो तो वे अंतिम क्रिया के साथ ही लगाए जाते हैं।

जैसे— सुरेश, पत्र लिखता, पान चबाता, नौकर को डाँटता और पैर पटकता था। मोहन गाता—बजाता और नाचता—कूदता भी है।

कर्म या क्रिया अन्विति —

अ) कर्ता 'ने' युक्त होने पर क्रिया कर्म के लिंग, वचन के अनुसार

होती है।

जैसे – राम ने रोटी खाई।

ब) 'ने' युक्त कर्ता होने पर भी यदि कर्म में 'को' लग जाए तो क्रिया सदा पुलिङ्ग एकवचन और अन्य पुरुष में होगी।

जैसे – सुषमा ने नीतू को बाजार जाने से रोका। स्त्रियों ने पुरुषों को ध्यान से देखा।

स) परंतु द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म आने पर क्रिया, कर्म के अनुसार होगी।

जैसे – शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया।

द) यदि कर्म क्रियार्थक संज्ञा के रूप में हो तो क्रिया सर्वदा पुलिङ्ग एकवचन अन्य पुरुष में होगी।

जैसे – मुझे पढ़ना तो अच्छा लगता है पर लिखना नहीं आता।

इ) जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वहाँ यदि एक ही लिंग के अनेक कर्म एक साथ आएँ तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन होगी।

जैसे – मैंने पुस्तक और कापी खरीदी।

फ) यदि वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय युक्त कर्म आएँ और वे 'और' से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी।

जैसे – मैंने मिठाई और पापड़ खाये। उसने आम और रोटी खिलायी।

शून्य अन्विति – शून्य अन्विति को "निरपेक्ष अन्विति" भी कहते हैं। जब कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हो तो क्रिया की अन्विति सदैव "पुलिङ्ग एकवचन" में होती है।

जैसे – राम ने रावण को मारा।

संज्ञा और सर्वनाम अन्विति –

सर्वनाम के लिंग, वचन उसी संज्ञा के समान होते हैं, जिसके बदले वह आता है।

जैसे – जिस धोबिन को आपने बुलाया था, वह आयी है।

संबंध और संबंधी अन्विति–

1. संबंधी के जो लिंग वचन है, संबंध कारक के रूप भी उसी लिंग,

वचन में आते हैं। परंतु यदि संबंधी सविभक्तिक हो तो एकवचन में भी संबंध कारक के रूपों का अंतिम 'आ', 'ए' हो जाता है।

जैसे — मेरी घोड़ी, मेरा घोड़ा आदि।

2. अनेक संबंधी होने पर संबंध कारक के रूप पहले संबंधी के अनुसार होते हैं।

जैसे— उनकी पगड़ी और कोट उठा लाओ।

अतः कहा जा सकता है कि वाक्य में विभिन्न पदों में लिंग, वचन आदि व्याकरणिक कोटियों की दृष्टि से पायी जाने वाली रूपावली अनुरूपता को अन्विति कहते हैं। अन्विति यह संसक्ति की प्रमुख युक्ति है जो संपूर्ण पाठ में दृष्टिगोचर होती है तथा किसी भी पाठ को संसक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डॉ० कविता रस्तोगी के अनुसार — “जब किसी वाक्यीय रचना में प्रयुक्त एकाधिक पद किसी समान व्याकरणिक लक्षण की रूपात्मक अभिव्यक्ति करे तो इस सादृश्य अभिव्यक्ति को अन्विति की संज्ञा देते हैं।”

अन्विति की दृष्टि से हर भाषा की अपनी विशेषता होती है अन्विति में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह शब्दों का एक विशेष क्रम होता है।

पदक्रम

वाक्य द्वारा विवक्षित अर्थ को ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए शब्दों को जो यथा-स्थान रखा जाता है उसे 'क्रम' कहते हैं। जैसे— वह चावल पका रहा है। इस वाक्य में कर्ता आदि यथा-स्थान रखे हुए हैं, इसलिए इस वाक्य का विवक्षित सामान्य अर्थ ठीक प्रकट हो रहा है। यह “वाक्य में शब्दों या पदों को रखने का ढंग है।” यह 'संज्ञा पुलिग' है। इसका अर्थ है चलना, गमन, या डग भरना। इसे “वेद मंत्रों के पदों के पाठ की एक पद्धति” माना जा सकता है। वाक्य के अर्थ तथा पदों के पारस्परिक संबंध को जानने के लिए शब्दों को क्रमानुसार रखना ही पदक्रम कहलाता है।

पदक्रम के नियम

1. सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है।

जैसे— राम फल खाता है।

राम- कर्ता, फल- कर्म और 'खाता है' क्रिया।

वाक्य में पदों का क्रम सही करने के लिए इन तीनों का क्रम में होना आवश्यक है।

2.कर्म, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले आता है। द्विकर्मक क्रिया होने पर पहले 'गौण कर्म' और बाद में 'मुख्य कर्म' आता है।

जैसे- माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें माँ कर्ता, बच्चे 'गौण कर्म' और दूध 'मुख्य कर्म' है।

3.कर्ता का विस्तार कर्ता पद के पूर्व आता है तथा विधेय का विस्तार भी विधेय से पूर्व आता है।

जैसे- भला व्यक्ति सदैव आदरणीय होता है।

उपर्युक्त वाक्य में 'भला व्यक्ति', कर्ता का विस्तार है और 'सदैव आदरणीय होता है', विधेय का विस्तार है।

4.संबंध कारक अपने संबंधित पद से पहले आता है।

जैसे- अनिता की बहन गा रही है।

5.वाक्य में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक एक साथ आने पर इनका क्रम उलट जाता है।

जैसे- नीरज ने बगीचे में लगे पेड़ से अपने लिए आम तोड़े।

इस वाक्य में बगीचे 'अधिकरण' और आम 'कर्म' है।

6.पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है।

जैसे- वह खाकर विद्यालय गया।

7.वाक्य में 'मत' और 'नहीं' का प्रयोग क्रिया से पहले आता है।

जैसे - मैं गाना नहीं गाऊँगा।

8.प्रश्न सूचक शब्द उनसे पहले आता है, जिनके बारे में प्रश्न पुछा गया हो।

जैसे - बाहर कौन आया है ?

9.व्यवसाय सूचक शब्द या पदवी का प्रयोग विशेष्य से पूर्व होता है।

जैसे - दीनानाथ जी ने धर्म की व्याख्या की।

10. विशेषण विशेष्य से पहले और बाद में भी आ सकता है।

जैसे – उमेश ने लाल कोट पहना है।
“विशेष्य से पहले विशेषण” का उदाहरण– उमेश का कोट लाल है।
11. ‘भी’, ‘तो’ आदि पद उन पदों के बाद आता है, जिस पर बल देना होता है।

जैसे – वह भी दिन भर पढ़ता रहा ।



“मुझसे मिलने पर मेरे बारे में नहीं पूछेंगे, बच्चों (जो बड़े हो गए)
से मिलने पर उनके बारे में नहीं पूछेंगे, इन्हें किन अर्थों में
शुभचिंतक कहें ?”

–डॉ. रमेश टण्डन फूलबंधिया

32

राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी

— श्रीमती अलका यतिन्द्र यादव*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

राष्ट्रभाषा

भारत बहुभाषायी राष्ट्र है। भाषा किसी देश की सांस्कृतिक, बौद्धिक आध्यात्मिक मूल्योन्मुखी उपलब्धियों की सबल संवाहिका होती है। हिंदी सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता की परिचायक है।

देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली व्यापक विचार विनिमय का माध्यम होने के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा का

*माता : श्रीमती अम्बिका गोपाल, पिता : श्री नरेन्द्र कुमार गोपाल, पति : श्री यतिन्द्र यादव, जन्मतिथि : 19 जनवरी 1975, जन्मस्थान : कोरबा, कार्य/कार्यक्षेत्र : शैक्षणिक, योग्यता : बी.एस-सी., बी.एड., एम.ए. (हिन्दी), छत्तीसगढ़ी साहित्य में डिप्लोमा, पी.एच-डी. अध्ययनरत्, अभिरूचि : लेखन, सामाजिक कार्य, लेखन कार्य/ प्रकाशन : (1) साहित्य और पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मथुरा वृंदावन, अक्टूबर 2019 (2) मानवीय दृष्टिकोण, समरसता और गाँधी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अहमदाबाद, 2019 (3) वर्तमान दौर में नारी का बदलता स्वरूप, राष्ट्रीय सम्मेलन, खरसिया, 2020 (4) सूचना प्रौद्योगिकी का भारत पर प्रभाव, राष्ट्रीय सम्मेलन, बिलासपुर, 2020, निवास : राजेन्द्रनगर, यादव गली बिलासपुर पिन कोड 495001, मो. नं.- 9098131676, 8319966015, alkayadav2675@gmail.com

दर्जा प्राप्त है। हिन्दी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। हिन्दी आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है। हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों का पार कर विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिन्दी ऐसी ही भाषा है जो सरलता और शीघ्रता से सीखी जा सकती है। संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती।

हमारे देश में हिन्दी के अलावा अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं किन्तु संविधान 343(i) अनुच्छेद में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति देते हुए महिमा मण्डित किया गया है। अब प्रश्न ये है कि क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि राष्ट्र किसे कहा जाए? जो भाषा किसी राष्ट्र में सर्वाधिक नागरिकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। सरल, लचीली, राष्ट्रीय आन्दोलनों की सहभागिता। एवं सामाजिक विकास में संलिप्त हो तथा अन्य भाषाओं के आवश्यक शब्दों को सहज स्वीकारने वाली हो, उसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर सादर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।

19वीं शताब्दी के सुधारकों के समक्ष यह प्रश्न उठा कि नवीन भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, तब सभी इस निर्णय पर पहुँचे कि नवीन भारत की राष्ट्रभाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है। राष्ट्र के समाज सुधारक एवं सभी अराधक ने भी अंततः प्रान्तीय संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की तब उन्होंने सदैव यह अनुभव किया कि अतः प्रान्तीय संपर्क भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है और अंततः वे इस निर्णय पर पहुँचते रहे कि वह भारतीय भाषा हिन्दी ही हो सकती है। ब्रम्ह समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्रसेन का लेख 1875 के सुलभ समाचार में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया “अभी भारत में कितनी ही भाषाएँ प्रचलित हैं उनमें से हिन्दी भाषा ही सर्वग प्रचलित है। इसी हिन्दी को भारत वर्ष की एकमात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज ही में यह एकता स्थापित हो सकती है।”

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा “यदि सब भारतीय लोग एक होना चाहते हैं और एक सामान्य संस्कृति का विकास करना चाहते हैं तो उनको हिन्दी भाषा के ही सामान्य जन की भाषा सरकारी कामकाज में बनाना होगा।”

इन्ही तथ्यों के आलोक में राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्त ने कहा होगा –

मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती ।

भगवान भारत वर्ष में गूँजे हमारी भारती ।

भारत के प्रमुख आन्दोलन जैसे भक्ति आन्दोलन, स्वतंत्रता आन्दोलन आदि हिन्दी की जनप्रियता एवं उसके दम पर ही सफल हुए। मीरा बाई ने राजस्थान में, नरसी मेहता ने गुजरात में, गुरुनानक देव ने पंजाब में भक्ति की जो धारा बहाई वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा सिद्ध करती है।

इसी प्रकार महात्मा गांधी ने हिन्दी को देशव्यापी भाषा माना और स्वतंत्रता आन्दोलन की भाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्रता संग्राम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने नव जागरण आन्दोलन में देश की एकता के लिए हिन्दी को आवश्यक बताया अस्तु स्वतंत्रता आन्दोलन की भाषा हिन्दी रही। इस दृष्टि से भी हिन्दी राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है। भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है ताकि वह विद्वानों से लेकर अनपढ़ तक की भाषा बन सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उन महापुरुषों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किया, जिसकी मातृभाषा हिन्दी न होकर बंगाली, गुजराती, मराठी या कोई और भाषा थी। भाषा के विचार से अगर गौर किया जाये तो हम पाएँगे कि हिन्दी विश्लेषणात्मक भाषा है। व्याकरणिक दृष्टि से यह सरल है। इसके बोलने और समझने वालों की संख्या बहुतायत है। इसलिए देश के भिन्न-भिन्न भागों के साथ संपर्क स्थापित होने से स्वतः इसका प्रसार बढ़ता रहा। वर्तमान समय में समाचार, व्याख्यान, सभा, चर्चा आदि के कारण इसका प्रचार हुआ।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार “राष्ट्रभाषा ही प्रगति का अविरल प्रवाह है जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करता वरन् राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी दसो-दिशाओं में प्रसारित करता है।” तात्पर्य है कि किसी देश के अधिकांश व्यक्ति समझ सकें और राष्ट्र के विभिन्न भागों में एकीकरण में सक्षम व समर्थ हो सकें।

लोकमान्य तिलक जी ने अपने चतुर्मुखी कार्यक्रम का एक सूत्र स्वभाषा शिक्षा अर्थात् हिन्दी शिक्षा को आवश्यक माना। राजगोपालाचारी जो मद्रास के मुख्य योगी थे, उन्होंने मद्रास प्रान्त के सभी विद्यालयों में हिन्दी

शिक्षण अनिवार्य कर दिया। इससे स्पष्ट हो जाता कि स्वाधिकता आन्दोलन के दौरान हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में बड़ी तेजी से विकास हुआ। सन् 1947 तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप से प्रतिष्ठा पा चुकी थी।

राष्ट्रभाषा की गरिमा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

- उसका व्याकरण सरल हो।
- उसका शब्द भंडार तथा विचार क्षेत्र व्यापक हो।
- उसका साहित्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विस्तृत एवं उच्च कोटि का हो।
- उसके आवश्यकतानुसार देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति हो।
- उसके साहित्य में राष्ट्रीय संस्कृति की झलक हो।
- उसमें भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता हो।
- उसकी लिपि सरल हो।
- यह राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती हो।

हिन्दी भाषा लोक-व्यवहार की परिधि को पार कर, प्रदेशों और राज्यों की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। यहाँ अंत में पुरुषोत्तम दास टंडन के कथन को प्रस्तुत करना चाहूंगी "हिन्दी ही ऐसी भाषा है, जिसमें सारे देश की भाषाओं का समन्वय है और राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है।"

राजभाषा

प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है – राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने की सुविधा हो। राजभाषा से दो अर्थ लिए जा सकते हैं (1) राजा की भाषा (2) राज्य की भाषा। राजभाषा को संघभाषा भी कहते हैं।

वर्तमान भारतीय संदर्भ में हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है। राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए देश के स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 26 जनवरी सन् 1950 को नए संविधान की स्वीकृति के साथ हिन्दी को भारत देश की राजभाषा घोषित किया गया।

राष्ट्रभाषा से राजभाषा की इस लंबी यात्रा में उसे विभिन्न संबोधनों—भारवा, हिन्दवी गुजरी, उच्च हिन्दी, नागरी हिन्दी आर्य भाषा, शास्त्री तथा हिन्दुस्तानी आदि से गुजरना पड़ा।

सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः चार क्षेत्रों में किया जाता है। शासन, विधान, न्यायपालिका एवं विधान पालिका।

मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी थी, परंतु यह बोलचाल की भाषा नहीं थी, इसलिए उस समय भी कश्मीर, बिहार, मध्य भारत आदि में हिन्दी सह—राजभाषा के रूप में विकसित हो रही थी। बहुत कुछ प्रशासनिक भाषा मुगलों की देन है। औरंगजेब के शासन के समय हिन्दी की विविध शैलियाँ प्रयुक्त होने लगी थी। मराठा प्रशासन के काल तक हिन्दी का प्रयोग व्यापक हो चुका था। मराठा काल में मराठा से हिन्दी अनुवाद परंपरा भी दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में पत्राचार का माध्यम हिन्दी था।

सन् 1947 में जब भारत विदेशी साम्राज्य बंधन से मुक्त हो लोकतंत्र के रूप में रूप प्रतिष्ठित हुआ, तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा पृथक रूप से परिभाषित की गई। हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने के साथ—साथ राजभाषा के रूप में भी स्वीकारा गया है, पर इनमें सैद्धांतिक भिन्नता है। दोनों के स्वरूप में अंतर है जो निम्न है —

राष्ट्रभाषा में संपूर्ण देश की जनता का चिंतन, उसकी संस्कृति, विश्वास, धर्म, सामाजिक अवधारणाएँ, लौकिक—अध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, लोकनीति संबंधी विचार राष्ट्रभाषा के माध्यम से होते हैं, पर राजभाषा वैधानिक अवधारणा से आवृत्त राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त जहाँ—जहाँ भी राजभाषा शब्द का उल्लेख संघ की राजभाषा या राज्यों की राजभाषाओं के संदर्भों में हुआ है और उसके अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन प्रशासकीय प्रयोजन बताया गया है। तात्पर्य यह है कि संविधान में राजभाषा राज्य का प्रयोग एक सीमित अर्थ में प्रशासकीय प्रयोजन के लिए हुआ है। अनुच्छेद 351 में हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए और जोर दिया गया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो।

राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से

हम निश्चय ही और भी एक दूसरे के निकट आएंगे।

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान

- (क) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-5, अनुच्छेद 120)
- (ख) विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-6, अनुच्छेद 120(1))
- (ग) संघ की राजभाषा (भाग-17, अनुच्छेद 343(1))
- (घ) विधि-निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-17, अनुच्छेद 348)

संपर्क भाषा

संपर्क भाषा को सेतु-भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। सामान्यतः सभी देशों की अपनी मातृभाषा होती है लेकिन संपर्क भाषा में हम ऐसे दो व्यक्तियों का वर्णन करेंगे जिन दोनों की मातृभाषा अलग-अलग है। अतः उन दोनों के बीच में जिस भाषा से संपर्क होगा उसे हम संपर्क भाषा कहेंगे। उदाहरणार्थ अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है संपर्क भाषा का महत्व बहुभाषिक देशों में ज्यादा होता है। जिस किसी देश में बहुभाषिक संस्कृति होती है वहाँ संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता होती है। यदा कदा ऐसा भी होता है कि किसी देश में एकाधिक भाषाओं को भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में हिन्दी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सम्पर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। संपर्क भाषा जनसमाज की जरूरत की भाषा होती है।

हिन्दी के संपर्क भाषा बनने के सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी थे। अखिल भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परिदृश्य में भी हिन्दी भाषा को संपर्क भाषा बनाया। फकीरों, संतो के माध्यम से दक्षिण क्षेत्रों में हिन्दी का प्रसार हुआ। हिन्दी लंबे समय से देश के विभिन्न कवियों एवं रचनाकारों को प्रभावित एवं अपनी ओर आकृष्ट करती रही। हिन्दी के अखिल भारतीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हुआ।

हिन्दी सीखने में बहुत सरल है इसलिए यह लंबे समय से भारत में संपर्क भाषा का काम करती रही है। भारतीय भाषा होने के कारण हिन्दी शैक्षिक क्षेत्र में संपर्क का अधिक उपयोगी माध्यम हो सकती है। इस प्रकार हिन्दी को प्रशासनिक क्षेत्र में संपर्क की भाषा के रूप में अपनाने के उद्देश्य से इसे संघ की राजभाषा बनाया गया है।

भारत की अनेक भाषाएँ साहित्यिक परंपरा से समृद्ध हैं, फिर भी हिन्दी ही भारत की संपर्क भाषा है। इसके निम्न कारण हैं।

हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भारतीय भाषा है, जिसके बोलने वालों की संख्या भारत के बाहर भी है। भारत के एक बड़े भू-भाग में इस भाषा का सर्वाधिक विस्तार है।

हिन्दी राजनीतिक कारणों से भी संपर्क भाषा बनी। अफगानिस्तान एवं तुर्की से आए मुस्लिम विजेता भारत में आ बसे। इसलिए हिन्दी भाषा देश भर में प्रसारित हुई। हिन्दी का प्रचलन महाराष्ट्र में भी काफी हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा थी, पर कचहरी में हिन्दुस्तानी का प्रयोग होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी प्रशासनिक संपर्क भी भाषा बन गई। हिन्दी का अखिल भारतीय स्तरों पर विकास होने लगा।



“मेरे बच्चों के कार्यों से मेरा मूल्यांकन न करें, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व पृथक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, भेड़-बकरी नहीं।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबांधिया

33

मातृभाषा, माध्यमभाषा, संचारभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति

— श्रीमती अलका यतिन्द्र यादव*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

संपूर्ण जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य को सम्पूर्ण जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है अपितु ध्वनियों, शब्दों बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुँची है। भाषा को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाषा भावों विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन है।

*माता : श्रीमती अम्बिका गोपाल, पिता : श्री नरेन्द्र कुमार गोपाल, पति : श्री यतिन्द्र यादव, जन्मतिथि : 19 जनवरी 1975, जन्मस्थान : कोरबा, कार्य/कार्यक्षेत्र : शैक्षणिक, योग्यता : बी.एस-सी., बी.एड., एम.ए. (हिन्दी), छत्तीसगढ़ी साहित्य में डिप्लोमा, पी.एच-डी. अध्ययनरत्, अभिरुचि : लेखन, सामाजिक कार्य, लेखन कार्य/ प्रकाशन : (1) साहित्य और पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मथुरा वृंदावन, अक्टूबर 2019 (2) मानवीय दृष्टिकोण, समरसता और गाँधी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अहमदाबाद, 2019 (3) वर्तमान दौर में नारी का बदलता स्वरूप, राष्ट्रीय सम्मेलन, खरसिया, 2020 (4) सूचना प्रौद्योगिकी का भारत पर प्रभाव, राष्ट्रीय सम्मेलन, बिलासपुर, 2020, निवास : राजेन्द्रनगर, यादव गली बिलासपुर पिन कोड 495001 'मो. नं.- 9098131676, 8319966015, alkayadav2675@gmail.com

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 320

“भाषा वह साधन तथा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं का अभिव्यक्ति करता है”

सम्पूर्ण जगत में मनुष्य मात्र को वाणी का वरदान प्राप्त है, यह अन्य जीवों में नहीं। इसका संचालन मस्तिष्क के विशेष केन्द्र से होता है। इसलिए मस्तिष्क के आघात से मनुष्य अपनी वाणी को खो देता है। शब्दों के उच्चारण में अपने आप को असहाय पाता है।

सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार – “भाषा के आविर्भाव से समस्त भाव मण्डल गुँगों की विराट नगरी बनने से बच गया और इसी के परिणामस्वरूप जीवमण्डल में सर्वोत्तम स्थान पाया है।

सामान्यतः हिन्दी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिन्दी की आदि जननी संस्कृत है। “हिन्दी” विश्व की लगभग 3,000 भाषाओं में से एक है। आकृति एवं रूप के आधार पर हिन्दी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिन्दी भारोपीय परिवार की भाषा है।

भारत में हिन्दी बोलने वाला को प्रतिशत लगभग 73% है।

हिन्दी का विकास क्रम:—

संस्कृत पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → प्राचीन प्रारंभिक हिन्दी भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में विभक्त किया गया है।

नाम	प्रयोग काल	उदाहरण
(1) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा	1500 ई.पू. 500 ई. पू.	वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत
(2) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा	500 ई.पू. 1000 ई.	पालि, प्राकृत, अपभ्रंश
(3) आधुनिक भारतीय आर्यभाषा	1000 ई. अबतक	हिन्दी और हिन्दीतर भाषाएँ बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी

भाषा से तात्पर्य

भाषा शब्द “भाष” धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना भाषा वाक्र प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति है।

Language may be defined as the expression of thought by means of speech sounds.

(Henry Sweet)

“भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है।”

(पंडित कामता प्रसाद गुरु)

“ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

(डॉ. पी.डी.गुणे)

“अर्थवान कण्ठ से निःसृत ध्वनि समष्टि ही भाषा है।” (सुकुमार सेन)

इस प्रकार मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिस सार्थक और मौखिक साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है।

मातृभाषा

मातृ शब्द का अर्थ माता है – भारत में माता जननी भी है तो हमारी धरती की जिसमें हम जन्म लेते हैं – मातृभाषा का अर्थ यह हुआ कि उस स्थान की भाषा जहाँ हमने जन्म लिया हो या अपने घर में जिस भाषा का प्रयोग होता हो वह मातृभाषा ही है। भिन्न-भिन्न प्रांतों एवं भिन्न-भिन्न देशों की भाषाएँ अलग-अलग होती हैं एवं वहाँ प्रयुक्त भाषा ही उस देश की मातृभाषा हैं।

उदाहरणार्थ :- महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी इन प्रदेशों की मातृभाषा है। अतः मातृभाषा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, विदेशों में रहने वालों की मातृभाषा उन देशों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएँ हैं। अर्थात् मातृभाषा वह भाषा है – जिसका प्रयोग वहाँ के रहने वालों द्वारा किया जाता है या जो भाषा घर के रहने वालों सदस्यों द्वारा प्रयुक्त होती है, हमारी मातृभाषा है।

माध्यम भाषा

माध्यम भाषा (Medium Language) का तात्पर्य है – वह भाषा जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान के विविध क्षेत्रों की सूचनाएँ प्रदान की जाती है। भारत में अंग्रेजी ढंग से जो स्कूल-कॉलेज खोले गये उनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही था।

महात्मा गांधी ने मातृभाषा के साथ-साथ हिन्दी के महत्त्व को

पहचाना। व्यक्ति को जिस माध्यम से शिक्षा दी जाती है, वह उसके व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में सहायता पहुँचाता है। माध्यम भाषा ही आज हिन्दी माध्यम से प्रायः अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अतः ज्ञान के नवीन क्षेत्रों में भी हिन्दी समर्थ बनकर उभरी है। निश्चय ही माध्यम भाषा के रूप में हिन्दी की सामर्थ्य पर आज कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। विदेशों में वहाँ की भाषा ही शिक्षा का माध्यम है, जैसे – जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा शिक्षा का माध्यम है। अतः ये सभी माध्यम भाषाएँ हुईं।

संचार भाषा

संचार का अर्थ है— एक सूचना को दूसरों तक पहुँचाना। इसके लिए अंग्रेजी में कम्यूनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है।

संचार के लक्षण

- (1) संचार एक अर्थ पूर्ण संदेश है।
- (2) संचार के माध्यम से वैचारिक आदान-प्रदान होता है।
- (3) सूचना संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है।

संचार, मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। शिशु जन्म लेते ही सर्वप्रथम संचार के जरिये ही अपनी संवेदना प्रकट करता है। बच्चा रोकर चिकित्सक को अपने स्वस्थ होने का अहसास कराता है। यह उसकी भाषा होती है। शिशु जब विकसित होता है तो मंद-मंद मुस्कुराना आरम्भ करता है। यह मुस्कान भी उसकी संवेदनाओं का संप्रेषण है। दरअसल “भाषा” संचार का एक उपकरण है। यह भाषा विभिन्न रूपों में हो सकती है। किन्तु इसके अलावा भी संचार के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे— ध्वनि के जरिये, चित्र के जरिये, इशारों के जरिये, संकेतों के जरिये, कूट भाषा आदि। संचार भाषा में मनुष्य की मुख्य इन्द्रियों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

टेलीफोन, सिनेमा, स्लाइड आदि उपकरण अब पुराने दौर की वस्तुएँ हो चुकी हैं। अब तो इन्टरनेट, वेबसाइट, एस.एम.एस. जैसी आधुनिक तीव्रगामी संचार सुविधायें उपलब्ध हो चुकी हैं जिसे सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार बना दिया है। आज संदेश को हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने

के लिए कुछ सेकेण्डों का समय लगता है। इससे न केवल जनसंचार की प्रक्रिया विशिष्ट हुई है बल्कि उसे गति मिली है। विज्ञान ने जन संचार को अत्यन्त सरल और सुगम बना दिया है। प्राचीन युग में जहाँ नेत्रहीन पढ़ नहीं सकते थे, वही आज ब्रेल-लिपि के जरिये नेत्रहीन शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और समाज के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बधिर लोगों के लिए विकसित किये गये यंत्र के जरिये उन तक संदेश को पहुँचाया जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक स्पर्श तकनीक के जरिये नेत्रहीनों को शिक्षा प्रदान करने के अनुसंधानों में भी सफल हुए हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दूरसंचार यंत्रों, टेलीफोन, सेलफोन, इंटरनेट उपग्रह, वायरलेस आदि ने संचार की नई तीव्रगामी तकनीक की है, वही दूसरी ओर विज्ञान ने निशक्तजनों को भी संचार की भाषा से अवगत कराया है।

संवैधानिक स्थिति:—

राजभाषा — हिन्दी

राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है— शासन एवं प्रशासन की भाषा, जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है।

भारत के संविधान में हिन्दी भाषा को 14 सितम्बर 1949 ई. को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है किन्तु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केन्द्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिन्दी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती।

सामान्यतः सरकारी कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। आज व्यावहारिक दृष्टि से देश के अधिकांश कार्यालयों में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में अधिक होता है। अतः हिन्दी भले ही संविधान में घोषित भारत की राजभाषा हो, किन्तु व्यावहारिक रूप में यह गौरव

अंग्रेजी को ही प्राप्त है। केन्द्र की राजभाषा को "संघ भाषा" भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से चार क्षेत्रों— शासन, विधान, न्यायपालिका और विधानमण्डलों में होता है।

संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद-120, अनुच्छेद-210 एवं भाषा-विषयक एक पृथक भाग, भाग-17 (राजभाषा) के अनुच्छेद-343 से 351 तक एवं 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं।

संविधान के ये भाषा-विषयक उपबंध हिन्दी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

(1) अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसद का कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

(2) अनुच्छेद 210 : राज्य विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने-अपने राज्य की राजभाषा में या हिन्दी/अंग्रेजी में किया जाएगा।

(अध्याय-1 संघ की भाषा)

(1) अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और देवनागरी होगी।

(2) अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) अनुच्छेद 344 : राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से सम्बन्धित है।

अध्याय-2 (प्रादेशिक भाषाएँ)

(1) अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ (प्रादेशिक भाषा/भाषाएँ, हिन्दी : ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी)

(2) अनुच्छेद 346 : दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा।

(3) अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

अध्याय-3 (SC, HC आदि की भाषा)

(1) अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और

विधान मण्डलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

(2) अनुच्छेद 349 : में भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है।

अध्याय—4 विशेष निर्देश

अनुच्छेद 350 (1) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ।

(2) भाषायी अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति (राष्ट्रपति द्वारा)।

(3) जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख है।

अनुच्छेद 351: हिन्दी के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

(1) अनुच्छेद—351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख है जिनका निर्वहन हिन्दी के प्रचार—प्रसार हेतु उसे करना है।

(2) सरकारी प्रयोजनों हेतु हिन्दी भाषा का आदेश 1955 जारी किया है जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ—साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है।

(i) जनता के साथ पत्र—व्यवहार के लिए।

(ii) प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र—व्यवहार के लिए।

(iii) संधियों एवं ऋणों के लिए।

8वीं अनुसूची

भाषाएँ — 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है।

1950 ई. के बाद हिन्दी की संवैधानिक प्रगति हुई।

1987 में राजभाषा अधिनियम।

स्पष्ट है कि संविधान में हिन्दी को यह स्थान दिया गया है कि जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए किन्तु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है।

निष्कर्ष—

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। यह भारत के 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली-समझी जाती है और भारत के बहुत बड़े भू-भाग की भाषा है तथा संविधान के 17वें खण्ड के अध्याय-1 की धारा 343(1) में हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भारत सरकार के गृह-मंत्रालय का है, जिसमें 1976 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। इसके विभाग का प्रमुख राजभाषा सचिव होता है।



“मनुष्य मृत्यु तक अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, तब समाज यह क्यों चाहता है कि लगभग 30 वर्ष की अवस्था के बाद हम अपना निर्माण न करके अपनी संतान के निर्माण में पूरी तरह लग जाएँ।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबंदिया

34

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण

— श्रीमती किरण शर्मा*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है, जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएँ लिखी जाती हैं। यह भाषा बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खिंची होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। इस लिपि का विकास ब्राम्ही लिपि से हुआ है। इसका विकास दसवीं शताब्दी पचास से माना जाता है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जो प्रचलित लिपियों जैसे रोमन, अरबी, चीनी आदि

*जन्म : 14 नवम्बर 1967, माता : श्रीमती प्रभा तिवारी, पिता : श्री एल के तिवारी, पति : श्री एल पी शर्मा (दूरसंचार विभाग), शिक्षा : बी. एस-सी., बी. एड. , एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र), संगीत में विशारद (गायन), पेंटिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा, प्रकाशन : दुलारा नन्हा आकाश, अंगना के गोठ, संगवारी, दैनिक भास्कर में कविता, कहानी, छत्तीसगढ़ी लेख आदि प्रकाशित, सम्मान : काव्य कलश कालीदास सम्मान, कवि कुलाचार्य सम्मान, क्रांतिकारी छात्र परिषद सम्मान, काव्य शिरोमणी तुलसीदास सम्मान, अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी छ.ग. राज्य इकाई द्वारा प्राईड ऑफ नेशनल अवार्ड 2013, नगरपालिका निगम कोरबा द्वारा भारत महोत्सव 2013 में कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान, सम्प्रति : शिक्षक (खरसिया), आवासीय पता : गोविंद कॉलोनी, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496661, मो0 नं0 : 9425573441, 7987626351

में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम 1028 ई०, भीमदेव द्वितीय 1200 ई० तथा उदयवर्मन 1200 ई० के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिन्दी के नजदीक आ गई है। डॉ० कपिलदेव जी ने देवनागरी लिपि का प्रारम्भ काल 1000 से 1200 ई० माना है। संस्कृत, पाली, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोंगरी, खस, नेपाली भाषाएँ, तामाङ, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मौथिली, संथाली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएँ और स्थानीय बोलियाँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, रोमानी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह दक्षिण एशिया की 170 से अधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है अर्थात् भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द को ज्यों का त्यों लिख कर 'हू ब हू उच्चारण किया जा सकता है, जो रोमन या अन्य लिपियों में संभव नहीं है।

देवनागरी की प्राचीन लिपि ब्राम्ही का प्रयोग 5 वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ई० तक होता रहा। इसके बाद इसका विकास दो शैलियों में हुआ— 1. उत्तर शैली, 2. दक्षिण शैली।

उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो आठवीं सदी तक प्रयुक्त हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका नाम नंदिनागरी है। नागरी नाम को लेकर विद्वानों में काफी विवाद है। गुजरात के नागर ब्राम्हणों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण नागरी लिपि कहलायी। कुछ के अनुसार ललित विस्तर में उल्लेखित 'नाग लिपि' होने के कारण नागरी नाम पड़ा। तांत्रिक चिन्ह देवनागर से साम्य होने के कारण इसे देवनागरी भी कहा गया। एक अन्य मत के अनुसार, मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर थी, जिसमें चतुर्भुज आकृतियाँ होती थीं। दो अन्य शैलियों— द्रविड़, अष्टभुजी तथा बेसर जिसे वृत्ताकार कहते हैं तथा चतुर्भुज अक्षरों प, म, भ, ग आदि के कारण इसे नागरी कहा गया।

इस लिपि को देवनागरी, प्रायः नागरी, नागर, लोकनागरी तथा हिन्दी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि के प्रारंभिक स्वरूप का उद्भव आठवीं—नवीं शताब्दी के बीच कुटिल लिपि से हुआ है। यह जन्म के साथ ही उत्तर से दक्षिण में फैल गयी। उत्तरी भारत में दसवीं शताब्दी के पूर्व कोई भी

अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दक्षिण में आठवीं शताब्दी में अभिलेख प्राप्त हुआ है। द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, गुजरात के नरेश जयभट्ट के काल में लगभग 700–800 ई० के आसपास एक शिलालेख में मिलता है। 785 ई० के राष्ट्रकुट राजा दन्ति दुर्ग के सामगढ़ ताम्रपत्र में देवनागरी लिपि अंकित है। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकुट नरेशों में भी यह लिपि प्रचलित थी। नवीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने राज्य में इसी लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर राज्य और कोंकड़ में इसी लिपि का प्रचार था। शिलाहार वंश के गंडरादित्य के उत्कीर्ण लेख की लिपि देवनागरी ही है। चोल राजा राजेन्द्र के सिक्के मिले हैं, जिनमें देवनागरी लिपि अंकित है। राष्ट्रकुट राजा इंद्रराज जो दसवीं शती के हैं, के काल में भी देवनागरी लिपि मिली है। अठारह सौ बयानबे ई० और नौ सौ सात ई० में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का दानपत्र भी देवनागरी लिपि में है। कर्निघम की प्राचीन पुस्तकों में सबसे प्राचीन मुसलमानी सिक्कों के रूप में महमूद गजनवी द्वारा चलाये गये चांदी के सिक्के का वर्णन है। मुहम्मद विनसाम के सिक्कों में लक्ष्मी की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि का व्यवहार हुआ है। शमशुद्दीन ईल्तुतमिश 1210–1235 के सिक्कों पर भी देवनागरी लिपि है। सानुद्दीन फिरोजशह प्रथम, जलालुद्दीन, रजिया बहराम शाह, अलालुद्दीन मरूरदशाह, नसीरुद्दीन महमुद मुईजुद्दीन कैकूबाद जलालुद्दीन, अकबर के सिक्को पर भी देवनागरी लिपि में राम-शिया का नाम अंकित है। गयासुद्दीन तुगलक, शेरशह सुरी, इस्लाम शाह, मुहम्मद आदिलशाह, गयासुद्दीन अब्ज, गयासुद्दीन सानी आदि ने भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास दक्षिण में हुआ है और बाद में यही लिपि उत्तर में आयी। डॉ० सक्सेना यह भी मानते हैं कि यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित रही है। कई प्रान्तों में हस्तलिखित लेख, ताम्रपत्र शिलालेख, कई महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में देवनागरी लिपि ही मिलती है।

ईसा की आठवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि, मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्यप्रदेश के हैहय वंशी राजा राठौर और कलचुरी नरेश, कनौज के गहड़वाल और सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही।

देवनागरी लिपि पर महापुरुषों के विचार—

1. आचार्य विनोबा भावे के अनुसार— हिंदुस्तान की एकता के लिए हिन्दी भाषा जितना काम देगी, उससे ज्यादा काम देवनागरी लिपि दे सकती है।

2. देवनागरी, किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। (मोहन लाल विद्यार्थी— इंडियन कल्चर थ्रो द एजेस, पेज 61)

3. जान क्राईस्ट— उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी।

4. सर विलियम जोन्स— मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है।

देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। इसमें अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत वैज्ञानिक है। स्वर—व्यंजन, कोमल—कठोर, अल्पप्राण—महाप्राण, अनुनासिक्य—अंतस्थ—ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिकता लिए हुए है। माना जाता है कि यह भाषा वेदों की भाषा है। काशी, जिसे पूर्व में देव नगर कहते थे, के नाम से देवनागरी भाषा पड़ी। भारतीय अंको को वैज्ञानिकता के कारण विश्व ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना, विचारों का लिखना या लिपना ही लिपि कहलाती है। हिन्दी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरु मुखी और उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है। हिन्दी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों में ग्यारह स्वर व इकतालीस व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है, उसे मात्रा कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः।

मात्राएँ— ा, ि, िी, उ, ू, ै, ैः, ः, - च, चा, चि, ची, चु, चू, चे, चै, चौ, चौ, चं, चः।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक या जिसे सिलेबिक लिपि मानते हैं। लिपि के विकास सोपानों की दृष्टि से चित्रात्मक, भावात्मक और भावचित्रात्मक, अनंतर 'अक्षरात्मक' स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषाविज्ञानिकों के

मत से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद अल्फाबेटिक जिसे वर्णात्मक कहते हैं, का विकास हुआ। इसे सबसे विकसित अवस्था मानी जाती है। ध्वन्यात्मक को फोनेटिक लिपि भी कहते हैं। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वर्ण अक्षर, सिलेबल है। स्वर व व्यंजन दोनो ही सस्वर हैं। जैसे— 'क', 'ख' को लें तो ये व्यंजन सस्वर हैं, आकारयुक्त हैं, ये सस्वर अक्षर हैं, क्योंकि क् + अ = क, ख् + अ = ख।

आरम्भ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं थी और अ, घ, म, य और स के सिर दो भागों में विभक्त थे। दसवीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से पृथक थे, धीरे-धीरे इसे सुंदर बनाने का प्रयास होता रहा और आखिर में यह चौदहवीं शताब्दी में आकर स्थिर हो गया। इसकी विकास गाथा बहुत लंबी है। इसमें से कुछ विशिष्ट महत्व के हैं—

1. फारसी के प्रभाव से नुक्ते या बिन्दु का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, जिससे जिह्वामूलक ध्वनियाँ— क, ग, ज़ आदि रूप में लिखी जाती है।

2. मराठी के प्रभाव के कारण पूर्व प्रचलित अ (प्र में एक और), नये अ के रूप में आ चुका है।

3. कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरेखा के बिना लिखते हैं, यह गुजराती प्रभाव माना जा सकता है।

4. डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार बंगाली लिपि ने भी देवनागरी लिपि को प्रभावित किया है, क्योंकि बांगला के अधिकांश वर्ण गोल होते हैं और देवनागरी के अधिकांश वर्ण चौकोर होते हैं। अब देवनागरी लिपि में कई वर्ण गोल लिखने लगे हैं।

5. अंग्रेजी के प्रभाव की भी चर्चा हमारे विद्वानों ने की है। इसके प्रभाव से अल्पविराम, अर्द्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आदि का विकास हुआ। साथ ही अंग्रेजी की कतिपय ध्वनियों को अंकित करने के लिए भी प्रयास हुआ, जैसे— कॉलेज, डॉक्टर में ओ (o) के लिए ऑ का प्रयोग। अब तो पूर्ण विराम के लिए डॉट (.) का प्रयोग होने लगा है। अंको के विभाजन भी उनमें प्रयुक्त होने वाली रेखाओं के अनुसार होती है, जैसे— एक— 1, दो— 2, तीन— 3....आदि। एक अनपढ़ व्यक्ति रेखाओं के द्वारा अंको की गणना करता था और वही गिनती के स्वरूप में

बदला। पहले शून्य नहीं था, पर इसके आने से गणना के क्षेत्र में काफी विकास हुआ।

मानक भाषा

मानक का अर्थ होता है— आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। किसी भाषा के शुद्ध, प्रामाणिक, आदर्श, परिनिष्ठित एवं सर्वमान्य रूप को मानक भाषा कहते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ० नरेश मिश्र के अनुसार, किसी भी भाषा का व्याकरणसम्मत वह आदर्श और परिनिष्ठित रूप जो उस भाषा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए बोधगम्य हो और जिसका प्रयोग वहाँ के शैक्षणिक, साहित्यिक, प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक आदि कार्यों में किया जाए, मानक भाषा कहलाती है।

मानक भाषा के तत्त्व— 1. ऐतिहासिकता, 2. मानकीकरण, 3. जीवत्ता, 4. स्वायत्ता।

मानक भाषा के लक्षण— 1. सर्वमान्य, 2. व्याकरण सम्मत, 3. मानक शब्दों का प्रयोग, 4. निरंतर विकास, 5. नए शब्दों का निर्माण, 6. सुदृढ़ ढांचा, 7. परिनिष्ठित।

मानकता क्या है ?

किसी भी भाषा की सर्वमान्यता, स्पष्टता, पठन—पाठन एवं लेखन, मुद्रण, टंकण की सुगमता ही उसे मानकता का रूप प्रदान करती है। किसी भी भाषा को मानकता प्राप्त करने हेतु एक निश्चित दिशा में दीर्घ काल तक गतिमान रहना पड़ता है। भाषा परिवर्तन के कारण उसमें स्वाभाविक रूप से विविधता आती है और भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण सम्मत और परिनिष्ठित बनाए रखना ही मानकता कहलाती है।

मानकीकरण

मानकीकरण की प्रक्रिया धीरे—धीरे गतिशील रहते हुए दीर्घकाल तक चलती है। किसी भी भाषा के विभिन्न स्तरों पर भिन्नता को दूर करते हुए मानकीकरण आवश्यक होता है। भाषा को शुद्ध एवं परिनिष्ठित रूप देना एवं बोधगम्यता हेतु उसे परिवर्तन से नियंत्रित रखना ही मानकीकरण कहलाता है। किसी भी भाषा का बोल—चाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना ही मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण के प्रमुख तीन सोपान होते हैं— 1. बोली, 2. भाषा, 3. मानक भाषा। जब किसी भाषा का

प्रयोग विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्तर के लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसमें अंतर आना स्वाभाविक हो जाता है। यह अंतर कालांतर में एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। इससे भाषा की बोधगम्यता पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सरल, सहज व सभी के लिए सीखने, समझने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तथा सभी जगह भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए भाषा एवं लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। मानकीकरण का अर्थ होता है, किसी भी भाषा का एक विशिष्ट स्तर का स्वरूप निर्धारण करना, जो एक आदर्श हो, सभी के लिए स्वीकार्य हो, निम्न स्तर और उच्च स्तर के औसत बिन्दु को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। मानकीकरण के दो उद्देश्य – 1. एकरूपता, 2. सरलीकरण।

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण:—

भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राज्यभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना अति आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकता रहे, अतः केंद्रीय हिन्दी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात् हिन्दी वर्णमाला तथा अंको का जो मानक रूप तैयार किया, वह निम्नानुसार है।

मानक हिन्दी वर्णमाला—

स्वर— अ आ इ ई उ उ ऋ ए ऐ ओ औ ।

मात्राएँ— ा ि ि ु ू े े ो ौ ः ।

अनुस्वार— अं

विसर्ग— अः

अनुनासिकता चिन्ह— ँ

हल् चिन्ह— ऌ

व्यंजन (स्पर्श व्यंजन) — क ख ग घ ङ (कण्ठ्य)

च छ ज झ ञ (तालव्य)

ट ठ ड ढ ण (मूर्द्धन्य)

त थ द ध न (दन्त्य)

प फ ब भ म (ओष्ठ्य)

अन्तस्थ व्यंजन—

य र ल व
भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा // 334

ऊष्म व्यंजन— श ष स ह

संयुक्त व्यंजन— क्ष त्र ज्ञ श्र

द्विगुण व्यंजन— ड ढ

देवनागरी अंक (भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप)—

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

संविधान के अनुच्छेद 343-1 के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंको का रूप भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी प्रयोजन के लिए भारतीय अंको के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी भाषा के लिखने व सिखाने में सहायक या बाधा बनने वाले दो प्रमुख तत्व हैं— व्याकरण व लिपि। लिपि का एक पक्ष है— सामान्य और विशिष्ट स्वरों के पृथक प्रतीक—वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार—भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान लाघव एवं प्रयत्न—लाघव। लिपि का दूसरा पक्ष है— वर्तनी, एक ही स्वर को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है। 1967 में हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया।

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

(1) संयुक्त वर्ण—

1. खड़ी पाई वाले व्यंजन— खड़ी पाई वाले व्यंजन के संयुक्त रूप, खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए।

जैसे— ख्याति, लग्न, विघ्न, व्यास, कच्चा, छज्जा, श्लोक आदि।

2. अन्य व्यंजन— क और फ के संयुक्ताक्षर बनाते समय 'संयुक्त', 'पक्का' जैसे शब्द बनाएँ; न कि 'संयुक्त', 'पक्का'।

3. ङ, छ, ट, ठ, ड, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिन्ह लगाकर बनाये।

जैसे— चिह्न, ब्रह्म। चिह्न, ब्रह्म न लिखे जाए।

4. संयुक्त 'र' के प्रचलित रूप यथावत् रहेंगे।

जैसे— प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

5. 'श्र'का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे श्र के रूप में नहीं लिखा जायेगा। त + र के संयुक्त रूप के लिए, त्र व त्र दोनों के प्रयोग की छूट

होगी। परन्तु अब त्र ही मानक रूप है।

6.हल् चिन्ह से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ इ की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जायेगा, ना कि पूरे युग्म के पूर्व।

यथा— कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित इत्यादि। परन्तु संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते समय कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित लिखा जा सकेगा।

(2) विभक्ति चिन्ह—

1.हिन्दी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक लिखे जायें। जैसे— राम को, राम से, स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जायें। जैसे— उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

2.सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिह्न हो, तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए— उसके लिए, इसमें से।

3.सर्वनाम व विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो, तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए। जैसे— आप ही के लिए, मुझ तक को।

(3) क्रियापद—

1.संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक—पृथक लिखी जाएँ। जैसे— पढ़ा करता था, खेला करेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं।

(4) हाइफन— हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

1.द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए।

जैसे— राम—लक्ष्मण, शिव—पार्वती संवाद, देख—रेख, चाल—चलन, हंसी—मजाक, लेन—देन, पढ़ना—लिखना, खाना—पीना, खेलना—कूदना।

2.सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए।

जैसे— तुम—सा, राम—जैसा, चाकू—से तीखे।

3.तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो अन्यथा नहीं।

जैसे— भू—तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे— रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी,

आत्महत्या आदि ।

4. इसी तरह 'बिना नख के' लिए 'अ-नख' लिखा जाए, 'अनख' लिखे जाने से इसका अर्थ क्रोध हो जाएगा। 'नम्रता का अभाव' के लिए 'अ-नति' लिखा जाए, अन्यथा 'अनति' लिखे जाने पर इसका अर्थ 'थोड़ा' हो जाएगा।

5. कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है।

जैसे- द्वि-अक्षर (द्व्यक्षर), द्वि-अर्थक (द्व्यर्थक) आदि।

(5) अव्यय:-

1. तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएँ।

जैसे- आपके साथ, यहाँ तक।

2. हिन्दी में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, चाहे, लेकिन, अथवा, यथा आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। नियमानुसार ये अव्यय पृथक लिखे जाएँ।

जैसे- श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि। कुछ के सामने विभक्ति चिन्ह भी आते हैं। जैसे- अब से, तब से, यहाँ से आदि। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक नहीं लिखे जाते हैं। जैसे- प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है।

(6) श्रुतिमूलक:- 'य', 'व'

1. यहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है। क्रिया, विशेषण, अव्यय सभी रूपों में य, व का स्वरात्मक रूप प्रयोग किए जाएँ।

सही रूप	गलत रूप
किए	किये
नई	नयी
हुआ	हुवा
दिखाए गए	दिखाये गये
राम के लिए	राम के लिये

2. जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर, शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक स्वरात्मक की आवश्यकता नहीं।

सही रूप	गलत रूप
स्थायी	स्थायी
दायित्व	दाइत्व
अव्ययीभाव	अव्यईभाव

(7) अनुस्वार (शिरोबिंदु/ बिंदी) तथा अनुनासिकता (चन्द्र बिन्दु)–

1. संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए तो एकरूपता, लेखन व मुद्रण की सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे– गंगा, चंचल, संध्या, संपादक आदि।

2. यदि पंचमाक्षर के बाद कोई अन्य वर्ण का वर्ण आ जाए या वही पंचमाक्षर दुबारा आए, तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे– अन्न, अन्य, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि।

3. चंद्र बिंदु– चंद्र बिंदु के बिना अर्थ में भ्रम होता है। जैसे– हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि। इसी भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है।

(8) विदेशी ध्वनियाँ–

अरबी, फारसी या अंग्रेजी देशों के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनका विदेशी ध्वनियों से हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे– कलम, किला, दाग आदि (इन शब्दों के 'क' और 'द' में नुक्ता लगाने की जरूरत नहीं है)। जहाँ उच्चारण भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ नुक्ते लगाये जाएँ। जैसे– खाना, राज़ इत्यादि में ख और ज में नुक्ता लगाया गया है। अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ हिंदी में आयी हैं– क़, ग़, ख़, ज़ और फ़ जिनमें दो क़ व ग़ हिंदी उच्चारण क व ग (बिना नुक्ता के) बन गयीं। 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गयी सिफारिश उल्लेखनीय है। अंग्रेजी शब्दों का

देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए।

(9) हल् चिन्ह—

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों में हल् चिन्ह लुप्त हो चुका है, उनमें इसे फिर से लगाने का यत्न ना किया जाए। जैसे— महान, विद्वान आदि के 'न' में।

(10) स्वर परिवर्तन—

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाना चाहिए। अतः ब्रह्मा को ब्रम्हा, चिह्न को चिन्ह बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में यदि एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, तो उसे ना लिखने की छूट है। जैसे— उज्ज्वल के स्थान पर उज्वल तथा तत्त्व के स्थान पर तत्व लिख सकते हैं।

(11) विसर्ग—

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त होते हैं तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए। जैसे— दुःखानुभूति। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे— 'दुख—सुख' के साथी।

(12) 'ऐ' 'औ' का प्रयोग—

हिंदी में ऐ ([^]), औ ([ौ]) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने में होता है। पहले प्रकार में उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होता है। दूसरे प्रकार में उच्चारण 'गवैया', 'कौवा' आदि शब्दों में सुरक्षित है। इसे गवय्या, कव्वा आदि में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए ऐ, [^], औ, [ौ] के प्रयोग किए जाए।

(13) पूर्वकालिक प्रत्यय—

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलकर लिखे जाए।

जैसे—मिलाकर,खा—पीकर,रो—रोकर।

(14) अन्य नियम—

1. शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
2. फूलस्टॉफ को छोड़कर, शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए

जाएँ, जो अंग्रेजी में प्रचलित है। यथा—, ; . - ! ? ' ' " " () आदि।

3. फूलस्टॉफ़ (.) के लिए खड़ी पाई (I) का प्रयोग होगा।
4. विसर्ग (:) के चिन्ह को ही कोलोन का चिन्ह मान लिया जाए।

देवनागरी लिपि की कुछ अन्य विशेषताएँ—

1. 'अ' की कोई मात्रा निश्चित नहीं है।
2. र् + उ = रु एवं र् + ऊ = रू निश्चित किया गया है।
3. अनुस्वार (ं), विसर्ग (:) क्रमशः स्वर के ऊपर, बाद में लगता है। जैसे—
क् + अं = कं, क् + अः = कः।
4. व्यंजन वर्ण के 12 रूप हैं। यह बारहखड़ी कहलाती है।
जैसे— क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः।
5. व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं— खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। जैसे— ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र बिना खड़ी पाई के लिखे जाने वाले व्यंजन हैं। शेष व्यंजन खड़ी पाई वाले हैं।
6. सामान्यतः सभी वर्णों के सिर पर एक-एक आड़ी रेखा होती है।
7. जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर नहीं रहता है, तो दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं।
जैसे— क् + त् = क्त, त् + य् = त्य, क् + ल् = क्ल।
8. जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं।
जैसे— क्क (चक्का), न्न (गन्ना), म्म (सम्मान)।

संदर्भ—

1. गूगल
2. डॉ० भोलानाथ तिवारी, लिपि की विशेषताएँ व उपयोगिता
3. भाषाविज्ञान

‘मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी,
परन्तु आज यह जानकर उनको कैसा लगेगा कि उसके बेटे ने
अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी।’

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया

35

हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन, शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद

– मदन मलहोत्रा*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ क्या हैं ?

पहले, कम्प्यूटर में अंग्रेजी के कमान्ड्स ही स्वीकार किए जाते थे। इससे उत्तर भारत में निवासरत हिन्दी भाषी लोगों को कम्प्यूटर के परिचालन में थोड़ी कठिनाई होती थी। देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा, संचार भाषा सभी हिन्दी होने के कारण यह आवश्यक हो गया था कि कम्प्यूटर भी हिन्दी भाषा से चालित हो। चूँकि अब हर क्षेत्र में तकनीकी का प्रवेश हो चुका है, इसलिए कम्प्यूटर में हिन्दी के प्रवेश होने से हिन्दी के जानकारों के लिए यह एक वरदान साबित हुआ

*जन्म तिथि : 07 जून 1985, माता : श्रीमती रमेतीन बाई, पिता : श्री हीराराम मलहोत्रा, पत्नी : श्रीमती नन्दकुमारी मलहोत्रा, शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी), पी जी डी सी ए, पी जी डी आर डी, हिन्दी टाइपिंग, आवासीय पता : अण्डोला, तहसील- सारंगढ़, जिला- रायगढ़ छ.ग., सम्प्रति : कम्प्यूटर ऑपरेटर, महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया, छ.ग., पिन कोड 496661, मो 0 नं० : 9039495794, मेल आई डी : mrmalhotra.mrmalhotra399@gmail.com

है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी का विकास सभी क्षेत्रों की तरह हिन्दी के लिए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कम्प्यूटर प्रोग्राम के विकास के साथ हिन्दी के लिए भी अनेक प्रकार की सुविधा जनमानस के लिए लाभप्रद साबित हो रही है। आज कम्प्यूटर में हिन्दी सुविधा सभी क्षेत्रों के विकास में अहम् कार्य कर रही है। हिन्दी फोंट के आविष्कार हो जाने से अब हिन्दी में भी लोग कम्प्यूटर टंकण करने लगे हैं। वर्णों को विभिन्न विन्यास में सुसज्जित करने का कार्य भी अब हो रहा है। ऑनलाईन कार्य में भी हिन्दी का उपयोग होने से लोगों को बहुत सुविधा हुई है। जो लोग विशुद्ध हिन्दी भाषी हैं या मात्र हिन्दी के पक्षधर हैं, वे भी डेटा ऑन करके मेल भेजने, पढ़ने व अन्य ऑनलाईन कार्य हिन्दी के माध्यम से करने में सक्षम हुए हैं। कम्प्यूटर में हिन्दी लिखना, इंटरनेट का उपयोग करके हिन्दी भाषा के माध्यम से कोई सामग्री खोजना, शब्द संसाधन करना, आंकड़ा संसाधन करना, हिन्दी वर्तनी को शुद्ध करने के प्रयास में विभिन्न शुद्ध शब्दों का विकल्प प्राप्त करना, हिन्दी के शब्दों अथवा वाक्यों का अन्य भाषा में अनुवाद करना आदि सुविधाएँ, कम्प्यूटर के द्वारा वर्तमान में हिन्दी उपयोगकर्ताओं को मिलने लगी है। कम्प्यूटर प्रोग्राम में हिन्दी के लिए भी कई Application, Apps, Website, Tools एवं Hindi Programming का विकास हो चुका है जिसके माध्यम से हम हिन्दी के जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर चुटकी में प्राप्त करते हैं।

आंकड़ा संसाधन

कम्प्यूटर पर आंकड़ों की गणना का कार्य कम्प्यूटर निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो गया था। कम्प्यूटर पर आंकड़ा गणना का कार्य धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों में विकसित होने लगा एवं आज के प्रौद्योगिक काल में सभी क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण कार्य कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं। कम्प्यूटर में भी हिन्दी आंकड़ा संबंधी कार्य आजकल संचालित होने लगे हैं। आज कम्प्यूटर में हिन्दी आंकड़ा आधारित कार्य शासकीय/अशासकीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमें वर्तमान समय में प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी आंकड़ा आधारित कार्य देखने को मिलता है। आजकल हिन्दी आंकड़ा संबंधी कार्य करने के लिए कई कम्प्यूटर प्रोग्राम विकसित किया जा चुका है, जैसे— Microsoft Word Application, Microsoft Excel and Tally ERP-09 इत्यादि। Microsoft Word Application के Insert Menu में

जाकर आंकड़ा कार्य भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर निम्न सारिणी को लिया जा सकता है—

क्रमांक	अधि./कर्म.का नाम	पद नाम	सकल देय वेतन	शुद्ध देय वेतन	रिमार्क
1	डॉ आर के टंडन	सहा.प्राध्यापक हिन्दी	64000	49000	
2	श्री मनोज बरेठा	सहा.प्राध्यापक अंगूळ	64000	60000	
3	श्री अरुण यादव	बुक लिफ्टर	32000	26000	

Microsoft Office Exel को विशेष रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में आंकड़ा संबंधी कार्य करने के लिए कम्प्यूटर एप्लिकेशन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें आंकड़ा संग्रहण, कॉलम, लाईन, पाई, बार, एरिया, स्केटर एवं अन्य चार्ट के माध्यम से आंकड़ा संबंधी कार्य किया जाता है। Microsoft Exel मूल रूप से आंकड़ा संबंधी कार्य करने के लिए ही तैयार किया गया एप्लिकेशन है, जिसमें उपभोक्ता अपनी सुविधा एवं इच्छानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में आंकड़ा का कार्य करते हैं। इसी प्रकार आजकल Tally ERP-09 में भी हिन्दी आंकड़ा संबंधी कार्य किया जा रहा है।

महाविद्यालय का नाम	वर्षावस में कार्यरत शिक्षकों की संख्या	वर्षावस में कार्यरत अधि. शिक्षकों की संख्या	आनलाइन माध्यम से आयोजित कक्षाओं का विवरण (विवरण संख्या में दे)										कुल कक्षाओं की संख्या				
			ZOOM	CISCO WEB EX	GOOGLE MEET	MICROSOFT TEAMS	ANY OTHER SPECIFY						(R)	(G)			
महानिजी गीपी शासकीय कक्षा एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया	15	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0

शब्द संसाधन

कम्प्यूटर पर सबसे पहले शब्द संसाधन और गणना का कार्य प्रारम्भ हुआ था। कम्प्यूटर परिचालक जितनी अच्छी कुशलता से शब्द संसाधन के तरीके को जानेगा, उतने अच्छे से शब्द संसाधन कर सकेगा। इसके लिए संसाधक को संबंधित टूल्स के प्रयोग के बारे में गहनता से जानकारी होनी चाहिए। उसे संसाधित किए जाने वाले दस्तावेज के प्रकार, उसके मानक रूप, टंकण-विधि, व्याकरण संबंधी चिन्हों की प्रयोग विधि, फॉन्ट के प्रकार, पृष्ठ की साज-सज्जा आदि की जानकारी होना आवश्यक होता है। मानक एवं आकर्षक रूप में किसी दस्तावेज के तैयार करने से तैयार करने वाली संस्था की अच्छी पहचान भी उभर कर सामने आती है। कम्प्यूटर में शब्द संसाधन के लिए Microsoft Office में Word एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसके आवश्यक टूल्स की जानकारी रखते हुए शब्द संसाधन (Word Processing) किया जाता है।

साधारणतः किसी कार्यालय में काम करते समय हम एक पत्र का प्रारूप तैयार करते हैं। इसके पश्चात् उस दस्तावेज में आवश्यकतानुसार कई बार परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के दौरान टंकित सामग्री की पंक्तियों के मध्य अन्तराल को कम या ज्यादा करते हैं, कुछ भाग को मिटाते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं, वर्तनी को ठीक करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते कि हमारा दस्तावेज अंतिम रूप से तैयार हो गया है। यदि इस कार्य को टाइपराइटर पर किया जाए तो दिए गए प्रारूप को कई बार टाइप करना पड़ेगा। हर बार नया कागज लगाना पड़ेगा क्योंकि टाइपराइटर पर सीधे कागज पर टाइप करना पड़ता है। इसमें पूरी सामग्री को नए सिरे से और पूरी टाइप करनी पड़ती है। इससे श्रम और समय दोनों अधिक लगते हैं। परन्तु कम्प्यूटर के माइक्रोसाफ्ट वर्ड में काम करते समय जब हम शब्द-संसाधन करते हैं तब सीधे कम्प्यूटर की मेमोरी में टाइप होते जाता है। जो कुछ टाइप होते जाता है, उसे हम मॉनीटर में देखते जाते हैं। कम्प्यूटर में हम सीधे कागज पर टाइप नहीं करते जाते, इसलिए हम विभिन्न टूल्स के माध्यम से अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, वर्ण के आकार प्रकार को परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसमें नई सामग्री जोड़ सकते हैं, उसे विभिन्न अक्षर विन्यासों से सजा

सकते हैं, शीर्षकों को आकर्षक व विभिन्न नमूनों में बना सकते हैं।

Windows वातावरण में Microsoft Word एक ऐसा सम्पूर्ण शब्द संसाधक प्रोग्राम है, जिसमें हम अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार कोई भी सामग्री टाइप कर सकते हैं। एम एस वर्ड में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इसके इंटरफेस का परिचय प्राप्त करना आवश्यक होगा जिससे किसी पत्र या दस्तावेज को वांछित रूप व आकार देते समय विभिन्न टुल्स का प्रयोग करने में हमें सुविधा हो सके।

टाइटल बार

यह स्क्रीन पर सबसे ऊपर होता है। इसमें फाइल का नाम अथवा उस विंडो का शीर्षक लिखा होता है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। इसके बाएँ कोने में एक बटन होता है, जिसे कंट्रोल बटन कहते हैं। इस पर क्लिक करने से इसके उप शीर्षक प्रकट हो जाते हैं, जिनकी सहायता से विंडो को छोटा, बड़ा अथवा बंद किया जा सकता है।


शब्द संसाधन करते समय कुछ उपयोगी कमांड्स जैसे— New, Open, Save, Save as, Print Preview, Undo, Redo, Close का प्रयोग प्रायः अधिक होता है। टाइटल बार में इनके आइकॉन को जोड़ लेने से इन कमाण्ड्स का प्रयोग करना सरल हो जाता है। इसके लिए कंट्रोल बटन के ठीक दाहिने ओर दिए गए ड्रॉप-डाउन बटन पर क्लिक करना पड़ता है। फिर New, Open, Save आदि प्रमुख कमाण्ड्स को चुनते हैं। मेन्यू में उपलब्ध कमांड्स के अतिरिक्त अन्य प्रमुख कमांड्स को जोड़ने के लिए इसी मेन्यू में More Commands... विकल्प पर क्लिक करते हैं। इसके बाद Quick Access Toolbar and Keyboard Shortcuts के सामने डायलाग बाक्स दिखाई देता है। इस डायलाग बाक्स में Customize विकल्प के अन्तर्गत Popular Commands की सूची में से अन्य प्रमुख कमाण्ड्स को चुनकर टाइटल बार में जोड़ सकते हैं।

मेन्यू बार

टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होती है। इसमें अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे— Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View आदि।

होम मेन्यू—


इस मेन्यू बार के किसी एक मेन्यू पर क्लिक काने पर उसके उप विकल्प प्रकट होते हैं। इस मेन्यू में क्लिक करने से प्रमुख कमांड्स जैसे— Clipboard, Font, Paragraph, Style, Editing प्रकट होते हैं। Home मेन्यू में उपलब्ध कई कमाण्ड्स को बिना माउस से क्लिक किए DOS कमांड्स की तरह और कई कमांड्स को संबंधित आइकॉन पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य DOS कमांड्स मेन्यू के सामने दी गई है। फॉन्ट संबंधी विवरण के लिए होम मेन्यू के Font पर क्लिक कर सकते हैं अथवा कुंजीपटल पर Ctrl कुंजी के साथ D कुंजी को दबाकर भी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसी बार में उस फॉन्ट का नाम लिखा रहता है, जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे— Kruti Dev 010 फॉन्ट के Drop Down पर क्लिक करके हम अपना मनचाहा फॉन्ट चुन सकते हैं। इसके बाजू में फॉन्ट का आकार प्रदर्शित होता है, जिसे आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। इसके दाहिने ओर पैराग्राफ में चार आइकॉन एलाइनमेंट के होते हैं। एलाइनमेंट का अर्थ होता है— पंक्तियों को एक तरफ करके पंक्तिबद्ध करना। यहाँ से किसी पैसेज या वाक्य/शब्द को बाएँ, दाहिने, बीचों-बीच अथवा पूरे में लिख सकते हैं।



इंसर्ट मेन्यू—


होम मेन्यू के दाहिने ओर इंसर्ट मेन्यू होता है, जो वस्तुतः फाइल में विभिन्न सुविधाओं को शामिल करने के लिए है। इस मेन्यू में सामान्यतः उपयोग में आने वाली कमांड्स को आइकॉन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन कमांड्स को DOS कमांड्स की तरह अथवा सीधे संबंधित आइकॉन पर क्लिक करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे— पेज ब्रेक के लिए

Insert मेन्यू के Page Break पर सीधे क्लिक कर सकते हैं अथवा कुँजीपटल पर Ctrl कुँजी के साथ Enter कुँजी को दबाकर भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इस मेन्यू के Pages वाले भाग में पहला आइकॉन Cover Page फिर Blank Page, Page Break के लिए है। Pages के बाद विभिन्न आइकॉन जैसे— Table, Illustrations (Picture, Clip Art, Shapes, SmartArt, Chart), Links, Header & Footer (Header, Footer, Page Number), Text (Text Box, Quick Parts, WordArt, Drop Cap, Signature Line, Date & Time, Object), Symbols (Equation, Symbol) उपलब्ध होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।



पेज लेआउट मेन्यू—

Insert मेन्यू की दाईं ओर Page Layout मेन्यू होता है। इस मेन्यू के कमांड्स का संबंध मुख्यतः पृष्ठ की साज-सज्जा से होता है। मेन्यू का पहला भाग Themes है, जो फाइल में प्रयुक्त होने वाले फोंट्स, उनके रंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मेन्यू का दूसरा भाग Page Setup है, जिसमें मार्जिन, अभिविन्यास (Portrait or Landscape), पृष्ठ का आकार, कॉलम आदि प्रमुख कमांड्स होते हैं। इसमें Page background, Paragraph and Arrange विकल्प भी होते हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।




रेफरेंस मेन्यू—

इस मेन्यू में मुख्यतः विषय-सूची बनाने (Table of Contents), पाद-टिप्पणियाँ (Footnotes) लिखने एवं अनुक्रमणिका (Index) तैयार करने की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।


मेलिंग मेन्यू—

इस मेन्यू के कमांड्स किसी दस्तावेज को अलग-अलग पतों पर प्रेषित करने के लिए अलग-अलग प्रतियाँ तैयार करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस प्रक्रिया को Mail Merge कहा जाता है।




रिव्यू मेन्यू—

इस मेन्यू में Spelling & Grammar, Research, Thesaurus, Translate, Translation Screentip, Set Language, Word Count, New Comments, Track Changes, Balloons, Final Showing Markup, Show Markup, Reviewing Pane, Accept, Reject, Preview, Next, Compare, Protect Document आदि कमांड्स की उपलब्धता रहती है।



व्यू मेन्यू—

इसमें Print Layout, Full Screen reading, Web layout, Outline, Draft, Rular, Gridlines, Document Map, Thumbnails, Zoom, One Page, Two Pages, Page Width, New Window, Arrange All, Split, Switch Windows, Macros आदि कमांड्स की उपलब्धता रहती है।



वर्तनी शोधक

वर्तनी जाँचक या शब्द शोधक ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं या किसी अन्य प्रोग्राम से जुड़कर किसी भाषा में लिखे पाठ या शब्दों (अक्षर और मात्रा) की जाँच करता है और जो शब्द गलत होता है, उनके लिए शुद्ध वर्तनी वाले वैकल्पिक शब्द प्रस्तुत करता है। आजकल लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के लिए ऐसे अनेक प्रोग्राम उपलब्ध हो गए हैं।

ऑनलाईन एवं ऑफलाईन हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के अनेक महत्त्वपूर्ण कम्प्यूटर प्रोग्राम वर्तमान में विकसित हो चुके हैं। हिन्दी में वर्तनी शोधक के अनेक एप्स, वेबसाइट निर्माण हो चुके हैं, जैसे— Hindi Spell Checker, Spelling Corral, Hindi Speak and Translate all Language, Spell Pronounce.

मशीनी अनुवाद

कम्प्यूटर साफ्टवेयर की सहायता से एक प्राकृतिक भाषा के Text या कही गई बात को दूसरी प्राकृतिक भाषा के Text या वाक में अनुवाद करने को मशीनी अनुवाद या यान्त्रिक अनुवाद कहते हैं।

इतिहास— यान्त्रिक अनुवाद का मूल विचार सन् 1946 ई0 में वारेन बीवर और ए. डी. बूथ के बीच स्वचालित अंक परिकलन यंत्र (Automatic Digital Computers) के विषय में परिचर्चा के समय उठा। बुथ एवं डॉ0 एच. बी. ब्रिटेन ने 1947 में Institute of Advance study प्रिस्टन में स्वचालित कम्प्यूटर से kosh का अनुवाद करने के लिए एक विस्तृत कोड तैयार किया।

यान्त्रिक अनुवाद की विभिन्न विधियाँ—

1. शब्द कोषानुवाद Dictionary Based Translation
2. नियम आधारित मशीनी अनुवाद Rule Based Machine Translation
3. दृष्टान्तानुवाद Example Based Machine Translation
4. सांख्यिकी मशीनीय अनुवाद Statistical Machine Translation

यान्त्रिक अनुवाद के लाभ—

1. अत्यन्त अल्प समय में अनुवाद ।
2. हर समय उपलब्ध, हर जगह उपलब्ध ।
3. कम या शून्य खर्च ।
4. गोपनीयता एवं निजत्व (Privacy) की रक्षा ।
5. एक ही प्रोग्राम अनेक भाषाओं से अनेक भाषाओं में अनुवाद कर देता है ।

अनुवाद की कमियाँ—

1. कम शुद्धता ।
2. संदिग्ध शब्दों एवं मुहावरों का अनुवाद करने पर अर्थ का अनर्थ हो जाना ।
3. सांस्कृतिक तत्त्वों से भरपूर Text (जैसे कविता) का अनुवाद निरस होना ।

संदर्भ:—

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ।



“मातृभाषा हिन्दी को माँ की तरह प्रेम दूँगा, पितृभाषा छत्तीसगढ़ी को पिता की तरह प्रेम दूँगा और अंग्रेजी को अंकल की तरह जो सारे जग के परिचित एवं अपरिचित लोगों के लिए लागू होता है।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबांधिया

36

हिन्दी और मानकीकरण

— श्रीमती वन्दना रानी खाखा*

सेमेस्टर – II प्रश्नपत्र– IV (हिन्दी भाषा)

इकाई – 04 हिन्दी के विविध रूप

सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिन्दी, मातृभाषा, माध्यम भाषा, संचार भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति। हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएँ – आंकड़ा संसाधन और शब्द संसाधन, वर्तनी शोधक, मशीनी अनुवाद, हिन्दी और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ और मानकीकरण।

भारत के संविधान में हिंदी को संघ की "राजभाषा" के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का अभिप्राय है – देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा, जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है अर्थात् जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिये जाने से पूर्व संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाते हैं।

संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 (प) के अनुसार

*जन्म : 23 अप्रैल 1980, अम्बिकापुर, माता : प्रो. रजत बरवा, पिता : श्री वाल्टर बरवा, पति : श्री प्रबोध कुमार खाखा, शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), नेट, सेट, रूचि : पठन-पाठन, सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला- गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, छ.ग., आवासीय पता : लिंगियाडीह, बिलासपुर (छ.ग.), मो0 नं0 : 9424154400, मेल आई डी : vranixaxa@gmail.com

:- “संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।”

भाषा समाज की नींव है। भाषा के बिना समाज के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज का अर्थ विभिन्न संस्कृति, सभ्यता एवं परम्परा से जुड़े मानव समुदाय से है। इन्हीं के आचरण विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम भाषा है। मानव समाज की भिन्नता के अनुरूप ही उनकी भाषा में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। भाषा की मूल प्रवृत्ति ही परिवर्तनशीलता होती है। प्रत्येक भाषा अपनी अविकसित अवस्था में बोली या विभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। धीरे-धीरे वह बहुप्रयुक्त होने पर जब शिक्षा, दूरसंचार, प्रशासन आदि के क्षेत्र में एक ही रूप में सर्वमान्य हो जाती है, तब वह एक मानक भाषा बन जाती है।

मानक भाषा को अंग्रेजी में Standard Language कहा जाता है। मानक का अंग्रेजी अनुवाद ‘स्टैंडर्ड’ है। संस्कृत भाषा का अस्तित्व अंग्रेजी से पूर्व का है। ‘मान’ शब्द का प्रयोग संस्कृत में भी हुआ है। ‘मानक’ मूलतः संस्कृत के ‘मान’ शब्द में “क” प्रत्यय के योग से बना है। ‘मान’ का अर्थ ‘माप’, ‘मापदण्ड’ या ‘पैमाना’ आदि है। ‘क’ प्रत्यय के योग से स्टैंडर्ड के प्रतिशब्द के रूप में मानक शब्द का निर्माण हुआ है जिसका अर्थ मानक या आदर्श रूप में लिया गया है। मानक का अभिप्राय है – आदर्श, श्रेष्ठ, अथवा परिनिष्ठित।

मानक भाषा की परिभाषा :- मानक भाषा को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं— किसी भाषा के शुद्ध, प्रमाणिक, आदर्श, परिनिष्ठित एवं सर्वमान्य रूप को ही मानक भाषा कहा जाता है।

□ डॉ. भोलानाथ तिवारी जी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए बताया है कि – “मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में प्रशासन एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है।”

□ प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. नरेश मिश्र ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि – “किसी भाषा का व्याकरण सम्मत वह आदर्श और

परिनिष्ठित रूप, जो उस भाषा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए बोधगम्य हो और जिसका प्रयोग वहाँ के शैक्षिक, साहित्यिक, प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक आदि के कार्यों में किया जाये, मानक भाषा कहलाती है।”

मानक भाषा के तत्व :- मानक भाषा में निम्न 4 तत्वों का समावेश होना आवश्यक माना जाता है –

1. ऐतिहासिकता,
2. मानकीकरण,
3. जीवन्तता,
4. स्वायन्तता।

मानक भाषा के लक्षण :- भाषा विज्ञान के विद्वानों ने मानक भाषा में जिन लक्षणों का होना आवश्यक माना है, वे प्रमुख लक्षण निम्नानुसार हैं :-

1. यह भाषा सबके द्वारा मान्य है।
2. यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है।
3. इसमें मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
4. यह आवश्यकता के अनुरूप निरन्तर विकास करती रहती है।
5. यह नए शब्दों का निर्माण करने के साथ-साथ दूसरे नए शब्दों को अपने में मिला लेती है।
6. मानक भाषा का ढाँचा सुदृढ़ होता है अर्थात् उस पर क्षेत्रीय विशेषताओं या शैलीगत विभिन्नता का कोई प्रभाव नहीं होता है।
7. मानक भाषा परिनिष्ठित होती है।

(बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है।)

मानकता :- किसी भी भाषा की सर्वमान्यता, स्पष्टता, पठन-पाठन एवं लेखन, मुद्रण एवं टंकण की सुगमता ही उसे मानक रूप प्रदान करती है। किसी भी भाषा को मानकता प्राप्त करने हेतु एक निश्चित दिशा में दीर्घकाल तक गतिमान रहना पड़ता है, तभी उस भाषा को मानकता प्राप्त होती है।

भाषा की एक प्रमुख विशेषता उसका निरन्तर परिवर्तन है। काल और स्थान भाषा परिवर्तन के कारक हैं। भाषा परिवर्तन के कारण इसमें स्वाभाविक रूप से विविधता आ जाती है। भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित बनाये रखना ही उसकी मानकता कहलाती है।

मानकीकरण

मानकीकरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे गतिशील रहते हुए दीर्घकाल तक चलती रहती है। किसी भी भाषा के विभिन्न स्तरों पर भिन्नता को दूर करते हुए मानकीकरण करना आवश्यक होता है। इसके लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा की शुद्धता हेतु ही व्याकरण का निर्माण हुआ। हिंदी भाषा का सहज मानकीकरण उसके लिखित व्याकरण से शुरू हुआ। इस विषय में डॉ. भोलानाथ तिवारी ने कहा है, “भाषा और व्याकरण की शिक्षा तथा भाषा विषयक तरह-तरह के प्रशिक्षणों से भी हिंदी के मानकीकरण की दिशा में प्रगति हुई है और धीरे-धीरे हिंदी भाषा अपने मानक रूप को प्राप्त करती जा रही है।” मानकीकरण के संबंध में “डॉ. केशवदत्त का कथन है कि “मानकीकरण न केवल भाषा में एकरूपता लाता है, बल्कि लिखित रूप से सम्बद्ध होकर वह भाषा प्रयोग में स्थिरता का समावेश करके उसे अधिकाधिक बोधगम्य भी बनाता है।” भाषा को शुद्ध एवं परिनिष्ठित रूप देना एवं बोधगम्यता हेतु उसे परिवर्तन से नियंत्रित रखना मानकीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, “किसी भी भाषा का बोल-चाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है।”

मानकीकरण की आवश्यकता :- किसी भी भाषा का प्रयोग जब विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक स्तर के लोगों द्वारा किया जाता है तो उसमें अंतर आना स्वाभाविक है। यह अंतर कालांतर में एक समस्या का रूप धारण कर लेता है तथा इससे भाषा की बोधगम्यता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी भाषा को सहज, सरल व पढ़ने, लिखने व समझने तथा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तथा सब जगह भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए भाषा व लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए किसी भी भाषा का मानकीकरण किया जा सकता है।

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद या आगम के कारण मानकता की समस्या आती है, जैसे – हिंदी में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् तीनों शब्दों को

स्वतन्त्र शब्द मानकर मकार को हलन्त् करके लिखते हैं जबकि कुछ विद्वान सत्यं शिवं सुन्दरम् को शब्द समुच्चय मानते हुए सत्यं और शिवं में क्रमशः मकार और वकार पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तथा अंतिम मकार में हलन्त् का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भ्रम उत्पन्न होता है कि कौन-सा सही है कौन-सा गलत ? मानकीकरण से इस प्रकार के भ्रम का निवारण किया जा सकता है।

मानकीकरण के सोपान :- मानकीकरण के तीन सोपान हैं –

1. बोली,
2. भाषा,
3. मानक भाषा।

□ **प्रथम सोपान – बोली**

पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। बोली को आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

□ **द्वितीय सोपान – भाषा**

जब बोली कुछ भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, तब उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है, और इसी कारण से वह व्याकरणिक साँचे में ढलने लगती है और इसका उपयोग पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में होने लगता है, तब वह बोली न रहकर “भाषा” की संज्ञा प्राप्त कर लेती है।

□ **तृतीय सोपान – मानक भाषा**

जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेता है और उसका रूप परिनिष्ठित हो जाता है। उसकी अपनी शैक्षणिक शब्दावली होती है। इस स्थिति में पहुँचकर भाषा ‘मानक भाषा’ बन जाती है।

मानकीकरण का अर्थ होता है किसी भी भाषा का एक विशिष्ट स्तर का स्वरूप निर्धारित करना, जो एक आदर्श हो तथा सभी के लिए स्वीकार्य

हो। जो भाषा के उच्च स्तर और निम्न स्तर के औसत बिंदु को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिंदी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक हो गया था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराईटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो। किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्व हैं –

- (1) व्याकरण,
- (2) लिपि।

लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वरों के पृथक प्रतीक वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान-लाघव व प्रयत्न लाघव।

लिपि का दूसरा पक्ष है वर्तनी। एक ही ध्वनि को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में इस प्रकार के दोष न्यूनतम हैं, फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ व खामियाँ भी हैं। इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रैल 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत कर लिया। इन्हें 1967 में 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका में व्याकरण तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया।

मानकीकरण के उद्देश्य :- मानकीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य हैं –

- (1) एकरूपता,
- (2) सरलीकरण।

एकरूपता :- मानकीकरण में शिक्षा, यांत्रिकीकरण आदि की दृष्टि से भाषा का एक रूप होना आवश्यक है। अगर किसी एक वर्ण को दो प्रकार से लिखा जाए, जैसे – द, छ। इस स्थिति में वर्ण के मुद्रण, कम्प्यूटर में प्रयोग आदि इस स्थिति में कठिनाई होती है। मानकीकरण में यह निश्चित

किया जाता है कि दोनों में से कौन-सा मानक हो और शेष कौन से अमानक होंगे, जिससे एकरूपता स्थापित हो सके।

सरलीकरण :- मानकीकरण का एक अन्य उद्देश्य सरलीकरण है। हिंदी में 'द' से बनने वाले कुछ पुराने रूपों को हलन्त से लिखने की सिफारिश की गई थी। इससे आठ-दस संयुक्त अक्षरों की जगह हम केवल हलन्त से काम चलाते हैं। उदाहरण के लिए -

पुराने वर्ण :- द्ध घ द्घ

मानक वर्ण :- द्ध द्य द्द्व

इसी तरह 'ह' व 'ट' आदि से बनने वाले बहुत से संयुक्त वर्ण हलन्त से लिखे जाते हैं जिससे सीखने वालों को आसानी होती है, क्योंकि लेखन पद्धति सरल हो जाती है।

मानकीकरण का उद्देश्य एक ओर भाषा में एकरूपता लाना है। इससे सिखने-सिखाने वालों को सुविधा होगी, कम्प्यूटर में प्रयोग आसान होगा, मशीनी अनुवाद, शब्दकोष निर्माण आदि क्षेत्रों में सुविधा होगी। दूसरा उद्देश्य भाषा को सरलीकृत करना है, जिससे भाषा की रचना शब्दावली की एकरूपता, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग व सरलतम शैली का प्रयोग जैसे माध्यमों में भाषा मानकीकृत की जाती है। हिंदी के राजभाषा के रूप में स्थापित होने के उपरांत हिंदी भाषा की लिपि, वर्तनी व भाषा को मानकीकृत करने का प्रयास किया गया। इसी मानकीकृत हिंदी का प्रयोग वर्तमान में सरकारी काम-काज में होता है।

भारत सरकार के प्रयासों से हिंदी का मानकीकरण :- हिंदी आज संपूर्ण भारत में बोली, समझी व लिखी जाती है, परन्तु हर प्रदेश, क्षेत्र, शहर में हिंदी का स्वरूप भिन्न है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह कहावत तो अति प्राचीन है कि - "कोस-कोस पर पानी बदले डेढ़ कोस पर बानी।" इतना ही नहीं हिंदी के लिखित व बोलचाल के स्वरूप में भी अत्यधिक अंतर है, यहाँ तक कि हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी बोलने व लिखने के अनेक रूप प्रचलित हैं। इसलिए हिंदी के विद्वानों ने हिंदी भाषा का मानकीकरण का मुद्दा उठाया, परंतु भाषा का मानकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। परंतु हिंदी को जब भारत संघ की राजभाषा का दर्जा मिला तब हिंदी के पठन-पाठन व सरकारी काम-काज में इसके मानक स्वरूप का प्रश्न सामने

आया। अतः इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति में सरकारी काम-काज के उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी की वर्तनी को मानक स्वरूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

कारक चिह्न :-

1. हिंदी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से पृथक् लिखे जायेंगे।

जैसे – राम ने, गीता को आदि।

सर्वनाम में ये चिह्न प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जायेंगे।

जैसे – तूने, तुमसे, उसको आदि।

(क). सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाता जाएगा।

जैसे – उसके लिए, इसमें से।

(ख). सर्वनाम और कारक चिह्न के बीच 'ही' 'तक' आदि निपात हों तो कारक चिह्न को पृथक् लिखा जाएगा।

जैसे – आप ही के लिए, मुझ तक को।

संयुक्त क्रिया पद :-

1. संयुक्त क्रियापद में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँगी।

जैसे – पढ़ा करता है, जा सकता है।

अव्यय :-

1. 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ।

जैसे – यहाँ तक, आपके साथ।

2. समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ (यानि पृथक् नहीं लिखना है)।

जैसे – प्रतिदिन, मानवमात्र, यथासमय।

समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है, अतः उसे पृथक् रूप

में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है।

जैसे – दस रुपये मात्र, मात्र दो व्यक्ति में पदबंध रचना है। अतः यहाँ मात्र अलग से लिखा जाएगा।

योजक चिह्न (–) :-

1.द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिह्न रखा जाए।

जैसे – माता–पिता, नर–नारी, भाई–बहन।

2.दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी योजक चिह्न लगाया जायेगा।

जैसे – रोम–रोम, घर–घर, दूर–दूर।

3.दो परस्पर विलोम शब्दों के बीच में योजक चिह्न लगाया जायेगा।

जैसे – रात–दिन, ठंडा–गरम, उठना–बैठना।

पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' :-

1.पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए।

जैसे – मिलाकर, खा–पीकर, रो–रोकर।

2.कर + कर से 'करके' और करा + कर से 'कराके' बनेगा।

विसर्ग (:) :-

1.संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे शब्द यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए।

जैसे – दुः खानुभूति में।

परंतु यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा।

जैसे – दुख–सुख के साथी।

ँ का प्रयोग :-

1.हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्द बहुत प्रचलित हैं, जिसमेंँ की ध्वनि होती है –

जैसे – डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस।

इसको लिखते समय 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग

किया जाए।

स्वन परिवर्तन :-

1. संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा' तथा "उत्कृष्ट" को 'उरिण' में न बदला जाए।

2. जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है।

जैसे – अर्द्ध-अर्ध, तत्त्व-तत्व, उज्ज्वल-उज्वल।

अनुस्वार :-

1. संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए।

जैसे – मानक रूप – हिंदी, चंचल, संपादक, गंगा।

अमानक रूप – हिन्दी, चञ्चल, सम्पादक, गङ्गा।

मानकीकरण के संबंध में भाषा विशेषज्ञों की एक बैठक 5-6 फरवरी 1980 को केन्द्रीय निदेशालय, दिल्ली में प्रोफेसर 'हरवंशलाल शर्मा' की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनेक विद्वान, भाषाविद् और अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

(1) संयुक्त व्यंजन 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ' और 'श्र' के संबंध में चर्चा हुई कि यह दो वर्णों का ही संयुक्त रूप है, अतः इसे अलग से वर्णमाला में रखना आवश्यक नहीं है। परन्तु विचार-विमर्श के बाद में यह तय हुआ कि इन्हें संयुक्त व्यंजनों में ही रहने देना उचित होगा।

(2) हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। इसलिए एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद मानक रूप स्वीकृत हुआ, इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं -

अशुद्ध (अमानक) रूप	शुद्ध (मानक) रूप
एकइस	इक्कीस
बाईस	बाईस

पच्चीस	—	पच्चीस
उन्तीस	—	उन्तीस
तैंतीस	—	तैंतीस
एकतालिस	—	इकतालीस
त्रेपन, तिरपन	—	तिरपन
अरसठ	—	अड़सठ

हिंदी भाषा का मानकीकरण करते समय वैज्ञानिकता के साथ-साथ प्रयोग बाहुल्यता को भी ध्यान में रखा गया है। भाषा विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता संदेहास्पद हो जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा डर बना रहता है। फलतः भाषा गतिशील, जीवंत और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिंदी मानकीकरण विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और इसलिए, जहाँ तक बन पड़ा है, काफी हद तक उदारपूर्ण नीति अपनाई गई है। मानकीकरण के कारण ही हिंदी भाषा अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समान हो पायी है।



“नर और नारी – एक समान’ नारा के गुंजायमान होने, समान रूप से वयस्क मताधिकार के प्राप्त होने व ‘समान कार्य समान वेतन’ का हक मिलने से महिला व पुरुष एक समान नहीं हो जाते; महिला अब भी पुरुषों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह जननी है, अतः महिलाओं के साथ कोमलता, शिष्टता व विनम्रता का व्यवहार करें।”

—डॉ. रमेश टण्डन फूलबधिया